

शैक्षिक अवसरों की समानता एवं अल्पसंख्यक
मुस्लिम छात्राओं द्वारा उनका उपयोग
भोपाल के संदर्भ में एक
आलोचनात्मक अध्ययन

बरकतउल्ला विश्व-विद्यालय, भोपाल
की
पी. एच. डी. उपाधि हेतु

शोध प्रबन्ध

शोध कर्त्री

सूर्य किरण अवस्थी

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

1991

" प्रमाण - पत्र "

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सूर्यकिरण अवस्थी ने मेरे निर्देशन में निर्धारित समयावधि के अंतर्गत शोध कार्य विधिपूर्वक सम्पन्न किया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उनकी अपनी मौलिक कृति है। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि यह शोध प्रबन्ध, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल की पी.एच.डी. उपाधि से सम्बद्ध अधिनियम की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

मैं इस शोध प्रबंध को बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय की पी.एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत करने की अनुमति करता हूँ।

दिनांक . 23.7.91.

। डॉ. जे. एस. राजपूत ।
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शिक्षा विभाग, भारत सरकार,
नई दिल्ली

सह-निर्देशक,
शुभेश पंत
। डॉ. एस. टी. पंत ।
प्रवाचक,
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

" कृतज्ञता - ज्ञापन "

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का वर्तमान स्वस्थ अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही संभव हो सका है । मैं डॉ.जे.एस.राजपूत तथा डॉ. एस.सी.पंत के लिए विशेष आभारी हूँ, जिनके विद्वतापूर्ण, सूक्ष्म एवं कुशल संदर्शन में यह शोध प्रबंध पूर्ण हो सका है ।


मैं उन सभी प्रधानाध्यापिकाओं, शिक्षक व शिक्षिकाओं, छात्राओं तथा अभिभावकों को विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे शोध संबंधी तथ्य उपलब्ध करवाने में सहायता की ।

शिक्षाविद् एवं अन्य जो वर्तमान शोध कार्य में सहायक रहे हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना अपना पुराना कर्तव्य समझती हूँ ।

अंत में मैं उन सभी की कृतज्ञ हूँ जो किसी न किसी रूप में शोध से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित रहे हैं ।

दिनांक, 23-7-91

शोधकर्त्री,



। श्रीमती सूर्यकिरण अवस्थी ।

" विषय - सूची "

अध्याय

पृष्ठ क्रमांक

अध्याय - प्रथम : शैक्षिक अवसरों की असमानता - एक विश्व व्यापी चुनौती ।

1.00	शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न	1
1.01	विकासशील राष्ट्र व शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न	5
1.02	स्त्री-पुरुष विषमताएं ।	6
1.03	स्त्री-पुरुष के मध्य शैक्षिक असमानताओं से संबंधित सामान्य विशेषताएं ।	7
1.04	भारतीय संदर्भ में शैक्षिक असमानता का प्रश्न ।	9
1.05	भारतीय संविधान एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रावधान का एक आलोचनात्मक अध्ययन ।	11
1.06	मूलभूत अधिकार ।	11
1.07	अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार ।	14
1.08	राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं अवसरों की समानता ।	15
1.09	भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य ।	17
1.10	शैक्षणिक अवसरों की समानता का व्यावहारिक पक्ष ।	20
1.11	मुस्लिम समुदाय एवं उसका सांस्कृतिक परिपेक्ष्य ।	23
1.12	भारतीय समाज और संस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव ।	26

अध्यायपृष्ठ क्रमांक

अध्याय - द्वितीय - भारत में मुस्लिम शिक्षा की संक्षिप्त
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.00	शैक्षिक इतिहास की समीक्षा ।	29
2.01	अंग्रेजी शासन में मुस्लिम शिक्षा की स्थिति ।	37
2.02	अल्पसंख्यक समुदाय और उच्च शिक्षा का प्रावधान ।	38
2.03	मुस्लिम शिक्षा को व्यावहारिक रूप देने हेतु कुछ अन्य प्रयास ।	42
2.04	स्वतंत्रता के उपरांत मुस्लिम शिक्षा का प्रसार ।	45

अध्याय - तृतीय - मुस्लिम नारी एवं उसकी शिक्षा

3.00	भारत में नारी शिक्षा का विकास ।	48
3.01	मुस्लिम समुदाय की चिन्तन शैली ।	53
3.02	स्त्री-शिक्षा हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम ।	55
3.03	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में शैक्षिक समानता के अवसर	57

अध्याय - चतुर्थ - समस्या से संबंधित साहित्य

4.00	पाश्चात्यदेशों में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की शैक्षिक समस्याओं से संबंधित अध्ययन ।	62
4.01	शैक्षिक अवसरों की समानता एवं कोलमैन का प्रतिवेदन	64
4.02	हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट ।	67
4.03	इंग्लैण्ड की प्लाउडन रिपोर्ट 1986	70
4.04	ब्रिटेन में शैक्षिक अवसरों की समानता को लेकर किए गए कुछ अन्य अध्ययन ।	73
4.05	भारत में किये गये शोध कार्य ।	77

अध्यायपृष्ठ क्रमांकअध्याय - पंचम - शोध समस्या एवं अध्ययन विधि

5.00	मध्यप्रदेश में शैक्षिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवेचन ।	90
5.01	भोपाल नगर की शैक्षिक पृष्ठभूमि ।	94
5.02	समस्या शीर्षक ।	99
5.03	शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व ।	100
5.04	समस्या के उद्देश्य ।	102
5.05	शोध समस्या का सीमांकन ।	102
5.06	अध्ययन हेतु भोपाल नगर के चयन का न्यायोचित आधार ।	103
5.07	न्यायदृष्टि एवं उसका चयन ।	104
5.08	भोपाल जिले की भौगोलिक स्थिति ।	104
5.09	अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण ।	107
5.10	तकनीकी शब्दों की अवधारणा ।	113
5.11	समस्या से संबंधित परिकल्पनाएं ।	114
5.12	दत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी ।	114

अध्याय - षष्ठम - दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

6.01	पृष्ठभूमि	117
6.02	सांख्यिकी विश्लेषण के आधार ।	119
6.03	विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का विश्लेषण ।	119
6.04	मुस्लिम छात्राओं के पालकों को दी गई प्रश्नावली का विश्लेषण ।	143
6.05	छात्राओं को दी गई प्रश्नावली का विश्लेषण ।	164

अध्याय - सप्तम - निष्कर्ष, सारांश एवं भावी शोध कार्य
हेतु कुछ प्रस्तावित शोध समस्याएं :

7.01	भूमिका	176
7.02	धर्म निरपेक्षता व मुस्लिम शिक्षा का आधुनिकीकरण ।	177
7.03	विद्यालयों का मूल्यांकन ।	190
7.04	मुस्लिम छात्राओं के पालकों द्वारा साक्षात्कार संबंधी तथ्यों का विश्लेषण ।	192
7.05	छात्राओं को दी गई प्रश्नावली का विश्लेषण ।	193
7.06	शैक्षिक समानता का प्रश्न एवं विद्यालयीन पाठ्य-पुस्तकों का विश्लेषण ।	195
7.07	मुस्लिम बालिकाओं द्वारा शैक्षिक अवसरों का यथोचित लाभ न उठाये जाने के संबंध में कुछ जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा समाज के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किए गए विचार ।	202
7.08	कुछ व्यक्ति अध्ययन के निष्कर्ष ।	208
7.09	सारांश ।	211
7.10	भावी शोध कार्य हेतु प्रस्तावित कुछ शोध समस्याएं ।	223

संदर्भ साहित्य

224 - 236

परिशिष्ट :

परिशिष्ट - 1	विद्यालय वर्गीकरण मूल्यांकन प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल ।	237
परिशिष्ट - 2	छात्राओं के लिए प्रश्नावली ।	253

<u>अध्याय</u>		<u>पृष्ठ क्रमांक</u>
परिशिष्ट - 3	अभिभावकों के लिए प्रश्नावली ।	256
परिशिष्ट - 4	शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रश्नावली ।	259
परिशिष्ट - 5	साक्षात्कार किये गये विशिष्ट व्यक्तियों के नाम	266
परिशिष्ट - 6	छात्राओं का व्यक्ति अध्ययन (केस स्टडी)	267
परिशिष्ट - 7	छात्राओं का नाम जिनका व्यक्ति अध्ययन किया गया ।	268
परिशिष्ट - 8	मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रान्तों की तालिका	269

" तालिका - सूची "

<u>क्रमांक</u>	<u>तालिका क्रमांक</u>	<u>तालिका का नाम</u>	<u>पृष्ठ क्रमांक</u>
1.	1.00	पांच राष्ट्रों में विद्यालय जाने वाली बालिकाओं का प्रतिशत ।	7
2.	5.01	भारत, मध्यप्रदेश व भोपाल नगर के संबंध में साक्षरता आंकड़े ।	92
3.	5.02	भारत एवं मध्यप्रदेश में स्त्री-पुरुष साक्षरता संबंधी आंकड़े ।	92
4.	5.03	1981 की जनगणना व भोपाल नगर में स्त्री-पुरुष से संबंधित आंकड़े ।	93
5.	5.04	1950 से पूर्व तथा 1988 तक विभिन्न विद्यालयों की संख्या ।	96
6.	5.05	बालक बालिका तथा मिश्रित विद्यालय	97
7.	5.06	विभिन्न समुदायों द्वारा संचालित विद्यालयों का वर्गीकरण ।	98
8.	5.07	शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी आंकड़े ।	99
9.	5.08	न्याय्यादर्श में सम्मिलित विद्यालय तथा विभिन्न कक्षाओं में हिन्दू एवं मुस्लिम छात्राओं की संख्या ।	106
10.	6.01	विद्यालयों का वर्गीकरण ।	118
11.	6.02	विद्यालय के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के मापबिंदु।	120
12.	6.03	आदर्श विद्यालयों के मूल्यांकन द्वारा प्राप्तांक ।	122
13.	6.04	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का मूल्यांकन ।	123
14.	6.05	विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत ।	125

<u>क्रमांक</u>	<u>तालिका क्रमांक</u>	<u>तालिका का नाम</u>	<u>पृष्ठ क्रमांक</u>
15.	6.06	विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का कुल व्यवस्थादर्श के संदर्भ में प्रतिशत ।	126
16.	6.07	मुस्लिम बाहुल्य विद्यालयों का मूल्यांकन।अ-वर्ग।	127
17.	6.08	औसत से कम मुस्लिम छात्रा नामांकन वाले विद्यालय । "ब" वर्ग।	128
18.	6.09	विद्यालयों का विश्लेषण ।	129
19.	6.10	शाला भवन की सुविधाएं एवं मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत ।	131
20.	6.11	शाला भवन संबंधी सुविधाएं ।	132
21.	6.12	विद्यालयों में छात्राओं एवं शिक्षकों की स्थिति ।	135
22.	6.13	मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु "2" के प्राप्तांकों का प्रतिशत ।	136
23.	6.14	मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु "3" के प्राप्तांकों का प्रतिशत ।	136
24.	6.15	मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु "4", "5", "6" के प्राप्तांक ।	138
25.	6.16	"अ" एवं "ब" वर्ग की शालाओं के प्राप्तांकों का औसत ।	139
26.	6.17	मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु क्रमांक 7, 8 एवं 9 के प्राप्तांक ।	141
27.	6.18	पालकों का व्यवसाय एवं शाला का मूल्यांकन।	144
28.	6.19	पालकों का व्यवसाय एवं शालाओं का वर्गीकरण।	145
29.	6.20	शाला के स्तर तथा नौकरी करने वाले पालकों के मध्य सह संबंध ।	146
30.	6.21	शाला के स्तर तथा व्यवसाय करने वाले पालकों के मध्य सह संबंध ।	147

<u>क्रमांक</u>	<u>तालिका क्रमांक</u>	<u>तालिका का नाम</u>	<u>पृष्ठ क्रमांक</u>
31.	6.22	शाला का का स्तर एवं पालकों की मासिक आय ।	150
32.	6.23	"अ" वर्ग के पालकों की संख्या, तथा शाला के स्तर के मध्य सह संबंध ।	151
33.	6.24	"ब" वर्ग के पालकों की संख्या तथा शाला के स्तर के मध्य सह संबंध ।	152
34.	6.25	"ब" वर्ग के पालकों की संख्या तथा शाला मूल्यांकन के बीच सह संबंध ।	153
35.	6.26	पालकों के शैक्षिक स्तर का विश्लेषण ।	156
36.	6.27	"अ" वर्ग के अशिक्षित पालकों की संख्या तथा शाला के स्तर के मध्य सह संबंध ।	157
37.	6.28	वर्ग "ब" के केवल मेट्रिक तक पढ़े पालकों की संख्या एवं शाला के स्तर के मध्य सह संबंध ।	158
38.	6.29	पालकों की संख्या और शाला स्तर के मध्य सह संबंध ।	160
39.	6.30	शाला का स्तर, पालकों के बच्चों की संख्या एवं मकान की स्थिति ।	161
40.	6.31	पालकों की आमदनी, मकान की स्थिति तथा बच्चों की संख्या का प्रतिशत ।	162
41.	6.32	शिक्षा के प्रति पालकों की मनोस्थिति ।	163
42.	6.33	शालाओं में उर्दू विषय का अध्ययन ।	165
43.	6.34	विज्ञान विषय का चयन ।	166
44.	6.35	पाठ्यपुस्तकों से संबंधित विश्लेषण ।	168
45.	6.36	विद्यालयों में उर्दू माध्यम द्वारा अध्ययन का विश्लेषण ।	169
46.	6.37	विद्यालयीन उत्सवों का विश्लेषण ।	171
47.	6.38	विद्यालयीन सहगामी गतिविधियों का विश्लेषण ।	172
48.	6.39	गतिविधियों में पुरस्कार प्राप्ति का विश्लेषण ।	174

अध्याय - प्रथम

शैक्षिक अवसरों की समानता - एक विश्व व्यापी

चुनौती

शैक्षिक अवसरों की असमानता - एक विश्व व्यापी चुनौती

1.00 शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न :

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति उपरांत जब अनेक देशों ने उप-निवेशवाद से मुक्ति प्राप्त कर ली, वहां के सामान्य जनों के छात्रों में आकांक्षा परिकाष्ठा को छू गई । इसी आकांक्षा ने विश्व भर में एक नाटकीय प्रसार का रूप धारण किया । शिक्षा की उपदेयता को सर्वसाधारण रूप से मान्यता प्राप्त हुई । शिक्षा की इस अवधारणा का द्रुतगति से प्रसार का एक कारण यह भी था कि शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों तथा राष्ट्र नेताओं को यह विश्वास हो चला था कि किसी राष्ट्र में सामाजिक परिवर्तन की गति तभी तीव्रता धारण कर सकती है, जब देश में शिक्षा का तेजी से प्रसाद हो । इसी संदर्भ में समाज सुधारकों का ध्यान देश में विद्यमान शैक्षिक अवसरों की असमानताओं की ओर आकर्षित हुआ ।

साठवें दशक के अंतिम चरण तक विश्व भर में यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि शैक्षिक समानता के आदर्श और उसके व्यावहारीकरण के मध्य एक बड़ी खाई विद्यमान है । इस समस्या पर भी गहन चिंतन प्रारंभ हो गया, कि समाज में व्याप्त शैक्षिक अवसरों की असमानता, यहां तक कि शैक्षिक व्यवस्था के अंतर्गत विद्यमान विषमताओं को दूर करना एक जटिल समस्या है । इस संदर्भ में फिलिप कोम्ब्स का विचार है - संकीर्ण दृष्टिकोण रखने वाला उच्च वर्ग, जो जातिवाद से सम्पूर्ण समाज को प्रशासित करता है, शब्दों द्वारा शिक्षा में प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों का सम्मान अवश्य करता है, किन्तु अपने कृत्यों से यह

प्रदर्शित कर देता है कि उसे जन शिक्षा पर कोई आस्था नहीं है । उसका आन्तरिक भय यह था कि इससे उसकी सत्ता को भय उत्पन्न हो जायेगा । यहां तक कि शिक्षा विशेषज्ञ एवं राजनेता परस्पर इस प्रश्न को लेकर दो वर्गों में विभाजित हो गये कि शिक्षा का क्या प्राप्प होना चाहिये ।¹

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रश्न पर गहन विचार हुआ और इस तथ्य को सभी ने स्वीकार किया कि प्रजातंत्र की सफलता हेतु शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समस्त नागरिकों को समान रूप से मिलना चाहिये । भारतीय संविधान की धारा 29, 30, अल्पसंख्यक, समुदाय को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित रखने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है । संविधान द्वारा यह भी प्रावधान किया गया कि प्रत्येक समुदाय अपने शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, धर्म अथवा भाषा के आधार पर भी कर सकता है । वर्तमान शोध प्रबन्ध एक क्षेत्रीय स्तर से संबंधित विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जिसका संबंध मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की मुस्लिम बालिकाओं द्वारा शैक्षिक अवसरों के उपयोग की सीमा से है । अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य का मूल्यांकन करना है कि इस नगर की मुस्लिम छात्राएं, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शैक्षिक अवसरों का लाभ किस सीमा तक उठाने में सक्षम हैं ? यदि इस दिशा में स्थिति संतोषजनक नहीं है तो वे कौन से उत्तरदायी कारक हैं जो इस समुदाय की बालिकाओं को इस संवैधानिक प्रावधान से लाभांवित होने से वंचित करते हैं ? यदि वर्तमान स्थिति का सतही रूप से अवलोकन किया जाये तो दो प्रमुख अवरोधक तत्त्व इस दिशा में क्रियाशील प्रतीत होते हैं :

-
1. फिलिप एच. कोम्ब्स, द वर्ल्ड क्राइसिस इन एजुकेशन, दि व्यू फ्रॉम एटीज, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, आक्सफोर्ड : न्यूयार्क, 1985, पृ. 211

1. ऐसे तत्व जिनका संबंध विद्यालय के बाहर विद्यमान परिस्थितियों से है । जैसे मुस्लिम समुदाय की संस्कृति, परंपराएं, शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण आदि ।
2. ऐसे तत्व जो विद्यालय के भीतर विद्यमान हैं, जिनका संबंध विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं से है । ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ।

जब तक इन विद्यमान अवरोधों की चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान उपलब्ध नहीं होता, शैक्षिक अवसरों की समानता का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से उपलब्ध होना नितांत कठिन है । इस स्थल पर एक तथ्य स्पष्ट करना नितांत आवश्यक है कि ये चुनौती भारत की ही समस्या नहीं हैं । विश्व के अन्य राष्ट्र विकसित एवं विकासशील सभी इसके समाधान हेतु प्रयत्नशील हैं ।

1960 के दशक के मध्य में, समाजशास्त्रीय शोधकर्ताओं ने अपना ध्यान छात्रों के सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए परिवार एवं उसका, उनकी शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव की समस्या को अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाया । यद्यपि इस प्रकार के शोध कार्यों के निष्कर्ष विवादास्पद माने गये, किन्तु इससे शैक्षिक नीति निर्धारित करने वालों एवं उसे क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों की आंखें खुल गईं । जन साधारण को भी इस महत्वपूर्ण तथ्यों का आभास हो गया, कि विद्यालय के बाहर विद्यमान वातावरण का शैक्षिक उपलब्धियों पर कितना गहन प्रभाव पड़ता है। यद्यपि कालान्तर में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के हेतु उत्तरदाई तत्वों में से एक वांछनीय एवं महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सर्वमान्यता मिली, परन्तु स्वयं शिक्षा व्यवस्था में विद्यमान असमानताओं को दूर न किया जा सका । समस्या की गंभीरता को देखते हुए विकसित व प्रगतिशील देशों ने इसके अध्ययन हेतु अनेकानेक प्रयास किये ।

कोलमेन की रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ । प्लाउडन कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति जानसन के प्रयास के फलस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका में सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर से पिछड़े बालकों हेतु " हेड स्टार्ट " कार्यक्रम चलाया गया , किन्तु इन सबका कोई ठोस परिणाम न निकला । इन सब प्रयासों का एक सकरात्मक परिणाम यह अवश्य हुआ कि जन साधारण में शैक्षिक अवसरों में विद्यमान असमानताओं के प्रति एक जन चेतना जागृत हुई । सत्तर और अस्सी के दशक में भी शैक्षिक अवसरों की असमानता ज्यों की त्यों बनी रही । हालांकि इस दिशा में प्रयास जारी रहे ।

शैक्षिक अवसरों की असमानता को प्रभावित करने वाले प्रमुख तीन तत्व उभरकर आये । प्रथम, देश में विद्यमान भौगोलिक असमानता, द्वितीय, स्त्री पुरुष के मध्य विद्यमान असमानता तथा तृतीय, आर्थिक व सामाजिक असमानता । ²

इधर कुछ आलोचकों ने सत्तरवें दशक में पाश्चात्यदेशों की शिक्षा नीति व कार्यक्रमों पर कठोर प्रहार किया । इवान इलिच, जान होल्ट तथा उनके सहयोगियों ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था की कटु आलोचना की । इन आलोचनाओं का एक सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली द्वारा उत्पन्न असमानता भी थी ।

इसी बीच " तृतीय विश्व " में बुद्धिजीवियों ने सांस्कृतिक आधार पर आलोचनाओं को एक नवीन दिशा प्रदान की । सांस्कृतिक तत्वों को प्रधानता देते हुए इनकी मान्यता यह थी कि औद्योगिक राष्ट्रों से आयातित शिक्षा संबंधी कार्यक्रम दूसरे देशों की संस्कृति को आघात पहुंचा रहे हैं और एक नये प्रकार के सुविधायुक्त अल्प संख्यक वर्गों को जन्म दे रहे हैं । ³

2. ग्रेबियल केरम तथा टाग्नेक चाऊ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज : दी रोल ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, पेरिस इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार एजुकेशनल डेवलपमेंट, यूनेस्को, 1981, पृ. 24

3. फिलिप एच. कोम्ब्स, दि बर्ल्ड क्राइसिस इन एजुकेशन, दि व्यू फ्रॉम दि एवेज, न्यूयार्क, आक्सफोर्ड, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 85, पृ. 215-16

यदि असमानता की समस्या का गहन अध्ययन किया जाये, तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि शैक्षिक असमानता से मुक्ति पाना किसी भी समाज के लिए यदि असंभव नहीं तो, दुरुह कार्य अवश्य है, भले ही उस समाज के उद्देश्य अथवा विचारधारा कितने ही उच्च एवं पुनीत क्यों न हों । इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस दिशा में किये गये तीव्र प्रयास भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सकते । सत्तायुक्त वर्गों से आये हुए बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश पाना नितान्त आसान कार्य होगा । इसके विपरीत समाज के सुविधाविहीन वर्गों के बालक-बालिकाओं के लिए यह काम नितान्त कठिन होगा । आज के संदर्भ में एक तथ्य स्पष्ट है, कि विश्व का कोई भी राष्ट्र, भले ही उसके आदर्श कुछ भी हों, अपने यहां व्याप्त सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को दूर करने में असमर्थ रहा है । यदि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं बनी रहेंगी तो उनका प्रभाव शैक्षिक असमानताओं पर अवश्य पड़ेगा ।

1.01 विकासशील राष्ट्र व शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रश्न :

विश्व के विकासशील देशों की अवस्था तो और भी चिन्ताजनक है। यद्यपि इन देशों में विद्यमान स्थिति की कथा, अलग-अलग देशों में भिन्न हैं । यह सब निर्भर करता है किसी भी देश के आर्थिक विकास पर, शहरीकरण पर, तथा राजनेताओं के प्रयासों पर, उनके संकल्प पर कि कितनी शीघ्रता से वे इस समस्या से देश को उबारने का प्रयास कर रहे हैं । जनजातियों का आदर्श प्रयास इसका एक ज्वलंत उदाहरण है । 1974 में वहां यह निर्णय लिया गया कि सन् 1977 तक देश में प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण हो जाना चाहिए। सामान्य स्थिति में ऐसा प्रयास संभव नहीं था, क्योंकि इसके हेतु 45,000

अतिरिक्त प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता थी, जबकि तनजानियां के 35 शिक्षा महाविद्यालय, वर्ष में केवल 5000 प्रशिक्षित शिक्षक तैयार कर रहे थे। अतः एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। शिक्षक-प्रशिक्षणार्थियों को इस कार्य में लगाया गया। उन्हें ग्रामीण विद्यालयों में शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु रखा गया। साथ-साथ रेडिया और पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण देने का कार्य भी शुरू किया गया। दो वर्षों की सेवा के पश्चात् उन्हें " ग्रेड सी " का शिक्षक मान लिया गया और उनकी आय पहले से तीन गुनी अधिक कर दी गई। इस प्रकार 1979 तक 45000 शिक्षक उपलब्ध हो गये तथा तनजानियां ने अपने उद्देश्य में शतप्रतिशत सफलता प्राप्त कर ली।⁴

1.02 स्त्री-पुरुष विषमताएं :

स्त्री पुरुष के मध्य शैक्षिक असमानताओं का प्रश्न सभी राष्ट्रों में विद्यमान है, और इसका मूल आधार संस्कृति में निहित है। समय के परिवर्तन के साथ इस दिशा में सराहनीय परिवर्तन अवश्य आया है, किन्तु अभी स्थिति आकांक्षा बिन्दु से कहीं नीचे है। यह शैक्षिक अवसरों का ही परिणाम है कि भारत, श्रीलंका और जमैका में महिलायें प्रजातांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्रधानमंत्री के पदों पर आसीन हुईं।

विभिन्न राष्ट्रों में शिक्षा की प्रगति के क्षेत्र में प्रयासों का कुछ सकारात्मक परिणाम अवश्य निकला। विद्यालय जाने वाले बालक-बालिकाओं की संख्या में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई। आंकड़े इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि पिछले तेईस वर्षों में विश्व के सभी क्षेत्रों में बालिकाओं के विद्यालय प्रवेश

4. यूनेस्को, स्टेटिस्टिकल इयर बुक, पेरिस यूनेस्को स्टेटिस्टिकल कार्यालय, 1982, पृष्ठ 41

की संख्या में वृद्धि हुई है। नीचे प्रस्तुत तालिका इस तथ्य को सिद्ध करती है।
संपूर्ण विद्यालयीन दाखिलों में बालिकाओं के प्रवेश के प्रतिशत की वृद्धि 1965 -
1980

तालिका क्रमांक : 1.00 पांच राष्ट्रों में विद्यालय जाने वाली
बालिकाओं का प्रतिशत

	प्राथमिक स्तर § §		उच्च माध्यमिक स्तर § §	
	1965	1980	1965	1980
विकसित राष्ट्र	49	49	50	51
अफ्रीका	40	42	35	38
विकासशील देश	41	43	32	39
अरब राज्य	35	41	27	37
अमरीका	49	49	48	51

यह संख्या एक दशक पुरानी है, किन्तु पिछले 10 वर्षों में इससे सराहनीय प्रगति हुई है।

स्रोत : यूनेस्को, स्टैटिस्टिकल इयर बुक, 1982, पेरिस :
यूनेस्को, स्टैटिस्टिकल कार्यालय, 1982

1.03 स्त्री-पुरुष के मध्य शैक्षिक असमानताओं से संबंधित सामान्य विशेषताएं:

यदि विश्व के देशों का शैक्षिक सर्वेक्षण किया जाये, तो हमें इस प्रश्न से संबंधित पांच महत्वपूर्ण ऐसे तत्व उपलब्ध होंगे, जो किसी न किसी स्तर में प्रत्येक देश में विद्यमान हैं :

1. शिक्षा के उच्च स्तर पर यह असमानता, निम्न स्तर की तुलना में अधिक है ;

2. विभिन्न शैक्षिक विषयों में भी यह असमानता परिलक्षित होती है । विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, चिकित्सा आदि विषयों में बालिकाएं कम प्रवेश लेती हैं । जबकि उनकी अधिक रुचि भाषा, इतिहास, राजनीति शास्त्र, गृह विज्ञान तथा अर्थशास्त्र में अधिक होती है ।

3. तीसरा तथ्य दूसरे तथ्य पर ही आधारित है । जिसका संबंध शिक्षा समाप्ति के पश्चात व्यवसाय से है । उदाहरण के लिए सन् 1966 में 5000 जापानी व्यावसायिक संगठनों का सर्वेक्षण करने पर विदित हुआ कि, उनमें से 68 प्रतिशत संगठन महिलाओं को नौकरी के अवसर नहीं देते ।⁵ परंतु इस प्रकार की असमानताएं पिछले कुछ वर्षों से, विकसित व विकासशील देशों में कम होती जा रही हैं ।

4. जिन देशों में लोग धर्म और संस्कृति से जकड़े हुए हैं, वहां ये दोनों तत्व स्त्री को शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से वंचित रखने का प्रयास करते हैं । अधिकतर इस्लामी राष्ट्रों में यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है ।

5. पांचवी और सर्वाधिक महत्व की बात यह है कि स्त्री-पुरुष के मध्य शैक्षिक अवसरों की असमानता का जन्म किसी देश की रुढ़िवादी परम्पराओं, सांस्कृतिक विचारधाराओं आदि से होता है । इस समस्या का एक और आयाम है, विकासशील देशों में, पिछड़े क्षेत्रों में निवास करने वाले, माता-पिता अपनी लड़कियों को दो प्रमुख कारणों से विद्यालय भेजने में हिचकिचाते हैं :

5. मलाकास तथा भागन्ज, यूनाईटेड नेशन्स फन्ड फार पापूलेषन एक्टिविटीज, इन पोपुली, अंक 3, 1981, पृ. 58.

॥अ॥ यह उनके पारिवारिक व्यय को बढ़ा देता है । यदि निःशुल्क शिक्षा का भी प्रावधान हो, तो भी गणवेश, पठन सामग्री और कुछ अन्य ऐसे खर्च होते हैं जिनकी व्यवस्था पालक को करनी ही पड़ती है ।

॥ब॥ दूसरा कारण पालकों को भय है कि कक्षा में बालकों के साथ पढ़ने के दुष्परिणाम हो सकते हैं । कभी-कभी लड़कियों को विद्यालय भेजने पर उन्हें अपने पड़ोसियों की भी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है ।

जब विश्व इक्कीसवीं शताब्दी के द्वार पर खड़ा है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ने मानव दृष्टिकोण को काफी सीमा तक प्रभावित कर दिया है, ऐसी दशा में यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रहेगी । विकासशील देशों में यह अवरोध शनैः शनैः शिथिल होते जा रहे हैं, और आशा है कि आने वाले निकट भविष्य में स्त्रियों की एक बड़ी संख्या शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने में समर्थ होगी ।

1.04 भारतीय संदर्भ में शैक्षिक असमानता का प्रश्न :

विश्व के किसी भी देश में इतनी विषमताएं विद्यमान नहीं हैं, जितनी कि भारतीय उप महाद्वीप में पायी जाती हैं । इस देश की सामाजिक समस्याएं अधिक एवं अत्याधिक जटिल हैं । उनका शैक्षिक अवसरों के प्रावधानों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य प्रभाव पड़ता है । भौगोलिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व, आर्थिक व सामाजिक तत्व सभी अवरोधक के रूप में उपस्थित होते हैं ।

विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है, जिसमें धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के हितों को इतनी गंभीरता से लिया हो, एवं शैक्षिक समानता के

प्रावधान को संवैधानिक रूप से स्वीकृत किया गया हो । धर्म निरपेक्षता हमारे देश की आत्मा है, और यही एक शक्ति भी । किन्तु इससे जुड़ी चुनौतियाँ भी कम जटिल नहीं हैं । अनेक समुदायों में से मुस्लिम समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का सबसे बृहद मार्ग माना गया है । इस समुदाय की अपनी एक संस्कृति है, एक परम्परा है, और एक दृष्टिकोण भी । यह सत्य है कि मुस्लिम समुदाय के पढ़े-लिखे वर्ग में काफी उदारवादिता आ गई है, किन्तु निरक्षर वर्ग अभी भी उन्हीं प्राचीन रूढ़िवादी विचारों में उलझा हुआ है । उसे परिवर्तन में न तो विशेष रुचि है, और न ही आस्था । परम्परावादी दृष्टिकोण को बदलने हेतु संकुचित रूढ़िवादिता के दायरे से विमुक्त होने के लिए शिक्षा स्वी उपकरण का उपयोग बड़े सहज ढंग से किया जा सकता है, तथा जिसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं । पुरुषों ने तो इसे स्वीकार किया है, किन्तु स्त्रियाँ अभी भी मानसिक रूप से शिक्षा जगत में प्रवेश लेने हेतु पूरी तौर पर तत्पर नहीं हैं । हो सकता है कि इसमें पुरुष वर्ग ही अवरोध उत्पन्न कर रहा हो । कारण जो कुछ भी हो, एक तथ्य स्पष्ट है कि हिन्दु बालिकाओं की तुलना में मुस्लिम बालिकाएँ शैक्षिक अवसरों का समुचित लाभ नहीं उठा पा रही हैं । यहाँ पर अनेक प्रश्न उठते हैं । क्या उनकी संस्कृति उन्हें ऐसा करने से रोक रही है ? क्या उनकी आर्थिक अवस्था अवरोध उत्पन्न कर रही है ? अथवा क्या पुरुष वर्ग यह नहीं चाहता कि मुस्लिम बालिकाएँ पढ़-लिखकर अपने अधिकारों से अवगत हों ? अथवा विद्यालयीन व्यवस्था में कुछ विसंगतियाँ हैं जो इनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रही हैं ? इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूँढने के लिए हमें भारतीय मुस्लिम समुदाय के सांस्कृतिक परिवेश तथा उससे जुड़ी हुई आधारभूत समस्याओं की संक्षिप्त चर्चा करनी होगी । सामुदायिक परिवेश मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा में अवरोध लाने वाले तत्त्वों पर प्रकाश डालने हेतु सहायक, सिद्ध हो सकेगा । इस तथ्य का अध्ययन कालांतर में किये जाने का प्रयास किया जायेगा ।

1.05 भारतीय संविधान एवं शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रावधान
का एक आलोचनात्मक अध्ययन :

गणतंत्र भारत का संविधान अपने नागरिकों को वे सब अवसर एवं अधिकार प्रदान करता है जो कल्याणकारी राज्य के आधार पर निहित होते हैं। विधि के संदर्भ में संविधान शब्द का तात्पर्य उस प्रलेख से है जो किसी राष्ट्र की निमित्त सरकार व प्रशासन के मूलभूत अंगों को स्थापित करता है, जो उनके स्वल्प, उनकी संरचना, उनकी शक्तियों व उनके मुख्य कार्यों का रूप प्रस्तुत करता है। अतः संविधान उन सभी नियमों को अपने में समाहित किये हुए हैं, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी राज्य की संप्रभुत्व शक्तियों के कार्यान्वयन अथवा उनके वितरण को प्रभावित करते हैं।

संविधान को इस प्रकार उन सिद्धान्तों, नियमों, परम्पराओं, विधि व्यवस्थाओं का संकलन माना जा सकता है, जो किसी राष्ट्र के सरकारी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्मित किये गये हैं, और जिसमें उस राष्ट्र की जनता के कल्याण व उसकी प्रगति के आयाम प्रस्तुत किये गये हों।

1.06 मूलभूत अधिकार :

मूलभूत अधिकार व्यक्तियों के वे अधिकार हैं जो स्वयं संविधान द्वारा प्रत्यभूत व परिलक्षित हैं। राज्य के प्रति ये ऐसे आभार हैं कि राज्य इनका परिहरण नहीं कर सकता और न ही इनका उल्लंघन कर सकता है। ये अधिकार ही अवसर अथवा स्थितियाँ हैं, जिन्हें अपने जीवन की उद्देश्य प्राप्ति के लिए, प्रत्येक मनुष्य को ह्वलभ होना आवश्यक है। इस तथ्य में यह बोध निहित है, कि इन अवसरों अथवा स्थितियों को किसी मनुष्य से वंचित करने का अधिकार

किसी सरकार को नहीं है । इसलिए इन्हें मूलभूत अधिकारों की संज्ञा दी गई है । इन अधिकारों में संपत्ति का अधिकार, अंतर्विवेक की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की आजादी, शारीरिक स्वतंत्रता व समता का अधिकार सम्मिलित है । राज्य का यह परम कर्तव्य है कि वह अपने समस्त क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक की राजनैतिक एवं नागरिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ न करें, उन्हें वह पूर्ण अवसर प्रदान करें कि वे अपने इन अधिकारों का उपयोग निडर होकर करें।⁶

भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अनेकानेक अधिकारों के अंतर्गत समता का अधिकार अपना एक अलग महत्त्व रखता है । इस अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान की धारा 14-18 के अंतर्गत किया गया है तथा " संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार " को श्रेणी पांच एवं अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है।

1. समता का अधिकार :

भारत का संविधान सर्वप्रथम " समता " का अधिकार प्रदान करता है । संविधान के तृतीय भाग में " समता का अधिकार " शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में इन अधिकारों की प्रत्याभूति की गई है ।

चूंकि समता के अधिकार का संबंध प्रत्यक्ष रूप से वर्तमान शोध से जुड़ा है, अतः इसकी संक्षिप्त व्याख्या करना संदर्भ के अंतर्गत ही होगा । अनुच्छेद 15 में समता के अधिकार की चर्चा करने के पश्चात् संविधान निर्माताओं ने भारतीय समाज से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर किये जाने वाले भेदभाव की गहरी जड़ को भी समाप्त कराने का प्रयास किया है । अनुच्छेद 15 में ही यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रतिकूल,

6. के. एस. हेगड़े, डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स आफ स्टेट पालिसी इन दी कान्स्टीट्यूशन आफ इंडिया, देहली, नेशनल 1972, पृ. 89

मात्र धर्म, प्रजाति जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर अथवा इसमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा ।

2. धार्मिक स्वतंत्रता एवं शैक्षिक प्रावधान :

भारतीय संविधान के अनुसार सरकार प्रत्येक धार्मिक विचारधारा वाले के साथ समभाव व वर्ताव करेगी और किसी के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा । संविधान में अनुच्छेद 25, 26, 27 व 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है ।

अनुच्छेद 24 यह उद्घोषित करता है कि राज्य निधि से पूर्णतया पोषित शैक्षणिक संस्थाओं में कोई भी धार्मिक उपदेश नहीं दिया जावेगा ।

परन्तु अनुच्छेद 28 इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करते हुए यह उद्घोषित करता है कि यदि कोई शैक्षणिक संस्थान किसी धर्मदाय अथवा न्यास के अंतर्गत स्थापित हुए हैं और यह चाहते हैं कि उनमें धार्मिक उपदेश अवश्य दिये जावें, तो उनमें धार्मिक उपदेश दिये जा सकेंगे । चाहे भले ही वे राज्य द्वारा प्रकाशित होते हों ।

3. सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार :

संविधान में धर्म निरपेक्ष राज्य का गठन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति, पूजा, विश्वास व भक्ति की स्वतंत्रता प्रदान कराने का संकल्प किया गया है । इस संकल्प की पूर्ति के लिए संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण व उन्हें अपने शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार प्रदान किया गया है ।

अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण :

संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के संबंध में निम्न उद्घोषणार्थ करता है :

1. भारत क्षेत्र में अथवा भारत क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने वाले नागरिकों के किसी वर्ग को, जिनकी अपनी कोई अलग भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाये रखने का अधिकार होगा।
2. किसी भी नागरिक को, किसी भी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में, जिसका पोषण राज्य द्वारा होता है, अथवा जिसे राज्य निधि से सहायता दी जाती है, मात्र धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जावेगा।

1.07 अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार :

संविधान का अनुच्छेद 30 निम्न दो अधिकारों की घोषणा करता है :

1. समस्त अल्पसंख्यक चाहें उनकी अल्पसंख्यकीयता धर्म पर आधारित हो अथवा भाषा पर अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित व प्रशासित करने का अधिकार रखेंगे, तथा

2. राज्य शैक्षणिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान करते समय इनके विरुद्ध इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, कि ये शैक्षणिक संस्थान धर्म अथवा भाषा पर आधारित अल्प-संख्यकों के प्रबन्ध में हैं ।

अनुच्छेद 29 व 30 अल्पसंख्यक शब्द की अवधारणा को परिभाषित नहीं करता, किन्तु न्यायालयों ने अपने कुछ निर्णयों में इसकी परिभाषा देने का प्रयास किया है । इस प्रकार किसी भी धार्मिक, अथवा भाषायी समुदाय को, जो किसी राज्य की जनसंख्या से 50 प्रतिशत से कम है, अल्प संख्यक माना गया है । इन अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा है । भाषायी अल्प संख्यकों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान संविधान की धारा 350 §अ§ में किया गया है । इसके अंतर्गत स्थानीय प्राधिकार को यह प्रयास होगा कि भाषायी अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान करें ।

1.08 राज्य के नीति निर्देशक तत्त्व एवं अवसरों की समानता :

संविधान के चतुर्थ भाग में वर्णित राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व, राष्ट्र में ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से निरूपित किये गये हैं, जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन के हर संस्थान को संसूचित करता है । ये नीति निर्देशक तत्त्व राज्यों को यह निर्देश प्रदान करते हैं कि वे एक ऐसे समाज का निर्माण करें, जिसमें समता हो, धन का अपसंचय न हो, समृद्धि हो, शिक्षा कार्य एवं आजीविका के निमित्त जिसमें सबको समान अवसर हों, तथा जिसमें सामाजिक न्याय हो । राज्यों का यह

परम कर्तव्य है कि वे विधि निर्माण में इन तत्वों को प्रयुक्त करें । संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, अनुच्छेद 46 में निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व कमजोर वर्गों की शिक्षा व उनके आर्थिक हितों की प्रगति के निमित्त निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के लिए पारित किया गया था । ये तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किन्तु फिर भी इनमें अधिकृत तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं तथा विधि बनाने में इन तत्वों का अनुसरण करना राज्य का परम कर्तव्य होगा ।

राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति-तत्व :

राज्य अपनी नीति का मूलस्व से इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से :

- ११क१ पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;
- ११ख१ समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो, जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;
- ११ग१ आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो ;
- ११घ१ पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए वेतन समान हो;

॥३॥ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो, और आर्थिक व्यवस्था से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े, जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों ।

यद्यपि भारतीय संविधान ने अवसरों की समानता को मौलिक अधिकार के ढांचे में बांधने का प्रयास किया और समय समय पर अनेकानेक ऐसे कार्यक्रम बनाये गये, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सक्रिय कदम कहे जा सकते हैं, किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 43 वर्षों के पश्चात भी वस्तुस्थिति बहुत उत्साहवर्धक नहीं है और जितनी द्रुतगति से इस दिशा में प्रगति होनी चाहिये थी, जितनी शीघ्र शैक्षिक अवसरों की समानता के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना चाहिये था, वह नहीं हो पाया । इसका एक बहुत बड़ा कारण नीति का शिथिल व्यावहारिकरण है । समस्या इतनी सुगम नहीं है, जिसका निदान तुरंत परिलक्षित हो । यह बात अवश्य है कि आने वाले समय में यदि हमारे प्रयास अधिक सक्रिय हो सकें तो हमें इस दिशा में अपेक्षित सफलता अवश्य मिलेगी ।

शिक्षा नीति ॥1986॥ का क्रियान्वयन इस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होना चाहिये । समय के परिवर्तन के साथ शिक्षा नीति में भी परिवर्तन नितांत आवश्यक है ।

॥.09 भारतीय मुस्लिम अल्प संख्यक समुदाय से जुड़े कुछ आधारभूत तथ्य :

सामान्यतः अल्पसंख्यक समुदाय का आशय, किसी समाज के अंतर्गत ऐसे समुदाय से लिया जाता है, जिस समुदाय के लोगों की संख्या उसी समाज के वृहद वर्ग की तुलना में कम हो । अर्थात् अल्पसंख्यक वर्ग समाज के ऐसे वर्ग

को कहा जाता है जिसके सदस्यों की संख्या एक वृहद वर्ग की तुलना में कम हो। संभवतः अल्पसंख्यक की अवधारणा का यह संतोषजनक आशय प्रतीत नहीं होता। अल्पसंख्यक की अवधारणा का संबंध संख्या से न होकर किसी वर्ग की प्रभावशीलता से होना चाहिये। ऐसे भी उदाहरण विद्यमान हैं, जहां विशिष्ट समुदाय के सदस्यों की संख्या कम हो, किन्तु वह अधिक प्रभावशाली हो। जैसे दक्षिण अफ्रीका में श्याम वर्ण की तुलना में श्वेत वर्ण के लोग कम हैं, किन्तु फिर भी वे प्रभावशाली हैं। इसी धारणा को मस्तिष्क में रखकर वर्तमान संदर्भ में अल्प-संख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि यहां तक मुस्लिम समुदाय का प्रश्न है, हिन्दु समुदाय की तुलना में उनकी संख्या भी कम है और प्रभाव भी। इस अल्पसंख्यक समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, अपने मूल्य हैं, अपनी परम्पराएं हैं, अपनी जीवन शैली है। कुछ विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय से पृथक् करती हैं।

भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में सामान्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएं देखी जा सकती हैं :

1. यह एक वृहद समुदाय का उप-समुदाय है जिसकी संख्या अन्य लघु समुदायों की अपेक्षा सर्वाधिक है ;
2. यह समुदाय परस्पर भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक सूत्र में बंधा है ;
3. यद्यपि अन्य वंशों की तुलना में मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक है,
4. समुदाय के सामान्य सदस्यगण अपने प्रति किये गये व्यवहार से अत्यधिक संतुष्ट प्रतीत नहीं होते। आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में इनकी पहुंच सीमित है।

5. सरकार के अनेकानेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बाद भी मुस्लिम समुदाय में एक असुरक्षा की भावना दृष्टिगोचर होती है, जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर विभिन्न रूपों में होती रहती है ।⁷

भारतीय संदर्भ में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है । यदि हम भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि को देखें, तो विदित होगा कि नवीं शताब्दी में सर्वप्रथम मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया और इसी-समय देश की पूरी राजनैतिक व्यवस्था पर अपना अधिकार जमा लिया । यह स्थिति अंतिम मुगल शासक बहादुरशाह जफर के काल तक चलती रही । इसके पश्चात् भारत के क्षितिज में ईस्ट इंडिया कम्पनी का उदय हुआ । जिसने बाद में चलकर भारत की प्रभुसत्ता को अपने नियंत्रण में ले लिया । लगभग 200 वर्ष शासन करने के पश्चात् 1947 में देश को स्वाधीनता मिली । एक नये मुस्लिम देश " पाकिस्तान " का प्रादुर्भाव हुआ । भारत में मुस्लिम जनसंख्या पर इस विभाजन का गहन प्रभाव पड़ा , और वे अल्पसंख्यक के रूप में उभर कर आये । 1950में भारतीय गणतंत्र का संविधान पारित हुआ । जिसमें इनके हितों की रक्षा करने का पूरा प्रावधान किया गया , एवं मौलिक अधिकार तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय संविधान में निहित किये गये ।⁸

7. आर.एस.शेरमरबर्न, कम्पेरेटिव इथेनिक रिलेशन्स, रेन्डम हाउस, न्यूयार्क 1970, पृ. 13

8. डोनाल्ड यू स्मिथ, इन्डिया एज ए सेक्यूलर स्टेट, बाम्बे, प्रिन्सटन विश्वविद्यालय प्रेस, 1963, पृ. 406-410

किन्तु अल्प संख्यक मुस्लिम समुदाय के रूढ़ीवादी विचारकों की यह धारणा है कि शिक्षा व्यवस्था में बहुसंख्यकों की संस्कृति, उनकी भाषा आदि का अधिक समावेश किया जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। अतः अल्पसंख्यक समूह सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में अपने आप में हीन भावना से ग्रसित प्रतीत होता है। भारत वर्ष में मुस्लिम अपने सामाजिक संगठन में धर्म की एकात्मकता पर विश्वास रखते एवं परम्परावादी विचारों में पूर्ण आस्था रखते हैं।⁹

1.10 शैक्षणिक अवसरों की समानता का व्यावहारिक पक्ष :

शैक्षिक समाज शास्त्र समय समय पर ऐसी सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है, जिनका अध्ययन तात्कालिक होता है, तथा जो किसी विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु मार्ग प्रशस्त करता है। यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। समस्याओं का उदय होता है, व उनका समाधान ढूँढ निकालने का प्रयास किया जाता है। एक रोचक तथ्य यह भी देखने में आता है कि सामाजिक समस्या का स्वरूप कैसा ही क्यों न हो, शिक्षा को उसके हल ढूँढ निकालने का एक सशक्त माध्यम समझा जाता है। राष्ट्रीय एकता की समस्या, संवेगात्मक एकीकरण को जागृत करने की चुनौती, आर्थिक समस्या का निदान, जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न भय और अल्प संख्यकों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जिनके समाधान हेतु शिक्षा का आश्रय लिया जाता है। वैसे यह मान्यता भ्रमात्मक नहीं कि शिक्षा में वह ऊर्जा निहित है जो इन सामाजिक बीमारियों के निवारण में अपनी शक्तिशाली भूमिका का

9. ताराचन्द्र, हिन्दू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट्स - सेक्यूलर डेमोक्रेसी, इन्डीपेन्डेन्स इगु, 1972, पृ. 9

सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकती है और किन्हीं अर्थों में करती भी आई है । किन्तु शिक्षा रूपी उपकरण प्रत्येक समस्या के पूर्ण समाधान की कुंजी नहीं है । उसकी भी अपनी सीमायें हैं । भारतीय सामाजिक व्यवस्था की अहम समस्या है, " शैक्षिक अवसरों की समानता एवं उसका व्यवहारीकरण " जिसने पिछले तीन दशकों से शिक्षाविदों व समाजशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर झुंभीर रूप से आकृष्ट किया है ।

भारतवर्ष में हिन्दुओं के पश्चात् मुसलमानों की संख्या द्वितीय स्थान पर आती है । अतः यह भारतवर्ष का सर्वप्रथम अल्पसंख्यक समुदाय माना जाता है । 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी लगभग 76 करोड़ थी । जिसमें मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ थी । इस दृष्टि से मुसलमानों की जनसंख्या सम्पूर्ण जनसंख्या का छठवां भाग है । अनुमानतः 1989 के अंत में यह जनसंख्या बढ़कर 15 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है ।

यदि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शैक्षिक अवसरों की समानता के अवसरों को मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में देखा जाये तो दो आधारभूत प्रश्न उठते हैं :

1. क्या शैक्षिक अवसरों की समानता के सिद्धान्त को वास्तव में व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है ?
2. क्या इन अवसरों के प्रावधानों का लाभ मुस्लिम समुदाय सही अर्थों में ले पा रहा है ?

दोनों प्रश्नों के उत्तर में इस समुदाय की सामान्य धारण यह है कि " शैक्षिक अवसरों की समानता व मुस्लिम समुदाय " इस विषय का यदि अध्ययन किया जाये तथा विद्यालयीन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन किया जाये तो

यह विदित होगा कि अधिकांशतः विद्यालयीन गतिविधियों का संबंध बहुसंख्यक समुदाय से होता है। पाठ्य पुस्तकें, विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं, शिक्षकों की संख्या, छात्रों की संख्या यह सभी तथ्य इसके उदाहरण हैं। पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु का मुस्लिम संस्कृति से लेना-माना भी संबंध है। पुस्तकालय में हिन्दी या अंग्रेजी की पुस्तकें ही अधिक उपलब्ध होती हैं। पत्र-पत्रिकाओं के संबंध में भी यह भेद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। बहुसंख्यक वर्ग के बाहुल्य वाले विद्यालयों में उर्दू का समाचार पत्र शायद ही उपलब्ध हो सके। कहने का आशय यह है कि सामान्य विद्यालयों में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की आवश्यकताओं को अधिकार अनदेखा किया जाता है। यही तथ्य शिक्षकों की संख्या पर भी लागू होता है। सहगामी गतिविधियों के आयोजन में भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, इसके साथ-साथ होली कार्यक्रम का आयोजन, रक्षा बंधन का विद्यालयों में छात्रों द्वारा मनाया जाना यह सभी एक विशेष संस्कृति से संबंध रखती है। मध्यप्रदेश के विद्यालयों के सर्वेक्षण से एक अन्य रोचक तथ्य सामने आता है। प्रायः सभी प्राथमिक व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में सरस्वती की मूर्ति अथवा चित्र विद्यालय के प्रवेश द्वार पर ही दिखाई पड़ जाते हैं। विद्यालयीन प्रातः कालीन प्रार्थनाएं भी अधिकतर धर्म-निरपेक्ष नहीं हैं। वे अधिकतर बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ प्रगतिशील विद्यालयों में शुक्रवार को विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को लेकर चर्चा करने का विशेष प्रावधान रखा है। परन्तु यह केवल औपचारिकता मात्र है, जिनका छात्रों के नैतिक मूल्यों अथवा दृष्टिकोण पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्राथमिक स्तर तक छात्र छात्राएँ इतने अबोध होते हैं कि वे इस दिशा में कुछ सोचने की क्षमता ही नहीं रखते, किन्तु किशोर अवस्था में वे इस अन्तर को स्पष्ट रूप से महसूस करने लगते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र राज्य के

लिए ऐसी स्थिति एक चिंता एवं गंभीर चिंतन का विषय है । इसका एक सुगम किन्तु व्यवहारिक निदान ढूँढना होगा ।

साक्षरता अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि न्यूनतम समय में कितने अधिक नर-नारी साक्षर किये जा सकते हैं । यदि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पांच निरक्षरों को शिक्षित करे तो यह उद्देश्य सफलतापूर्वक उपलब्ध किया जा सकता है । नारी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना होगा और विशेषकर मुस्लिम समुदाय की नारी शिक्षा, जिनमें अभी इस दिशा में जागरूकता का अभाव दृष्टिगोचर होता है । इसके लिए उनका सांस्कृतिक परिवेश बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है । अतः उनके हेतु किसी प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व उनके सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना आवश्यक होगा ।

॥ ११ ॥ मुस्लिम समुदाय एवं उसका सांस्कृतिक परिपेक्ष्य :

जैसा पूर्व में उल्लेख किया गया कि शैक्षिक अवसरों की असमानता हेतु दो प्रमुख कारण उत्तरदायी होते हैं । एक तो बाह्य कारक जो विद्यालय से परे हैं और दूसरे विद्यालय में विद्यमान कारक । किसी भी समुदाय का सांस्कृतिक परिपेक्ष्य, परम्परा, रीति-रिवाज एवं विशिष्ट समस्या के प्रति उसका दृष्टिकोण, समुदाय की शैक्षिक स्थिति एवं उसकी प्रगति को प्रभावित करता है । मुस्लिम वर्ग भी इस मान्यता का अपवाद नहीं है । मुस्लिम समुदाय का सांस्कृतिक एवं आर्थिक पक्ष उन अवरोधकों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेगा, जो इस वर्ग के बालक-बालिकाओं को शैक्षिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण लाभ उठाने में बाधक के रूप में क्रियाशील हो सकते हैं । इन्हें बाह्य कारकों की संज्ञा दी जा सकती है । अतः मुस्लिम वर्ग की सांस्कृतिक विशेषताओं का संक्षिप्त अवलोकन संदर्भ से परे न होगा ।

मुस्लिम शासनकाल भारत में सन् 1192 से 1708 तक रहा । इस युग में इस्लामी संस्कृति का प्रभाव हमारे देश की संस्कृति पर भी पड़ा । वह भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हुए बिना न रह सकी । इस प्रकार के पारस्परिक आदान-प्रदान से एक मिश्रित संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसका प्रभाव आज भी हमारी बोलचाल की भाषा में दिखाई पड़ता है । सूफी कवियों एवं संतों का प्रभाव भी गहन रूप से पड़ा ।

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत भूमि में मुसलमानों का प्रादुर्भाव सुल्तान युग से ही हो चुका था । हिन्दु एवं मुस्लिम संस्कृतियों का समागम इसी समय से ही प्रारंभ हुआ । अलबर्नी जैसे विद्वान भारत आये, एवं यहाँ की सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया । किन्तु 1226 में मुगल साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् मुस्लिम संस्कृति को अधिक बल प्राप्त हुआ । अकबर महान जैसे शासक ने उदारवादी नीति का अनुसरण किया । इससे एक नवीन सांस्कृतिक अवधारणा का उदय हुआ । अकबर के नवरत्न हिन्दु भी थे और मुसलमान भी । इस प्रकार दो विभिन्न संस्कृतियों के समागम ने भारत में एक उदारवादी वातावरण को जन्म दिया ।

मुस्लिम समुदाय भारत में अपनी सभ्यता, संस्कृति एवं रीति-रिवाजों के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित था । संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार इनका प्रमुख उद्देश्य रहा । मुस्लिम संस्कृति को न स्वीकार करने वालों को काफिर की संज्ञा दी गयी । परिवार में स्त्रियों की दशा बहुत संतोषजनक न थी । इसका प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज का होना था । परन्तु उनका सम्मान परिवार की सीमा में बहुत अधिक था । पारिवारिक विषयों में उनका परामर्श अवश्य लिया जाता था । आज के संदर्भ में भी मुस्लिम स्त्रियों की दशा में काफी सुधार आया है । इसका एकमात्र कारण मुस्लिम परिवारों का शिक्षित होना है । विशेषकर उन परिवारों में शिक्षा का अधिक प्रचार प्रसार हुआ जो आर्थिक

स्व से सम्पन्न हैं । इस्लाम ने सदैव स्त्री के अधिकारों की रक्षा की । उन्हें सामाजिक अधिकार धर्म को पृष्ठभूमि बनाकर दिये गये । मैहर, दहेज, विवाह हेतु उनकी स्वीकृति आदि कुछ ऐसी प्रथायें हैं जो उन्हें अपने अधिकारों से सदा सचेत रखती हैं । किन्तु मुस्लिम संस्कृति में विद्यमान कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो इन अधिकारों की व्यावहारीकरण की सीमा को कम कर देते हैं और नारी अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को खो बैठती है । संयुक्त परिवार प्रणाली इनमें सबसे अधिक शक्तिशाली भूमिका निभाती है । सदियों से चली आ रही यह प्रणाली आज भी मुस्लिम समुदाय की संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनी हुई है । रक्त की शुद्धता को बनाये रखने के लिए निकट संबंधियों में विवाहों का होना, इसे और भी वृहद रूप व आकार प्रदान करता है ।

मुस्लिम संस्कृति की एक विशेषता उनका अपने रीति रिवाजों व परम्पराओं में गहन आस्था रही है । इनसे वे आज भी अटूट श्रद्धा पूर्वक जुड़े हुए हैं । इसी कारण आज भी वे अपनी पृथक संस्कृति की पहचान बनाये हुए हैं । आज विश्व के एक बड़े भाग में ईसाई संस्कृति के पश्चात इस्लामी संस्कृति का ही बाहुल्य है ।

इन सांस्कृतिक मूल्यों, परम्पराओं एवं पारस्परिक व्यवहार संबंधों का निर्माण पारिवारिक वातावरण से होता है, जो बालक-बालिकाओं के व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग बनें, उनके भावी जीवन के लिए निर्देशक के रूप में कार्य करता है । यह एक सर्वव्यापी तथ्य है कि आधुनिकीकरण की लहर ने मुस्लिम परम्पराओं को प्रभावित अवश्य किया है, किन्तु भारतीय संदर्भ में यह प्रभाव अन्य समुदायों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावशाली प्रतीत नहीं होता है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण इस समुदाय की निजी धार्मिक पारंपरिक आदर्शों के प्रति गहन निष्ठा का होना है । फिर भी वर्तमान में मुस्लिम विवाह पद्धति,

वस्त्र एवं परिवार के कुछ पक्षों पर हिन्दू संस्कृति से संपर्क व औद्योगिकीकरण का प्रभाव अवश्य दृष्टिगोचर होता है । 10

भारत में लगभग साढ़े पांच सौ वर्ष मुसलमानों का शासन रहा । इस काल में शिक्षा की एक नवीन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ । जिसे ही "मुस्लिम शिक्षा " की संज्ञा दी जाती है । इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना था । इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत में दूसरे देशों से आये थे । अतः उनकी एवं हिन्दुओं की संस्कृति में अनेक विषमताएं थीं । इन विषमताओं की खाई को कम करने के लिए ही मुसलमानों ने शिक्षा को एक उपकरण के रूप में अपनाया । उनकी धारणा थी कि वे शिक्षा के द्वारा भारतवासियों को अपनी भाषा, प्रथाओं, आचार विचार और सामाजिक नियमों से अवगत के प्रति आकर्षित करा सकेंगे ।

1.12 भारतीय समाज और संस्कृति पर मुस्लिम प्रभाव :

दो संस्कृतियों की निकटता पारस्परिक आदान-प्रदान की प्रक्रिया से वंचित नहीं रह सकती । ऐसी स्थिति में एक संस्कृति का दूसरे पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक प्रक्रिया है । यदि मुस्लिम संस्कृति पर हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पड़ा, तो इसके विपरीत भी प्रतिक्रिया हुई । यह तथ्य अलग है कि हिन्दू संस्कृति पर इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव की सीमा कम रही । इसका एक महत्वपूर्ण कारण भारत की एक अत्याधिक प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा रही, जो वैदिक काल से चली आ रही थी ।

समय समय पर भारत पर मुस्लिम आक्रमण होते रहे, और भारतीय समाज पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ता रहा । हिन्दुओं का धार्मिक

10. ताराचन्द्र, इन्फुएन्स आफ इस्लाम आन हिन्दू कल्चर, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, 1954, पृ. 24

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होता रहा है। मुस्लिम संस्कृति ने हिन्दु जीवन पद्धति को अनेक स्पर्षों में प्रभावित किया है, चाहे भोजन, वस्त्र, विवाह, परिवार, साहित्य, संगीत, कला, धर्म, तथा रीति रिवाज किसी को भी लिया जाये, प्रत्येक पर मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव पड़ा है और साथ ही मुस्लिम संस्कृति भी विविध क्षेत्रों में हिन्दु संस्कृति से प्रभावित हुई है। इस्लाम ने हिन्दुओं में ऐकेश्वरवादी भावना को प्रोत्साहित करने में योग दिया : तथा छुआछूत को अनुसूचित बतलाया। अनेक हिन्दु, पीरों और मजारों को पूजने लगे। तथा कई मुस्लिम लोग भी हिन्दु रीति रिवाजों, धार्मिक कृत्यों तथा सामाजिक संस्थाओं से प्रभावित हुए।

मुस्लिम संस्कृति का भारतीय वेषभूषा, रीति-रिवाज और कला पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। मुसलमानों के भारत आगमन के बाद बहुत से लोगों ने उनकी वेषभूषा को अपनाया। चूड़ीदार पायजामें, कुर्ते और शेरवानी का प्रयोग किया जाने लगा। आज भी विवाह के अवसर पर चूड़ीदार पायजामें तथा शेरवानी को काम में लिया जाता है। आज हिन्दु घरों में बनने वाले भोजन में कई व्यंजन मुस्लिम प्रभाव के परिणाम हैं। अभिवादन के प्रचार, सम्मान प्रदर्शन के तरीके, बातचीत के ढंग तथा मुहावरों, भाषा के प्रयोग आदि पर मुस्लिम संस्कृति का निश्चित प्रभाव पड़ा है।

इसका सबसे बड़ा उदाहरण हिन्दु समुदाय के लोगों की उर्दू व फार्सी सीखने की रुचि में दिखाई दी। अंग्रेजी युग में न्यायालयों की भाषा उर्दू या फारसी रही और यही स्थिति आज तक निरंतर चली आ रही है। न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या उर्दू भाषा लिखने बोलने में समर्थ हैं। चूंकि उर्दू के ज्ञान ने कुछ व्यवसायों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिये थे अतः उर्दू शिक्षा की ओर जनसमुदाय का रुझान अधिक बढ़ने लगा। विद्यालय पाठ्यक्रम

में उर्दू का एक सुनिश्चित स्थान हो चला था । इस प्रकार उर्दू विभाग के द्वारा मुस्लिम संस्कृति का सामान्य विद्यालयों में प्रवेश हुआ ।

कुछ इतिहासकारों की धारणा है कि सातवीं शताब्दी के अंत तक अरब लोगों ॥मुसलमानों॥ ने भारत में बसना प्रारंभ कर दिया । भारतीय अरब व्यापारियों का स्वागत करते थे । अरब व्यापारियों के साथ इस्लाम धर्म का प्रचार भी प्रारंभ हो गया । संक्षेप में हिन्दू मुसलमान संबंधों की कथा पारस्परिक संस्कृतियों के आदान-प्रदान का इतिहास रहा है जो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है । यद्यपि कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं, किंतु उनका सामान्यीकरण करना तर्कसंगत न होगा । इस दिशा में स्त्रियों का विशेष योगदान रहा है ।

किसी समुदाय की प्रगति व उसकी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने में नारी-समुदाय का विशेष योगदान रहता है । इस संदर्भ में वह तीन प्रकार से अपना योगदान करती है :

1. समुदाय की संस्कृति का संरक्षण;
2. संस्कृति का एक पीढ़ि से दूसरी पीढ़ि को हस्तांतरित करना;
3. आधुनिकीकरण से प्रभावित संस्कृति के उन तत्त्व में सुधार लाना जो आधुनिक संदर्भ में अपनी सार्थकता खे चुके हैं ।

उपरोक्त तीनों प्रकार के उत्तरदायित्वों का सुचारू रूप से निर्वाह हेतु नारी के लिए एक औपचारिक शिक्षा व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है । मुस्लिम शिक्षा का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि मध्य युग में नारी शिक्षा हेतु विशेष ध्यान न दिया गया । इसका प्रतिफल उन्हें आज भी भोगना पड़ रहा है । वर्तमान में अहम प्रश्न यह है कि उन्हें किस प्रकार शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाय जिसके परिणाम स्वरूप वे वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का लाभ पूर्ण रूपेण प्राप्त कर सकें ।

अध्याय - द्वितीय

" भारत में मुस्लिम शिक्षा की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि "

भारत में मुस्लिम शिक्षा की संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

2.00 शैक्षिक इतिहास की समीक्षा :

यदि मुस्लिम इतिहास विषय पर रचित पुस्तकों का अध्ययन किया जाये एवं तत्कालीन शैक्षिक दिशा को मूल्यांकित करने का प्रयास किया जाये, तो शिक्षा रूपी सामाजिक उपव्यवस्था का एक ऐसा स्वस्थ उभरकर सामने आयेगा जो संख्यात्मक व गुणात्मक दोनों ही पक्षों में नितान्त निरस्तसाहित करने वाला होगा। शासकों ने जन साधारण की शिक्षा को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया, न ही एक सामान्य व्यक्ति हेतु उसकी उपादेयता को सराहा है। संभवतः इस प्रकार के दृष्टिकोण का कोई राजनैतिक उद्देश्य रहा हो, अतः उस युग में शिक्षा व शिक्षा की समानता की बात करना मात्र एक काल्पनिक विचार होगा। इस तथ्य का यह आशय नहीं है कि उस काल की शिक्षा शून्य के अंक पर थी। शिक्षा क्षेत्र में प्रयास किये गये। भले ही उनका समाज के सामान्य वर्ग से किसी प्रकार का संबंध न रहा हो। अतः इस दिशा में शैक्षिक स्थिति का मूल्यांकन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को सम्मुख रखकर ही किया जा सकता है।

भारतीय मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था के इतिहास का विश्लेषण दो वृहत कालों में किया जा सकता है :

1. भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व मुस्लिम शिक्षा का प्रास्य; तथा
 2. स्वतंत्रता के पश्चात् मुस्लिम शिक्षा का प्रास्य
1. स्वतंत्रता पूर्व की शिक्षा का प्रास्य :

भारतीय शिक्षा के परिवेश को मस्तिष्क में रखकर इसकी विशेषताओं का उल्लेख एफ. डब्ल्यू. थामस इन शब्दों में करते हैं :

" विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है, जहाँ शिक्षा प्रेम इतना प्राचीन हो, अथवा जहाँ शिक्षा ने मानव जीवन पर इतना गहन प्रभाव डाला है। वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिकों तक शिक्षकों व विद्वानों की अवस्रद्ध धारा बहती रही। प्राचीन भारतीय शिक्षा का मूल, भारतीय दर्शन, संस्कृति व मूल्यों में निहित रहा, जिसके द्वारा शिक्षार्थी के मानसिक एवं सवेगात्मक पक्ष को विकसित करने का प्रयास किया गया। यह गति निरंतर चलती रही। मध्य युग में मुस्लिम शासकों ने देश की परम्परागत शिक्षा प्रणाली पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। पन्द्रहवीं शताब्दी तक भारत में मुसलमान अपने को विदेशी पृथ्वी पर " एक सुसज्जित सैनिक " के अतिरिक्त कुछ नहीं समझते थे। भारतीय सामाजिक व्यवस्था से उनका कोई विशेष लगाव नहीं था। शासकों का एक मात्र उद्देश्य भारतीय भूमि से अधिक से अधिक धन एकत्र करना था।¹

भारत की अतुलित सम्पत्ति से आकृष्ट होकर, मुसलमानों ने इस देश पर आठवीं शताब्दी में अपने आक्रमण प्रारंभ कर दिये थे, किन्तु उनके आक्रमण का वास्तविक प्रयास मेहमूद गजनी के समय में प्रारंभ हुआ। जिसने सन् 1000 ई. से 1026 ई. तक भारत पर लगभग 17 आक्रमण किये। उसके आक्रमणों का मुख्य ध्येय इस देश की सम्पत्ति को लूटकर अपने देश को वैभवशाली बनाना था। अतः वह प्रत्येक आक्रमण के बाद लूट का माल लेकर स्वदेश को लौट जाता था। सन् 1192 ई. में मुहम्मद गौरी ने दिल्ली के अंतिम राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके भारत में मुस्लिम शासन का शिलान्यास किया। उसकी मृत्यु के उपरांत भारत पर क्रमशः गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी और कालान्तर में मुगल वंश ने सन् 1757 ई. तक शासन किया। इस प्रकार लगभग 550 वर्ष तक भारत पर मुसलमानों का वर्चस्व रहा। उन्होंने यहाँ एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को प्रारंभ किया जो उनके सांस्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रख सके, एवं धर्म की

1. आर.सी.मजूमदार, हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट, 1954, से उद्धृत

शिक्षा प्रदान कर सके । देश में प्रचलित वृहत शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया । दूसरे शब्दों में जिस शिक्षा प्रणाली को मुसलमानों ने मध्य युग में क्रियान्वयन किया " उसे " मध्य कालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली " की संज्ञा दी जा सकती है । तथाकथित शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव से हिन्दू वर्ग अछूता न रह सका । हिन्दुओं ने अरबी व फारसी पढ़ना शुरू कर दिया । कालान्तर में वे मुसलमान शासकों के दरबारों में उच्च पदों पर आसीन होने लगे । मुस्लिम शिक्षा भी प्रधानतः दर्शन, चिकित्सा तथा औद्योगिक शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दू शिक्षा से प्रभावित हुई ।

भारत के मुस्लिम शासकों ने केन्द्रीय या प्रान्तीय स्तर पर शिक्षा के किसी विभाग की स्थापना नहीं की । परन्तु उन्होंने शिक्षा में रुचि अवश्य ली। ~~इसके~~ इसके व्यवहारीकरण की सीमा ज्ञात करना अपने में एक शोध का विषय है । मुस्लिम काल में शिक्षा के निम्न प्रमुख उद्देश्य थे :

1. इस्लाम धर्म का प्रसार करना;
2. मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना;
3. इस्लामी नैतिक मूल्यों का विस्तार करना;
4. इस्लामी ज्ञान का प्रचार करना;
5. हिन्दुओं एवं मुसलमानों में समता लाना; तथा
6. मुस्लिम साम्राज्य को सुदृढ़ बनाना ।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मुस्लिम युग में शिक्षा व्यवस्था दो स्तरों पर की गई । प्राथमिक तथा उच्च स्तर । इन दोनों स्तरों पर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुस्लिम शासकों एवं विद्या प्रेमी धनिकों द्वारा मकतबों एवं मदरसों की स्थापना की गई । इन संस्थाओं में शिक्षा का प्रावधान मुख्यतः मुसलमानों के लिए ही था, यद्यपि मुस्लिम शिक्षा संस्थानों में हिन्दुओं का प्रवेश वर्जित नहीं था।

संस्था में व्याप्त सांस्कृतिक वातावरण के कारण हिन्दू वर्ग के छात्रों का नामांकन लगभग नगण्य था ।

प्राथमिक शिक्षा के मुख्य केन्द्र मकतब थे । इन शिक्षा संस्थाओं में केवल मुस्लिम बच्चे ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे । कुछ शिक्षक अपने घरों पर भी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे ।

जिस प्रकार हिन्दू समुदाय में " उपनयन संस्कार " के पश्चात बालक की शिक्षा प्रारंभ होती थी, उसी प्रकार मुस्लिम युग में " विस्मिल्लाह खानी " की रस्म के बाद ही बालक अपनी शिक्षा आरंभ करता था, जो प्रथा आज भी प्रचलित हैं । यह रस्म उस समय सम्पन्न होती है जब बालक 4 वर्ष 4 माह एवं 4 दिन का होता है ।

मकतबों में बालकों को पढ़ने, लिखने और साधारण अंकगणित की शिक्षा दी जाती थी । उनको सबसे पहले उर्दू वर्णमाला के अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था और उसके पश्चात कुरान की कुछ आयतों कंठस्थ करवाई जाती थीं । जब बालक को पढ़ने और लिखने का पर्याप्त ज्ञान हो जाता था, उसे व्याकरण और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी ।

उच्च शिक्षा की संस्थाएं मदरसे थे । बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के पश्चात शिक्षा ग्रहण करने के लिए मदरसे में प्रवेश करता था । उच्च शिक्षा के केन्द्र सम्पूर्ण देश में बिखरे हुए थे । उच्च शिक्षा की अवधि 10 से 12 वर्ष की थी । उसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत था । उसमें धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा की व्यवस्था थी । धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को कुरान की आयतों याद करनी पड़ती थी, एवं लौकिक शिक्षा के अन्तर्गत अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य एवं व्याकरण, कृषि, गणित, भूगोल, कानून, ज्योतिष [नजूम], अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन-शास्त्र, यूनानी चिकित्सा आदि की शिक्षा की व्यवस्था थी ।

मुस्लिम युग में राज्य की भाषा फारसी थी । इस भाषा का ज्ञान प्राप्त करके ही छात्रों को राजपद प्राप्त हो सकते थे । शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात् छात्रों की परीक्षा की कोई निश्चित प्रणाली नहीं थी । शिक्षक प्रत्येक छात्र के ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन करके, उसे उच्च कक्षा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे देता था ।²

इस काल की एक रोचक विशेषता यह रही कि शासकों ने शिक्षा की कोई एक विशेष नीति का निर्धारण नहीं किया । एक आधारभूत तथ्य यह अवश्य रहा कि अधिकतर मकतब व मदरसे राज्य आश्रित थे । अतः राज्य की शिक्षा नीति राज्य के प्रयासों पर ही निर्भर करती रही । मोहम्मद गौरी ने अनेक मस्जिदें बनवाई, और इस्लाम धर्म की शिक्षा के लिए मकतब व मदरसे खोले । इसी प्रकार कुतुबुद्दीन ने अनेक मकतब स्थापित किये मुस्लिम शासकों के इन प्रयासों हेतु हिंदुओं को एक बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा । वेदों के अध्ययन का स्थान कुरान की आयतों ने लिया । संस्कृत का स्थान फारसी ने ले लिया ।

1526 में मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना हुई । बाबर प्रथम मुगल सम्राट था जो अरबी, फारसी व तुर्की भाषाओं का विद्वान था । इसी प्रकार औरंगजेब भी स्वयं अत्याधिक शिक्षित व्यक्तित्व था । परन्तु संकीर्ण दृष्टिवादी होने के कारण उसने केवल मुस्लिम शिक्षा का ही प्रचार एवं प्रसार किया ।

भारत में मुस्लिम कालीन शिक्षा की विशेषताएं :

मुस्लिम कालीन शिक्षा की निम्न प्रकार विशेषताएं थीं :

1. व्यावहारिक शिक्षा :

शिक्षा केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, अपितु व्यावहारिक जीवन के लिए भी थी । दैनिक रूप से पांच बार कुरान पढ़ना एक पुनीत

2. रामगोपाल, इंडियन मुस्लिम, एक राजनैतिक इतिहास, 11858-19471, एशिया पब्लिशिंग हाऊस 1949, पृ. 15

कर्तव्य माना जाता था । अरबी और फारसी का उपयोग न्यायालयों में होता था ।

2. निःशुल्क शिक्षा :

शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी एवं छात्रों के लिए भोजन तथा वस्त्रों की सुविधा उपलब्ध थी ।

3. व्यक्तिगत संपर्क :

इस युग में गुरु एवं शिष्य के संबंध अत्यधिक मधुर थे । शिक्षक अपने विचारों एवं आदर्शों से छात्रों को प्रमाणित करके उनकी प्रतिभा, कुशलता और योग्यता में वृद्धि करता था । शिक्षार्थी शिक्षकों का बड़ा सम्मान करते थे । शिक्षक प्रत्येक छात्र की शैक्षिक समस्याओं का व्यक्तिगत रूप से समाधान करता था ।

4. शिक्षक की स्थिति :

यह एक आश्चर्यजनक बात थी, कि शिक्षण हेतु समर्पित शिक्षकों की सामाजिक स्थिति में निरंतर गिरावट आ रही थी । शिक्षा के प्रति अनुदार दृष्टिकोण इस स्थिति हेतु उत्तरदायी था । शिक्षण व्यवसाय, अन्य व्यवसायों की तुलना में नीचे स्तर का समझा जाता था ।

5. गुरु शिष्य संबंध :

छात्र शिक्षक के प्रति विनम्र एवं निष्ठावान थे । वे गुरु की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे । शिक्षक भी छात्रों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे ।

6. शिक्षा का संरक्षण :

सम्पूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त रहा, किन्तु राज्य की कोई सर्व प्रचलित शिक्षा नीति न थी। छात्रों को पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियां प्रदान करके उन्हें शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता था।

7. सांस्कृतिक एकता की अभिवृद्धि :

मुस्लिम शिक्षा संस्थानों में सभी जाति के छात्र मकतब एवं मदरसों में प्रवेश करके जातीय बंधनों को समाप्त कर सांस्कृतिक एकता की वृद्धि करते थे। किन्तु अन्य समुदायों के छात्रों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी।

8. धार्मिक व लौकिक शिक्षा का समन्वय :

मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में यद्यपि धर्म को प्रमुख स्थान दिया था, परन्तु साथ ही साथ छात्रों को भौतिक जगत के प्रति उदासीन नहीं रखा जाता था। उन्हें अंकगणित, पत्र - लेखन, कला आदि विषयों का अध्ययन भी कराया जाता था।

9. उर्दू की उत्पत्ति :

इस युग में ही भारतीय भाषाओं के संगम से नई भाषा "उर्दू" का प्रादुर्भाव हुआ। यह इस युग की एक महत्वपूर्ण देन रही।

10. साहित्य व इतिहास का विकास :

इस युग में संभ्रांतों को इतिहास लेखन का शौक था। वे अपने दरबारों में प्रसिद्ध इतिहासकारों को आमंत्रित करते थे। इतिहास लेखन इस युग की महान देन है।

मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के दोष :

मध्ययुग में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में अनेक सीमायें थीं । शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष निम्नलिखित थे :

1. प्रांतीय भाषाओं की उपेक्षा :

मुस्लिम शिक्षा पद्धति में फारसी और अरबी का शीर्षस्थ स्थान था । मकतबों में बालकों को फारसी की वर्णमाला सिखाई जाती थी, एवं कुरान की आयतें रटाई जाती थीं । मदरसों में उच्च शिक्षा का माध्यम फारसी था । फारसी राजभाषा थी । राजपदों पर उन्हीं व्यक्तियों को आसीन किया जाता था, जिन्हें फारसी एवं अरबी का पूर्ण ज्ञान होता था । इसका परिणाम यह हुआ कि प्रांतीय भाषाओं का विकास अवसृद्ध हो गया ।

2. हिन्दुओं की शिक्षा की उपेक्षा :

सम्पूर्ण मुस्लिम युग में हिन्दुओं को शिक्षा प्राप्त करने के उतने अवसर उपलब्ध नहीं थे, जितने कि मुसलमानों को । उनकी शिक्षा का प्रावधान अवश्य था, किन्तु मकतब एवं मदरसों में एक पृथक् सांस्कृतिक वातावरण होने के कारण हिन्दू अभिभावक अपने बच्चों को इन संस्थाओं में भेजने से हिचकते थे । उन्हें शंका थी कि इन शिक्षा संस्थाओं का सांस्कृतिक वातावरण उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं को प्रभावित कर सकता है ।

3. कठोर शारीरिक दण्ड का विधान :

शिक्षा व्यवस्था में कठोर शारीरिक दण्ड की प्रथा प्रचलित थी । जिसके कारण विद्यालय के वातावरण में आतंक छाया रहता था । कुछ छात्र तो भय के कारण पढ़ना ही छोड़ देते थे ।

4. आर्थिक अभाव :

शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अपर्याप्त था। यही कारण था कि तमाम मकतब व मदरसे आर्थिक सहायता के अभाव में बहुधा बन्द हो जाया करते थे। इससे समाज की शिक्षा को अत्याधिक क्षति पहुँची।

5. स्त्री शिक्षा की उपेक्षा :

इस्लामी संस्कृति में विद्यमान कुछ संकीर्ण मूल्यों के कारण मध्य युग में स्त्री शिक्षा की उपेक्षा की गई, वे पढ़ें में बंधकर घर की चहरदीवारी में बन्द रह गईं। शासकों ने उनकी शिक्षा हेतु कोई प्रावधान नहीं किया। यह असंतुलन आज भी एक सीमा तक विद्यमान है तथा उसके लिए मध्य युगीन मुस्लिम नारी की शिक्षा की उपेक्षा किया जाना, बहुत बड़ी सीमा तक उत्तरदायी है।

2.01 अंग्रेजी शासन में मुस्लिम शिक्षा की स्थिति :

मुगल साम्राज्य के पश्चात भारतवर्ष छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। इनके शासक अपनी अपनी सत्ता जमाये रखने में लगे रहे। इन शासकों ने भी शिक्षा के प्रसार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। राज्य की ओर से सहायता न मिलने के कारण मुस्लिम काल में स्थापित बड़े-बड़े मदरसे बन्द हो गये। मुस्लिम काल में विकसित शिक्षा प्रणाली मकतबों में किसी प्रकार जीर्ण-शीर्ण दशा में पनप रही थी।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने भारतीय शासन अपने हाथ में लिया, और तब से 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का शासन बना रहा। सन् 1844 के आस-पास फारसी भाषा के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहित किया गया। इससे मुसलमानों की स्थिति कमजोर होती

गई । क्योंकि उनके अनुसार दूसरी भाषा सीखना अच्छा नहीं माना जाता था । उन्होंने सोचा कि अंग्रेजी पढ़ना, उनके मजहद के खिलाफ है । इसलिए वे पीछे रह गये ।³ रूढ़ीवादी दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम समुदाय बदली हुई परिस्थितियों के साथ समझौता न कर सका । अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया । कुछ उदारवादी व्यक्तियों ने, जिनमें सर सैयद अहमद खां का नाम सर्वोपरि था, ने मुस्लिम समुदाय को उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने हेतु निरन्तर प्रयास किये । उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिना अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण किये मुस्लिम समुदाय का उत्थान संभव नहीं हो सकता । इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जनसाधारण में दिखाई देने लगा । नवीन शिक्षा की ओर आकर्षित करने हेतु सरकार ने 1871 में मुस्लिम समुदाय को कई सुविधाएं प्रदान की । इस दिशा में मध्यप्रदेश की सरकार ने भी कई सराहनीय सुधार किये । माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इस समुदाय की छात्र छात्राओं को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विशेष प्रकार की छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की, एवं मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभागों में विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया । उन्हें कुछ महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गये :

1. मुस्लिम समुदाय के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का पता लगाना;
2. इनकी शिक्षा पर होने वाले व्यय के लिए ब्यौरा तैयार करना;
3. इनके हेतु बनी संस्थाओं के लिए नियम बनाना;
4. इनके कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना; तथा
5. अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष पाठ्यक्रम का निर्माण करना, आदि ।

अल्पसंख्यक समुदाय और उच्च शिक्षा का प्रावधान :

सरकारी प्रयास केवल विद्यालयीन शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे, वरन् प्रशासनिक अधिकारियों एवं शिक्षाविदों ने इनके लिए उच्च शिक्षा की भी एक

योजना बनाई, जिसके परिणाम स्वल्प कई नवीन शैक्षिक संस्थाओं का जन्म हुआ। लाहौर और पेशावर का इस्लामी कालेज एवं ऐसी ही अनेक संस्थाओं का जन्म मद्रास, बंगाल और पंजाब में हुआ। इनमें अंग्रेजी और अरबी का अध्ययन कराया जाता था।

सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण यह प्रयास किया गया कि जिन विद्यालयों में मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक है, वहां इसी समुदाय के शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाये। क्योंकि वे इस विशिष्ट समुदाय की आवश्यकताओं और सांस्कृतिक परम्पराओं से भली-भांति अवगत होते थे।

न केवल शिक्षकों की नियुक्ति में इस नीति का अनुसरण किया गया, वरन् प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति में भी इसी भावना को ध्यान में रखा गया। फलस्वरूप मुस्लिम विद्यालयों के लिए मुस्लिम निरीक्षकों की नियुक्ति की गई। सन् 1904 में बंगाल में ऐसे 7 मौलवियों को निरीक्षक बनाया गया, तथा इस नीति को प्रशासन ने भी स्वीकार किया।

सरकारी प्रयासों ने मुस्लिम समुदाय में शिक्षा के प्रति एक सतत् जागरूकता की भावना निर्मित कर दी। और पूर्व में किये गये प्रयास, भविष्य में होने वाले प्रयासों की आधार भूमिका बनी। 17 दिसम्बर, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही मुस्लिम उच्च शिक्षा को एक नई दिशा प्राप्त हुई। अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक उत्थान में इस विश्वविद्यालय ने सराहनीय कार्य किये। आज भी इससे संबद्ध विद्यालय जिसे "मिन्टो स्कूल" के नाम से जाना जाता है। बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर बना हुआ है।

सरकारी प्रयासों का परिणाम :

मुस्लिम वर्ग की छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए जो नवीन प्रयास किये गये, इसका परिणाम प्रोत्साहन वर्धक रहा। इसके अनेकानेक कारण थे

जैसे छात्रवृत्तियों का बढ़ाया जाना, नई संस्थाओं की स्थापना, छात्रावासों की व्यवस्था आदि । सरकारी पदों पर भी आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई । तन् 1937 से 1947 तक 15 वर्षों की अवधि में मुस्लिम छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया इसके साथ-साथ इनके लिए पृथक विद्यालयों की स्थापना की गई, तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। विद्यालयों में उर्दू, फारसी एवं अरबी को स्वतंत्र विषय के रूप में रखा गया । इन प्रयासों ने निरंतर मुस्लिम शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को इस व्यवसाय की ओर आकर्षित किया । शिक्षिकाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई, और वे एक सीमित दायरे से बाहर आने लगीं । जिन क्षेत्रों में उर्दू नहीं बोली जाती थी, वहां विशेष उर्दू की कक्षाएं खोली गईं । मकतबों और कुरान के स्कूलों की बड़ी संख्या में स्थापना की गई ।

हाटॉग कमीशन :

हाटॉग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से सुझाव दिया कि धार्मिक विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिये एवं जो विद्यालय मुस्लिम समुदाय से संबंधित हैं, वहां पर मुस्लिम शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाये । इसके अतिरिक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए स्थान आरक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए ।

4 जुलाई 1934 को भारत सरकार ने केन्द्रीय शासन के 25 प्रतिभक्त पद मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिये । नियमानुसार यदि योग्य व्यक्ति न मिले तो योग्य व्यक्तियों को नामजद करने का निर्णय लिया गया ।

अंग्रेजों के आगमन पूर्व कुरान के स्कूल, फारसी और अरबी के स्कूल मुसलमानों के लिए थे । कुरान के स्कूलों में कुरान को कंठस्थ करने पर जो दिया गया था ।

ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एवं पञ्चात्थशिक्षा का प्रसार

ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीयों को पढ़ाना अपना काम नहीं मानती थी। इसलिए शिक्षा की पुरानी पद्धतियों में उसने कोई सुधार नहीं किया। मुनरो, एल्फिस्टन, टामसन और लेटनर ने देशी शिक्षा संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए अनेक योजनाएँ तैयार कीं, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरों और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। " यदि किसी देश को दास बनाये रखना है तो उसके साहित्य और संस्कृति का विनाश कर देना चाहिए," अपनी शिक्षा नीति के निमार्ण में भारत के अंग्रेज शासकों ने इस सिद्धान्त का अक्षरशः पालन किया।

सन् 1812 में मुस्लिम अफसरों को प्रशासनिक और न्यायिक शिक्षा देने के लिए कलकत्ता मदरसा आरंभ किया। जिसमें विज्ञान, कानून, ज्योतिष रेखागणित, तर्क शास्त्र और भाषण कला सिखाई जाती थी, एवं विद्यार्थियों को हर महीने छात्रवृत्ति मिलती थी। सरकार हर साल कम से कम एक लाख रुपया भारत में साहित्य के पुनरोत्थान एवं सुधार के लिए देने लगी। यह धन ज्यादातर महाविद्यालयों पर खर्च होता था।

सन् 1815 में लार्ड हेस्टिंग्स ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर अपनी गंभीर चिन्ता व्यक्त की, जिससे भारतीयों, अंग्रेजों और मिशनरियों ने काम शुरू किया। सिफारिश की गई कि हर जिले में दो प्रायोगिक स्कूल हों। एक हिन्दुओं के लिए एवं दूसरा मुसलमानों के लिए 1819 में कलकत्ता स्कूल की स्थापना की गई। 1823 में कमेटी आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन बनाई गई जिसका ध्येय था, 1813 के एक्ट को व्यवहारिक रूप देना। इससे मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम दोनों को लाभ हुआ।

1823-1850 में पूर्ववादी और पश्चिमी वादियों में संघर्ष चल रहा था । अंत में जीत उनकी हुई, जो चाहते थे कि पढ़ाई में अंग्रेजी का प्रयोग हो । फरवरी 1824 में जो पत्र गवर्नर जनरल आफ काउन्सिल बंगाल को लिखा गया उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि हिन्दू या मुसलमानों को साहित्य पढ़ाना मूर्खता है । अब कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कालेज में अंग्रेजी कक्षाएँ शुरू हुईं । 1829 में वेंटिंग ने यह धारणा बनाली कि अंग्रेजी ही भारत के पुनर्जन्म और सुधार के लिए पूंजी है । 9 जुलाई, 1834 में यह निर्णय लिया गया कि जो विद्यार्थी अरबी के साथ अंग्रेजी नहीं पढ़ते, उनकी छात्रवृत्ति बन्द कर देनी चाहिए । इससे मुसलमानों में असंतोष फैला । उन्हें यह भय था कि अंग्रेज उनका धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं । तत्कालीन शासन का प्रस्ताव 7 मार्च, 1835 के अनुसार अंग्रेज सरकार का मुख्य ध्येय यह होना चाहिये कि हिन्दुस्तान के वासियों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रसार करें । अब तक यह स्पष्ट हो गया था कि सरकार पूर्वी शिक्षा को कमजोर करके पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना चाहती है। इससे मुसलमान निरुत्साहित हुए और वे शिक्षा प्रसार में अपना योगदान न दे पाये ।

2. 03 मुस्लिम शिक्षा को व्यवहारिक रूप देने हेतु कुछ अन्य प्रयास एवं उनका प्रभाव :

अंग्रेजी पढ़ाने को, मुसलमानों ने धर्म विरोधी माना और इसका विरोध किया । इससे वे शिक्षा में पिछड़ गये ।

1854 में " वुड डिस्पैच " सामने आया । इसने शिक्षा की प्रगति पर ध्यान दिया । वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मूहामंत्र कहा गया है, जिसने शिक्षा के भविष्य की गति निश्चित की है । इस पत्र में लड़कियों और मुसलमानों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया एवं धर्म निरपेक्षता पर भी बल दिया गया ।

1871 में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अरबी और फारसी को पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय एवं बी.ए. के लिए फारसी विषय को स्वीकृति दी जाए। अरबी और फारसी के प्रोफेसर का पद विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। मुसलमानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक बड़ी संख्या में मुसलमान शिक्षक नियुक्त किये गये। निरीक्षकों के पद पर भी काफी नियुक्तियां की गईं। मुस्लिम छात्र-छात्राओं को फीस में छूट दी गईं एवं छात्रवृत्तियां भी दी गईं। परन्तु कुल जनसंख्या में मुस्लिम संख्या का प्रतिशत देखते हुए, उनके अनुपात में उनकी शिक्षा व्यवस्था न हो पाई थी। प्राथमिक स्कूल को छोड़कर मुस्लिम विद्यार्थियों की संख्या में कमी होने लगी।

भारतीय शिक्षा आयोग 1905 ने मुस्लिम शिक्षा की पिछड़ी हुई दशा पर असंतोष प्रकट किया और इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया। यहां पर सरकार का भी निहित स्वार्थ था। वह मुसलमानों को शिक्षित करे और इस प्रकार राजकीय पदों के लिए उन्हें हिन्दुओं का प्रतिवर्दी बनाकर अपने राजनैतिक हित की पूर्ति करना चाहती थी। अतः मुसलमानों को शिक्षा की विशेष सुविधाएं प्रदान की गईं। फलस्वरूप 1921 तक मुस्लिम शिक्षा का अदभुत विस्तार हुआ, किन्तु उनके लिए विशिष्ट एवं पृथक स्कूलों की स्थापना की एक वर्ग ने निन्दा की। इसका कोई विशेष प्रतिफल न हुआ। मुस्लिम स्त्रियों ने भी उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो मुस्लिम शिक्षा एवं संस्कृति का प्रतीक था, में स्त्रियों के लिए पृथक व्यवस्था की गई। सन् 1922-1947 की अवधि में इस शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इसके अनेक कारण थे। शासन द्वारा छात्रवृत्ति, हास्टेल, अलग संस्थाएं, शिक्षा में आरक्षण आदि सुविधाएं प्रदान की गई थीं। 1926 में मुसलमानों के लिए अलग अलग संस्थाएं खोलने को प्रोत्साहन दिया गया। विशेष मुसलमान निरीक्षक

नियुक्त किये गये, शिक्षा फारसी, अरबी और उर्दू में आरंभ हुई। मुसलमान शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये। जिससे मुस्लिम शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई। अनेक व्यक्तिगत संस्थाओं को मान्यता दी गई।

हाटॉग समिति ने मुस्लिम शिक्षा की समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन किया। इस समिति का मत था कि मुस्लिम शिक्षा अब भी पिछड़ी हुई दशा में है उनके लिए पृथक से विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस समिति का मत था कि धार्मिक स्कूलों की अवधारणा उचित नहीं होगी, क्योंकि उससे शिक्षा का स्तर घट जाता है। परन्तु उसने यह अवश्य माना कि धार्मिक शिक्षा के लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।

28 दिसम्बर, 1939 में कमालयार जंग समिति की स्थापना हुई। इस समिति को देश की विभिन्न शैक्षिक प्रणालियों का निरीक्षण कर एक ऐसा स्वल्प प्रस्तुत करना था, जिसमें शिक्षा को मुस्लिम समुदाय की आवश्यकताओं से जोड़ा जा सके। समिति ने अनुभव किया कि तत्कालीन शिक्षा मुस्लिम संस्कृति एवं व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है। समिति का सुझाव था कि पाठ्यक्रम का स्वल्प बृहत होना चाहिए अथवा मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक पाठ्यक्रम निर्मित किया जाए।⁴

इससे पूर्व 19 अक्टूबर, 1920 केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई थी। बोर्ड का सुझाव था कि मुसलमानों के लिए शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। इस समय तक मुसलमानों का अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी कम हो गया था।

1944 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने "सार्जेंट योजना" में प्रतिपादित बेसिक शिक्षा की सामान्य रूपरेखा को मान्यता प्रदान की। 1945

में वर्धा में होने वाली " हिन्दुस्तानी तालिमी संघ " की बैठक ने भारत के लिए बेसिक शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकार किया और इसका नाम " नई तालीम " रखा । इस संघ ने 1947 में बेसिक शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया, जिसका देश के सब प्रान्तों ने स्वागत किया । सन् 1952-53 में " ताराचन्द्र समिति " और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के फलस्वरूप " माध्यमिक शिक्षा आयोग " की नियुक्ति की गई । जिसने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और उसके सुधार के संबंध में बहुमूल्य सुझाव दिये।⁵

2.04 स्वतंत्रता के उपरांत मुस्लिम शिक्षा का प्रसार :

स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत में अपने नव निर्माण के लिए शिक्षा प्रसार की आवश्यकता को अनुभव किया । देश की स्वतंत्रता के उपरांत शिक्षा का बड़ी तेजी से विकास हुआ । बेसिक व प्राथमिक माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयीन शिक्षा, प्रांतीय भाषाओं का विकास, छात्रवृत्तियों की व्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन आदि ऐसे प्रमुख कार्यक्रम हैं, जो स्वतंत्रता के उपरांत विशेष रूप से विकसित किये गये । पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विकास के लिए विशाल धनराशि व्यय की जा रही है । शिक्षा के मापदण्ड को उंचा करना, शिक्षकों की योग्यता तथा आर्थिक स्थिति में सुधार तथा छात्र कल्याणकारी कार्यक्रम इत्यादि देश की शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनका समाधान विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा करने का प्रयास किया गया । यह प्रक्रिया निरंतर गति से चल रही है ।

1947 के बाद शासन ने जाति के आधार पर शिक्षा के आंकड़ों का संकलन करना प्रारंभ कर दिया । मुस्लिम समुदाय के छात्रों हेतु शिक्षा में अब

5. इन्दर मल्होत्रा, " व्हाट एल्स दि मुसलिम ? ", इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इन्डिया, अप्रैल, 22, 1973, पृष्ठ 6-15

तक भी कोई विशेष सुविधाएं नहीं थीं । स्वतंत्र भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है, जो प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसरण की अनुमति देता है, इसी दृष्टिकोण को समक्ष रखकर " राधाकृष्णन आयोग " ने धार्मिक शिक्षा के संबंध में निम्न सुझाव दिए :

1. सभी शिक्षा संस्थाएं कुछ मिनट के मौन चिन्तन के पश्चात् अपना दैनिक कार्य प्रारंभ करें ।
2. डिग्री कोर्स में विश्व के महान धार्मिक नेताओं - बुद्ध, सुकरात, ईसा, शंकर, रामानुज, माध्व, मुहम्मद, कबीर, नानक, गांधी इत्यादि ने स्त्री शिक्षा पर आयोग में बल देते हुए लिखा, शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकते, स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए ।

आज पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा के विकास एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की शिक्षा की उन्नति के लिए विशाल धनराशि व्यय की जा रही है । शिक्षा के मानदण्ड को ऊंचा करना, शिक्षकों की योग्यता एवं धार्मिक स्थिति में सुधार, अच्छी पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि, पर्याप्त प्रयोगशालाएं पुस्तकालय तथा छात्र कल्याणकारी कार्यक्रम आदि देश की शिक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जिनपर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ।

सामान्य मान्यता यह है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भी हिन्दू एवं मुस्लिम समुदायों की शिक्षा के मध्य एक बड़ा असंतुलन विद्यमान है । यद्यपि इस तथ्य हेतु अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, किंतु इनकी परम्परागत व रूढ़ीवादी संस्कृति ने इस दिशा में सशक्त अवरोधक के रूप में कार्य किया है । नारी शिक्षा के क्षेत्र में यह तथ्य अधिक सक्रिय दृष्टिगोचर

होता है । पुनः इस स्थल पर यह तथ्य स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा कि सम्पूर्ण मध्य युग में नारी शिक्षा की अवहेलना की गई जिसके परिणाम स्वरूप इसमें एक वृहत झुन्यता आ गई । सामान्य मुस्लिम नारी आज भी शिक्षा के संबंध में लगभग उदासीन रवैया अपनाये हुए हैं । इस तथ्य का मूल नारी शिक्षा के इतिहास में निहित है ।

अध्याय - तृतीय

मुस्लिम नारी एवं उसकी शिक्षा

मुस्लिम नारी एवं उसकी शिक्षा

3.00 भारत में नारी-शिक्षा का विकास :

आज के युग में स्त्री शिक्षा की महत्ता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । यूरोप एवं अमेरिका आदि उन्नतिशील देशों में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार मिल चुके हैं और वहां प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियां पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं । अतः वहां स्त्री-पुरुष शिक्षा के अनुपात में असंतुलन नगण्य है । वैसे स्त्री शिक्षा की अवधारणा भारतीय संदर्भ में कोई नया विचार नहीं है । वैदिक युग में स्त्री-शिक्षा की स्थिति अत्यंत उत्साह जनक थी । लीलावती जैसी गणितज्ञ का इस क्षेत्र में विशिष्ठ स्थान रहा ।

मुस्लिम युग में, समुदाय की सांस्कृतिक मान्यताओं ने नारी के कार्य क्षेत्र की सीमा को अत्यधिक संकुचित कर दिया । यद्यपि कुलीन परिवार की नारियां इस तथ्य की अपवाद नहीं, किन्तु उन्हें ही शिक्षा सुविधाओं का लाभ मिला । सामान्य स्त्रियों के हेतु न तो शिक्षा का कोई विशेष प्रावधान किया गया, और न ही उन्हें उसके लिए प्रोत्साहित किया गया। यह तथ्य अलग है कि मुगलकाल में चांदबीबी, नूरजहां आदि योग्य स्त्रियों ने ख्याति प्राप्त की, किन्तु ये कुछ ऐसे अपवाद थे, जिनके आधार पर स्त्री शिक्षा के विकास व विस्तार का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता । ईस्ट इंडिया के भारत आगमन पर भी नारी शिक्षा को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि

कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य व्यापारिक लाभ था । फिर भी मिशनरियों ने बालिकाओं के कुछ विद्यालय अवश्य खोले। सर्वप्रथम 1820 में स्त्री- शिक्षा हेतु विद्यालय कलकत्ता में डेन्डीहेयर ने स्थापित किया । कालान्तर में इस दिशा की ओर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं ने भी ध्यान देने का प्रयास किया । सन् 1851 में मिशनरियों द्वारा 371 बालिका विद्यालयों की रूपरेखा को एक निश्चित स्वरूप दिया गया । ये विद्यालय स्थापित होने के पश्चात् इनमें कुल 11,193 छात्राओं ने प्रवेश लिया । इस दिशा में कुछ व्यक्तिगत प्रयास भी किये गये । कलकत्ता के बैन्फन विद्यालय ने सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त की । तीन वर्ष पश्चात् 1854 में ब्रुड घौषणा-पत्र में यह सुझाव दिया गया था कि भारतीय जन-जीवन में पश्चात् सभ्यता एवं संस्कृति का बीजारोपण तभी हो सकेगा, जबकि स्त्री-शिक्षा का भी विकास किया जाये । अतः स्त्री-शिक्षा हेतु विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जाये । ब्रुड के सुझावानुसार सरकार ने स्थानीय धनराशि में से बालिकाओं में शिक्षा प्रसार हेतु धन का समुचित प्रावधान करने का निर्णय लिया । इस प्रावधान का क्रियान्वयन तत्काल कर दिया गया ।

हुन्टर कमीशन ने 1882-1902 स्त्री-शिक्षा पर विस्तार से विचार किया एवं निम्न सुझाव दिये :

1. बारह वर्ष से ऊपर आयु की बालिकाओं को शुल्क देने से मुक्त किया जाये;
2. महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहन;
3. प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के हेतु साधारण पाठ्यक्रम का प्रावधान; एवं
4. समुचित पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था ।

दुर्भाग्यवश इन सुझावों की ओर सरकार ने कोई उत्साहजनक दृष्टिकोण नहीं दिखाया, किन्तु इस स्थल पर एक तथ्य की ओर ध्यान देना आवश्यक है,

कि सरकार के इस प्रकार के रबड़िये का बालिकाओं की शिक्षा पर कोई नकरात्मक प्रभाव न पड़ा। लार्ड कर्जन १९०२-१९२१ ने नारी शिक्षा की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये किन्तु भारतीय सामाजिक जटिल व्यवस्था के कारण स्त्रियों को इसका विशेष लाभ न मिल पाया, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की नारियों को।

इसके हेतु निम्न प्रमुख कारक उत्तरदाई रहे :

1. मुस्लिम समुदाय के सामान्य व्यक्ति का औपचारिक शिक्षा के प्रति एक तटस्थ दृष्टिकोण;
2. मुस्लिम समुदाय का परम्परावादी दृष्टिकोण, तथा केवल धर्म की शिक्षा को ही प्राथमिकता देना;
3. मुस्लिम समुदाय में विद्यमान पर्दाप्रथा;
4. बालिकाओं को घर के भीतर ही रखने की प्रवृत्ति;
5. बालिकाओं को घरेलू कार्यों में ही प्रशिक्षित करने की परंपरा;
6. बालिकाओं की तुलना में बालकों को समुदाय में अधिक मान्यता व सम्मान प्राप्त होना;
7. स्वयं मुस्लिम नारियों की इस दिशा में अधिक रुचि का न होना;
8. मुस्लिम समुदाय की असंतोषजनक आर्थिक दशा;
9. परिवार में सदस्यों की संख्या का अधिक होना; तथा
10. बालिकाओं का अल्पआयु में ही विवाह कर देने की प्रचलित परम्परा।

1929 में हर्टॉग समिति ने नारी शिक्षा के संदर्भ में सुझाव देते हुए स्पष्ट किया कि देश में पढ़ाई प्रथा होने के कारण लड़कियों के लिए पृथक विद्यालयों की व्यवस्था होनी चाहिये। समिति के अनुसार बालक एवं बालिकाओं के साक्षरता के अनुपात में बड़ा अन्तर विद्यमान है। समिति ने शिक्षा के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये :

1. छात्राओं के पाठ्यक्रम को स्त्रियोपयोगी बनाया जाये;
2. लड़कियों की शिक्षा पर लड़कों के समान ही धनराशि व्यय की जाये;
3. स्त्री शिक्षा के प्रसार की नवीन योजनाएं बनाई जाये, तथा प्रत्येक प्रांत में एक सुशिक्षित महिला की नियुक्ति कर इन योजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व उसे सौंप दिया जाय;
4. निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि की जाये, : तथा
5. स्त्रियों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

1937-47 के मध्य नारी-शिक्षा :

इस अवधि में स्त्री-शिक्षा के प्रत्येक आयाम पर विचार किया गया। जिसका लाभ मुस्लिम बालिकाओं को भी उपलब्ध हुआ। इस प्रगति हेतु निम्न तथ्य उत्तरदायी थे :

1. महात्मागांधी के राष्ट्रीय आन्दोलन के कारण स्त्रियों में उत्पन्न होने वाली जागृति। मुस्लिम नारी भी इससे अछूती न रह सकी;
2. राष्ट्रीय महिला परिषद् की स्थापना;
3. प्रान्तीय स्वशासन की अवधि में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन; तथा
4. शारदा अधिनियम द्वारा बाल विवाह का निषेध।

उपरोक्त सभी प्रकार के सुझावों ने मुस्लिम नारी में नई चेतना को जागृत किया । यह बात अलग है कि वह अपने को समुदाय की परम्पराओं से पूरी तरह जोड़े रही, व मानसिक संकीर्णता के स्तर में किसी प्रकार का सराहनीय परिवर्तन न ला सकीं, किन्तु स्वतंत्रता के कुछ समय के पश्चात् इस दिशा में बदलाव दृष्टिगोचर होने लगा ।

स्वतंत्र भारत में मुस्लिम स्त्री-शिक्षा :

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षाविदों ने इस तथ्य को सर्वव्यापी स्वरूप से स्वीकार किया कि शिक्षा स्त्री उपकरण सामाजिक परिवर्तन व पुर्ननिर्माण का एक सशक्त साधन बनाया जा सकता है । अतः इस दिशा में सक्रिय प्रयास प्रारंभ होने लगे । निरक्षरता को दूर करने के उपाय, विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार व उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु स्म रेखा तैयार की जाने लगी, व इनके क्रियान्वयन की रणनीति पर गंभीरता पूर्वक विचार होने लगा । भारतीय संविधान में भी नारी को समक्षता प्रदान करते हुए घोषित किया गया :

" राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा । "

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति १९५८।

१९५८ में नारी-शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार करने एवं उन पर अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु दुर्गा बाई देशमुख की अध्यक्षता में " राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति " का गठन किया गया । इस प्रकार के प्रयास का उद्देश्य पुरुष एवं नारी के मध्य विद्यमान सामाजिक असंतुलन को यथा संभव दूर करना था। राजनेता इस तथ्य से भली-भांति अवगत थे, कि शिक्षा ही देश में प्रजातंत्र को

सफल बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अतः शिक्षा प्राप्त करने के अवसर सभी समुदायों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिये।

चूंकि अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम समुदाय संख्यात्मक दृष्टि से सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग था, अतः उनके लिये इसका विशिष्ट प्रावधान करना नितान्त आवश्यक समझा गया। इसका एक कारण यह भी था कि मुस्लिम स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार से, सामुदायिक मूल्यों के कारण वंचित रहीं।

समय परिवर्तन के साथ-साथ अब मुस्लिम समुदाय में भी स्त्रियों को शिक्षित करने का विचार शनैः शनैः गति पकड़ रहा है। सामान्यतः शिक्षित मुस्लिम परिवार में भी यह अपेक्षा पनप रही है कि घर में शिक्षित बधु ही आये। बदलती सान्ध्यताओं के कारण बालिकाओं का विवाह निरन्तर एक समरूपा बनता जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के बालक शिक्षित होते जा रहे हैं। अतः बालिकाओं की शिक्षा पर भी ध्यान देना एक सामाजिक आवश्यकता बन गया है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार की चैतन्यता धीरे-धीरे विकसित हो रही है, और मुस्लिम परिवार भी यह प्रयत्न कर रहे हैं, कि उनके परिवार की बालिकाएँ कम से कम एक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करें।¹ परन्तु वास्तविकता आज भी यह है कि शिक्षा के प्रति इस प्रकार की जागरूकता केवल उन परिवारों में ही विद्यमान है जो थोड़े बहुत शिक्षित हो चले हैं।

3.01 मुस्लिम समुदाय की चिन्तन शैली :

आज जबकि संसार में स्वतंत्रता एवं स्त्री-शिक्षा को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है, तब भी भारतीय मुस्लिम जनसमुदाय का एक बड़ा प्रतिभूत परम्परागत रुढ़ियों से जकड़ा हुआ है। स्त्रियों को केवल घर की चहारदीवारी

1. शिमानी राय, स्टेट्स आफ मुस्लिम बीमन इन इंडिया, 1982, पृ. 50-60

में काम करने वाले यंत्र मात्र के रूप देखा जाता है। इस प्रकार की विचारधारा स्त्री-शिक्षा के मार्ग में बाधा बनती है, किन्तु आधुनिक लहर एवं शिक्षा के प्रसार एवं उसकी उपादेयता ने जनसाधारण के इस परम्परावादी दृष्टिकोण में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाना प्रारंभ कर दिया है। मुस्लिम समुदाय भी इस परिवर्तन से अछूता न रह सका।

सैद्धान्तिक रूप से मुस्लिम बालिकाओं के हेतु किये गये प्रावधान बड़े कारगर दिखाई पड़ते हैं, किन्तु इनका वास्तविक रूप में क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। जो बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, अथवा स्कूली शिक्षा के लिए जा रही हैं, वे या तो अच्छे आर्थिक परिवारों से हैं, अथवा उनके माता-पिता शिक्षित हैं। इस समुदाय का निम्नवर्गीय परिवार अधिकांशतः औपचारिक शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ हैं। एक गंभीर समस्या यह भी है कि जो बालिकाएं स्कूलों में जाती भी हैं, तो वे किन्हीं कारणवश बीच में ही विद्यालय छोड़ देती हैं।

छात्राओं का बीच में ही शिक्षा छोड़ देने के निम्न कारण हो सकते हैं:

1. घर में बच्चों की संख्या का अधिक होना;
2. धन का अभाव होना;
3. अभिभावकों का संकुचित दृष्टिकोण;
4. धार्मिक भावनाएं;
5. अभिभावकों की यह धारणा कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने के पश्चात उनके समान शैक्षिक योग्यता रखने वाले जीवन साथी का न मिलना।
6. मुस्लिम परिवारों में लड़कियों का विवाह कम आयु में ही कर दिया जाता है। अतः उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का समुचित अवसर नहीं मिल पाता;
7. कुछ अभिभावकों का मत है कि बालिकाओं को स्कूली शिक्षा देने

के में कुछ समस्याएँ हैं। जो छात्राएँ कान्वेंट विद्यालयों में पढ़ रही हैं उनपर पश्चात्यसंस्कृति का इतना प्रभाव पड़ जाता है कि वे इस्लामिक संस्कृति को बिल्कुल भूल जाती हैं। दूसरा कारण यह भी कि ऐसे विद्यालयों की संख्या नगण्य है, जहाँ मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित वातावरण उपलब्ध हो। सामान्य स्तर के पालक अपनी पुत्रियों को ऐसे विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाना चाहते हैं जो इस्लामी संस्कृति से जुड़ा हो।

किन्तु पिछले डेढ़ दशक में जो सामाजिक परिवर्तन आये हैं वे मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उत्साहजनक संकेत दे रहे हैं। अब मुस्लिम युवक शिक्षित महिला से ही विवाह को प्राथमिकता देने लगा है। शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् बालिकाएँ अपने परिवार के आर्थिक उत्थान में सहायक होती हैं।

3.02 स्त्री शिक्षा हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम :

केन्द्र व राज्य सरकारों का सवैधानिक कर्तव्य है कि वे अपनी अन्य योजनाओं के साथ-साथ स्त्री शिक्षा के विकास कार्य के लिए पर्याप्त सहायता दें। बिना आर्थिक सहायता के भारत जैसे राष्ट्र की स्त्रियों को निरक्षरता के दलदल से नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए सामान्य जनता का भी यह कर्तव्य है, कि वह परम्परागत दृष्टिकोण को त्यागकर स्त्री शिक्षा के प्रसार में योगदान दे। बालकों के समान बालिकाओं को भी अभिभावकों द्वारा शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।

मुदालियर कमीशन :

स्वतंत्रता के छः वर्षों के पश्चात् शिक्षा को एक नवीन दिशा देने के लिए मुदालियर कमीशन का गठन किया गया। स्त्री शिक्षा के संबंध में इस आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव रखे, किन्तु भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कारण उनका क्रियान्वयन सही रूप से न हो पाया।

कोठारी आयोग :

1964-66 में कोठारी शिक्षा आयोग ने स्त्री शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया और निम्न सिफारिशें प्रस्तुत की :

1. बालक व बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता प्रदान कराई जानी चाहिये;
2. स्त्री शिक्षा कार्यक्रमों हेतु धन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किया जाये;
3. बालिकाओं की शिक्षा की ओर केन्द्र व राज्य दोनों रुचि लें;
4. बालिकाओं को विज्ञान शिक्षण हेतु प्रेरित किया जाये; तथा
5. छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति व छात्रावासों की व्यवस्था की जाये।

उपरोक्त प्रावधानों से मुस्लिम बालिकाओं को एक बड़े पैमाने पर लाभ मिलेगा ऐसी अपेक्षा की जाती थी ।

सामाजिक आर्थिक विकास की गति को गतिशीलता देने में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा के महत्त्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाये हैं । राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि शिक्षा को महिलाओं के सामाजिक स्तर में आधार भूत परिवर्तन लाने का प्रयास करना होगा। वर्तमान शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण मान्यतायें निम्नलिखित हैं :

1. राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करेगी;
2. नये सिरे से तैयार किये गये पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नये मूल्यों के विकास में योगदान देगी; तथा
3. विभिन्न पाठ्यक्रमों के एक हिस्से के रूप में महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी ।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने सभी स्तरों पर महिला शिक्षा के प्रोत्साहन और विकास पर एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित की ; जिसके अंतर्गत सरकारी, गैर सरकारी एवं सहायता प्राप्त राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने स्कूलों में 9वीं एवं 10वीं कक्षाओं की छात्राओं की शिक्षा पूर्ति की व्यवस्था की है ।

3.03 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के संदर्भ में शैक्षिक समानता के अवसर :

यह एक माना हुआ सत्य है कि शिक्षा न केवल एक प्रमुख माध्यम है, वरन् सबसे शक्तिशाली साधन है, जिसके द्वारा राष्ट्रीय जीवन में सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाये जा सकते हैं । स्वतंत्रता के लम्बे संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ । स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही हमारे महान नेताओं ने राष्ट्रीय लक्ष्यों की स्पष्ट-रेखा तैयार कर ली थी, जिसे साकार स्व भारतीय संविधान के रूप में देश के आजाद होने के पश्चात् प्राप्त हुआ । आजादी के बाद भारत में शिक्षा संबंधी सुधारों और परिवर्तनों पर गंभीरता से चिंतन एवं मनन हुआ है । माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव करते हुए मुद्रालियर आयोग ने सिफारिश की थी, कि माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का इस प्रकार पुनर्गठन किया जाये, कि यह धर्म निरपेक्ष, जनतंत्रीय गणतंत्र के लिए नागरिक तैयार कर सके । उनकी व्यावसायिक योग्यता बढ़ा सके, एवं उनका सर्वांगीण विकास कर सके । कोठारी आयोग ने शिक्षा की ऐसी योजना की परिकल्पना की, जो छात्रों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक सिद्ध हो ।

6 जनवरी, 1985 में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीवगंधी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की घोषणा की।

इस उद्देश्य को लेकर राष्ट्र की शिक्षा की वर्तमान अवस्था का विश्लेषण एवं समीक्षा की गई। यह विश्लेषण तथा समीक्षा, राष्ट्र की भावी शिक्षा के स्वल्प सहित " चेलेंज आफ एजुकेशन एण्ड पालिसी परस्पेक्टिव " के नाम से अगस्त, 1985 में प्रकाशित की गई। परामर्श मण्डल द्वारा पारित किये जाने के बाद संसद के बजट अधिवेशन 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राख्य को प्रस्तुत किया गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 12 भाग हैं जिसके चतुर्थ भाग में " समानता के लिए शिक्षा तथा अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। "

महिलाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नलिखित

हैं :

1. महिला विकास की वृद्धि की दृष्टि से शिक्षा संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जायेगा;
2. महिला निरक्षरता का उन्मूलन तथा महिलाओं की प्राथमिक शिक्षा को समयबद्ध लक्ष्यों तथा मोनिटरिंग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता;
3. विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के व्यावसायिक, तकनीकी एवं औद्योगिक शिक्षा में भाग लेने पर सर्वाधिक बल;
4. महिलाओं के प्रति दुराग्रह वाले वर्गों को पाठ्य पुस्तकों से हटाना; तथा
5. अनुसंधान क्षेत्र में महिला अध्ययनों को प्रोत्साहन।

1986 की इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं को शैक्षिक तथा सामाजिक दृष्टि से समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति व अल्पसंख्यकों की शिक्षा :

1981 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में धार्मिक अल्पसंख्यक 17.4 प्रतिशत हैं। गृह मंत्रालय ने मुसलमानों को शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा हुआ माना है। इन शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए समुदायों को समाज के अन्य वर्गों के समकक्ष लाने के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

गुणात्मकता और सामाजिक न्याय की दृष्टि से इन समुदाय की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जायेगा। इसमें स्वतः ही अल्पसंख्यक द्वारा अपनी शैक्षिक संस्थाएँ खोलने और चलाने तथा अपनी भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण संबंधी संवैधानिक प्रावधान समाहित होंगे।

राज्य सरकारें अल्पसंख्यक क्षेत्रों में पुस्तकालय, वाचनालय खोलने आदि का कार्य करेगी एवं अल्पसंख्यक शिक्षा कार्यक्रमों की प्रतिवर्ष समीक्षा की जावेगी।

इस प्रकार वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के विस्तार एवं संगठित रूप में विकास के लिए शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत की।

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि वर्तमान शिक्षा नीति एक सुविचारित संकल्प है जो, वर्तमान में उदित राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को एक ऐसा प्रभावी यंत्र बनाना है, जिसके द्वारा सबको समान शिक्षा मिल सके। वस्तुतः आज की शिक्षा नीति का लक्ष्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली को समाप्त न करके इसमें संशोधन करना व नई दिशा देना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय की स्त्रियों हेतु

शिक्षा संबंधी प्रावधान :

अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संविधान द्वारा प्रदत्त उन सभी प्रावधानों के क्रियान्वयन का पूर्ण प्रयास करने हेतु कटिबद्ध है, जो उन्हें मौलिक अधिकार के रूप में उपलब्ध हुये हैं, तथा जिनकी विवेचना नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत की गई है। इनके अतिरिक्त आने वाले वर्षों के लिए कुछ नये आयामों का निर्धारण किया गया है, जैसे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में पोलिटेक्निक द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण का प्रावधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्तर को दृष्टि में रखते हुए विद्यालयीन पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन, अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित प्राचार्यों एवं शिक्षकों का समय-समय पर प्रशिक्षण तथा अतिरिक्त छात्रवृत्ति का प्रावधान आदि।

स्त्री-शिक्षा हेतु भविष्य के कार्यक्रम :

1. चूंकि शैक्षिक रूप से पिछड़ी स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है, साथ ही साथ विद्यालयों में प्रवेश प्राप्त करने वाली छात्राओं की संख्या अत्यधिक निम्न स्तर पर है, अतः ऐसी छात्राओं हेतु नये विद्यालय स्थापित किये जायेंगे, स्त्री शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जायेगी, छात्राओं हेतु प्रथक छात्रावासों की व्यवस्था होगी, तथा उन्हें धन, गणवेश आदि के रूप में अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाई जायेंगी। अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से ध्यान में रखा जायेगा।
2. अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों में उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे, जिनमें प्रशिक्षक के रूप में स्त्रियों की ही नियुक्ति

की जायेगी । यह उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होगा और इन सभी योजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन किया जायेगा ।²

मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ प्रभावशाली कदम उठाये हैं । उर्दू को राज्य में द्वितीय भाषा का स्थान दिया गया । प्राथमिक विद्यालयों के लिए, जो स्थानीय संस्थाओं द्वारा संचालित हो रही हैं, एक उर्दू शिक्षक अथवा शिक्षिका की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है । इन प्रावधानों के परिणाम आगामी दस वर्ष में सही परिलक्षित हो सकेंगे ।

पिछले पृष्ठों में वर्णित मुस्लिम नारी शिक्षा की ऐतिहासिकी का उल्लेख करना आवश्यक था, क्योंकि इसका वर्तमान शोध समस्या से गहन संबंध है । मध्य कालीन शिक्षा प्रणाली इस तथ्य को सिद्ध करती है कि उसमें नारी शिक्षा की उपेक्षा की गई । अंग्रेजों की प्रभुसत्ता के अंतर्गत जो छुटपुट प्रयास इस दिशा में किये गये वे प्रभावशाली न हो सके । अतः स्वतंत्र भारत को एक ऐसी धरोहर मिली, जिसमें मुस्लिम नारी-शिक्षा को शून्य स्तर पर मानकर नवीन योजनाओं का निर्धारण करना था । कार्य चुनौती पूर्ण एवं दुरूह था । विभिन्न समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, किन्तु उनके क्रियान्वयन और उससे उपलब्ध परिणाम पुनः यह सकेत देते हैं कि इस दिशा में बिना क्रांतिकारी कदम उठाये, हम अपने लक्ष्य को उपलब्ध नहीं कर सकते । 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पिछले तीन वर्षों में क्या कुछ परिणाम हुए, इसका मूल्यांकन करना अभी तर्कसंगत न होगा, किन्तु यदि " शिक्षा के अवसरों की समानता " के प्रश्न को उठाया जाये तो उसके लिए यह आवश्यक है कि समाज में समानता विद्यमान हो । यह प्रश्न एक व्यापक चुनौती बनकर समस्त राष्ट्र के सम्मुख विद्यमान है ।

2. नेशनल पालिसी आन एजुकेशन, 1986, प्रोग्राम आफ एक्शन, भारत सरकार, नवम्बर, 1986, पृष्ठ 115-118

अध्याय - चतुर्थ

समस्या से सम्बंधित साहित्य

समस्या से संबंधित साहित्य

4.00 पश्चात्त्य देशों में सामाजिक स्तर से पिछड़े वर्गों की शैक्षिक
समस्याओं से संबंधित अध्ययन :

वर्तमान अध्याय में शैक्षिक अवसरों की समानता एवं उसके व्यावहारिकरण के प्रश्न से संबंधित न कुछ ऐसे साहित्य की चर्चा की गई है जिनका संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्तर में वर्तमान शोध कार्य से है। पश्चात्त्य देशों में पिछड़े सामाजिक व आर्थिक वर्गों से आये हुए छात्र-छात्राओं की समस्या को लेकर अमरीका व इंग्लैण्ड में महत्वपूर्ण अध्ययन किये गये। चूंकि इन अध्ययनों का संबंध उन वर्गों के विद्यार्थियों से था, जिनका प्रतिशत सामान्य जनसमुदाय के अनुपात में कम था और अधिक काले वर्ण वाले विद्यार्थी ही थे, अतः उनकी गणना अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत की जा सकती है। ऐसी स्थिति में इन विद्यार्थियों को विद्यालय में उपलब्ध सुविधायें एवं उनका उपयोग तथा उनके सांस्कृतिक पिछड़ेपन का उनकी शैक्षिक उपलब्धि में पड़ने वाले कारकों से संबंधित साहित्य का संक्षिप्त उल्लेख करना वर्तमान शोध समस्या के परिपेक्ष में संदर्भ से परे न होगा। यह तथ्य स्पष्ट करना आवश्यक है कि पश्चात्त्य देशों में धर्म व सम्प्रदाय अल्पसंख्यक की अवधारणा का आधार नहीं माना गया।

पश्चात्त्य देशों में किये गये कुछ अध्ययन :

पिछले पचास वर्षों में शिक्षा जगत के अंतर्गत पश्चात्त्य देशों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह रही कि शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उन छात्र-छात्राओं

को भी दिया गया, जो दुर्भाग्य से समाज के ऐसे वर्ग में जन्में, जिनके लिए दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करना भी एक कठिन कार्य था। वृहत् जन समुदाय के इस पृथक् समूह को समाज शास्त्रियों ने विभिन्न नामों से अलंकृत किया।

जैसे : "निर्बल वर्ग," "सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग," "अल्प-संख्यक वर्ग" आदि। इस वर्ग में जन्मे बच्चे भी शिक्षा पाने हेतु जिज्ञासु एवं इच्छुक होते हैं, किन्तु सांस्कृतिक व आर्थिक सीमाओं में बंधे होने के कारण वे विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते अथवा बीच में ही अध्ययन करना बन्द कर देते हैं, अतः निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया।

ओलिव बैंक्स के शब्दों में वर्तमान में यह तथ्य सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया कि एक भूखा बच्चा सीखने में असमर्थ होता है, अतः ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत इस बात का सतत् प्रयास किया गया कि ऐसे बच्चों को विद्यालय में निःशुल्क दूध, मध्य कालीन भोजन एवं चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान की जायें।¹

किसी तथ्य को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार कर लेना किसी भी समस्या का निदान नहीं होता। कुछ ऐसे सशक्त कदम उठाने की नितांत आवश्यकता होती है जिसके परिणाम स्वस्थ प्रावधानों को व्यावहारिक रूप दिया जा सके। इस विचार धारा ने "कम्पेंसेटरी एजुकेशन" की अवधारणा को जन्म दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछड़े वर्ग के छात्रों की शैक्षिक समस्याओं को लेकर प्रयास प्रारंभ किये गये और यह निष्कर्ष निकाला गया कि सामाजिक रूप से पिछड़ा बालक बौद्धिक रूप से भी पिछड़ा होता है, तथा वह आर्थिक रूप से सम्पन्न बालकों के साथ कक्षागत स्पर्धा में सदैव पिछड़ जाता है। वास्तव में उनके सांस्कृतिक पिछड़ेपन को उनके मानसिक पिछड़ेपन से संबद्ध करने का प्रयास किया। व्यावहारिक अध्ययनों ने भी इस अवधारणा को सामान्य रूप से स्वीकार किया।

1. ओलिव बैंक्स, दि सोशियोलॉजी आफ एजुकेशन, न्यूयार्क : थियोडन बुक्स, 1972, पृ. 214

वास्तव में अवसरों की समानता के विचार को एक नया स्वरूप देने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को जाता है। इसके लिए अनेकानेक योजनाएं निर्मित एवं क्रियान्वित की गईं। चूंकि अल्पसंख्यकों की समस्या भारतीय समाज की ही अनोखी समस्या थी। अतः अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विदेशों में किये गये अध्ययनों में किसी भी स्थान पर नहीं हुआ। वहां शिक्षा शास्त्रियों ने सामाजिक सुविधा वर्ग को ही अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाया।

4. 01 शैक्षिक अवसरों की समानता एवं कौलमेन का प्रतिवेदन :

शैक्षिक अवसरों की समानता के विचार को लेकर सबसे गहन एवं महत्त्वपूर्ण अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में कौलमेन द्वारा किया गया, जो एक प्रतिवेदन के रूप में सन् 1966 में प्रकाशित हुआ। उनके अध्ययन का आधार नागरिक अधिकांक अधिनियम 1964 की धारा 402 के अंतर्गत किये गये प्रावधान से संबंधित था, जिसके अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता को धर्म, जाति, वर्ग और जन्म-भूमि आदि को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होने देना चाहिए।

कौलमेन प्रतिवेदन 1966 के मूलभूत तथ्य :

कौलमेन द्वारा एक बड़े पैमाने पर विद्यालयों एवं छात्रों के सामाजिक वातावरण के मध्य के संबंधों का अध्ययन किया गया, एवं विद्यालयीन शिक्षा को गुणात्मक रूप से प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण किया। संक्षेप में इस प्रतिवेदन के अंतर्गत निम्नलिखित सुझाव समाविष्ट किये गये :

1. एक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान;
2. सभी विद्यार्थियों हेतु सामान्य पाठ्यक्रम का प्रावधान;
3. वातावरण की विविधता को नकारते हुए सभी बच्चों के लिए एक ही प्रकार के विद्यालयों का प्रावधान, तथा

4. किसी निश्चित बसाव क्षेत्र के अंतर्गत समान शैक्षिक अवसरों की समान व्यवस्था ।²

अवसरों की समानता की इस प्रकार की व्यावहारिक अवधारणा को बीसवीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका की पृष्ठभूमि में क्रियान्वित करने का पूर्ण प्रयास किया गया । यद्यपि इस व्यवस्था ने अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की, जिनका आधार संभवतः कुछ मूलभूत मान्यतायें थीं :

1. पहली परिकल्पना थी कि निःशुल्क शिक्षा देने के फलस्वरूप आर्थिक विसंगतियां दूर की जा सकती हैं । इस मान्यता का कोई व्यावहारिक आधार नहीं था, तथा
2. दूसरी मान्यता यह थी कि सभी विद्यार्थियों को समान्य पाठ्यक्रम द्वारा शैक्षिक अवसरों का दिया जाना । यह अवधारणा भी भ्रमात्मक सिद्ध हुई, जिसे लोगों ने चुनौती दी । इसके अंतर्गत व्यक्तिगत भेदों की अनदेखी की गई ।

इसी प्रकार समान विद्यालयों के बसाव क्षेत्र का विचार भी तर्क संगत प्रतीत नहीं हुआ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित शैक्षिक कार्यालय द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए किए गए सर्वेक्षण ने इस अवधारणा को समझने हेतु एक निश्चित दिशा की ओर इंगित किया । इससे पांच प्रमुख आयाम उभरकर सामने आये :

1. एक विशेष प्रकार की विद्यमान असमानता को, किसी निश्चित बसाव क्षेत्र में, विद्यालय द्वारा समुदाय प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में परिभाषित किया जा सकता है,

2. जे. एस. कौलमेन, इक्वैलिटी आफ एजुकेशनल अपोर्चुनिटी, वॉशिंगटन गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस, 1966, पृ. 175

जैसे : प्रत्येक विद्यार्थी पर होने वाला व्यय, विद्यालयीन प्रयोग-शालाएँ, पुस्तकालयीन सुविधा, शिक्षकों की गुणात्मकता तथा ऐसे ही अन्य आवश्यक प्रावधान,

2. किसी अन्य पृथक प्रकार की असमानता का मुख्य आधार प्रजातीयता के आधार पर विद्यालयों का संगठन;
3. असमानता का तीसरा आधार विद्यालय के भीतर विद्यमान ऐसे तत्त्व हो सकते हैं, जो समानता की भावना को प्रभावित करते हैं, जैसे विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का नैतिक स्तर, शिक्षक एवं छात्रों के मध्य संबंध, विद्यार्थियों में सीखने की रुचि आदि । इनमें से कोई भी एक तत्त्व विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित कर सकता है;
4. चौथी प्रकार की असमानता उन अनेक कारणों से विद्यालय में देखी जा सकती है; जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है । यद्यपि ये बालक समान योग्यता व समान वातावरण के हैं फिर भी इनकी शैक्षिक उपलब्धियों में अन्तर स्पष्ट परिलक्षित होता है; तथा
5. पाँचवी प्रकार की असमानता ऐसे विद्यालयीन प्रभावों से संबंधित हो सकती है जिसमें छात्र अलग-अलग समुदायों एवं पृथक बौद्धिक क्षमता के होते हैं । इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण एक सामान्य विद्यालय में पढ़ने वाले स्पेनिश या नीग्रो बालकों के मध्य अंतर में देखा जा सकता है । ऐसा ही प्रभाव निर्धन व धनिक परिवार के बालकों में देखा जा सकता है ।

सारांश में कहा जा सकता है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की उपलब्धि केवल समान सुविधाओं के प्रावधानों की घोषणा कर देने से अथवा मौलिक

अधिकारों के स्व में स्वीकृत करने से ही प्राप्त नहीं होती है, वरन् उसका प्रत्यक्ष संबंध ऐसे प्रावधानों को सही स्व में गतिशीलता देकर बालकों की उपलब्धि को प्रभावित करने से है ।

4.02 हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट

सामाजिक एवं आर्थिक स्व से पिछड़े बालकों की शैक्षिक समस्याओं को आधार बनाकर, उन्हें एक विशेष प्रकार के प्रयास द्वारा समाधान करने का एक सराहनीय व्यावहारिक प्रयास संयुक्त राज्य अमेरिका में " हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट " द्वारा किया गया । यह प्रयास छठवें दशक के प्रारंभ में नीग्रो छात्रों को लेकर किया गया, जो आर्थिक स्व से दयनीय अवस्था में थे तथा जिनका सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण किसी स्व में भी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायक न था । प्रोजेक्ट की मान्यता यह थी कि विद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व के अनुभव, उन बच्चों को अधिक प्रभावित करते हैं, जो समाज के पिछड़े वर्गों से आते हैं । चूंकि, ऐसे छात्रों तथा सामान्य वातावरण से आने वाले छात्रों के हेतु विद्यालयीन वातावरण में विशेष अन्तर नहीं होता, इस कारण उनका विद्यालयीन वातावरण में समायोजन हो जाता है । किन्तु यह स्थिति उन विद्यार्थियों के साथ नहीं है, जो सांस्कृतिक स्व से पिछड़े परिवेश से आकर विद्यालय में प्रवेश लेते हैं । उन्हें दोनों प्रकार के वातावरणों में अत्यधिक अन्तर दृष्टिगोचर होता है । यही तथ्य उनमें अनेक मानसिक व संवेगात्मक समस्याओं को जन्म देता है । वर्ष 1960 के प्रारंभ में यह अनुभव किया गया कि सामाजिक स्व से पिछड़े विद्यार्थियों को अपने संपूर्ण विद्यालयीन जीवन में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और जिसका मूलभूत कारण उस समुदाय का पिछड़ा वातावरण होता है जिसमें पलकर वे बड़े होते हैं । ऐसे वर्गों से आने वाले बच्चों की शिक्षा के प्रति न तो कोई रुचि होती है, और न ही उन्हें कहीं से प्रोत्साहन मिलता है । इसके

अतिरिक्त परिवार की आर्थिक अवस्था एवं माता पिता के मध्य तनावपूर्ण संबंध, बच्चों को अनेक कुंठाओं का शिकार बना देते हैं। इस पृष्ठभूमि को आधार बनाकर " हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट " का जन्म हुआ। इस प्रोजेक्ट की यह मान्यता थी कि यदि पिछड़े हुए सामाजिक परिवेश से आने वाले बालकों को निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के अंतर्गत 3-6 वर्ष की आयु में, जो व्यक्तित्व के निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है, औपचारिक शिक्षा के वातावरण में लाकर रखा जाये, तो उनके आने वाले विद्यालयीन जीवन को अधिक फलदायी बनाया जा सकता है एवं उनकी बौद्धिक क्षमता को निखारा जा सकता है।

इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण समस्या, छात्रों के परिवार की निर्धनता थी। सन् 1966 में " इकानामिक अपोर्चुनिटी एक्ट " पारित हुआ, किन्तु उसके प्रावधान केवल बालकों की शैक्षिक समस्याओं के समाधान तक ही सीमित न रह सके। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों की शिक्षा पर इसका विशेष प्रभाव न पड़ा। यह अधिनियम केवल छात्रों को प्रशिक्षित कर कार्य योग्य बनाने के पश्चात् उन्हें निर्धनता से बाहर निकालने की दिशा में एक लघु प्रयास था। इन प्रयासों से एक तथ्य अवश्य सुनिश्चित हो गया कि कोई भी प्रयास किसी भी आयु-अवधि द्वारा निर्धारित नहीं होना चाहिये। प्रयत्न यह होना चाहिए कि जितनी शीघ्रता से, जितनी अल्प आयु में ऐसे प्रयासों का आरंभ हो सके उतना ही हितकर होगा। इस अधिनियम ने एक नई दिशा दिखाई। आर्थिक पिछड़े-पन एवं शैक्षिक अवसरों की अवधारणा के मध्य एक तालमेल बैठाया। पिछड़े बालकों की प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि को लेकर " हेड स्टार्ट प्रोजेक्ट " को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन्सन ने 12 जनवरी, 1965 को आर्थिक अनुदान देने की घोषणा की। इसे " रेन्टी पावर्टी फ्री स्कूल प्रोग्राम " की संज्ञा दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1500 ग्रीष्म कालीन प्रोजेक्ट तथा 500 एक वर्षीय

प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया । सम्पूर्ण कार्यक्रम पिछड़े वर्गों से आने वाले छात्रों की संवेगात्मक समस्याओं को ही केन्द्र बिन्दु मानकर चलाया गया ।

हेड स्टार्ट कार्यक्रम का लाभ निर्धन वर्ग से आने वाले बालकों के एक सीमित वर्ग को ही मिल पाया । वास्तव में सबको इस प्रावधान के अंतर्गत लाना एक दुरुह कार्य था ५ क्योंकि निर्धन वर्ग से आने वाले 13-61 वर्ष आयु वाले छात्रों की कुल संख्या लगभग 20 लाख थी, और सभी को इस कार्यक्रम का लाभ नहीं प्रदान किया जा सकता था । पुनः इस समस्या से जुड़ी हुई कई अन्य समस्याएँ थीं, जैसे विद्यालय भवनों का प्रावधान, शिक्षकों की व्यवस्था आदि । इसके अतिरिक्त सभी पिछड़े वर्गों से आने वाले बालकों के लिए इस कार्यक्रम को चलाने का आशय यह होता कि प्रत्येक वर्ष सरकार को केवल इसी मद पर साढ़े तीन लाख डालर का प्रावधान करना पड़ता ।

इस संबंध में एक रोचक तथ्य यह उभर कर सामने आया कि जब तक छात्र " हेड स्टार्ट " के प्रावधानों का लाभ उठाने योग्य बन पाता, निर्धनता के कारण वह मानसिक रूप से काफी पिछड़ जाता । अतः इस समस्या के समाधान हेतु ग्रीष्मकालीन लघु अवधि के शिविरों की योजना बनाई गई जिसके द्वारा उसे स्कूली शिक्षा हेतु एक न्यूनतम मानसिक स्तर तक लाये जाने का प्रयत्न किया गया । भोजन व स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया ५ जिससे वे मानसिक तौर पर स्वस्थ रह सकें । बिडम्बना यह थी कि ये छात्र या तो काफी निर्धन परिवार से आये थे, अथवा ऐसे परिवार से, जो संवेगात्मक संबंधों के अभाव में टूट चुके थे । 25 प्रतिशत छात्र ऐसे परिवारों से थे जहाँ पिता ने कई वर्षों से परिवारजनों की कोई खोज खबर ही न ली थी । ऐसे संवेदनशील छात्रों के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन की नितान्त आवश्यकता थी ।

इसके लिए 15 छात्रों के मध्य एक प्रशिक्षित शिक्षक का होना आवश्यक था। पूरे वर्ष के लिए ऐसे कुशल एवं प्रशिक्षित शिक्षकों का प्रावधान करना सुगम कार्य न था। अतः कार्यक्रम में शिथिलता आने लगी। परिणाम यह हुआ कि जिस उद्देश्य को लेकर यह आरंभ किया गया था वह शून्य: - शून्य: धूमिल होने लगा।³

1966 में जब मोरबुल्फ तथा स्टेन ने उन बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों का परीक्षण करने का प्रयास किया, जो पिछड़े छः माह तक हेड स्टार्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित हो चुके थे। उन्हें उत्साहबर्धक परिणाम नहीं मिले। छात्रों ने कोई विशेष शैक्षिक प्रगति नहीं दिखाई। इस प्रकार एक विशाल एवं आकांक्षियों के कार्यक्रम की इतिश्री हो गई।

चूंकि उपरोक्त प्रयास संयुक्त राज्य अमरिका में निवास करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से था, अतः इसकी विस्तृत चर्चा करनी आवश्यक थी। इस प्रकार के प्रयास ने विकासशील राष्ट्रों को इस दिशा की ओर आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि भारत में मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, अतः यहां भी उनकी शिक्षा संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु निरंतर प्रयास किये गये। बालिकाओं को शिक्षित करने का प्रश्न यद्यपि अत्याधिक कठिन था, किन्तु इस चुनौती का सामना भी यथा संभव संतोषजनक रूप से किये जाने का प्रयास सक्रिय रूप से किया जा रहा है।

4.03 इंग्लैण्ड की प्लाउडन रिपोर्ट 1967 :

शैक्षिक अवसरों की समानता के प्रश्न को लेकर इंग्लैण्ड में भी कुछ प्रयास किये गये। जनसंख्या में विषम विविधता न होने के कारण इस अवधारणा को

लेकर अत्यधिक गहन अध्ययन करने का प्रयास न किया गया । जो कुछ भी प्रयास किये गये, उनमें प्लाउडन कमेटी-रिपोर्ट की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही । 1967 की इंग्लैण्ड की केन्द्रीय शैक्षिक सलाहकार समिति के प्रतिवेदन को प्लाउडन के प्रतिवेदन अध्या " बच्चे व प्राथमिक विद्यालय " की प्लाउडन की रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है । इसकी अध्यक्ष श्रीमती ब्रिगेट प्लाउडन थीं । रिपोर्ट ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक वातावरणों में कक्षा के अंतर्गत शिक्षक एवं छात्र के अनुपात का गहन अध्ययन किया और यह सिफारिश की, कि छात्र और शिक्षक का अनुपात 1:30 का होना चाहिए । जिसे 1970 तक क्रियान्वित होना था। विद्यालय में प्रवेश की आयु एवं आगे की कक्षाओं में प्रवेश पाने की आयु को सुनिश्चित किया गया । उसने यह भी सुझाव दिया कि बच्चों को आठ वर्ष की आयु में विद्यालय में प्रवेश दिया जाना चाहिए । इस प्रावधान को अनेक स्थानीय संस्थाओं ने 1968 तक अपना लिया । प्राथमिक शालाओं को यदाकदा जूनियर विद्यालयों से भी जोड़ने का प्रयास किया गया ।

वैसे बच्चों की शैक्षिक समस्याओं व शिक्षकों के उत्तरदायित्वों को लेकर सन् 1944 में एजुकेशन एक्ट पारित किया गया था । इसके प्रावधान के अनुसार बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और इसका उत्तरदायित्व शिक्षक पर रखा गया था । शिक्षक से यह अपेक्षा की गई थी कि वे छात्रों को उनकी आयु एवं क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करें । शिक्षक से यह भी अपेक्षा की गई थी कि वे छात्रों को उनकी आयु एवं क्षमतानुसार ही विषयवस्तु पढ़ायें । इसके लिए विषयवस्तु से संबंधित पूर्ण स्वतंत्रता शिक्षक को प्रदान की गई थी ।

शिक्षा के अवसरों की समानता के प्रावधान को देखते हुए प्लाउडन प्रतिवेदन का एक अपना महत्व है । प्लाउडन प्रतिवेदन छात्रों एवं शिक्षकों की स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है । यदि शिक्षक को उसके अनुसार पढ़ाने

की स्वतंत्रता दी जाये, और छात्रों को उनकी आयु एवं क्षमता के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान किये जावें, तब ही शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित प्रावधानों को सही रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है एवं निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है ।

इस प्रावधान को अधिक गतिशीलता प्रदान करने के लिए किसी भी बाल विद्यालय में कोई आयु की सीमा निर्धारित न की गई तथा प्रगति को मापने के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक उपलब्धि की शर्त नहीं रखी गई । जितनी अवधि तक छात्र विद्यालय में हैं उसे एक समय का छण्ड मान लिया गया, जिसमें बच्चे को शिक्षक द्वारा अधिकाधिक मार्ग निर्देशन का प्रयास किया गया । विद्यालय कैलेंडर के अनुसार बच्चे को बलपूर्वक सिखाने का कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया । बच्चे को यह स्वतंत्रता दी गई, कि वह अपनी क्षमता व योग्यता के अनुसार सीखने का प्रयास करे ।

प्लाउडन की रिपोर्ट का विश्लेषणात्मक अध्ययन :

प्लाउडन के प्रतिवेदन द्वारा जो निष्कर्ष निकले, उनका संबंध शिक्षा के निम्नलिखित तत्वों से है :

1. शिक्षकों के काम करने का स्तर;
2. विद्यालयीन अनुशासन;
3. शिक्षक-छात्रों का पारस्परिक संबंध,
4. पाठ्यक्रम का सन्तुलन, तथा
5. शिक्षकों की क्षमता ।

इन आधार पर प्रतिवेदन द्वारा, जो तथ्य प्रकाश में लाये गये वे अत्यधिक रोचक रहे । केवल 33 प्रतिशत बच्चे ही अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रहे

धे, एवं 5 प्रतिशत बच्चे निम्न स्तर के प्राथमिक संस्थाओं में । 1970 में प्राथमिक कक्षा में छात्रों की औसत संख्या 32 थी । इनमें से 6.7 प्रतिशत कक्षाओं में 40 से भी अधिक विद्यार्थी थे । ऐसी अवस्था में जब बच्चे आठवीं कक्षा में जावेंगे, तब उनके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी क्योंकि उसे एक ही समय में अनेक विषयों का अध्ययन करना होगा । जैसे : वातावरणीय शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, विदेशी भाषाएं, गणित, विज्ञान आदि ।

4.04 ब्रिटेन में शैक्षिक अवसरों की समानता को लेकर किये गये कुछ अन्य
अध्ययन :

1. 1962 में एफ रेजमैन द्वारा सामाजिक स्तर से पिछड़े छात्रों को लेकर शोध कार्य किया गया, जो " कल्चरली डिप्राइव्ड चाइल्ड " शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित हुआ । अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि उसके वातावरण से प्रभावित होती है ।
2. 1967 में ए.एच.पैसो तथा एम.गोल्डवर्ट ने भी सामाजिक स्तर से पिछड़े छात्रों की शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया । उन्होंने पाया कि यदि ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाना है, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है तथा उनकी विद्यालयीन समस्याओं का निराकरण करना है, तो उन्हें उनके दूषित वातावरण से निकालना होगा ।
3. जी.टेलर तथा एनायर बोर्न द्वारा लन्दन में 1970 में सामाजिक वातावरण तथा इसका छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों पर प्रभाव का अध्ययन किया । इंग्लैण्ड में सामाजिक स्तर से निर्बल वर्ग के

बच्चों की समस्याओं से संबंधित सर्वाधिक लोकप्रिय एवं बहुचर्चित अध्ययन माग्रेट मीड द्वारा किया गया ।

4. 1975 में जे. एस. ब्रूनर ने " निर्धनता एवं शिक्षा " से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अध्ययनों का उल्लेख किया है ।⁴
5. 1973 में मैलेनकोप तथा मेहलिक ने समाज के विभिन्न वर्गों से आये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों के बौद्धिक स्तर का अध्ययन किया । इसके लिए उन्होंने पालकों हेतु प्रश्नावली तैयार की, एवं उनके द्वारा दिये गये उत्तरों को आधार बनाकर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले । इस अध्ययन के द्वारा उन्होंने ऐसे चार तत्वों का उल्लेख किया जिनका संबंध शैक्षिक अवसरों से था ।

1. भौगोलिक स्थिति,
2. परीक्षा से प्राप्त अंकों के मध्य एक उच्च स्तर का संबंध प्राप्त किया गया ।
3. प्रत्येक व्यक्ति पर शिक्षा के मद में किया गया व्यय ।
4. शहरीकरण तथा विशेषज्ञों की विद्यालय में संख्या, मनो-वैज्ञानिक तथा मार्गदर्शन देने वालों का योगदान ।

अध्ययनकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बालक की शैक्षिक उपलब्धियों पर उनकी भौगोलिक परिस्थितियों का गहन प्रभाव पड़ता है । अतः शैक्षिक अवसरों की समानता की चुनौती का सामना करने के लिए भौगोलिक तत्व को एक प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिये ।

4. जे. एस. ब्रूनर, पाबर्टी एन्ड चाइल्डहुड, आक्सफोर्ड रिड्यू आफ एजुकेशन, भाग-1, 1975, पृ. 47

6. जेन्स तथा उनके सहयोगियों ने 1973 में शैक्षिक अवसरों की असमानताओं को अपने अध्ययन का विषय बनाया । इसके अंतर्गत उन्होंने परिवारों एवं विद्यालय के उन कारणों का अध्ययन किया, जो शैक्षिक असमानता लाने के लिए उत्तरदायी होते हैं । शोध कार्य शैक्षिक असमानताओं को तीन खण्डों में विभाजित करता है :

1. विद्यालय का उन विद्यार्थियों पर प्रभाव जो औपचारिक प्रक्रिया को पूर्ण कर लेते हैं । वे अपने अध्ययन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बालकों की पारिवारिक एवं आर्थिक अवस्था ही उन्हें समान सुविधाओं का लाभ नहीं उठाने देती ।
2. बालक के बौद्धिक कौशल एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं बालकों की शैक्षिक उपलब्धि से जोड़ती है ।
3. शैक्षिक असमानताओं को पालकों के व्यवसाय, आय एवं शिक्षा से जोड़ता है ।

रिपोर्ट के अनुसार शैक्षिक कौशलों की असमानता एवं व्यवसायिक कुशलताओं की असमानता, ये दोनों तथ्य ऐसे हैं, जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है, एवं उन्हें दूर करने के प्रयास शतप्रतिशत सफल नहीं हो सकते ।

विद्यालयों में साधनों का वितरण असमान है । कुछ लोगों को अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुकूल विद्यालय एवं कक्षाएं मिल जाती हैं । जबकि अधिकांशतः सामाजिक स्थ से पिछड़े लोग इससे वंचित रह जाते हैं । इसी प्रकार कुछ लोगों को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम नहीं मिल पाता । परिणाम स्वस्थ विद्यालयों की इन असमानताओं के कारण ही शैक्षिक अवसरों में समानता नहीं लाई जा सकती ।

उपरोक्त वर्णित संबंधित साहित्य की विवेचना से एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट होता है। विकसित राष्ट्रों में भी शिक्षा के समान अवसरों का चित्र बड़ा उत्साहवर्धक नहीं है। समाज में असमानतायें विद्यमान रहेंगी, अतः इसका प्रभाव शैक्षिक अवसरों की समानता पर पड़ना स्वाभाविक है, यद्यपि निरन्तर प्रयासों से इस असमानता की खाई को कम अवशय किया जा सकता है। भारतीय परिवेश में किये गये सभी अध्ययन मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों की शैक्षिक समानता की समस्या पर प्रकाश डालते हैं और इस तथ्य को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करते हैं कि इस संबंध में किये गये प्रयास व तैयार किये गये प्रावधान व्यावहारिक स्तर में प्रभावी शाली नहीं हो सके। तैयार किये गये प्रावधानों से सभी समुदाय के बालक-बालिकाओं को वांछित अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, किन्तु इन प्रावधानों से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या मुस्लिम समुदाय के छात्र-छात्रायेँ इन सुविधाओं का वांछित लाभ उठा पा रहे हैं? सामान्य अवधारणा यह है कि समाज का समूह वर्ग इन प्रावधानों से लाभान्वित अवशय हो रहा है, किन्तु सामान्य मुस्लिम वर्ग का विद्यार्थी इन सभी प्रावधानों से पूर्ण रूपेण लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। इस समस्या का एक पक्ष और भी है जिसका संबंध गुणात्मक शिक्षा से है। जहाँ तक संख्यात्मक शिक्षा का प्रश्न है, मुस्लिम छात्र विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास अवशय कर रहे हैं, किन्तु विद्यालयों में विद्यमान संस्कृति व अल्पसंख्यक बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक परिवेश सशक्त अवरोध के स्तर में काम कर रहा है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम अभिभावकों में औपचारिक शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं है। सामान्य परिवारों में सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण आर्थिक तत्त्व अधिक क्रियाशील हो जाता है। एक औसत परिवार अपने बच्चों को आर्थिक स्तर से आत्मनिर्भर बनाना अधिक उपयोगी समझता है। यही प्रथम वरीयता होती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, कि मुस्लिम पालकों की आकांक्षाएँ

बहुत ऊंची नहीं होती । यदि बालक किसी व्यवसाय में लग जाता है, तब ही उनका संतोष बिन्दु बन जाता है । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका गहन अध्ययन किया जा सकता है, किन्तु इसका यह आशय कदापि नहीं होता, कि इस धारणा के अपवाद नहीं है । आधारभूत प्रश्न है, आर्थिक साधनों का विद्यमान होना । लेकिन एक प्रजातांत्रिक समाज के हेतु यह स्थिति उत्साहजनक नहीं मानी जा सकती । प्रजातंत्र व शिक्षा का घनिष्ट संबंध है और इस शासन प्रणाली की सफलता का मूल आधार ही शिक्षा है । प्रयास यह होना चाहिए कि अधिक से अधिक बालक-बालिकाएं शैक्षिक अवसरों का पूर्ण लाभ उठाकर अच्छे नागरिक बनें और देश की प्रगति में स्वयं का पूर्ण योगदान दें ।

शिक्षा नीति १९८६। इस समस्या के व्यावहारिक पक्ष को उजागर करने का प्रयास करती है । शिक्षा नीति के चौथे भाग में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, कि नवीन शिक्षा नीति अवसरों की असमानता को दूर करने व शैक्षिक अवसरों की समानता पर विशेष महत्त्व देगी । नारी के स्तर को उठाने के लिए शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में प्रयुक्त की जावेगी । यह पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षणों द्वारा नारियों में नवीन मूल्य जागृत करेगी ।

4.05 भारत में किये गये शोध कार्य :

सम्पूर्ण विश्व में सभी को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समान सुविधाएं मिलनी चाहिए, यही प्रजातंत्र की मांग है । अब किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक या आर्थिक स्तर के आधार पर किसी भी सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता है । सभी प्रजातांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों हेतु समान सुविधा का प्रावधान किया है । सतत् प्रयासों के बावजूद भी विभिन्न क्षेत्रों में असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं । यह तत्त्व शिक्षा के क्षेत्र में भी विद्यमान है । यद्यपि ऐसे अनेकानेक प्रयास किये जा रहे हैं जिनसे ये असमानताएं न्यूनतम हो सकें एवं सभी को समान अवसर उपलब्ध हों ।

शैक्षिक अवसरों की समानता दो मूलभूत तथ्यों पर आधारित है :

1. समाजवादी व्यवस्था में विभिन्न देशों की बढ़ती आस्था, तथा
2. प्रजातांत्रिक विचार के मेल में आधारित समानता से संबंधित मौलिक अधिकारों के प्रति सामान्य नागरिकों की चैतन्यता, जिसे जनशिक्षा के साधनों ने अत्यधिक प्रोत्साहित किया है। विश्व में समाजवादी दर्शन के प्रति एक चेतना जागृत हो चुकी है। रूस, चेकोस्लोवाकिया, चीन आदि देश समाजवादी विचार धारा को लेकर ही प्रगति के मार्ग में अग्रसर हुए हैं। समाजवादी देशों में भारत एक ऐसा बड़ा राष्ट्र है, जहाँ अनेकानेक विषमताएँ विद्यमान हैं, जो मूलतः, अर्थव्यवस्था एवं अनेकानेक सम्प्रदायों से संबंधित है। भारत ही एक मात्र ऐसा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त का इतने बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन करने का प्रयास किया। अनेक सम्प्रदाय के सर्वाधिक मानने वाले इस उपमहाद्वीप में निवास करते हैं जिन्हें किसी भी गणतंत्र राष्ट्र के नागरिक को प्राप्त सभी मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दिये गये हैं। मुस्लिम सम्प्रदाय एक ऐसा सम्प्रदाय है, जिसे भारत में "अल्पसंख्यक" की संज्ञा दी गई है, यह संज्ञा उनकी संख्या पर आधारित है, परन्तु क्या व्यावहारिक रूप में मुस्लिम समुदाय उन अवसरों का, विशेषकर शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा पा रहा है। इस प्रश्न को लेकर शोधकर्ताओं द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन किये गये।

रत्ना दत्ता [1960-70] ने मुस्लिम समुदाय व शिक्षा की समस्या को लेकर दक्षिण भारत के कुछ नगरों का सर्वेक्षण किया। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचीं कि हिन्दू और मुस्लिम छात्रों के मध्य शैक्षिक सुविधाओं में एक बहुत बड़ा अन्तर है। शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचने वाले हिन्दू छात्रों की संख्या की तुलना में मुस्लिम छात्रों की संख्या बहुत कम रह जाती है। अध्ययन द्वारा यह भी सिद्ध करने का प्रयास किया गया कि वर्ष 1960-70 के मध्य विद्यालय जाने वाले मुस्लिम छात्रों की संख्या में 10 से 20 प्रतिशत की कमी आई।

रशीद नोमानी [1970] ने धर्म निरपेक्ष भारत के लिए " पाठ्यपुस्तक " शीर्षक के अंतर्गत अपना अध्ययन प्रस्तुत किया।

यह शोध अध्ययन शैक्षिक अवसरों की समानता से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डालता है। यदाकदा यह तर्क दिया गया है कि विद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्य पुस्तकें केवल उन विषयों को उजागर करती हैं जिनका संबंध अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों से लगभग नहीं होता। इसके विपरीत ये पुस्तकें एक ऐसी संस्कृति को उन अल्पसंख्यक छात्रों पर थोपने का प्रयास करती है, जो बहुसंख्यक वर्ग की धरोहर मानी जाती है।

नोमानी ने इसी तथ्य का अध्ययन करने हेतु उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली सामाजिक अध्ययन की पुस्तकों की विषय वस्तु का विश्लेषण किया। इस अध्ययन का उद्देश्य इस तथ्य पर प्रकाश डालना था कि सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु किस सीमा तक धर्म निरपेक्षता की अवधारणा को प्रोत्साहित करती है ?

पुस्तकों के विश्लेषण से शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कि ये पुस्तकें धर्म निरपेक्षता की भावना को प्रोत्साहित करने में असफल रही है। पुस्तक में वर्णित कुछ तथ्य पारम्परिक वैमनस्य को जन्म देते हैं तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बालकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं।

के.डी.शर्मा ॥ 1975 ॥ ने दिल्ली के मुस्लिम समुदाय के संबंध में शैक्षिक अवसरों की समानता तथा उनके व्यावहारिक रूप को लेकर एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे उठाये गये :

1. दिल्ली के पब्लिक विद्यालयों में मुस्लिम और हिन्दू छात्रों के हेतु शैक्षिक अवसरों की समानता का प्रावधान किस सीमा तक उपलब्ध है ?
2. वे कौन-कौन से तथ्य हैं जो हिन्दू छात्रों की तुलना में मुस्लिम छात्रों को शैक्षिक अवसरों का लाभ लेने की समानता को प्रभावित करते हैं ?

समस्या से संबंधित तथ्य विद्यालयों से संकलित किये, जिनका संबंध विद्यालय में उपलब्ध अवसरों की उपलब्धि, विद्यार्थियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति, विद्यार्थियों की स्वधारणा, अभिभावकों की आकांक्षाएं, विद्यालय प्रदत्त सुविधायें, शिक्षकों का शैक्षिक व आर्थिक स्तर, शिक्षण - अनुभव, शिक्षा के गुणात्मक पक्ष पर शिक्षकों के विचार, विद्यालय का परीक्षा-परिणाम, सहगामी गतिविधियों का प्राप्त्य आदि से था । उन अभिभावकों के विचारों को जानने का प्रयास भी किया गया जो अपने बच्चों को विद्यालयों में नहीं भेजते ।

इस अध्ययन द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाले गये :

1. शिक्षा के सभी स्तरों पर मुस्लिम समुदाय के छात्र अन्य समुदायों के छात्रों की तुलना में, शैक्षिक अवसरों का पूरा लाभ उठाने में असमर्थ हैं ।
2. पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की पारिवारिक दशा अन्य समुदाय के छात्रों की तुलना में अच्छी नहीं है ।

3. अन्य समुदायों के छात्रों की तुलना में पांचवी कक्षा में पढ़ने वाले मुस्लिम अभिभावकों का शिक्षा के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण होता है इसके प्रतिकूल आठवीं व नवीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के शैक्षिक स्तर पर उनके पारिवारिक दृष्टिकोण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता ।
4. पांचवी कक्षा के मुस्लिम छात्र, शैक्षिक अवसरों का पूर्ण लाभ, घर में शैक्षिक साधनों की कमी के कारण, नहीं उठा पाते । काम का बोझ, अभिभावकों का पढ़ने में मार्ग दर्शन का न मिलना, घर तथा विद्यालय के मध्य की दूरी आदि कुछ ऐसे उत्तरदायी तत्व हैं जो इन बालकों को शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने में बाधक सिद्ध होते हैं ।
5. अन्य समुदायों की तुलना में मुस्लिम समुदाय के सभी स्तरों पर पढ़ने वाले छात्रों को, घर में समाचार पत्र, पत्रिकाओं तथा अन्य संदर्भ पुस्तकों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती ।
6. ऐसे विद्यालयों में, जहां मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक है, पुस्तकालय सेवाएं नगण्य हैं । उच्च कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को तक यह सुविधा प्राप्त नहीं है ।
7. अधिकतर उर्दू माध्यम वाले विद्यालय तंग बस्तियों में स्थित हैं । यहां का सामाजिक व प्राकृतिक वातावरण अत्यधिक प्रदूषित है । विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जहां न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं ।
8. उर्दू माध्यम विद्यालयों में छात्रों की संख्या विद्यालय की क्षमता से कहीं अधिक है । अन्य विद्यालयों की तुलना में यहां शिक्षक छात्र अनुपात बहुत अधिक है ।

9. हिन्दी माध्यम के विद्यालयों के शिक्षक, उर्दू माध्यम के शिक्षकों की तुलना में अधिक अनुभवी हैं। उन्हें शैक्षिक कार्य शालाएं, व गोष्ठियों में भाग लेने में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।

परसराम [1973] द्वारा अलीगढ़ विश्वविद्यालय में " मुसलमानों की स्वयं के संबंध में अवधारणा " विषय पर शोध कार्य किया गया। उन्होंने प्राप्त तथ्यों को निम्नांकित वर्गों में विभाजित किया। प्रथम कोटि के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया गया, जो मुस्लिम थे, किन्तु भारतीय कहलाना अधिक पसन्द करते थे। द्वितीय कोटि के अंतर्गत उन व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया जो केवल अपने को धर्म से जोड़कर रखना चाहते थे।

1. तथ्यों के विश्लेषण से यह पाया गया कि मुस्लिम सम्प्रदाय के अधिकांश लोग निर्धन एवं अशिक्षित थे, तथा जीवन के हर क्षेत्र में, हिन्दुओं की तुलना में वे सुविधा विहीन थे;
2. समय-समय पर उन्हें गैर मुस्लिम समुदाय द्वारा उत्पन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता था; तथा
3. अध्ययन किये गये एक समूह में से एक छोटे वर्ग की यह मान्यता रही कि दैनिक जीवन में उन्हें गैर मुस्लिम समुदाय में स्वीकार नहीं किया गया।

के. मोयनुद्दीन [1973] ने मुस्लिम समुदाय से जुड़ी एक रोचक समस्या को अपने अध्ययन का केन्द्र बिन्दु बनाया।

इन्होंने अपने अध्ययन में 1919-1947 के मध्य मुसलमानों के राजनैतिक विचारों का गहन विश्लेषण किया जिससे निम्नांकित तथ्य उभर कर सामने आये :

1. 1919-47 के मध्य मुसलमानों की राजनैतिक विचार धारा का निर्धारण मूलतः इस्लामिक विचार धारा से हुआ है ।
2. उनकी विचार धाराएं अधिनायक वादी थीं जो प्रजातांत्रिक आत्मा के विपरीत रही ।
3. इस अवधि में दो प्रकार की विचार धाराओं का विकास हुआ है । रूढ़िवादी एवं उदारवादी, तथा
4. मुस्लिम राजनैतिक नेताओं ने नये आधुनिक राजनैतिक विचार धाराओं को जन्म देने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वे स्वयं संकुचित राजनैतिक दर्शन पर आस्था रखते थे ।

इस प्रकार की स्थिति ने मुस्लिम शिक्षा के प्रचार और प्रसार को अवश्य ही नकारात्मक रूप से प्रभावित किया । यह मान्यता तर्क विहीन न होगी कि इस प्रकार की रूढ़िवादी विचार धारा से आज भी मुस्लिम समुदाय अपने को मुक्त करने में असहाय पा रहा है । एक उदारवादी विचार धारा वाले वर्ग का अभ्युदय भारतीय समाज में अवश्य हुआ है, किन्तु उसका संबंध उन व्यक्तियों से है जो शिक्षित हो चले हैं और शिक्षा की उपादेयता को स्वीकारते हैं ।

इन्दु कुमारी [1976] ने केरल राज्य की मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर, उससे संबंधी समस्याएं एवं उनकी शैक्षिक समस्याओं का विशेष रूप से अध्ययन किया । अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य का विश्लेषण करना था कि मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा उनके सामाजिक स्तर को किस सीमा तक प्रभावित करती है । बाल विवाह की प्रथा, मुस्लिम महिलाओं में आकांक्षाओं का निम्नस्तर होना, उनमें शिक्षा की कमी तथा उनकी पारिवारिक उत्तरदायित्व आदि कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें इस शोध कार्य में समाविष्ट किया गया ।

अध्ययन द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये उनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण

हैं :

1. ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत न्यून पायी गई, जिन्होंने उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा ग्रहण की। साथ ही साथ यह बात भी उभर कर आई कि ऐसी महिलाएँ, जो नौकरियों में हैं अथवा नौकरों की इच्छुक हैं, उनका प्रतिशत भी बहुत कम था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छुक महिलाओं का प्रतिशत न्यूनतम था।
2. सामाजिक ढाँचा मुस्लिम नारियों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा में एक बड़े अवरोधक का कार्य करता है।
3. समुदाय में पुरुष की प्रधानता और प्रभाव होने के कारण मुस्लिम नारी की भूमिका घर तक ही सीमित रखी गई। संभवतः यह मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव है।

बी.एस.गुप्ता 119801 ने शैक्षिक अवसरों की समानता तथा मुस्लिम छात्रों को अपनी अध्ययन समस्या का केन्द्र बिन्दु बनाया। समस्या का चयन निम्न प्रश्नों को मस्तिष्क में रखकर किया गया :

1. क्या विद्यालय में अध्ययनरत मुस्लिम छात्रों की संख्या उस क्षेत्र में निवास करने वाली मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में हैं, जिस क्षेत्र में विद्यालय अपनी शिक्षा सेवाएँ प्रदान कर रहा है ?
2. क्या विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हिन्दू व मुस्लिम छात्र-छात्राओं का अनुपात उस क्षेत्र की हिन्दू-मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में है ?
3. क्या विद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों में इस प्रकार की विषयवस्तु विद्यमान है, जो मुस्लिम समुदाय के छात्र-छात्राओं में अलगाव की भावना का संचार करती हो ?

4. क्या विद्यालयीन संस्कृति हिन्दू व मुस्लिम छात्रों के मध्य अंतर उत्पन्न करती है ?
5. क्या विद्यालय में उर्दू अध्यापन का माध्यम न होने के कारण शिक्षार्थियों व पालकों के मध्य में किसी प्रकार का असंतोष तो नहीं है ?
6. क्या मुस्लिम छात्रों की संख्या प्राथमिक से उच्च कक्षाओं में जाने पर घटती तो नहीं है ? यह अध्ययन उत्तरप्रदेश के चार जिलों के 111 विद्यालयों में किया गया । अध्ययन द्वारा निम्न तथ्य प्रकाश में आये :

।क। प्रत्येक जिले में तथा सम्पूर्ण न्यायादर्श में हिन्दू छात्रों का मुस्लिम छात्रों की तुलना में, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अधिक पाया गया ।

।ख। छटवीं कक्षा में दसवीं कक्षा तक की हिन्दी, अनिवार्य संस्कृति तथा सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कुछ ऐसी विषय सामग्री विद्यमान है जो मुस्लिम सम्प्रदाय के छात्रों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाती है ।

।ग। न्यायादर्श में सम्मिलित सभी विद्यालयों में पढ़ाई का माध्यम हिन्दी था । जबकि जिन छात्रों व अभिभावकों का साक्षात्कार किया गया, उनमें सभी इस मत के थे, कि पढ़ाई का माध्यम उर्दू होना चाहिये ।

।घ। 111 विद्यालयों में से केवल 10 में उर्दू पढ़ाई जाने की सुविधा उपलब्ध थी ।

।ङ.। विद्यालय संस्कृति पर हिन्दू मूल्यों व मान्यताओं का अधिक प्रभाव पाया गया ।

के. राजवाड़े ॥१९८०॥ ने इन्दौर नगर की मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर का अध्ययन ४०० परिवारों को आधार बनाकर किया। अध्ययन के निम्न उद्देश्य थे :

१. मुस्लिम महिलाओं के शैक्षिक स्तर से संबंधित उन तथ्यों का संकलन करना, जो उनके सामाजिक स्तर का निर्माण करने के प्रथम चरण में हैं, तथा
२. मुस्लिम महिलाओं में विद्यमान रुढ़िवादिता के स्तर से संबंधित तथ्यों की जानकारी उपलब्ध करना ।

अध्ययन से निम्न महत्वपूर्ण तथ्य उपलब्ध हुए :

- ।क। महिलाएं चाहें पढ़ी लिखी हों, अथवा नहीं, कार्यरत हों अथवा नहीं, घर के प्रायः सभी कार्य वे स्वयं करती हैं ।
- ।ख। पढ़ी लिखी अथवा अनपढ़ महिलाएं सभी घर से संबंधित कार्यों में अपनी रुचि रखती हैं ।

बी.एन.एफ.कादरी ॥१९८॥ ने अपने शोध प्रबंध द्वारा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मुस्लिम समुदाय की छात्र-छात्राओं को उपलब्ध " शैक्षिक अवसर एवं उनके उपयोग " विषय को लेकर अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया । अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

१. गैर मुस्लिम विद्यार्थी की तुलना में मुस्लिम विद्यार्थियों को (गुणात्मक एवं संख्यात्मक रूप से) कक्षा १-१२ वीं तक उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन ।
२. उन कारणों को ज्ञात करना, जो मुस्लिम छात्रों को शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने में बाधक होते हैं,

3. समस्या के निदान हेतु कुछ क्रियाशील सुझाव प्रस्तुत करना ।
जिससे मुस्लिम विद्यार्थी शैक्षिक सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग कर सकें ।

अध्ययन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए गए:

- 111 मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों की कमी ।
- 121 प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम विद्यार्थियों का नामांकन 28 प्रतिशत था, जो संतोषजनक था, क्योंकि इस समुदाय का प्रतिशत सामान्य जन समुदाय का 28 प्रतिशत ही था ।
- 131 विद्यालय के उच्च स्तर पर मुस्लिम शिक्षकों की संख्या अत्यधिक कम थी, जो अन्य शिक्षकों की संख्या का केवल 8 प्रतिशत थी ।
- 141 शिक्षा की गुणात्मक स्थिति निम्नस्तरीय थी, जो कि विद्यालयीन इमारतों, सहगामी गतिविधियां, शैक्षिक सामग्रियों, छात्रवृत्तियों एवं शिक्षकों की मासिक आय से सिद्ध होता है ।
- 151 मुस्लिम समुदाय की शिक्षा को कुछ सामाजिक कारणों ने भी प्रभावित किया । जैसे - पालकों का निरक्षर होना, निर्धनता, शिक्षा का माध्यम उर्दू न होना एवं उर्दू की पुस्तकें उपलब्ध न होना । इसके अतिरिक्त मुस्लिम पालकों का अपनी बालिकाओं को विद्यालयों में भेजने में संकोच करना । उनका यह संकोच इस अवधारणा पर आधारित था कि मुस्लिम बच्चों में उन तमाम तत्वों का विकास होने लगता है, जो हिन्दू संस्कृति में है जैसे हाथ जोड़कर नमस्कार, तथा गैर मुस्लिम त्यौहारों में भाग लेना ।

आज जब राष्ट्र इक्कीसवीं शताब्दी के कगार पर है, इस प्रकार की स्थिति देश की प्रगति में अवरोधक सिद्ध होगी। शिक्षा के अवसरों का विस्तार करना होगा एवं उन्हें सबके लिए उपयोग करने का प्रावधान करना होगा। श्री पित्रोदा का यह विचार अत्यधिक सार्थक है कि यह एक साधारण समस्या नहीं है और न ही इसका समाधान, किन्तु यदि सरकार के साथ अन्य संस्थाएँ एवं चेतनाशील व्यक्ति अपने को जोड़ लें, तो इसका समाधान ढूँढा जा सकता है। " साक्षरता मिशन " इस दिशा में योगदान देने में सक्षम होगा।

राष्ट्रीय साक्षरता अभियान का लक्ष्य यह है कि 1995 में कम से कम 8 करोड़ लोगों को साक्षर कर दिया जाये तथा, अगले आने वाले दो वर्षों में 3 करोड़ अतिरिक्त व्यक्ति इस अभियान का लाभ उठा सकें तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अन्य 5 करोड़ व्यक्तियों को इसका लाभ मिल सके। यदि इस अभियान की प्रगति लक्ष्य के अनुसार हुई तो निःसंदेह मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा।⁵

शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या विकासशील देशों के लिए एक गहन चुनौती है इसका सामना हर मंच पर करना पड़ेगा। इन देशों में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए अनेकानेक कदम उठाने होंगे। गोष्ठियों, कार्य-शालाओं का आयोजन करना होगा, संबंधित साहित्य का प्रकाशन एवं बड़े पैमाने पर वितरण करना होगा तथा समस्या के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए आयामों को शोध अध्ययन का विषय बनाना होगा। इस दिशा में विकासशील देश अब प्रयत्नशील हो रहे हैं। 11 नवम्बर, 1989 को ढाका में " विश्व में

5. नेशनल लिटरेसी मिशन, 1988, डायरेक्टोरेट आफ एडवर्टाईजिंग एण्ड ब्यूजुअल पब्लिसिटी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, 1988, पृ. 1-6

सबके लिए शिक्षा " विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया । इस प्रकार के प्रयास विभिन्न समुदायों की स्त्रियों के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर सकेंगे, जिससे वे भी शिक्षा का अधिकतम लाभ उठा सकें । विद्यमान शोध की आधारभूत भूमिका इसी महत्वपूर्ण विषय की पृष्ठभूमि में की गई है ।

+++++

अध्याय - पंचम

शोध समस्या सर्व अध्ययन विधि

शोध समस्या एवं अध्ययन विधि

5.00 मध्यप्रदेश में शैक्षिक प्रावधानों का संक्षिप्त विवेचन :

आधुनिक भारतीय संदर्भ में एक ज्वलंत प्रश्न " शैक्षिक अवसरों की समानता एवं उनके व्यावहारीकरण " के प्रश्न से प्रत्यक्ष रूपेण जुड़ा हुआ है । संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार एक अहम भूमिका का निर्वहण करता है । संविधान के इस प्रावधान को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय, प्रान्तीय व स्थानीय स्तरों पर समय-समय पर निरंतर प्रयास किये गये, विस्तृत योजनाएं बनाई गईं, एवं उनका मूल्यांकन भी किया गया । अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, छात्रावासों की व्यवस्था, विद्यालयों में स्वल्पाहार कार्यक्रम आदि कुछ ऐसे कदम उठाये गये जिनसे हमारी राष्ट्रीय शिक्षा की छवि निखर कर सामने आये ।

पुरुष प्रधान भारतीय सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियां अपने उन अधिकारों का लाभ उठाने में पूर्णतः समर्थ नहीं हो पायीं, जो उन्हें मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध हुए । पुरुष और स्त्री दोनों के कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन, जो सदियों से चला आ रहा है, आज स्वाधीनता के 43 वर्षों के पश्चात् भी सामान्य दैनिक जीवन में विद्यमान है । स्थिति में परिवर्तन अवश्य आया, किन्तु उस सीमा तक नहीं, जिस सीमा तक एक सम्पूर्ण प्रभुत्व गणतंत्र राज्य में उससे अपेक्षा की गई थी । विडम्बना यह है कि स्त्री-पुरुष

के मध्य का अनुपात लगभग समान होते हुए भी दोनों के अधिकारों एवं स्थिति में स्पष्ट अन्तर है। यही तथ्य शैक्षिक अवसरों के उपयोग के संबंध में भी उतना ही सार्थक है जितना भारतीय समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं में। भारत में शिक्षित लोगों का कुल प्रतिशत 36.23 है, जिसमें साक्षर स्त्रियों का प्रतिशत मात्र 24.88 है। यह राष्ट्रीय स्तर के आंकड़े ततही रूप में ही इस तथ्य को सिद्ध करते हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री-पुरुषों की वास्तविक स्थिति क्या है।

इन आंकड़ों की विभिन्नता विभिन्न प्रान्तों में भी असमानता लिए हुए है। केरल राज्य को छोड़कर स्त्री-पुरुषों के मध्य शैक्षिक अवसरों की असमानता एक देश व्यापी चुनौती है।

वर्तमान शोध समस्या का सम्बन्ध, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े प्रान्त मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से संबंधित है। 1981 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 4,16,54,643 थी, जिसमें 70,23,743 पुरुष और 21,90,900 स्त्रियां साक्षर थे। सन् 1985 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार इस प्रदेश की कुल जनसंख्या 5,21,31,619 में साक्षरों की संख्या 1,45,04,202 हो गई, इसमें 1,07,78,667 पुरुष एवं 39,25,535 स्त्रियां थीं। दस वर्षों के अन्तराल में यद्यपि संख्यात्मक दृष्टि से स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि अवश्य हुई है, किन्तु स्त्री-पुरुष के मध्य साक्षरता के अनुपात में अन्तर भी बढ़ गया।

साक्षरता के क्षेत्र में भारतीय आंकड़ों की तुलना में मध्यप्रदेश के आंकड़े अत्यधिक संतोषजनक नहीं रहे। यद्यपि प्रदेश में 1951 में साक्षरता प्रतिशत केवल 9.8 था, जो 1961 में बढ़कर 17.1 हो गया। 1971 में यह प्रतिशत 22.14 तथा 1981 में 27.81 हो गया। 1951-1981 के मध्य साक्षरता के क्षेत्र में हुई वृद्धि के बावजूद भी मध्यप्रदेश राष्ट्रीय आंकड़ों की तुलना में काफी पीछे है और आज भी स्थिति में कोई विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। शिक्षा के प्रतिशत में जो वृद्धि हुई, उसकी पृष्ठभूमि में वे नवयुवक एवं नवयुवतियां भी

सम्मिलित हैं जो निकटवर्ती प्रान्तों से यहां व्यवसाय हेतु आकर निवृत्त करने लगे। पिछली दो जनगणनाओं के साक्षरता से संबद्ध आंकड़े तालिका क्रमांक 5.01 में दिए गए हैं ।

तालिका क्रमांक - 5.01

भारत, मध्यप्रदेश व भोपाल नगर के संबंध में साक्षरता आंकड़े

	1971	1981
भारत	29.45 प्रतिशत	36.17 प्रतिशत
मध्यप्रदेश	22.14 प्रतिशत	27.81 प्रतिशत
भोपाल	44.21 प्रतिशत	56.72 प्रतिशत

तालिका क्रमांक - 5.02

भारत एवं मध्यप्रदेश में स्त्री - पुरुष साक्षरता संबंधी आंकड़े

	1971		1981	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
भारत	39.45 %	18.69 %	46.74 %	24.82 %
मध्यप्रदेश	32.70 %	10.92 %	39.38 %	15.54 %

यदि उपरोक्त आंकड़ों की तुलना केरल राज्य से की जाये, तो मध्यप्रदेश

के आंकड़े अत्यधिक उत्साहजनक प्रतीत नहीं होते हैं । 1981 में केरल प्रान्त में साक्षरता प्रतिशत 69.17 था, जिसमें पुरुषों का प्रतिशत 74.03 एवं स्त्रियों का प्रतिशत 64.48 था ।

साक्षरता के प्रतिशत में असमानता केवल प्रादेशिक स्तर पर ही परिलक्षित नहीं होती, वरन् जिलों के स्तर पर भी यह असमानता विद्यमान है । पिछली जनगणना के आधार पर मध्यप्रदेश में इन्दौर जिले का साक्षरता प्रतिशत 48.98 था । भोपाल का स्थान द्वितीय था, जो कि 47.83 प्रतिशत था । बस्तर जिला सबसे पिछड़ा था ; जहाँ साक्षरता प्रतिशत के आंकड़े 14.13 प्रतिशत थे । चूंकि वर्तमान अध्ययन भोपाल नगर तक ही सीमित रखा गया है, अतः यहाँ के साक्षरता से संबंधित आंकड़ों को उल्लेख अधिक न्यायसंगत होगा । 1981 की जनगणना के अनुसार इस संबंध में जो आंकड़े उपलब्ध हुए, उन्हें तालिका 5.03 में प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका क्रमांक - 5.03

1981 की जनगणना व भोपाल नगर में स्त्री-पुरुष से संबंधित आंकड़े

	कुल	पुरुष	स्त्री
भोपाल नगर	381,352	230,840	150,512

बालक बालिकाओं के मध्य विद्यमान शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रश्न का संबंध केवल भारत, मध्यप्रदेश अथवा इसकी राजधानी भोपाल को ही अपने दायरे में नहीं समेटता है बल्कि यह स्थिति प्रायः सभी विकासशील देशों की है । अन्य विकासशील राष्ट्रों में अपवाद भी अवश्य विद्यमान हैं । मानदीप में

साक्षरता प्रतिशत 93 है, किन्तु इस छोटे से भूक्षेत्र की तुलना बृहत् राष्ट्रों से नहीं की जा सकती ।

आलोचक इसका कारण शैक्षिक आयोजन व उसके क्रियान्वयन में टूटने का प्रयास करते हैं, तथा सरकार उनकी तीव्र आलोचना का केन्द्र बिन्दु बनती है । परन्तु इसका वास्तविक कारण कहीं और निहित है, मूलतः किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या का इस मुद्दे पर दृष्टिकोण एक अहम् भूमिका का निर्वाह करता है ।

फिलिप एवं कोम्ब्स ने इस प्रश्न का उत्तर बड़े सहज ढंग से दिया है । इनमें से अधिकांश तत्व, जो शैक्षिक अवसरों की असमानता हेतु उत्तरदायी होते हैं, उनका उल्लेख पिछले अध्याय में किया जा चुका है, किन्तु जो बात इसके मूल में निहित है, उसकी ही चर्चा करना उचित होगा । कोम्ब्स का मत है कि इस असमानता का जन्म किसी क्षेत्र की रूढ़िवादी परम्पराओं, सांस्कृतिक विचार धाराओं आदि से होता है ।

मध्यप्रदेश में शिक्षा के अवसर एवं उनके उपयोग में पुरुष एवं महिलाओं में निश्चय ही असमानता व्याप्त है और यह असमानता अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की छात्राओं के संबंध में एक निराशाजनक चित्र प्रस्तुत करती है । वर्तमान शोध-कार्य इसी असमानता के विश्लेषण का एक प्रयास है ।

5.01 भोपाल नगर की शैक्षिक पृष्ठभूमि :

इससे पूर्व कि भोपाल नगर में शैक्षिक अवसरों की समानता एवं मुस्लिम छात्राओं द्वारा उनके उपयोग से संबंधित तथ्यों की विवेचना की जाये, नगर के शैक्षिक वातावरण का संक्षिप्त अध्ययन शोध समस्या के संदर्भ से परे न होगा ।

भारत में प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति है, भाषा है, परम्परायें एवं रीतिरिवाज हैं, मान्यतायें हैं । ये समस्त तत्व उस

क्षेत्र की शैक्षिक पृष्ठभूमि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्मित करने में सहायक होते हैं। इस संदर्भ में हैदराबाद, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, बनारस आदि स्थल अपना एक विशेष महत्त्व रखते हैं। लखनऊ, अलीगढ़ तथा हैदराबाद जैसे बड़े नगर मुस्लिम संस्कृति के सजीव उदाहरण हैं, किन्तु भोपाल नगर की अवस्था इन तीनों नगरों से पृथक् है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि यहां विकास एवं शहरीकरण की प्रक्रिया पचासवें दशक के अंतिम चरणों में प्रारंभ हुई। इससे पूर्व यह नगर एक मुस्लिम राज्य था, जिसमें शिक्षा को किसी प्रकार का प्रोत्साहन न मिल पाया। मुस्लिम समुदाय तथा हिन्दुओं में अधिकतर कायस्थ सम्प्रदाय के लोग उर्दू अथवा फारसी का ज्ञान अर्जित कर दरबार की नौकरी प्राप्त कर लेते थे। न्यायालयों में भी इसी भाषा का उपयोग होता था। ऐसी दशा में जनसामान्य की शिक्षा में न तो कोई रुचि थी न ही उन्होंने उसके महत्त्व को स्वीकारने का प्रयास किया। इन तत्त्वों का नगर की शैक्षिक छवि पर गहन प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार ने कुछ सक्रिय कदम उठाये और आज जो इस नगर का शैक्षिक स्वरूप उभर कर आया, वह तैत्तलीस वर्षों के अथक परिश्रम का ही परिणाम है।

यदि अन्य नगरों से भोपाल के शैक्षिक वातावरण की तुलना की जाय तो एक निराशाजनक चिन्ह उभर कर आता है। यद्यपि भोपाल, राष्ट्र के सर्वाधिक विस्तृत प्रान्त की राजधानी है यहां 1981 की जनगणना के अनुसार हिन्दू जनसंख्या का प्रतिशत 66.55 तथा मुस्लिम जनसंख्या का प्रतिशत 27.9 है। जिसमें पिछले एक दशक में काफी वृद्धि हुई है क्योंकि नये-नये कार्यालयों तथा उद्योग धन्धों के स्थापित होने के कारण अन्य प्रदेशों से एक बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बस गये। इनमें सभी सम्प्रदाय के लोग सम्मिलित हैं। संख्या की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की तुलना में सबसे बृहत् हैं। किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि इस बृहत् अल्पसंख्यक समुदाय ने नगर में उपलब्ध शैक्षिक प्रावधानों का संतोषजनक लाभ नहीं उठाया। इसके अनेक कारण हो सकते हैं।

विद्यालय की संख्या में वृद्धि

भोपाल नगर के शैक्षिक वातावरण का निर्माण विभिन्न स्तरों पर शिक्षण संस्थाओं की संख्या, छात्र-छात्राओं की संख्या, शिक्षकों की संख्या एवं उनकी व्यवसायिक योग्यता में निरन्तर वृद्धि तथा अन्य उपलब्ध सुविधाओं के कारण हुआ। यही कारण है कि साक्षरता प्रतिशत में इन्दौर के बाद राजधानी का द्वितीय स्थान है। तालिका क्रमांक 5.04 विद्यालयों की प्रगति संबंधी आंकड़े दर्शाये गये हैं।

तालिका क्रमांक - 5.04

1958 से पूर्व तथा 1988 तक विभिन्न स्तरों के विद्यालयों की संख्या

क्रमांक	स्तर	1958 पूर्व की संख्या	1988 की संख्या
1.	प्राथमिक	8	58
2.	माध्यमिक	4	57
3.	उच्चतर माध्यमिक	9	65
योग :		21	180

अतः तीस वर्षों में विभिन्न स्तरों में जो प्रगति हुई उसे जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में अत्यधिक संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

यदि 1978-88 के मध्य विद्यालयों के विस्तार पर दृष्टिपात किया जाये तो विदित होगा कि इस दशक में प्राथमिक विद्यालयों का विस्तार 51.7 प्रतिशत रहा जब कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विस्तार का प्रतिशत केवल 18.4 रहा।

विद्यालयों का स्वस्थ के आधार पर वर्गीकरण :

तालिका क्रमांक 5.05 में विद्यालयों को उनके स्वस्थ के अनुसार वर्गीकृत किया गया है ।

तालिका क्रमांक - 5.05

विद्यालयों का वर्गीकरण - बालक, बालिका तथा मिश्रित

विद्यालय

क्रमांक	प्राथमिक	माध्यमिक	उच्च माध्यमिक	योग
1. छात्राओं हेतु	4	4	14	22
2. छात्रों हेतु	9	4	9	22
3. मिश्रित	45	49	42	136
योग :	58	57	65	180

प्रत्येक स्तर पर छात्र-छात्राओं के हेतु कुल विद्यालयों का योग मिश्रित विद्यालयों के योग से बहुत कम है । भोपाल जैसे प्राचीन नगर में जहाँ का सबसे वृहत अल्पसंख्यक समुदाय पढ़ाई प्रथा को मानने वाला हो तथा आधुनिकीकरण की धारा से पूर्ण स्थेण सामन्जस्य न बैठा पाया हो, ऐसी विद्यालयीन व्यवस्था मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में एक बड़ा व्यवधान उत्पन्न कर रही है ।

विभिन्न समुदायों द्वारा संचालित विद्यालयों की संख्या

तालिका क्रमांक - 5.06

विभिन्न समुदायों द्वारा संचालित विद्यालयों का वर्गीकरण

क्रमांक	स्तर	सामान्य	मुस्लिम	ईसाई	योग
1.	प्राथमिक	29	16	17	62
2.	माध्यमिक	29	10	16	55
3.	उच्चतर माध्यमिक	43	4	18	65

विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी अथवा हिन्दी है। 65 उच्चस्तर माध्यमिक शालाओं में से 30 शालाओं में अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। उर्दू माध्यम का उपयोग किसी भी विद्यालय में नहीं होता। कुछ आलोचकों की धारणा है कि यदि हिन्दी या अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम हो सकता है, तो उर्दू माध्यम की अपेक्षा क्यों? किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि जिस भाषा का उपयोग हम सामान्य जीवन में करते हैं उसमें हिन्दी अथवा अंग्रेजी के शब्दों का ही उपयोग करते हैं। यह विचार आदान-प्रदान का एक सुगम माध्यम है। यही कारण है कि अधिकतर छात्र छात्रायें उर्दू माध्यम से पढ़ना नहीं चाहते।

विभिन्न स्तरों पर कार्यरत शिक्षकों की योग्यता :

विभिन्न स्तरों पर सेवारत शिक्षकों का प्रतिशत निम्नप्रकार है :

- हिन्दू शिक्षक 79.26 प्रतिशत
- मुस्लिम शिक्षक 11.75 प्रतिशत
- अन्य समुदाय के शिक्षक 10 प्रतिशत

तालिका क्रमांक 5.07 में विभिन्न स्तरों पर सेवारत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं :

तालिका क्रमांक - 5.07

शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता संबंधी आंकड़े

क्रमांक	स्तर	विद्यालय संख्या	पी.एच.डी.	एम. फिल.	स्नात-कोत्तर	स्नातक	हाई-स्कूल
1.	प्राथमिक	58	1	-	53	133	108
2.	माध्यमिक	57	1	1	253	457	303
3.	उ.माध्यमिक	65	16	6	1074	789	96

कुल शिक्षकों की संख्या 3291 है। उपरोक्त आंकड़े 1988 वर्ष के हैं।

उच्च एवं व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में भी नगर ने प्रगति की है। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, मौलाना आजाद यांत्रिकी महाविद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, टी.टी.टी.आई., महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, सैफिया महाविद्यालय तथा कुछ अन्य महाविद्यालय नगर में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं।

5.02 समस्या - शीर्षक :

मुस्लिम समुदाय के उत्थान एवं सवैधानिक प्रावधानों को पूर्ण करने के लिए ही प्रान्तीय एवं केन्द्र सरकारों ने अनेकानेक प्रयास किये। इसके परिणाम स्वरूप भी देश के मुस्लिम बाहुल्य प्रान्तों (केरल एवं आन्ध्र प्रदेश) को छोड़कर मुस्लिम

नारियों की शिक्षा उपेक्षित रही है। इस तथ्य का मूल्यांकन करने हेतु निरन्तर ऐसे शोध कार्य करने होंगे, जिनके द्वारा यह अनुमान लगाया जाये, कि वे कौन - कौन से बाधक तत्व हैं, जो मुस्लिम नारी के शैक्षिक पिछड़ेपन हेतु उत्तरदायी हैं ? साथ ही साथ ऐसे कारगर सुझाव प्रस्तुत करने होंगे, जो इस दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकें।

वर्तमान अध्ययन द्वारा इस दिशा में एक ऐसा लघु प्रयास किया गया, जिसके द्वारा उन कारकों को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया, जो मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा में बाधा उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के कारकों को दो कोटियों में विभक्त किया जा सकता है।

1. विद्यालय के भीतर विद्यमान कारक, तथा
2. विद्यालय के बाहर विद्यमान कारक।

अतः शोध शीर्षक को निम्न शब्दों में शब्दांकित किया गया :

" भीषाल नगर के संदर्भ में " शैक्षिक अवसरों की समानता एवं अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्राओं द्वारा उनका उपयोग, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन "

5.03 शोध की आवश्यकता एवं महत्त्व :

मुस्लिम बालिकाओं के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों की समानता एवं उनके उपयोग को भीषाल की पृष्ठभूमि में विश्लेषण करने का यह प्रथम प्रयास है। प्रस्तुत अध्ययन द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि संविधान द्वारा प्रदत्त शैक्षिक सुविधाओं का लाभ मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राएं किस सीमा तक उठा रही हैं ? यह अध्ययन भविष्य में पाठ्यक्रम निर्माण एवं शिक्षा की योजना बनाने के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करेगा। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में इस आयाम का महत्त्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस नीति में सभी नागरिकों

को शिक्षा प्रदान करने के अवसरों पर बल दिया गया है। साथ ही इनके व्यवहारीकरण की योजना का प्राश्न भी " एक्शन प्लान " के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। भविष्य की शिक्षा नीति हेतु भी यह एक नवीन दिशा-दर्शन का प्रयास करेगी। शोध का महत्व इस तथ्य पर आधारित है कि इस प्रकार का यह प्रथम प्रयास है जिससे यह स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है कि :

1. क्या भारतीय गणतंत्र में विद्यालयीन शिक्षा उपलब्ध करने के अवसरों की वे सभी समानतायें मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं को पूर्ण रूपेण उपलब्ध हैं ?
2. क्या मुस्लिम बालिकाएं इन अवसरों की समानता का पूर्ण रूपेण लाभ उठा पाने में समर्थ हैं ?
3. क्या विद्यालयीन व्यवस्था उनकी इच्छा व आकांक्षा के अनुकूल है ?
4. वे कौन से बाह्य तत्व हैं जो उनके शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को प्रभावित करते हैं ?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिलाओं की शिक्षा एवं अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर अत्यधिक बल दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के अध्ययन का महत्व अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है।

वस्तुस्थिति को अधिक कारगर रूप देने हेतु समस्या से संबंधित तीन तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित करने का प्रयास किया गया है :

1. विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का विश्लेषण एवं मूल्यांकन।
2. मुस्लिम छात्राओं द्वारा सुविधाओं के उपयोग की सीमा का अध्ययन, तथा
3. विद्यालय के बाहर विद्यमान अवरोधक तत्वों का अध्ययन, जो मुस्लिम बालिकाओं की विद्यालयीन शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

5.04 समस्या के उद्देश्य :

प्रस्तुत समस्या के निम्न उद्देश्य हैं :

1. जिन विद्यालयों में मुस्लिम छात्राएं अध्ययन कर रही हैं, उनमें उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का विश्लेषण,
2. मुस्लिम छात्राओं द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग की सीमा का निर्धारण,
3. मुस्लिम छात्राओं हेतु विद्यालयीन वातावरण की अनुकूलता का अध्ययन,
4. विद्यालयों द्वारा प्रदत्त शैक्षिक अवसरों के उपयोग हेतु अभिभावकों की भूमिका का विश्लेषण,
5. विद्यालय के भीतर एवं बाहर ऐसे अवरोधक तत्वों का अध्ययन जो मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं को विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तथा
6. समस्या से संबंधित चुनौतियों का सामना करने हेतु एक प्रारूप प्रस्तुत करना ।

5.05 शोध समस्या का सीमांकन :

वर्तमान शोध का भौगोलिक परिसीमन भीपाल नगर रखा गया है ।

इसका कारण यह है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा पर आधारित " एक्शन प्लान " के अंतर्गत मध्यप्रदेश में भीपाल को ही मुस्लिम बाहुल्य वाला जिला माना गया है। वर्तमान शोध प्रबन्ध की निम्नांकित सीमाएं हैं :

1. अध्ययन का क्षेत्र केवल भीपाल नगर तक ही सीमित रखा गया है,

2. अल्पसंख्यकों में से अध्ययन हेतु केवल मुस्लिम समुदाय की विद्यालय जाने वाली बालिकाओं का ही चयन किया गया है ।
3. अध्ययन केवल नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं तक ही सीमित किया गया,
4. अध्ययन में विद्यालय के बाहर के ऐसे अवरोधक तत्वों को सुनिश्चित किया गया है जिनका संबंध मुस्लिम समुदाय की संस्कृति एवं परम्पराओं से है ।
5. शोध द्वारा विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक अवसरों की सुलभता एवं उनके उपयोग का ही अध्ययन किया गया, तथा
6. भोपाल के 65 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से 14 बालिका विद्यालयों को चुना गया ।


5.06 अध्ययन हेतु भोपाल नगर के चयन का न्यायोचित आधार :

अध्ययन हेतु भोपाल नगर का चयन निम्नलिखित कारणों से किया गया :

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 । एक्शन प्लान । के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में भोपाल को ही एक ऐसा नगर स्वीकार किया गया है, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या का बाहुल्य है ।
2. भोपाल वर्तमान मध्यप्रदेश की राजधानी है तथा यहां छात्र एवं छात्राओं को पर्याप्त शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध है ।
3. भोपाल नगर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां की अपनी एक पृथक संस्कृति व परम्परा रही है, तथा
4. एक महानगर होने के फलस्वरूप भोपाल शहर में सभी आर्थिक व सामाजिक स्तर के मुस्लिम परिवार उपलब्ध हैं, जिनमें शिक्षा के प्रति थोड़ी बहुत जागरूकता विद्यमान है ।

मानचित्र-1

**मोपाल जिला
तहसीलें**



संकेत

- जिले की सीमा
- तहसील की सीमा
- जिला मुख्यालय
- तहसील मुख्यालय
- प्रदेश राजधानी

5.07 न्यायादारी एवं उसका चयन :

प्रस्तुत शोध प्रबंध का क्षेत्र भोपाल नगर की समस्त 14 उच्चतर माध्यमिक कन्या शालाएं हैं। विशिष्ट समस्या को दृष्टि में रखकर ही सर्वेक्षण का क्षेत्र समस्त कन्या शालाओं तक विस्तृत किया गया है, अर्थात् न्यायादारी में उन सभी मुस्लिम छात्राओं को लिया गया है जो नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं में अध्ययन कर रही हैं। न्यायादारी चयन हेतु सुविधा की दृष्टि से भोपाल नगर को निम्न वृहत् क्षेत्रों में विभक्त किया गया।

1. बैरागढ़ क्षेत्र,
2. पुराना नगर, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है,
3. नार्थ व साउथ टी.टी. नगर,
4. 1250 एवं अरेरा कालोनी, तथा
5. बी.एच.ई.एल. तथा गोविन्दपुरा क्षेत्र।

इन्हीं क्षेत्रों में से अध्ययन हेतु कन्या विद्यालयों का चयन किया गया।

5.08 भोपाल जिले की भौगोलिक स्थिति :

मध्यप्रदेश के 45 जिलों में से भोपाल इस प्रान्त की राजधानी है, इसे स्वतंत्र जिले का स्वरूप 2 अक्टूबर, 1972 में प्राप्त हुआ था। 1981 की जनगणना के आधार पर जिले की कुल जनसंख्या 8,95,815 तथा भोपाल नगर की 672,329 थी। जिले का कुल क्षेत्रफल 2,774 वर्ग किलो मीटर है। सम्पूर्ण जिला मालवा पठार पर स्थित है। जिले में बड़े से बड़े, मध्यम तथा लघु कारखाने विद्यमान हैं। बड़े कारखानों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स विश्व में विख्यात है। लघु उद्योगों को दो कोटियों में विभाजित किया जा सकता है : **अर्न्तचिह्न 1.**

1. प्राचीन उद्योग, तथा
2. नवीन उद्योग

इन उद्योग धन्धों में प्रत्येक समुदाय के लोग कार्यरत हैं जो नगर के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करते हैं। उपरोक्त वर्णित पांच नगरीय क्षेत्रों से न्यायादशी का चयन इस प्रकार किया गया कि वह अपने क्षेत्र का यथासंभव उपयुक्त प्रतिनिधित्व कर सके। न्यायादशी में सम्मिलित विद्यालयों के नाम तथा उनमें नवीं, दसवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं की छात्राओं की संख्या तालिका क्रमांक 5.08 में दर्शायी गई है।

तालिका क्रमांक - 5.08

न्यायादरि में सम्मिलित विद्यालय तथा विभिन्न कक्षाओं में छात्राओं की संख्या

क्रमांक	विद्यालय का नाम	IX कक्षा		X कक्षा		योग		
		मुस्लिम	हिन्दू	मुस्लिम	हिन्दू			
		मुस्लिम	हिन्दू	मुस्लिम	हिन्दू			
1.	हमी-दिया कन्या क्र.1	129	226	96	104	200	77	139
2.	हमी-दिया कन्या क्र.2	87	177	62	111	173	18	27
3.	सैफिया कन्या विद्या.	16	7	57	32	89	8	29
4.	सुल्तानिया " "	96	285	52	140	192	39	67
5.	शा.कन्या जहांगीराबाद	68	126	56	47	203	50	70
6.	शा.कन्या स्टेसन बजरिया	22	124	12	59	71	14	22
7.	" " बरेखड़ी	32	40	24	50	74	--	--
8.	कमला नेहरू टी.टी.नगर	89	282	62	133	195	71	87
9.	शा.कन्या तुलसीनगर	41	169	36	170	206	91	113
10.	सरोजनी नाथू	43	207	55	95	250	170	200
11.	शा.कन्या गोविन्दपुरा	36	206	54	164	218	47	70
12.	सेन्ट जोसेफ कान्वेंट	43	137	32	140	172	114	126
13.	कार्मल कान्वेंट	16	153	28	144	172	34	39
14.	कन्या बैरागढ़	24	108	11	61	72	32	41
योग :		742	2247	637	1650	2287	765	1030

विभिन्न कक्षाओं में मुस्लिम
बालिकाओं की संख्या

IX -	742
X -	637
XI -	265
योग	- 1644

विभिन्न कक्षाओं में हिन्दू
बालिकाओं की संख्या

IX -	2247
X -	1650
XI -	765
योग	- 4662

5.09 अध्ययन हेतु प्रयुक्त उपकरण :

समस्या के अध्ययन हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है :

1. संबंधित साहित्य का विश्लेषात्मक अध्ययन । - परिशिष्ट : 1
2. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्मित
"विद्यालय वर्गीकरण मूल्यांकन प्रपत्र" - परिशिष्ट : 2 1
3. छात्राओं हेतु प्रश्नावली, परिशिष्ट : 3। इस प्रश्नावली को
प्रथम अवस्था में 100 छात्राओं पर परीक्षण किया गया, एवं
विसंगतियों एवं कठिनाईयों को दूर कर, इसमें वांछनीय सुधार
कर अंतिम रूप दिया गया ।
4. पालकों के लिए साक्षात्कार अनुसूची परिशिष्ट : 4।
5. छात्राओं का व्यक्ति अध्ययन परिशिष्ट : 5।
6. नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं हेतु निर्धारित पाठ्यपुस्तकों
का विश्लेषण
7. अवलोकन अनुसूची
8. विशेषज्ञों से साक्षात्कार परिशिष्ट : 6।
9. शैक्षिक प्रशासकों हेतु प्रश्नावली परिशिष्ट : 7।

1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा निर्मित
विद्यालय वर्गीकरण मूल्यांकन प्रपत्र :

इस प्रपत्र को माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा अनेक संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करके शिक्षा शास्त्रियों के मध्य गहन विचार विमर्श के पश्चात् निर्माण किया गया। प्रपत्र द्वारा अधिकतम वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया गया है। प्रपत्र में 09 माप बिन्दु कुछ उपबिन्दु दिये गये हैं। इन बिन्दुओं के अंतर्गत विद्यालयों का मूल्यांकन, विद्यालयों में विद्यमान साधन एवं क्षमता के आधार पर करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक 09 मुख्य भाग एवं इनके अंतर्गत निर्धारित उपभागों के मूल्यांकन हेतु अधिकतम अंकों का प्रावधान किया गया है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्तांकों का उपयोग कर विद्यालयों को विभिन्न कोटियों में वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया है। शालाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रपत्र के विश्लेषण से विद्यालय के स्तर व वहाँ उपलब्ध सुविधाओं का परीक्षण किये जाने का प्रयत्न किया गया। मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वप्रथम विद्यालय संबंधी सूचना एकत्र करने का प्रावधान है। जिसमें दो प्रमुख भाग हैं :

1. विद्यालय का विवरण,
2. प्रबंध समिति का विवरण

विद्यालय का मूल्यांकन व वर्गीकरण :

मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रपत्र में 09 सुविधाएँ तथा प्रत्येक के लिए निर्धारित कुल अंकों की तालिका दी गई है।

तालिका 5.09 की रूपरेखा नीचे प्रस्तुत की जा रही है :

क्रमांक	माप बिन्दु	कुल अंक	प्राप्तांक	बिन्दु का वर्ग अ, ब, स, द, ई	विशेष
1.	शाला भवन	16			
2.	छात्र स्थिति	8			
3.	अध्यापक	15			
4.	अध्यापक कार्य	16			
5.	फर्नीचर, साज सज्जा एवं उपकरण	13			
6.	परीक्षा, परीक्षाफल	6			
7.	विद्यालय प्रबंध प्रशासन	10			
8.	वित्तीय स्थिति	10			
9.	जनमत	6			
कुल योग		100			
विद्यालय की श्रेणी					

टीप : प्राप्तांकों द्वारा श्रेणी के निर्धारण की विधि, नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्राप्तांकों से श्रेणी/वर्ग का निर्धारण किया गया ।

अ	-	81	-	100
ब	-	61	-	80
स	-	41	-	60
द	-	21	-	40
ई	-	2	-	20 तक

माप बिन्दुओं का संक्षिप्त वर्णन :

1. शाला भवन

- ।क। भवन में उपलब्ध सुविधाएं ।
- ।ख। कक्षा में छात्राओं की संख्यानुकूल स्थान ।
- ।ग। आवश्यकतानुसार कमरे ।
- ।घ। प्रयोगशाला, कार्यशाला आदि ।
- ।ङ। शाला परिसर में खेलकूद के लिए स्थान ।
- ।च। वाचनालय, पुस्तकालय हेतु स्थान ।

2. विद्यालयों के छात्र की प्रवेश स्थिति :

- ।क। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की आदर्श संख्या ।
- ।ख। प्रत्येक कक्षा में सेक्शन ।

3. अध्यापक :

- ।क। शिक्षक छात्र अनुपात
- ।ख। विषय संबंधी योग्यता
- ।ग। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया
- ।घ। सेवा सुविधाएं
- ।ङ। अध्यापकीय मार्गदर्शन

5. फर्नीचर, साज-सज्जा एवं उपकरण :

- ।क। फर्नीचर एवं साज-सज्जा
- ।ख। प्रयोगशाला कर्मशाला एवं उपकरण
- ।ग। खेलकूद सामग्री

6. परीक्षा एवं परीक्षाफल :

- ।क। मण्डल की परीक्षा
- ।ख। आन्तरिक परीक्षा

7. विद्यालय प्रबन्ध एवं प्रशासन :

- ।क। कार्यालयीन अभिलेख
- ।ख। छात्रसंबंधी अभिलेख
- ।ग। विद्यालय प्रबन्ध

8. वित्तीय स्थिति :

- ।क। विद्यालय के वित्तीय साधन
- ।ख। संतुलित शाखा बजट

9. जनमत :

विद्यालयीन वर्गीकरण मूल्यांकन प्रपत्र परिशिष्ट क्रमांक-। में दिया गया है ।

2. छात्राओं हेतु निर्मित प्रश्नावली :

प्रश्नावली उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर तैयार की गई है, जिनका संबंध शैक्षिक अवसरों की समानता की उपलब्धि तथा छात्राओं द्वारा उनके उपयोग की सीमा से है । जो तत्त्व इसके अंतर्गत सम्मिलित किये गये हैं, वृहत रूप से उन्हें निम्न कोटियों में रखा जा सकता है ।

1. पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धि व पुस्तकालय सुविधा का उपयोग,
2. माध्यम संबंधी कठिनाई,
3. अध्यापकों की अध्यापन में प्रभावशीलता,

4. हिन्दी पाठ्यपुस्तकों में रुचि,
 5. विद्यालयीन प्रार्थना के प्रति दृष्टिकोण,
 6. विद्यालयीन गतिविधियों में उनकी रुचि एवं भागीदारी,
 7. अच्छे शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण,
 8. मित्र मण्डली का चयन, तथा
 9. छात्र-शिक्षक/शिक्षिका पारस्परिक संबंध ।
3. शैक्षिक प्रशासकों हेतु प्रश्नावली :

इसके अंतर्गत निम्न तथ्यों से संबंधित सूचना एकत्र करने का प्रयास किया गया है :

1. शिक्षिकाओं की संख्या, कुल संख्या एवं मुस्लिम शिक्षिकाओं का अनुपात, तथा उनकी शैक्षिक योग्यता ।
2. योग्यता बढ़ाने हेतु शिक्षिकाओं को प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले अवसर तथा उसमें मुस्लिम शिक्षिकाओं की संख्या ।
3. मुस्लिम कमजोर छात्राओं को विशेष रूप से पढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान ।
4. विद्यालय में उर्दू माध्यम से पढ़ाने वाली शिक्षिकाओं की संख्या ।
5. उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में मुस्लिम छात्राओं की संख्या ।
6. मुस्लिम छात्राओं में शैक्षिक गुणात्मकता ।
7. सहगामी गतिविधियों में मुस्लिम छात्राओं की सक्रियता, तथा
8. रेडियो, टी.वी. आदि की विद्यालय में व्यवस्था एवं उनका उपयोग ।

4. अभिभावकों हेतु साक्षात्कार अनुसूची :

इस उपकरण द्वारा अभिभावकों की आर्थिक सामाजिक व पारिवारिक स्थिति को मूल्यांकित करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया को भी जानने का प्रयास किया गया। अनुसूची में लिए प्रश्नों का संबंध विद्यालयीन वातावरण, अध्यापन माध्यम, उर्दू को स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने, पुस्तकालय संबंधी सुविधाओं, स्कूली पढ़ाई में होने वाले व्यय, विद्यालयीन शिक्षा की बालिकाओं हेतु उपादेयता, विद्यालयीन गतिविधियों में छात्राओं के भाग लेने की स्वतंत्रता, तथा विद्यालय द्वारा दिये गये गृह कार्य आदि विषयों में था।

5. अवलोकन अनुसूची :

इसके द्वारा शोधकर्ता ने विद्यालय में होने वाली गतिविधियों अथवा क्रियाकलापों को अवलोकन कर सूचीबद्ध करने का प्रयास किया।

5.10 तकनीकी शब्दों की अवधारणा :

अल्पसंख्यक समुदाय किसी समाज के अंतर्गत ऐसे विशिष्ट समुदाय को माना जाता है, जिसकी जनसंख्या सामान्य समुदाय के अनुपात में कम होती है, एवं जिसे स्वयं के हितों की रक्षा हेतु कुछ विशिष्ट सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अल्प-संख्यक समुदायों की सूची में संख्या की दृष्टि से मुस्लिम समुदाय भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है।

शैक्षिक अवसरों की समानता :

शैक्षिक अवसरों की समानता का आशय उन सुविधाओं से है, जो छात्रों को विद्यालय के अन्दर एवं बाहर समान रूप से उपलब्ध हों, तथा जिनका उपयोग

वे समान रूप से करने में सक्षम हों। दूसरे अर्थों में प्रत्येक विद्यार्थी को अध्ययन हेतु वे समस्त सुविधाएँ एवं वातावरण उपलब्ध हों, जो उनके शैक्षिक प्रगति में सहायक हों।

5.11 समस्या से संबंधित परिकल्पनाएँ :

वर्तमान शोध में निम्नांकित परिकल्पनाओं के परिक्षण का प्रयास किया गया है :

परिकल्पना प्रथम :

विद्यालयीन पाठ्यक्रम हिन्दू तथा मुस्लिम छात्राओं को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान कर रहा है।

परिकल्पना द्वितीय :

विद्यालयों में होने वाली गतिविधियों का स्वल्प हिन्दू एवं मुस्लिम छात्राओं में अन्तर नहीं करता।

परिकल्पना तृतीय :

विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं का पूर्ण लाभ हिन्दू व मुस्लिम दोनों छात्राएँ समान रूप से उठा रही हैं।

परिकल्पना चतुर्थ :

विद्यालयों में स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों की विषय सामग्री हिन्दू व मुस्लिम छात्राओं के मध्य किसी प्रकार का अन्तर नहीं करती।

5.12 दत्तों के विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकी :

अध्ययन से प्राप्त दत्तों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया गया है।

प्राप्तांकों के मानक विचलन ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया ।

मानक विचलन : $\sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$

यहाँ
 $d = X - M$
 $X =$ प्राप्तांक
 $M =$ वास्तविक मध्यमान
 $N =$ संख्या

निराकरण परिकल्पनाओं को । प्रतिशत या 5 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर स्वीकार करने के लिए मध्यमानों के अंतर की सार्थकता की जांच 't' परीक्षण के आधार पर की गई ।

1. $t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{\frac{\sum x_1^2}{N_1} - (M_1)^2}{N_1 - 1} + \frac{\sum x_2^2 - (M_2)^2}{N_2 - 1}}}$

2. $t = \frac{M_1 - M_2}{\sqrt{\frac{(\sum d_1^2 + \sum d_2^2)}{(N_1 - 1)(N_2 - 1)} \times \frac{N_1 + N_2}{N_1 \cdot N_2}}}$

विभिन्न चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात करने के लिए कोटि अंतर विधि का उपयोग किया गया ।

$R = 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2 - 1)}$

जहाँ - $R =$ सहसंबंध
 $N =$ चरों की संख्या
 $d =$ कोटि अंतर

विचलन गुणांक की गणना करने के लिए निम्न सूत्र प्रयुक्त किया गया ।

$C.V. = \frac{\sigma}{M} \times 100$

भारत के कुल राज्यों में से ग्यारह ऐसे राज्य हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा भाग निवास करता है। इन राज्यों में कुल चालीस मुस्लिम बाहुल्य वाले जिले हैं। परिशिष्ट : 8 1989 दशक के अंत तक भारत की मुस्लिम जनसंख्या लगभग पन्द्रह करोड़ अनुमानित की गयी। ऐसी स्थिति में यदि स्त्री-पुरुष के मध्य एक-एक का अनुपात भी मान लिया जाये, तो मुस्लिम स्त्रियों की जनसंख्या लगभग साढ़े सात करोड़ के निकट होगी। जो वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या^{का} लगभग 86.62 करोड़ का दसवां भाग होगा। अतः इतनी वृहत जनसंख्या के हेतु शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र का अहम् कर्तव्य हो जाता है। दुर्भाग्य से समुदाय की महिलाएं शैक्षिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं। इस प्रश्न का उत्तर दूटना नितांत आवश्यक है। जिससे इनके लिए शैक्षिक आयोजन हेतु एक आधार बिन्दु उपलब्ध हो सके, एवं योजना निर्मित करने हेतु एक दिशा प्रदान कर सके, जिससे शैक्षिक अवसरों का लाभ इन्हें पूर्ण रूपेण प्राप्त हो, तथा वे राष्ट्रीय प्रगति में अपना योगदान दे सकें। सक्षम में हमारा प्रथम प्रयास यह होना चाहिए कि उन तत्वों का पता लगाया जाये, जो मुस्लिम बालिकाओं को उनके शैक्षिक अवसरों के उपयोग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। वर्तमान शोध का आधारभूत उद्देश्य निर्धारण इसी समस्या को आधार मानकर किया गया है।

अध्याय - षष्ठम

दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

दत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या

6.01 पृष्ठभूमि :

प्रस्तुत अध्याय में विभिन्न उपकरणों से प्राप्त दत्तों का सारणीकरण किया गया है तथा तथ्यों का विश्लेषण कर उनकी व्याख्या की गई है जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का विश्लेषण करना;
2. मुस्लिम छात्राओं हेतु विद्यालयीन वातावरण की अनुकूलता एवं उपलब्धता का विश्लेषण करना;
3. विद्यालयों द्वारा प्रदत्त शैक्षिक अवसरों का बालिकाओं द्वारा उपयोग किये जाने हेतु अभिभावकों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करना, तथा
4. मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षिक अवसरों की समानता का उपयोग की सीमा का निर्धारण करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भोपाल नगर के 14 कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं की छात्राओं को प्रश्नावली प्रदान की गई । [परिशिष्ट : 2]

शालाओं के शैक्षिक वातावरण के अध्ययन के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा निर्मित निरीक्षण प्रपत्र का उपयोग किया गया । [परिशिष्ट : 1] छात्राओं द्वारा शैक्षिक अवसरों के उपयोग में अभिभावकों की भूमिका निर्धारित करने हेतु प्रश्नावली पालकों को दी गई । [परिशिष्ट : 3]

तालिका क्रमांक 6.01 में 20 विद्यालयों का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है । इस तालिका में ऐसे 20 विद्यालयों को सम्मिलित किया है, जिनमें

मध्यप्रदेश शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित तथा अन्य शासकीय व गैर शासकीय विद्यालय हैं, सम्मिलित किया गया जिनमें मण्डल द्वारा विकसित विद्यालय वर्गीकरण मूल्यांकन प्रपत्र से वहां उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया है।

तालिका क्रमांक - 6.01

विद्यालयों का वर्गीकरण

क्रमांक	विद्यालय	कोड	बालक/बालिका	प्रशासन
1.	सेन्ट जोसेफ कान्वेन्ट विद्यालय	01	बालिका	ईसाई मिशन
2.	केम्पियन हायर सेकेण्ड्री विद्यालय	02	बालक	ईसाई मिशन
3.	कारमेल कान्वेन्ट विद्यालय	03	बालिका	ईसाई मिशन
4.	प्रायोगिक विद्यालय	04	सह शिक्षा	केन्द्रीय
5.	केन्द्रीय विद्यालय	05	सह शिक्षा	केन्द्रीय
6.	मांडल विद्यालय, टी.टी.नगर	06	सह शिक्षा	मा. शिक्षा मण्डल
7.	विक्रम उ.मा. विद्यालय, रच. ई. रल.	07	बालक	बी. एच. ई. रल.
8.	जवाहर लाल नेहरू उ.मा. विद्यालय	08	सह शिक्षा	बी. एच. ई. रल.
9.	तेफिया कन्या विद्यालय	09	बालिका	तेफिया स्कु. सोसा.
10.	कमला नेहरू बालिका उ.मा. वि.	10	बालिका	शासकीय
11.	सरोजनी नायडू बालिका उ.मा. वि.	11	बालिका	शासकीय
12.	सुल्तानिया बालिका उ.मा. वि.	12	बालिका	शासकीय
13.	शा. बालिका उ.मा. वि. बैरागढ़	13	बालिका	शासकीय
14.	शा. बालिका उ.मा. वि. जहां- गीराबाट	14	बालिका	शासकीय
15.	हमी दिया बालिका उ.मा. वि. क्र. 1	15	बालिका	शासकीय
16.	हमी दिया बालिका उ.मा. वि. क्र. 2	16	बालिका	शासकीय
17.	शा. बालिका उ.मा. वि. गोविंदपुरा	17	बालिका	शासकीय
18.	शा. बालिका उ.मा. वि. स्टेशन ररिया	18	बालिका	शासकीय
19.	शा. बालिका उ.मा. वि. बरखेड़ी	19	बालिका	शासकीय
20.	शा. बालिका उ.मा. वि. तुलसीनगर	20	बालिका	शासकीय

6.02 सांख्यिकी विश्लेषण के आधार :

अध्ययन से प्राप्त दत्तों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी का उपयोग किया गया -

मानक विचलन ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया गया :

$$\text{मानक विचलन} = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

d = मध्यमान से विचलन

= $(x - M)$

x = प्राप्तांक

M = वास्तविक मध्यमान

N = संख्या

निराकरणीय परिकल्पनाओं को 1 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत के स्तर पर स्वीकार करने के लिए मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता की जांच 't' परीक्षा के आधार पर की गई ।

$$111 \quad t = \frac{M1 - M2}{\sqrt{\frac{\frac{\sum x1^2}{N1} - (M1)^2}{N1 - 1} + \frac{\sum x2^2 - (M2)^2}{N2 - 1}}}$$

$$121 \quad t = \frac{M1 - M2}{\sqrt{\left\{ \frac{\sum d1^2 + \sum d2^2}{N1 + N2 - 2} \right\} \frac{(N1 + N2)}{N1 \cdot N2}}}$$

विचलन गुणांक की गणना करने के लिए सूत्र :

$$C.V. = \frac{\sigma}{M} \times 100 \quad \text{का उपयोग किया गया}$$

6.03 विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का विश्लेषण :

भोपाल के संदर्भ में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का निर्धारण करने के लिए विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया

गया । इस हेतु माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा तैयार किया गया : विद्यालय वर्गीकरण मूल्यांकन प्रपत्र का उपयोग कर प्रादर्शी में लिये गये विद्यालयों का मूल्यांकन किया गया । परिशिष्ट : 11 प्रपत्र में 9 मुख्य माप बिन्दु थे । प्रत्येक माप बिन्दु के लिए निश्चित अंक निर्धारित किये गये थे । माप बिन्दु और उनके अंक तालिका क्रमांक 6.02 में दर्शाये गये हैं ।

तालिका क्रमांक - 6.02

विद्यालय के मूल्यांकन एवं वर्गीकरण के माप बिन्दु

क्रमांक	माप बिन्दु	उप बिन्दु	अंक, उप बिन्दुवार	कुल अंक
1.	शाला भवन	क. भवन में उपलब्ध सुविधाएँ	3	16
		ख. कक्षाओं में छात्र संख्यानुकूल स्थान	3	
		ग. आवश्यकतानुसार कमरे	3	
		घ. प्रयोगशाला, कर्मशाला आदि	3	
		ङ. शाला परिसर में खेलकूद के लिए स्थान	2	
		च. वाचनालय एवं पुस्तकालय के लिए स्थान	2	
2.	विद्यालय में प्रवेश की स्थिति	क. प्रत्येक सेक्शन में प्रादर्शी संख्या की तुलना में छात्रों की वर्तमान संख्या	5	8
		ख. प्रत्येक कक्षा के सेक्शन	3	
3.	प्राध्यापक	क. शिक्षक छात्र अनुपात	6	15
		ख. विषय संबंधी योग्यता, प्रशिक्षण व पर्याप्तता	6	

क्रमांक	माप बिन्दु	उप बिन्दु	अंक उप बिन्दुवार	कुल अंक
		ग. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया	1	
		घ. सेवा सुविधायें	1	
		ड. प्राध्यापकीय मार्गदर्शन	1	
4.	अध्यापन	क. पाठ्य कार्यो के नियोजन	7	16
		ख. पाठ्योत्तर कार्य के संगठन	3	
		ग. शारीरिक शिक्षा का संगठन	3	
		घ. समन्वययोगी उत्पादक कार्य	3	
5.	फर्नीचर एवं उपकरण	क. फर्नीचर एवं साज सज्जा	5	13
		ख. प्रयोगशाला, कर्मशाला एवं उपकरण	4	
		ग. पुस्तकालय एवं वाचनालय	2	
		घ. खेलकूद सामग्री	2	
6.	परीक्षा एवं परीक्षा फल	क. परीक्षा एवं परीक्षाफल	3	6
		ख. आंतरिक परीक्षा	3	
7.	विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन	क. कार्यालयीन अभिलेख	4	10
		ख. छात्र संबंधी अभिलेख	3	
		ग. विद्यालय प्रबंध	3	
8.	वित्तीय स्थिति	क. विद्यालय के वित्तीय साधन	5	10
		ख. संतुलित शाला बजट	5	
9.	जनमत	पालक तथा नागरिकों का शाला के प्रति दृष्टिकोण	6	6
			कुल अंक	100

न्यादर्श में ली गई 14 बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं की उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए भोपाल शहर की 10 ऐसी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का अध्ययन भी उसी प्रपत्र पर किया गया, जिन शालाओं में बालकों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध थीं तथा जिनका बोर्ड का परीक्षाफल भी लगभग शतप्रतिशत रहता था । इन दस विद्यालयों द्वारा वर्गीकरण एवं मूल्यांकन प्रपत्र पर पाये गये अंकों का विवरण तालिका क्रमांक 6.03 में दिया गया है ।

तालिका क्रमांक - 6.03

आदर्श विद्यालयों के मूल्यांकन द्वारा प्राप्त अंक

क्रमांक	विद्यालय का कोड N	प्रपत्र पर प्राप्त अंक X	मध्यमान M	d	d ²
1.	01	98		10.6	112.36
2.	02	90		2.6	6.76
3.	04	90		2.6	6.76
4.	06	90		2.6	6.76
5.	10	87	87.4	- 0.4	0.16
6.	08	87		- 0.4	0.16
7.	05	85		- 2.4	5.76
8.	07	83		- 4.4	19.36
9.	03	82		- 5.4	29.16
10.	11	82		- 5.4	29.16
N = 10		M = 87.4		$\sum d^2 = 216.4$	

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} = \sqrt{\frac{216.4}{10}} = \sqrt{21.64} \\ &= 4.65 \end{aligned}$$

न्यादर्शी के लिए गये 14 विद्यालयों का मूल्यांकन तालिका 6.04 में दर्शाया गया है ।

तालिका क्रमांक - 6.04

बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का मूल्यांकन

क्रमांक	विद्यालय का कोड	मूल्यांकन प्रपत्र पर प्राप्त अंक \bar{X}	मध्यमान M	$(X-M)=d$	d^2
1.	01	98		23.72	562.63
2.	10	87		12.72	161.79
3.	03	82	74.28	7.72	59.59
4.	11	82		7.72	59.59
5.	12	80		5.72	32.71
6.	13	79		4.72	22.27
7.	14	73		- 1.28	1.63
8.	16	71		- 3.28	10.75
9.	15	70		- 4.28	18.31
10.	17	68		- 6.28	39.43
11.	18	65		- 9.28	86.11
12.	19	64		- 10.28	105.67
13.	20	63		- 11.28	127.23
14.	09	58		- 16.28	265.03

$N = 14$

$\sum X = 1040$

$\sum d^2 = 1552.74$

$$\text{मानक विचलन} = \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}}$$

$$\text{मानक विचलन} = \sqrt{\frac{1552.74}{14}} = \sqrt{110.91} = 10.53$$

न्यादर्श में सम्मिलित किये गये 14 बालिका विद्यालयों तथा 10 आदर्श विद्यालयों द्वारा मूल्यांकन तथा वर्गीकरण प्रपत्र पर प्राप्त अंकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए 't' परीक्षण किया गया।

$$t = \frac{M1 - M2}{\sqrt{\frac{\sum d1^2 + \sum d2^2}{N1 + N2 - 2} \cdot \frac{(N1 + N2)}{(N1 \cdot N2)}}} = 3.536$$

$$= \frac{87.4 - 74.28}{\sqrt{\frac{216.4 + 1552.74}{10 + 14 - 2} \times \frac{24}{140}}}$$

d.f. के $\{14-1\} + \{10-1\} = 22$ के लिए

.05 विचलन के स्तर पर 't' का मान 2.07

.01 विचलन के स्तर पर 't' का मान 2.82

अतः दोनों वर्गों की शालाओं के मूल्यांकन के अंकों के मध्यमानों में सार्थक अंतर है।

फिर भी मुस्लिम छात्राओं के सांस्कृतिक वातावरण उनकी शिक्षा को प्रभावित करता है। इसके लिए अन्य कारक भी उत्तरदाई होते हैं। यद्यपि हिंदू छात्राओं की तुलना में मुस्लिम छात्राएँ इस शिक्षा में पीछे हैं, फिर भी उनमें पढ़ने की उत्कंठा विद्यमान है।

न्यादर्श में ती गई शालाओं की 9वीं, 10वीं एवं 11वीं कक्षाओं में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या तथा उनमें मुस्लिम छात्राओं की संख्या तालिका 6.05 में दर्शाई गई है :

तालिका क्रमांक - 6.05

विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत

क्रमांक	शाला का कोड	शाला मूल्यांकन के अंक	कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं में पढ़ने वाली छात्राओं की कुल संख्या XT	इन कक्षाओं में मुस्लिम छात्राओं की संख्या XM	प्रतिशत
1.	01	98	478	87	18.2
2.	10	87	653	167	25.58
3.	03	82	380	49	12.9
4.	11	82	700	128	18.23
5.	12	80	640	176	27.5
6.	13	79	245	44	17.96
7.	14	73	467	323	69.16
8.	16	71	464	306	65.95
9.	15	70	694	407	58.65
10.	17	68	530	113	21.32
11.	18	65	239	197	82.43
12.	19	64	146	90	61.64
13.	20	63	529	99	18.71
14.	09	58	141	94	66.67
N = 14			$\Sigma XT = 6306$,	$\Sigma XM = 2280$,	औसत = 36.15%


तालिका क्रमांक - 6.06

विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का कुल न्यायादर्श
के सन्दर्भ में प्रतिशत

क्रमांक	शाला का कोड	शाला मूल्यांकन के अंक। स्तर।	कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं की संख्या N	प्रतिशत
1.	01	98	87	3.81
2.	10	87	167	7.32
3.	03	82	49	2.15
4.	11	82	128	5.61
5.	12	80	176	7.72
6.	13	79	44	1.93
7.	14	73	323	14.17
8.	16	71	306	13.42
9.	15	70	407	17.85
10.	17	68	113	4.96
11.	18	65	197	8.64
12.	19	64	90	3.95
13.	20	63	99	4.34
14.	09	58	94	4.13
$\sum N = 2280$				100%

आलेख क्रमांक 6.01

कक्षा 9, 10 एवं 11 वीं में पढ़ने वाली कुल छात्राओं में से मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत :



आलेख क्रमांक 6.01 तथा तालिका क्रमांक 6.06 से स्पष्ट है कि

न्यादर्श में सम्मिलित बालिका विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का औसत प्रतिशत 36.15 प्रतिशत है। अतः इन शालाओं में पढ़ने वाली लगभग एक तिहाई छात्रायें मुस्लिम हैं।

8 बालिका विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत औसत से कम है तथा शेष 6 विद्यालयों में अन्य छात्राओं के अनुपात में मुस्लिम छात्रायें अधिक हैं। अतः मुस्लिम बाहुल्य वाले विद्यालयों को "अ" वर्ग एवं जिन विद्यालयों में मुस्लिम छात्रायें का नामांकन औसत से कम था उन विद्यालयों को "ब" वर्ग की कोटि में रखा गया। मुस्लिम छात्रा बाहुल्य वाले विद्यालयों के मूल्यांकन को तालिका क्रमांक 6.07 में दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक - 6.07

मुस्लिम बाहुल्य वाले विद्यालयों का मूल्यांकन। "अ" वर्ग।

क्रमांक	शाला कोड	शाला में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत	शाला का स्तर X	$X - M = d_1$	d_1^2
1.	18	82.43	65	- 1.83	3.34
2.	14	69.16	73	6.17	38.06
3.	09	66.67	58	- 8.83	77.96
4.	16	65.95	71	4.17	17.38
5.	19	61.64	64	- 2.83	8.00
6.	15	58.65	70	3.17	10.05
			$\Sigma x = 401$	$\Sigma d_1^2 = 154.78$	
			$M1 = 66.83$		

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{\sum d_1^2}{N_1}} = \sqrt{\frac{154.78}{6}} \\ &= 5.079 \end{aligned}$$

ऐसे विद्यालयों को, जिनमें मुस्लिम छात्राओं का नामांकन औसत नामांकन से कम है, तालिका 6.08 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका क्रमांक - 6.08

औसत से कम मुस्लिम छात्रा नामांकन वाले विद्यालय "ब" वर्ग।

क्रमांक	शाला कोड	शाला में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत	प्राप्तांक X	X-M2 = d2	d2 ²
1.	12	27.5	80	0.13	00.01
2.	10	25.58	87	7.13	50.83
3.	17	21.32	68	- 11.87	140.89
4.	20	18.71	63	- 16.87	284.59
5.	11	18.23	82	2.13	4.53
6.	01	18.2	98	18.13	328.69
7.	13	17.96	79	- 0.87	0.75
8.	03	12.9	82	2.13	4.53
			$\sum x = 639$	$\sum d_2^2 = 814.82$	
			$M_2 = 79.87$		

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{\sum d_2^2}{N_2}} = \sqrt{\frac{814.82}{8}} \\ &= 10.09 \end{aligned}$$

तालिका क्रमांक - 6.09

विद्यालयों का विश्लेषण

क्रमांक	विद्यालय का वर्ग	मध्यमान	आवृत्ति	$\sum d^2$	मानक विचलन
1.	"अ" वर्ग	66.83	6	154.78	5.079
2.	"ब" वर्ग	79.87	8	814.82	10.09

न्यादर्श में सम्मिलित किये गये बालिका विद्यालयों के वर्ग "अ" तथा वर्ग "ब" द्वारा मूल्यांकन तथा वर्गीकरण प्रपत्र पर प्राप्त अंकों के मध्यमानों के अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए परीक्षा किया गया -

$$t = \frac{79.87 - 66.83}{\sqrt{\frac{(814.82 + 154.78)}{12} \left(\frac{14}{48}\right)}} = 2.68$$

d.f के $(6-1) + (8-1) = 12$ मान के लिए

.05 विश्वास के स्तर पर 't' का मान 2.18

.01 विश्वास के स्तर पर 't' का मान 3.06

अतः वर्ग "अ" के विद्यालय जिनमें मुस्लिम छात्राओं की संख्या औसत से अधिक है तथा वर्ग "ब" के विद्यालय जिनमें मुस्लिम छात्राओं की संख्या औसत से कम है इन दोनों वर्गों में शैक्षिक अवसरों की समानता है। भोपाल नगर के ही बालिका उच्चतर माध्यमिक शालाओं में उपलब्ध सुविधाओं का गहनता से अध्ययन करने हेतु इन शालाओं का बिन्दुवार अध्ययन किया गया व उनका मूल्यांकन किया गया है।

माप बिन्दु - 1

शाला भवन के मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित सुविधाओं को ध्यान में रखा गया :

1. भवन में उपलब्ध सुविधायेँ - शाला के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान, भवन की बनावट, सुदृढ़ता, छात्रावास, सभागृह, पर्याप्त प्रकाश एवं वायु का संचार, बगीचा, पेयजल सुविधा जैसी अन्य आवश्यक सुविधायेँ;
2. प्रति एक छात्र को कम से कम 12 वर्ग फुट स्थान की उपलब्धता;
3. कक्षाओं की संख्या के अनुकूल कमरों की संख्या;
4. विज्ञान के प्रत्येक विषय के लिए प्रथक साधन संपन्न प्रयोग-शालाएं;
5. शाला परिसर में खेलकूद के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त स्थान, तथा
6. वाचनालय एवं पुस्तकाल के लिए अलग - अलग एवं पर्याप्त कमरों की व्यवस्था ।

विभिन्न विद्यालयों में उपलब्ध शाला भवन की सुविधाओं को तथा उनमें अध्ययनरत मुस्लिम छात्राओं के प्रतिशत को तालिका क्रमांक 6.10 में दर्शाया गया है :

तालिका क्रमांक - 6.10

शाला भवन की सुविधायें एवं मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत

क्रमांक	शाला कोड	शाला भवन प्राप्तांक	सुविधायें प्रतिशत	मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत
1.	01	15	93.75	3.81
2.	12	13	81.25	7.72
3.	14	10	62.5	14.17
4.	16	10	62.5	13.42
5.	18	9	56.25	8.64
6.	15	9	56.25	17.85
7.	10	9	56.25	7.32
8.	17	9	56.25	4.96
9.	20	9	56.25	4.34
10.	11	9	56.25	5.61
11.	03	9	56.25	2.15
12.	09	8	50.00	4.13
13.	19	8	50.00	3.95
14.	13	4	25.00	1.93

उपरोक्त तालिका से प्रतीत होता है कि न्यादर्श में सम्मिलित वे शालाएँ जिनमें भवन संबंधी सुविधाएँ अधिकतम उपलब्ध थीं, वहाँ पर मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत कम पाया गया। इसके विपरीत जो विद्यालय, भवन संबंधी सुविधा से पूर्ण रूपेण सम्पन्न नहीं थे वहाँ अध्ययनरत मुस्लिम छात्राओं की संख्या का प्रतिशत अधिक पाया गया।

तालिका क्रमांक - 6.11

शाला भवन संबंधी सुविधाएं

क्रमांक	शाला कोड	शाला में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत	शाला भवन की सुविधा के प्राप्तांक X (16 पूर्णांक)	प्राप्तांकों का प्रतिशत	d = (X-M)	d ²	
	1.	18	82.43	9	56.25	0	0
	2.	14	69.16	10	62.5	+ 1	1
	3.	09	66.67	8	50.0	- 1	1
वर्ग "अ"	4.	16	65.95	10	62.5	+ 1	1
	5.	19	61.64	8	50.0	- 1	1
	6.	15	58.65	9	56.25	0	0
				M = 9	$\sum d^2 = 4$		
	7.	12	27.5	13	81.25	3.38	11.42
	8.	10	25.58	9	56.25	- 0.62	0.38
	9.	17	21.32	9	56.25	- 0.62	0.38
वर्ग "ब"	10.	20	18.71	9	56.25	- 0.62	0.38
	11.	11	18.23	9	56.25	- 0.62	0.38
	12.	01	18.2	15	93.75	- 5.38	28.94
	13.	13	17.96	4	25.00	- 5.62	31.58
	14.	03	12.9	9	56.25	- 0.62	0.38
				M = 9.62	$\sum d^2 = 73.84$		

"अ" वर्ग - ऐसे विद्यालय जिनकी कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत 36.15 के औसत से अधिक है ।

"ब" वर्ग - ऐसे विद्यालय जिनकी कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं में अध्ययनरत मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत 36.15 औसत से कम है ।

शाला भवन संबंधी सुविधाओं का विश्लेषण :

वर्ग "अ" के विद्यालय :

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} = \sqrt{4/6} \\ &= .81 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{प्रसरण गुणांक} &= \frac{SD}{M} \times 100 = \frac{.81}{9} \times 100 \\ &= 9 \end{aligned}$$

वर्ग "ब" के विद्यालय :

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{73.84}{8}} \\ &= 3.03 \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{प्रसरण गुणांक} &= \frac{3.03}{9.62} \times 100 \\ &= 31.4 \end{aligned}$$

आलेख क्रमांक 6.02

विद्यालयों में शाला-भवन सम्बन्धी सुविधाएँ एवं उनमें अध्ययनरत
मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत

कक्षा में छात्राओं का औसत प्रतिशत

आदर्श सुविधाएँ



आलेख क्रमांक 6.02 तथा गणना से स्पष्ट है कि वर्ग "अ" के विद्यालय में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत 62.15 है तथा इन विद्यालयों में भवन संबंधी सुविधाओं में अधिक असमानता नहीं है ।

वर्ग "ब" के विद्यालयों में लगभग एक तिहाई मुस्लिम छात्राएँ ही अध्ययनरत हैं पर इस वर्ग के विद्यालयों में शाला भवन संबंधी सुविधाओं में अत्यधिक अंतर है । इसी वर्ग में अधिकतम सुविधायुक्त विद्यालय हैं ।

आलेख से स्पष्ट है कि कुछ अधिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का प्रतिशत केवल 13.46 है ।

अतः 86.54% छात्राएँ लगभग न्यूनतम सुविधायुक्त शाला भवन का उपयोग कर रही हैं ।

बिन्दु क्रमांक 2 तथा 3

किसी शाला की शैक्षिक सुविधाएँ उसकी प्रत्येककक्षा के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या तथा छात्र-शिक्षक अनुपात पर निर्भर है । प्रत्येक सेक्शन में 35 से 40 छात्रों की संख्या आदर्श मानी गयी है तथा शिक्षक छात्र का अनुपात 1:20 को आदर्श माना गया है । इस सन्दर्भ में विभिन्न कन्या विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं को तालिका क्रमांक 6.12 में दर्शाया गया है ।

तालिका क्रमांक - 6.12

विद्यालयों में छात्राओं एवं शिक्षकों की स्थिति

क्रमांक	शाला का कोड	शाला में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत	बिन्दु-2 के प्राप्तांक (8 पूर्णांक)	बिन्दु-3 के प्राप्तांक (15 पूर्णांक)	कुल अंक	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1.	18	82.43	5	15	20	86.95
2.	14	69.16	7	15	22	95.65
3.	09	66.67	6	9	15	65.21
4.	16	65.95	8	15	23	100.00
5.	19	61.64	7	13	20	86.95
6.	15	58.65	8	15	23	100.00
7.	12	27.5	7	14	21	91.30
8.	10	25.58	7	15	22	95.65
9.	17	21.32	7	10	17	73.91
10.	20	18.71	5	13	18	78.26
11.	11	18.23	7	15	22	95.65
12.	01	18.2	7	15	22	95.65
13.	13	17.96	7	15	22	95.65
14.	03	12.9	7	15	22	95.65

तालिका क्रमांक - 6.13

मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु 2 के प्राप्तांकों का प्रतिशत

वर्गीकृत विद्यालयों की श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
100 - 81	82.89
80 - 61	17.11
60 - 41	निरंक
40 - 21	निरंक
20 - 00	निरंक

तालिका क्रमांक - 6.14

मूल्यांकित विद्यालयों को बिन्दु 3 के प्राप्तांकों का प्रतिशत

वर्गीकृत विद्यालयों की श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत
100 - 81	90.91
80 - 61	4.96
60 - 41	4.96
40 - 21	निरंक
20 - 00	निरंक

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जिन विद्यालयों में 80 प्रतिशत से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं वहाँ छात्राओं का प्रतिशत केवल 13.45 था एवं न्यूनतम सुविधायुक्त विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं का प्रतिशत अधिकतम पाया गया। न्यायादृश में ली गई 14 शालाओं में से तीन शालाओं में 65 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक सुविधाएँ उपलब्ध थीं। इन विद्यालयों में केवल 13.46 प्रतिशत मुस्लिम छात्राएँ ही अध्ययनरत थीं।

बिन्दु क्रमांक 4, 5 तथा 6

बिन्दु क्रमांक 4 में शैक्षणिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया। जिनमें इकाईवार शैक्षणिक उद्देश्यों व क्रियाकलापों सहित निर्धारित पाठ्यक्रम का योजनाबद्ध कार्यक्रम, दैनिक पाठों की तैयारी, दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग, कक्षा अध्यापन, प्रयोगशालाओं का सुनियोजित कार्यक्रम तथा सतत मूल्यांकन को शामिल किया गया।

बिन्दु क्रमांक 5 में शाला में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता, अध्यापन कार्य हेतु विषयानुकूल श्यामपट्ट, चार्ट, नक्शे, अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री, कक्षावार डेस्क, कुर्सी की व्यवस्था, प्रयोगशाला का फर्नीचर, प्रयोग करवाने के लिए आवश्यक उपकरण गैस, बिजली आदि की व्यवस्था आदि का मूल्यांकन किया गया।

बिन्दु क्रमांक 6 में शाला के परीक्षाफल को देखा गया। 80 प्रतिशत या उससे अधिक को अधिकतम अंक दिये गये। इसी के साथ ही आंतरिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, मासिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा का भी मूल्यांकन किया। तालिका क्रमांक 6.15 में तीनों बिन्दुओं के अंक दर्शाये गये हैं।

तालिका क्रमांक - 6.15

मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु 4, 5 एवं 6 के प्राप्तांक

क्रमांक	शाला का कोड	शाला में मुस्लिम छात्रों का प्रतिशत	बिन्दु 4 अंक- 16	बिन्दु 5 अंक- 13	बिन्दु 6 अंक - 6	योग	$d^2 = (X-M)^2$	
						X		
	1.	18	82.43	7	5	4	16	40.32
	2.	14	69.16	9	9	3	21	1.82
वर्ग "अ"	3.	09	66.67	10	8	3	21	1.82
	4.	16	65.95	7	7	4	18	18.92
	5.	19	61.64	8	6	3	17	28.62
	6.	15	58.65	7	7	4	18	18.92
	7.	12	27.5	7	10	5	22	0.12
	8.	17	25.58	12	12	6	30	58.52
	9.	17	21.32	8	9	5	22	18.92
	10.	20	18.7	7	5	4	16	40.32
	11.	11	18.23	11	9	6	26	13.32
वर्ग "ब"	12.	01	18.2	16	13	6	35	160.02
	13.	13	17.96	10	10	5	25	7.02
	14.	03	12.9	11	9	6	26	13.32

$$\sum x = 313$$

$$M. = 22.35$$

$$\sum d^2 = 421.98$$

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} = \sqrt{\frac{421.98}{14}} \\ &= \text{S.D.} = 5.49 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{विचलन गुणांक} &= \frac{SD/M}{\bar{X}} \times 100 \\ &= \frac{5.49}{22.35} \times 100 \\ &= 24.56 \end{aligned}$$

तालिका क्रमांक - 6.16

"अ" एवं "ब" वर्ग की शालाओं को प्राप्तियों का औसत

क्रमांक	शालाओं का वर्ग	$\sum d^2$	N	औसत
1.	"अ" वर्ग	21.5	6	18.5
2.	"ब" वर्ग	225.48	8	25.25

$$\begin{aligned} t &= \frac{M1 - M2}{\sqrt{\left(\frac{\sum d_1^2 + \sum d_2^2}{N1+N2-2}\right) \left(\frac{N1 + N2}{N1 \cdot N2}\right)}} \\ &= \frac{25.25 - 18.5}{\sqrt{\left(\frac{225.48 + 21.5}{8+6-2}\right) \left(\frac{6+8}{6 \times 8}\right)}} \\ &= 2.76 \end{aligned}$$

$$df = (8-1) + (6-1) = 12$$

अतः 12 d.f पर सार्थकता के लिए आवश्यक t_c का मान :

5 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर 2.18

1 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर 3.06

't' का मान 5% के विश्वास के स्तर पर सार्थक है, परन्तु 1% विश्वास के स्तर पर सार्थक नहीं है।

अतः वर्ग "अ" के विद्यालयों तथा वर्ग "ब" के विद्यालयों में अध्यापन कार्य,

परीक्षाफल तथा दृश्य ब्रह्म सामग्री के उपयोगसे संबंधित मूल्यांकन में 5 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर सार्थक अंतर है।

बिन्दु क्रमांक 7, 8 और 9

बिन्दु क्रमांक 7 में विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन का मूल्यांकन किया गया है। इसके अंतर्गत कार्यालयीन अभिलेख छात्रों संबंधी अभिलेख तथा विद्यालय में प्राचार्य शिक्षकों पालकों तथा छात्रों के मध्य संबंधों को ध्यान में रखा गया है।

बिन्दु क्रमांक 8 में शाला के वित्तीय साधनों पर ध्यान दिया गया है तथा शाला के बजट संतुलन को रखा गया।

बिन्दु क्रमांक 9 में शाला के प्रति छात्रों, पालकों तथा नागरिकों के के दृष्टिकोणों का मूल्यांकन किया गया।

इन तीनों को 26 अंक दिये गये जो संपूर्ण मूल्यांकन का लगभग एक चौथाई होता है।

तालिका क्रमांक 6.13 से स्पष्ट होता है कि वर्ग "ब" के विद्यालय शाला प्रबंध तथा प्रशासन में वर्ग "अ" के विद्यालयों में ज्यादा सम्पन्न हैं। इसी तरह वर्ग "ब" विद्यालयों की वित्तीय स्थिति भी अधिक अच्छी है।

बिन्दु क्रमांक 9 के मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वर्ग "ब" के विद्यालय छात्रों पालकों तथा नागरिकों की नजरों में सबसे अच्छे हैं। इनमें से लगभग सभी विद्यालयों को 6 मेंसे 6 अंक प्राप्त हुए हैं जबकि वर्ग "अ" की शालाओं को अधिकतम 4 अंक ही प्राप्त हुए।

तालिका क्रमांक 6.17

मूल्यांकित विद्यालयों के बिन्दु क्रमांक 7, 8 एवं 9 के प्राप्तिक

शाला वर्ग	क्रमांक	शाला कोड	मुस्लिम भाज्राओं प्रतिशत	बिन्दु 7 का अंक	बिन्दु 8 अंक	बिन्दु 9 अंक	कुल अंक	d^2 $= (x-M)^2$
-----------	---------	----------	--------------------------------	--------------------	-----------------	-----------------	------------	----------------------

"अ" वर्ग	1.	18	32.43	6	10	4	20	1.36
	2.	14	69.16	6	10	4	20	1.36
	3.	09	66.16	5	5	4	14	23.32
	4.	16	65.95	8	8	4	20	1.36
	5.	19	61.64	6	10	3	19	0.02
	6.	15	58.65	8	8	4	20	1.36


$N=6$

$M = 6.5, M = 8.5, M = 3.83, M =$ $\left. \begin{array}{l} \sum d^2 = \\ 10.83, 28.78 \end{array} \right\}$

"ब" वर्ग	1.	12	27.5	9	9	6	26	0.06
	2.	10	25.58	10	10	6	26	5.06
	3.	17	21.32	6	8	4	20	14.06
	4.	20	18.7	6	10	4	20	14.06
	5.	11	18.23	9	10	6	25	1.56
	6.	01	18.2	10	10	6	26	5.06
	7.	13	17.96	8	10	6	24	0.06
	8.	03	12.9	9	10	6	25	1.56

$N=8$

$M = 8.37, M = 9.62, M = 5.75, M$ $\left. \begin{array}{l} \sum d^2 = \\ = 23.75, 41.48 \end{array} \right\}$



"अ" वर्ग के विद्यालय :

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{\sum d^2}{N}} \\ &= \sqrt{\frac{28.78}{6}} \\ &= 2.19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{प्रसरण गुणांक} &= \frac{S.D.}{M} \times 100 \\ &= \frac{2.19}{18.83} \times 100 \\ &= 11.63 \end{aligned}$$

"ब" वर्ग के विद्यालय :

$$\begin{aligned} \text{मानक विचलन} &= \sqrt{\frac{41.48}{8}} \\ &= 2.27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{प्रसरण गुणांक} &= \frac{2.27}{23.75} \times 100 \\ &= 9.55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} t &= \frac{M1 - M2}{\sqrt{\frac{(\sum d1^2 + \sum d2^2)}{N1 + N2 - 2} \cdot \frac{(N1 + N2)}{N1 \cdot N2}}} = \frac{23.75 - 18.83}{\sqrt{\frac{(41.48 + 28.78)(6+8)}{6+8-2} \cdot \frac{6 \times 8}{6 \times 8}}} \\ &= 3.78 \end{aligned}$$

12 के लिए 0.05 विश्वास के स्तर पर t का मान 2.17 तथा 0.01 विश्वास के स्तर पर t का मान 3.06 | t के मान से स्पष्ट है कि वर्ग "अ" के विद्यालयों एवं वर्ग "ब" के विद्यालयों के बीच विद्यालय प्रबंध, वित्तीय स्थिति एवं पालकों के शाला के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में, सार्थक अंतर है।

6.04 मुस्लिम छात्राओं के पालकों को दी गई प्रश्नावली का विश्लेषण :

मुस्लिम छात्राओं को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराने में जितना योगदान शासन एवं शालाओं का होता है संभवतः इससे अधिक छात्राओं के पालकों का होता है ।

भोपाल शहर की 14 बालिका उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं की 2280 छात्रायें थीं । न्यायदर्शी के लिए 14 शालाओं की कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं से प्रत्येक 20 छात्राओं को संयोगिक चयन के आधार पर लिया गया । इस प्रकार प्रत्येक शाला से 60 छात्राओं का चयन किया गया । दो शालाओं की कक्षा 9वीं, 10वीं तथा 11वीं में कुल 44 तथा 49 मुस्लिम छात्रायें ही पायी गईं । इस प्रकार चयनित 813 छात्राओं के पालकों को प्रश्नावली दी गई ।

प्रश्नावली में पालकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पूछे गये । पालकों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति छात्राओं की विषयगत उपलब्धियों को प्रभावित करती है, तथा भौतिक अवसरों की समानता दिलाने में सहायक होती है । इसी के साथ ही पालकों की शिक्षा संबंधी मान्यतायें एवं पूर्वाग्रह भी इस दिशा में काफी अहम स्थान रखते हैं । अतः पालकों को शिक्षा संबंधी मान्यताओं पर भी प्रश्न रखे गये । पालकों को दी गई प्रश्नावली का विश्लेषण नीचे दिया गया है ।

परिवार की मासिक आय का सीधा प्रभाव छात्राओं की शिक्षा पर पड़ता है । सामान्यतः अच्छी आय वाले परिवार अपनी बालिकाओं को अच्छी शालाओं में भेजने का आर्थिक भार उठा सकते हैं । तालिका क्रमांक 6.18 में पालकों के आर्थिक स्रोतों का विश्लेषण किया गया है ।

तालिका क्रमांक - 6.18

पालकों का व्यवसाय एवं शाला का मूल्यांकन


क्रमांक	शाला कोड	शाला का मूल्यांकन	पालकों की संख्या	
			नौकरी करने वाले	व्यवसाय करने वाले
1.	01	98	55	05
2.	10	87	48	12
3.	03	82	43	06
4.	11	82	42	18
5.	12	80	14	46
6.	13	79	8	36
7.	14	73	17	43
8.	16	71	23	37
9.	15	70	20	40
10.	17	68	49	11
11.	18	65	14	46
12.	19	69	21	39
13.	20	63	25	35
14.	09	58	12	48

तालिका से स्पष्ट है कि सुविधा संपन्न शालाओं में शिक्षा प्राप्त कर रही अधिकांश छात्राओं के पालक नौकरी में हैं तथा बहुत कम पालक व्यवसाय में हैं ।

कम सुविधा संपन्न शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं के अभावक बहुत कम नौकरी में हैं तथा अधिकतर स्वयं के व्यवसाय में रत हैं ।

आलेख क्रमांक 6.04

पालकों का व्यवसाय एवं शाला मूल्यांकन



नीचे दी गई तालिका विभिन्न श्रेणी की शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं की संख्या की स्थिति को अधिक स्पष्ट करती है ।

तालिका क्रमांक - 6.19

पालकों का व्यवसाय एवं शालाओं का वर्गीकरण

क्रमांक	शाला का वर्गीकरण	पालकों की संख्या			
		नौकरी में	प्रतिशत	व्यवसाय	प्रतिशत
1.	50 - 60	12	20	48	80
2.	61 - 70	129	43	171	57
3.	71 - 80	62	27.67	161	72.33
4.	81 - 90	133	78.69	36	21.31
5.	91 - 100	55	91.66	5	8.34

आलेख क्रमांक 6.04 में पालकों के व्यवसाय, नौकरी के प्रतिशतों का रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है ।

तालिका क्रमांक - 6.20

शाला के स्तर तथा नौकरी करने वाले पालकों के मध्य सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	शाला मूल्यांकन के प्राप्तांक	नौकरी करने वाले पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी = आर1-आर2	डी ²
1.	01	98	55	1	1	0	0
2.	10	87	48	2	3	-1	1
3.	03	82	43	3.5	4	-0.5	0.25
4.	11	82	42	3.5	5	-1.5	2.25
5.	12	80	14	5	11.5	-6.5	42.25
6.	13	79	8	6	14	-8	64
7.	14	73	17	7	10	-3	9
8.	16	71	23	8	7	1	1
9.	15	70	20	9	9	0	0
10.	17	68	49	10	12	8	64
11.	18	65	14	11	11.5	-0.5	0.25
12.	19	64	21	12	8	4	16
13.	20	63	25	13	6	7	49
14.	09	58	12	14	13	1	1

$N = 14$

$\sum d^2 = 250$

सह संबंध = $1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2 - 1)}$

= $1 - 1500/2730 = 1 - 0.549$

= 0.451

तालिका क्रमांक - 6.21



शाला के स्तर तथा व्यवसाय करने वाले पालकों के मध्य सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	शाला के मूल्यांकन प्राप्तिक	व्यवसाय करने वाले पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी= आर1-आर2	डी ²
1.	01	98	05	1	14	- 13	169
2.	10	87	12	2	11	- 9	81
3.	03	82	06	3.5	13	- 9.5	90.25
4.	11	82	18	3.5	10	- 6.5	42.25
5.	12	80	46	5	2.5	2.5	6.25
6.	13	79	36	6	8	- 2	4
7.	14	73	43	7	4	3	9
8.	16	71	37	8	7	1	1
9.	15	70	40	9	5	4	16
10.	17	68	11	10	12	- 2	4
11.	18	65	46	11	2.5	8.5	72.25
12.	19	64	39	12	6	6	36
13.	20	63	35	13	9	4	16
14.	09	58	48	14	1	13	169

N = 14

$\sum d^2 = 716$

$$\begin{aligned}
 \text{सह संबंध} &= 1 - \frac{6 \sum d^2}{N (N^2 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{6 \times 716}{14 (196 - 1)} \\
 &= 1 - 1.57 = -0.43
 \end{aligned}$$



तालिका क्रमांक 6.20 तथा 6.21 में शालाओं के स्तर तथा पालकों की संख्या के बीच सह संबंध दर्शाया गया है ।

तालिका क्रमांक 6.20 से स्पष्ट है कि ऐसे पालक जो नौकरी में हैं वे अपने बच्चों को अच्छे स्तर की शालाओं में पढ़ाना पसन्द करते हैं ।

दोनों के बीच 0.45 सह संबंध उपरोक्त सह संबंध को स्पष्ट करता है। शाला कोड क्रमांक 17 का मूल्यांकन 68 है । यह शाला बी.एच.ई.एल. के क्षेत्र में स्थित है तथा इसमें पढ़ने वाली छात्राओं के अधिकतर पालक नौकरी में हैं । यदि इस शाला को अपवाद स्वस्थ छोड़ दिया जाये तो उपरोक्त सह संबंध का मान और अधिक बढ़ जायेगा ।

तालिका क्रमांक 6.21 व्यवसाय रत पालकों की संख्या एवं शाला के स्तर को स्पष्ट करती है ।

इन दोनों के बीच सह संबंध - 0.43 है जो इस बात का सूचक है कि स्वयं का व्यवसाय करने वाले पालक अपनी बालिकाओं को केवल ऐसी शालाओं में पढ़ाते हैं जो उनके घर के आस - पास ही हों, चाहे वे किसी भी स्तर की हों ।

आलेख क्रमांक 6.05 सह संबंधों को दर्शाता है ।

पालकों की मासिक आय :

छात्राओं को पढ़ाने के लिए शालाओं के चुनाव पर पालकों की मासिक आय का अधिकतम प्रभाव पड़ता है । शासकीय शालाओं में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता जबकि प्राय्वेट शालाओं में शिक्षण शुल्क भी अधिक लिया जाता है ।


भोपाल शहर काफी बड़े क्षेत्र में फैला है, अतः घर से शाला तक जाने के लिए वाहन शुल्क इतनी अधिक होता है जिसे सामान्य परिवार के लोग वहन करने में परेशानी का अनुभव करते हैं, अतः ऐसे पालक अपने बच्चों को घर के आस - पास की शालाओं में ही भेज पाते हैं ।

तालिका क्रमांक 6.21 में शाला के स्तर एवं उसमें पढ़ने वाली छात्राओं के पालकों की मासिक आय को स्पष्ट किया गया है ।

न्यायाद्वारी में सम्मिलित छात्राओं में से लगभग 50 प्रतिशत छात्राओं के पालक प्रायः मध्यम वर्ग के थे, जिनकी आय 1000 से 3000 रुपये प्रति माह थी ।

25 प्रतिशत पालक निम्न आय वर्ग के थे, जिनकी आय 1000 रुपये प्रतिमाह से कम थी, तथा 25 प्रतिशत पालक उच्च आय वर्ग के थे, जिनकी आय 3000 रुपये प्रतिमाह से अधिक थी । *रूरेन्स क्रमांक 6.06.*

पालकों की मासिक आय एवं शाला का मूल्यांकन
आलेख क्रमांक 6.06



तालिका क्रमांक 6.22

शाला का स्तर एवं पालकों की मासिक आय

क्रमांक	शाला का कोड	मूल्यांकन के प्राप्तांक	पालकों की मासिक आय, रु.		
			अ 1000 से कम	ब 1000 - 3000	स 3000 से अधिक
1.	01	98	--	17	43
2.	10	87	4	12	44
3.	03	82	--	10	39
4.	11	82	2	43	15
5.	12	80	24	30	6
6.	13	79	6	34	4
7.	14	73	26	30	4
8.	16	71	19	37	4
9.	15	70	15	41	4
10.	17	68	6	41	13
11.	18	65	32	25	3
12.	19	64	39	19	2
13.	20	63	9	43	8
14.	09	58	45	15	--
N = 14			227	397	189
प्रतिशत			27.92	48.83	23.25
					योग=813
					100

तालिका क्रमांक 6.23

"अ" वर्ग के पालकों की संख्या तथा शाला के स्तर के बीच सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	मल्यांकन के प्राप्तांक	पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी	डी ²
1.	01	98	0	1	13.5	-12.5	156.25
2.	10	87	4	2	11	-9	81
3.	03	82	0	3.5	13.5	-10	100
4.	11	82	2	3.5	12	-8.5	72.25
5.	12	80	24	5	5	0	0
6.	13	79	6	7	4	3	9
7.	14	73	26	7	4	3	9
8.	16	71	19	8	6	2	4
9.	15	70	15	9	7	2	4
10.	17	68	6	10	9.5	0.5	0.25
11.	18	65	32	11	3	8	64
12.	19	64	39	12	2	10	100
13.	20	63	9	13	8	5	25
14.	09	58	45	14	1	13	169

$$N = 14$$

$$\sum d^2 = 797$$

$$\begin{aligned} \text{सह संबंध} &= 1 - \frac{6\sum d^2}{N(N^2-1)} = 1 - 1.75 \\ &= -0.75 \end{aligned}$$

तालिका क्रमांक - 6.24

"ब" वर्ग के पालकों की संख्या तथा शाला के स्तर के मध्य सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	मूल्यांकन के प्राप्तांक	पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी	डी 2
1.	01	98	17	1	11	- 10	100
2.	10	87	12	2	13	- 11	121
3.	03	82	10	3.5	14	- 10.5	110.25
4.	11	82	43	3.5	1.5	2	4
5.	13	79	34	6	6	0	0
6.	13	79	34	6	6	0	0
7.	14	73	30	7	7.5	- 0.5	0.25
8.	16	71	37	8	5	3	9
9.	15	70	41	9	3.5	5.5	30.25
10.	17	68	41	10	3.5	6.5	42.25
11.	18	65	25	11	9	2	4
12.	19	64	19	12	10	2	4
13.	20	63	43	13	1.5	11.5	132.25
14.	09	58	15	14	12	2	4

$$\sum d^2 = 567.5$$

$$\begin{aligned} \text{सह संबंध} &= 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2-1)} = 1 - \frac{6 \times 567.5}{2730} \\ &= 1 - \frac{6 \times 567.5}{2730} \\ &= - 0.247 \end{aligned}$$

तालिका क्रमांक - 6.25

"ब" वर्ग के पालकों की संख्या तथा शाला मूल्यांकन के बीच सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	शाला का मूल्यांकन	पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी = आर 1-आर 2	डी ²
1.	01	98	43	1	2	-1	1
2.	10	87	44	2	1	1	1
3.	03	82	39	3.5	3	0.5	0.25
4.	11	82	15	3.5	4	-0.5	0.25
5.	12	80	6	5	7	-2	4
6.	13	79	4	6	9.5	-3.5	12.25
7.	14	73	4	7	9.5	-2.5	6.25
8.	16	71	4	8	9.5	-1.5	2.25
9.	15	70	4	9	9.5	-0.5	0.25
10.	17	68	13	10	5	5	25
11.	18	65	3	11	12	-1	1
12.	19	64	2	12	13	-1	1
13.	20	63	8	13	6	7	49
14.	09	58	9	14	14	0	0

$$N = 14$$

$$\sum d^2 = 103.5$$

$$\begin{aligned}
 \text{सह संबंध} &= 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2-1)} \\
 &= 1 - \frac{6 \times 103.5}{14(196-1)} \\
 &= 1 - 621/2730 \\
 &= 1 - 0.227 = 0.773
 \end{aligned}$$

उपर्युक्त तालिका क्रमांक 6.23, 6.24 एवं 6.25 में विभिन्न आय वर्गों के पालकों की संख्या तथा उनके द्वारा अपनी बालिकाओं के लिए चुनी गई शाला के स्तर का विश्लेषण कर सह संबंध ज्ञात किया गया है जो निम्न प्रकार का पाया गया :

<u>वर्ग</u>	<u>सह संबंध</u>
वर्ग - "अ"	- 0.75
वर्ग - "ब"	- 0.247
वर्ग - "स"	+ 0.772

वर्ग "अ" की शालाओं में अध्ययनरत छात्राओं के पालक 1000/- रुपये प्रतिमाह से कम आय वर्ग के हैं। अतः उनके द्वारा ऐसी ही शालाओं का चयन किया गया जो उनके निवास के पास ही हों, तथा बहुत अधिक खर्चीली न हों। "अ" वर्ग के लिए सह संबंध का मान -0.75 है, जो अणात्मक सह संबंध प्रदर्शित करता है।

वर्ग "ब" के लिए सह संबंध का मान -0.247 है जो अणात्मक नगण्य सह संबंध का सूचक है।

वर्ग "स" के पालक उच्च आय वर्ग के हैं। इनके लिए सह संबंध का मान + 0.772 है, जो उच्च धनात्मक सह संबंध का सूचक है। यह दर्शाता है कि उच्च आय वर्ग के पालक अपने बच्चों को अच्छी शालाओं में पढ़ाना पसन्द करते हैं।

पालकों के शैक्षिक स्तर का विश्लेषण :

न्यायादरी में सम्मिलित छात्राओं के पालकों के शैक्षिक स्तर को तालिका 6.26 में दर्शाया गया है।

पालकों को उनके शैक्षिक स्तर के आधार पर तीन वर्गों में विभाजित किया गया ।

<u>वर्ग</u>	<u>शैक्षिक स्तर</u>
■ 1.	अशिक्षित
■ 2.	मैट्रिक तक शिक्षा
■ 3.	मैट्रिक से अधिक शिक्षा

पालकों से जो प्रश्न पूछे गये थे उनमें से निम्न लिखित प्रश्न उनकी शिक्षा के प्रति मनोस्थिति को प्रदर्शित करते हैं :

1. आपके विचार से लड़कियों को शाला न भेजने का प्रमुख कारण क्या है ?
 - ।अ। आय की कमी
 - ।ब। पढ़ाई प्रथा
2. बच्चों को शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए ?
 - ।स। उर्दू भाषा के माध्यम से
 - ।द। किसी भी भाषा के माध्यम से
3. क्या आप अपने बच्चों की पढ़ाई में सहायता करते हैं ?
 - ।ई। हाँ करते हैं
 - ।फ। नहीं कर पाते

उपरोक्त प्रश्नों के संदर्भ में पालकों से प्राप्त उत्तरों का तालिका क्रमांक 6.32 में विश्लेषण किया गया है ।

तालिका क्रमांक - 6.26

पालकों के शैक्षिक स्तर का विश्लेषण

विभिन्न वर्ग के पालकों की संख्या तथा शाला का स्तर

क्रमांक	शाला का कोड	मुल्यांकन के से प्राप्तंक	पालकों का शैक्षिक स्तर			
			अ। अशिक्षित	ब। मेट्रिक स्तर	ग। मेट्रिक से अधिक	
1	01	98	0	0	60	
2.	10	87	0	8	52	
3.	03	82	0	17	32	
4.	11	82	0	8	52	
5.	12	80	19	35	6	
6.	13	79	12	25	7	
7.	14	73	16	34	10	
8.	16	71	8	37	15	
9.	15	70	2	47	11	
10.	17	68	8	38	14	
11.	18	65	15	40	5	
12.	19	64	19	35	6	
13.	20	63	3	15	42	
14.	09	58	17	43	0	
N = 14			119	382	312	813 योग
प्रतिशत			14.63	46.99	38.38	100

तालिका क्रमांक - 6.27

"अ" वर्ग के अशिक्षित पालकों की संख्या तथा शाला के स्तर के मध्य सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	मूल्यांकन से प्राप्त क्रमांक	अशिक्षित पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी = आर 1 - आर 2	डी ²
1.	01	98	0	1	12.5	-11.5	132.25
2.	10	87	0	2	12.5	-10.5	110.25
3.	03	82	0	3.5	12.5	- 9	81
4.	11	82	0	3.5	12.5	- 9	81
5.	12	80	19	5	1.5	3.5	12.25
6.	13	79	12	6	6	0	0
7.	14	73	16	7	4	3	9
8.	16	11	8	8	7.5	+ 0.5	0.25
9.	15	70	2	9	10	- 1	1
10.	17	68	8	10	7.5	2.5	6.25
11.	18	65	15	11	5	6	36
12.	19	64	19	12	1.5	10.5	110.25
13.	20	63	3	13	9	4	16
14.	09	58	17	14	3	11	121

N = 14

$\sum d^2 = 716.6$

$$\begin{aligned}
 \text{सह संबंध} &= 1 - \frac{6 \sum d^2}{N (N^2 - 1)} \\
 &= 1 - \frac{6 \times 716.5}{14 (14^2 - 1)} \\
 &= 1 - 4299/2730 \\
 &= -0.574
 \end{aligned}$$

तालिका 6.27 में "अ" वर्ग के पालकों, अर्थात् ऐसे पालक जो अशिक्षित अथवा कम शिक्षा प्राप्त हो, उनके द्वारा अपनी बच्चियों की पढ़ाई के लिए चुनी गई शालाओं के स्तर के मध्य सह संबंध ज्ञात किया गया है जो -0.574 है। प्रशिक्षित पालकों ने अधिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयों को ही चुना है।

तालिका क्रमांक - 6.28

वर्ग "ब" के पालकों की संख्या एवं शाला के स्तर के मध्य सह संबंध

क्रमांक	शाला का कोड	मूल्यांकन के प्राप्तांक	मेट्रिक तक पढ़े पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी = आर 1 - आर 2	डी ²
1.	01	98	0	1	14	-13	169
2.	10	87	8	2	12.5	-10.5	110.25
3.	03	82	17	3.5	10	-6.5	42.25
4.	11	82	8	3.5	12.5	-9	81
5.	12	80	35	5	6.5	-1.5	2.25
6.	13	79	25	6	9	-3	9
7.	14	73	34	7	8	-1	1
8.	16	71	37	8	5	3	9
9.	15	70	47	9	1	8	64
10.	17	68	38	10	4	6	36
11.	18	65	35	11	3	8	64
12.	19	64	35	12	6.5	-5.5	30.25
13.	20	63	15	13	11	+2	4
14.	09	58	43	14	2	12	144

$$N = 14$$

$$\sum d^2 = 766$$

$$\text{सह संबंध} = 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2-1)}$$


$$= 1 - 4596/2730$$

$$= -0.6835$$

पालकों की शिक्षा स्वं शाला स्तर का मूल्यांकन

आलेख क्रमांक 6.07

पालकों की शिक्षा का स्तर



तालिका क्रमांक 6.28 में मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त पालकों की संख्या तथा शाला के स्तर के मध्य सह संबंध ज्ञात किया गया, जो -0.683 आया। इस वर्ग के अधिकतर पालक सामान्य शालाओं में ही अपनी बालिकाओं को पढ़ाते हैं। अण्णात्मक सह संबंध यह दर्शाता है कि अच्छी शालाओं में इस वर्ग के पालकों के बालिकाओं की संख्या कम होती जाती है।

मेट्रिक से अधिक पढ़े पालक अपनी बालिकाओं को उच्च स्तर की शालाओं में शिक्षा दिला रहे थे। इनके मध्य सह संबंध का मान $+ 0.638$ आया। यह मान इंकित करता है कि अच्छी शालाओं में पढ़ाने वाले पालक अधिक शिक्षित हैं।

आलेख क्रमांक 6.07 से भी इन सह संबंधों के मानों की पुष्टि होती है। आलेखों में सरल रेखा से जो विचलन आ रहा है वह शालाओं में किसी विशेष क्षेत्र की स्थिति के कारण है। शाला कोड क्रमांक 20 नये भोपाल के मध्य क्षेत्र में स्थित है। इस शाला में पढ़ने वाली छात्राओं के अधिकतम पालक नौकरी में हैं, तथा उच्च शिक्षित हैं। यदि इस शाला को आलेख में सम्मिलित न किया जाये, तो प्राप्त आलेख लगभग एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, जो रेखीय सह संबंध को सूचित करता है।

तालिका क्रमांक - 6.29

पालकों की संख्या तथा शाला स्तर के मध्य सह संबंध

'स' वर्ग के पालक

क्रमांक	शाला का कोड	मूल्यांकन	पालकों की संख्या	आर 1	आर 2	डी = आर1-आर2	डी ²
1.	01	98	60	1	1	0	0
2.	10	87	52	2	2.5	- 0.5	0.25
3.	03	82	32	3.5	5	- 1.5	2.25
4.	11	82	52	3.5	2.5	1	1
5.	12	80	6	5	11.5	- 6.5	42.25
6.	13	79	7	6	10	- 4	16
7.	14	73	10	7	9	- 2	4
8.	16	71	15	8	6	2	4
9.	15	70	11	9	8	1	1
10.	17	68	14	10	7	3	9
11.	18	65	5	11	13	- 2	4
12.	19	64	6	12	11.5	0.5	0.25
13.	20	63	42	13	4	9	81
14.	09	58	0	14	14	0	0

$N = 14$

$\sum d^2 = 165$

$$\begin{aligned}
 \text{सह संबंध} &= 1 - \frac{6 \sum d^2}{N(N^2-1)} \\
 &= 1 - \frac{6 \times 165}{14 \times (14^2 - 1)} \\
 &= 1 - 990/2730 \\
 &= 1 - 0.362 = 0.638
 \end{aligned}$$

तालिका क्रमांक - 6.30

शाला का स्तर, पालकों के बच्चों की संख्या एवं मकान की स्थिति

क्रमांक	शाला का कोड	मूल्यांकन के प्राप्तांक	ऐसे पालकों की संख्या जिनके परिवार में बच्चों की संख्या			ऐसे पालकों की संख्या जिनके घर	
			2	4	4 से अधिक	कच्चे हैं	पक्के हैं
1	01	98	36	24	0	0	60
2.	10	87	12	40	8	2	58
3.	03	82	29	12	18	0	49
4.	11	82	25	30	5	8	52
5.	12	80	4	16	40	36	24
6.	13	79	4	15	25	13	31
7.	16	73	8	13	39	41	19
8.	16	71	6	15	39	38	22
9.	15	70	2	39	19	32	28
10.	17	68	7	23	30	20	40
11.	18	65	8	17	35	42	18
12.	19	64	7	11	42	39	21
13.	20	63	13	30	17	9	51
14.	09	58	5	42	13	41	19
			166	327	320	321	492

तालिका क्रमांक - 6.31

पालकों के बच्चों की संख्या, मकान की स्थिति एवं आमदनी का प्रतिशत

घर	"अ" वर्ग		"ब" वर्ग		
	पालकों की संख्या	प्रतिशत	पालकों की संख्या	प्रतिशत	
1. बच्चों की संख्या	2	36	10	130	28.7
	4	137	38.05	190	41.94
	4 से अधिक	187	51.95	133	29.36
		360	100%	453	100%
2. मकान	कच्चा	233	64.72	88	19.43
	पक्का	127	35.28	365	80.57
		360	100%	453	100%
3. मासिक आय :					
	1000/- से कम	176	48.89	51	11.25
	1001 से 3000/- तक	167	46.39	230	50.77
	3001 से अधिक	17	4.72	172	37.98
		360	100%	453	100%

उपर्युक्त तालिका से प्रतीत होता है कि कच्चे मकानों में रहने वाले "अ" वर्ग के पालकों का प्रतिशत 64.72 पाया गया जबकि "ब" वर्ग के केवल 19.43 प्रतिशत पालक ही निवास करते थे। इसके साथ-साथ इस वर्ग के परिवार में 4 या 4 से अधिक बच्चों की संख्या का प्रतिशत केवल 29.36 पाया गया, जबकि यह "अ" वर्ग के परिवारों में 51.95 परिलक्षित हुआ।

तालिका क्रमांक - 6.32

शिक्षा के प्रति पालकों की मनोस्थिति

वर्ग	शाला कोड	लड़कियों को शाला न भेजने के कारण		शिक्षा का माध्यम		पढ़ाई में सहायता	
		1 आय की कमी	2 पढ़ाई प्रथा	3 उर्दू	4 कोई भी	5 हां	6 नहीं
"अ" वर्ग	14	32	28	13	47	21	39
	16	23	37	17	43	22	38
	15	45	15	13	47	18	42
	18	24	36	12	48	23	37
	19	47	13	41	19	12	48
	09	43	17	49	11	8	52
N = 6	214	146	145	215	104	256	
प्रतिशत	59.4	40.6	40.28	59.72	28.89	71.11	
"ब" वर्ग	01	6	54	2	58	60	0
	10	36	24	2	58	55	5
	03	32	17	2	47	49	0
	11	25	35	7	53	52	8
	12	24	36	9	51	26	34
	13	17	27	6	38	18	26
	17	24	36	7	53	48	12
	20	24	36	9	51	49	11
N = 8	188	265	44	409	357	96	
प्रतिशत	41.5	58.5	9.72	90.28	78.8	21.2	

तालिका क्रमांक 6.32 के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि "अ" वर्ग की शालाओं में अध्ययनरत बालिकाओं के पालक अपनी बालिकाओं को शाला न भेजने का प्रमुख कारण पढ़ाई प्रथा को मानते हैं जबकि "ब" वर्ग के पालकों में इसका प्रतिशत तुलनात्मक कम पाया गया ।

"अ" वर्ग के 40 प्रतिशत से अधिक पालक शिक्षा उर्दू भाषा के माध्यम से दी जाए, ऐसा मानते हैं । जबकि "ब" वर्ग के केवल 10 प्रतिशत पालक उर्दू माध्यम से शिक्षा दिलाना पसंद करते हैं ।

"अ" वर्ग के लगभग 29 प्रतिशत पालक अपने बच्चों को पढ़ाई में सहायता करते हैं । जबकि "ब" वर्ग के लगभग 78 प्रतिशत पालक पढ़ाई में सहायता करते हैं।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि "ब" वर्ग की शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को उनके पालकों द्वारा शिक्षा में समानता के अधिक अवसर दिए जाते हैं ।

6.05 छात्राओं हेतु प्रश्नावली का विश्लेषण :

शैक्षिक अवसरों की समानता का निर्धारण करने के लिए छात्राओं को प्रश्नावली दी गई थी । इस प्रश्नावली में छात्राओं से पूछे गये प्रश्न निम्नलिखित तथ्यों से संबंधित थे :

1. शाला में पढ़ाई जाने वाली भाषाएं,
2. पढ़ाई का माध्यम,
3. सहगामी क्रियाएं,
4. सामाजिक संदर्भ

प्रश्नावली में "हां" एवं "नहीं" के अंतर्गत उत्तर लिये गये, छात्राओं से प्राप्त उत्तरों को दो श्रेणी में बांटा गया । "अ" वर्ग में ऐसी शालाओं की छात्राओं को रखा गया, जहां मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत औसत से अधिक था,

तथा "ब" वर्ग में उन छात्राओं को रखा गया, जो ऐसी शालाओं में पढ़ती थीं जहाँ मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत औसत से कम था। उत्तरों का विवेचन नीचे किया गया है :

प्रश्न - 1 कया आप शाला में उर्दू विषय पढ़ रही हैं ?

तालिका क्रमांक - 6.33

शालाओं उर्दू विषयक का अध्ययन

क्रमांक	शाला कोड	हां	नहीं	
"अ" वर्ग	1.	18	51	09
	2.	14	55	05
	3.	09	58	02
	4.	16	49	11
	5.	19	52	08
	6.	15	53	07
		88.34 %	11.66 %	
"ब" वर्ग	7.	12	49	11
	8.	10	42	18
	9.	17	40	20
	10.	20	43	17
	11.	11	45	15
	12.	01	42	18
	13.	13	40	04
	14.	03	28	21
		73.6 %	26.4 %	

"अ" वर्ग की 88.34 प्रतिशत छात्राओं ने उर्दू विषय पढ़ना स्वीकार किया, एवं शेष 11.66 प्रतिशत छात्राओं ने मना कर दिया। इसी प्रकार "ब" वर्ग की शालाओं में उर्दू भाषा लेने वाली छात्राओं का प्रतिशत 73.6 % था, शेष 26.4 % मुस्लिम छात्राओं ने उर्दू विषय को नहीं चुना।

प्रश्न - 2 क्या आपने विज्ञान विषय लिया है ?

तालिका क्रमांक - 6.34 III

विज्ञान विषय का चयन

	क्रमांक	शाला कोड	हां	नहीं
"अ" वर्ग	1.	18	46	14
	2.	14	44	16
	3.	09	42	18
	4.	16	45	15
	5.	19	42	18
	6.	15	43	17
"ब" वर्ग	7.	12	44	16
	8.	10	50	10
	9.	17	52	08
	10.	20	49	11
	11.	71	18	42
	12.	01	25	35
	13.	13	06	38
	14.	03	19	30

तालिका क्रमांक - 6.34

वर्ग	एन	हां	नहीं
"अ"	360	20.27 %	79.73 %
"ब"	453	32.67 %	67.33 %

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ग "ब" की शाखाओं में विज्ञान विषय लेने वाली छात्राओं का प्रतिशत अधिक है। उस वर्ग की लगभग एक तिहाई छात्राओं ने विज्ञान विषय लिया है। जबकि "अ" वर्ग की शाखाओं में केवल 20.27 प्रतिशत छात्राओं ने विज्ञान विषय का ध्यान दिया है।

प्रश्न - 3 क्या आपके पास सभी पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य पठन सामग्री उपलब्ध हैं ?

तालिका क्रमांक 6.35 [अ]

पाठ्यपुस्तकों से संबंधित विश्लेषण

क्रमांक	शाला कोड	हां	नहीं	
"अ" वर्ग	1.	18	48	
	2.	14	50	
	3.	09	06	54
	4.	16	02	58
	5.	19	7	53
	6.	15	05	55
N = 6		42	318	
"ब" वर्ग	7.	12	53	07
	8.	10	59	01
	9.	17	54	06
	10.	20	56	04
	11.	11	60	00
	12.	01	60	00
	13.	13	41	03
	14.	03	49	00
N = 8		432	21	

तालिका क्रमांक - 6.35 [ब]

वर्ग	एन	हां	नहीं
"अ"	360	11.67 %	88.33 %
"ब"	453	95.37 %	4.63 %

उपर्युक्त तालिका से यह प्रतीत होता है कि "अ" वर्ग की शालाओं में 88.33 प्रतिशत छात्राओं के पास पाठ्य पुस्तकें एवं पठन सामग्री^{परिपूर्ण} उपलब्ध नहीं थीं। केवल 11.67 प्रतिशत छात्राएँ ही उपरोक्त सामग्री से परिपूर्ण पायी गईं। इसी प्रकार "ब" वर्ग की शालाओं में पढ़ने वाली 95.37 प्रतिशत छात्राओं के पास सभी पाठ्य पुस्तकें एवं अध्ययन सामग्री उपलब्ध पायी गईं। केवल 4.63 प्रतिशत छात्राओं के पास ही इनका अभाव था।

प्रश्न - 4 क्या आप उर्दू माध्यम से पढ़ना चाहती हैं ?

तालिका क्रमांक - 6.36 131

विद्यालयों में उर्दू माध्यम द्वारा अध्ययन का विश्लेषण

क्रमांक	शाला कोड	हां	नहीं
"अ" वर्ग	1.	18	45
	2.	14	20
	3.	09	18
	4.	16	10
	5.	19	25
	6.	15	20
N = 6		220	138
"ब" वर्ग	7.	12	25
	8.	10	60
	9.	17	50
	10.	20	52
	11.	11	60
	12.	01	58
	13.	13	43
	14.	03	47
N = 8		58	395

तालिका क्रमांक - 6.36 ।ब।

वर्ग	सं	हां	नहीं
"अ" वर्ग	360	61.67 %	38.33 %
"ब" वर्ग	453	13.8 %	87.2 %

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि "अ" वर्ग की शालाओं में 61.67 प्रतिशत छात्राये उर्दू माध्यम से पढ़ना चाहती हैं एवं 38.33 प्रतिशत छात्रों ने उर्दू माध्यम द्वारा पढ़ना स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार "ब" वर्ग की शालाओं में केवल 13.8 प्रतिशत छात्राओं ने ही उर्दू माध्यम से पढ़ना पसन्द किया, शेष 87.2 प्रतिशत मुस्लिम छात्राओं ने उर्दू माध्यम से पढ़ना नहीं चुना।

प्रश्न - 5 क्या आप विद्यालयीन उत्सवों में भाग लेती हैं ?

तालिका क्रमांक - 6.37 131

विद्यालयीन उत्सवों का विश्लेषण

	क्रमांक	शाला कोड	हां	नहीं
"अ" वर्ग	1.	18	06	54
	2.	14	12	48
	3.	09	01	59
	4.	16	02	58
	5.	19	03	57
	6.	15	08	52
N = 6			32	328
"ब" वर्ग	7.	12	06	54
	8.	10	11	49
	9.	17	20	40
	10.	20	22	38
	11.	11	25	35
	12.	01	28	32
	13.	13	10	34
	14.	03	20	29
N = 8			142	311

तालिका क्रमांक - 6.37 131

वर्ग	संख्या	हां	नहीं
"अ" वर्ग	360	8.89 %	91.11 %
"ब" वर्ग	453	31.35 %	68.65 %

उपरोक्त तालिका प्रदर्शित करती है कि "अ" वर्ग की शालाओं में 0.67 प्रतिशत छात्राओं ने विद्यालयीन उत्सवों एवं गतिविधियों में भाग लिया है एवं 91.11 प्रतिशत छात्राओं ने भाग लेने में अपनी असमर्थता दिखाई है जबकि "ब" वर्ग की शालाओं में 31.35 प्रतिशत छात्राओं ने विद्यालयीन उत्सवों में अभिरूचि दिखाई, जबकि 68.65 प्रतिशत छात्राओं ने भाग लेने में अपनी असमर्थता प्रदर्शित की है।

प्रश्न - 6 क्या आप सहभागी गतिविधियों में भाग लेती हैं ?

तालिका क्रमांक - 6.3B.191

विद्यालयीन सहभागी गतिविधियों का विवरण

	क्रमांक	शाला कोड	ए।	बी।
"अ" वर्ग	1.	18	12	48
	2.	14	07	53
	3.	09	02	58
	4.	16	04	56
	5.	19	06	54
	6.	15	08	52
"ब" वर्ग	7.	12	13	47
	8.	10	14	41
	9.	17	11	49
	10.	20	12	48
	11.	11	18	42
	12.	01	43	17
	13.	13	09	35
	14.	03	22	27

तालिका क्रमांक - 6.38 1991

वर्ग	सम	हॉ	महॉ
"अ" वर्ग	560	10.83 x	89.17 x
"ब" वर्ग	453	32.45 x	67.55 x

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि "अ" वर्ग के छात्राओं में केवल 10.83 प्रतिशत छात्राओं ने ही विद्यालयीन स्तरवर्गी गतिविधियों में भाग लेना बताया, जबकि शेष 89.17 प्रतिशत छात्राओं ने मना कर दिया ।

इसी प्रकार "ब" वर्ग की छात्राओं ने भी 32.45 प्रतिशत छात्राओं ने गतिविधियों में भाग लेना स्वीकार किया एवं शेष ने अस्वीकारा प्रतिक्रिया की ।

प्रश्न - 7 क्या आपको लगता है गतिविधियों में जोड़ पुरस्कार मिलता है ?

उत्तरित प्रश्न - 6. 19 191

गतिविधियों में पुरस्कार प्राप्त की संख्या

क्रमांक	शाला कोड	जी	जी
1.	18	00	60
2.	14	00	61
3.	09	00	60
4.	16	00	60
5.	19	00	60
6.	15	00	60
7.	12	01	59
8.	10	01	59
9.	17	00	60
10.	20	00	60
11.	11	02	58
12.	12	04	56
13.	13	00	44
14.	14	02	47

$N = 14$

तालिका क्रमांक - 6.39 [ब]

वर्ग	एन	हां	नहीं
"अ" वर्ग	360	--	100 प्रतिशत
"ब" वर्ग	453	2.2 प्रतिशत	97.8 प्रतिशत

तालिका से स्पष्ट होता है कि "अ" वर्ग की छात्राओं में एक भी छात्रा ने सहभागी गतिविधियों में कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं किया। जबकि "ब" वर्ग की छात्राओं में केवल 2.2 प्रतिशत छात्राओं ने पुरस्कार प्राप्त किया ?

अध्याय - तप्तम

निष्कर्ष, तारांश एवं भावी शोध कार्य हेतु

कुछ प्रस्तावित शोध समस्याएं

निकर्ष , सारांश एवं भावी शोध कार्य हेतु कुछ प्रस्तावित
शोध समस्याएं

7.01 भूमिका :

मुस्लिम समुदाय में शिक्षा व्यवस्था का प्रारंभ "तन्हा नबवी" से हुआ था, जो हजरत मोहम्मद द्वारा रचित एक मंत्र था। उद्देश्य उनही तहफोशियों द्वारा वहाँ शिक्षा प्रदान करोये। इस मंत्र द्वारा कुरान एवं हदीथ के उपदेशों को यत्न शिक्षा प्रदान की जाती थी। 622 में जब हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना प्रस्थान कर गये तभी से मदीना की नबवी मस्जिद इस्लामी शिक्षा को प्रथम संस्था ब्लो। शिक्षा का उद्देश्य शिक्षार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना था तथा, शिक्षण प्रक्रिया चौबोनों धण्टे चलती रहती थी। ज्ञान अथवा "इल्म" को व्याख्या करते हुए हजरत मोहम्मद कहते हैं कि विश्वास नग्न होता है, उतका परिधान क्या है, उतका अलंकार विनम्रता है तथा उतका फल ज्ञान है।

परम्परागत इस्लामी विचारधाराानुसार ज्ञान का आशय किसी निर्देशक के निर्देशान में कुरान व हदीथ की तहायता से ज्ञान को आत्मतातु करना है, किन्तु यह केवल धार्मिक उपदेशों तक ही सीमित न रहकर मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबन्ध रखता है। इतका उपयोग मुसुय की कल्याणकारी गतिविधियों एवं सम्पन्नता के लिए किया जाना चाहिए।

शिक्षा के विस्तृत अर्थ का इस्लाम धर्म में समावेश होते हुए भी स्वार्थी व्यक्तियों ने इसके व्यावहारिक स्वल्प को संकीर्ण सीमाओं में परितोमित

कर दिया। जनताधारण में यह उभात्मक अवधारणा जंकुरित हो गयी कि इस्लाम धर्म में शिक्षा का अर्थ केवल धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा से ही है। इस संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य तथा सामाजिक अध्ययन आदि महत्वपूर्ण विषयों को महत्त्व नहीं दिया गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु यह रहा कि स्त्री शिक्षा के संबंध में सभी धार्मिक ग्रन्थ मौन रहे। संकुचित विचारधारा वाले धार्मिक गुरुओं ने स्त्री शिक्षा से संबंधित आग्रहों को घसीट करना ही स्वयं के लिए हितकर समझा। अतः इस्लामी शिक्षा का सूत्रगत ही नारी शिक्षा की अवहेलना से हुआ जिसके परिणामस्वरूप सामान्य नारी आज भी इस अनुच्छेद को देखने में स्वयं को सशक्त महसूस नहीं कर रही है। भारत में इस्लाम के उदय से स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस दिशा में किसी प्रकार की रुचि पारिलक्षित नहीं होती। इसका परिणाम यह हुआ कि अन्य समुदाय की नारियों की तुलना में मुस्लिम वर्ग की शिक्षा इस दिशा में पिछड़ गई। स्वाधीनता उपरांत इस क्षेत्र में उदारवादी मुस्लिम समाज सुधारकों व राजनेताओं ने अपने प्रयास प्रारंभ किये और पिछले तैंतालीस वर्षों के प्रयासों ने एक नयीन चेतना को जन्म दिया। यद्यपि आज भी स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती और निकट भविष्य में भागीरथीय प्रयासों की आवश्यकता है। इन्हीं से भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जातियों की समानता की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सकेगा।

7.02 धर्मनिरपेक्षता व मुस्लिम शिक्षा का आधुनिकीकरण :

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने राष्ट्र को एक धर्मनिरपेक्ष स्वल्प प्रदान करने की कल्पना को राष्ट्रहित का मूल मंत्र स्वीकार किया। भारत जैसे उप महाद्वीप हेतु यह अवधारणा सत्य थी क्योंकि, अल्पसंख्यक समुदायों के सहयोग के अभाव में राष्ट्रीय विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है।

संख्यात्मक दृष्टि से मुस्लिम समुदाय अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की अपेक्षा अधिक वृद्धत है। राष्ट्र के आर्थिक उत्थान में इसका सराहनीय योगदान रहा है। ऐसी स्थिति में इस सम्पूर्ण समुदाय, जिसमें पुरुष व स्त्रियां दोनों ही राष्ट्र की प्रगति में समानरूपेण भागीदार हैं, की शिक्षा की समुचित व्यवस्था करना, न केवल समुदाय के हित तक ही सीमित है, बरन् इसमें सम्पूर्ण देश का कल्याण निहित है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि स्त्री पुरुषों के लिए न केवल प्राथमिकों की स्वरेखा प्रस्तुत की जाय बरन् समाज-समय पर इस तथ्य का मूल्यांकन किया जाय कि प्रदत्त प्राथमिकों का अल्पसंख्यक समुदाय किस सीमा तक उपयोग कर पा रहा है। यदि परिणाम संतोषजनक उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो उन कारणों को खोजना होगा जो मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। उन बाधक तत्वों को प्रकट करने की एक निश्चित योजना की स्वरेखा का भी नियोजन करना नितांत आवश्यक है।

हम पुनः तैदान्तिक पक्ष पर लौट आते हैं। सामान्यतः संकीर्णवादी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। संभवतः उनकी विचारधारा इस शब्द की आत्मा को सही अर्थों में अव्यक्त करने में तक्ष्म प्रतीत नहीं होती। डी. ई. स्मिथ ने धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या अति सरल शब्दों में की है। उनका मत है कि धर्म निर्पेक्ष राष्ट्र वह है जो अपने नागरिकों को धर्म की व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करता है, व्यापक के साथ एक नागरिक का ता व्यवहार ^{जिसका} किसी भेदभाव के करता है, न तो राज्य किसी विशिष्ट धर्म को प्रमथ देता है और न ही धार्मिक विधियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है।¹

1. डी. ई. स्मिथ, इंडिया एज ए सेक्यूलर स्टेट, प्रिन्सटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1962, पृ. 3.

इस प्रकार का उदार दृष्टिकोण एक सुशिक्षित समुदाय में ही जन्म ले सकता है। आवश्यकता है एक समुचित निर्देशन की जिसके लिए शिक्षा ही एक सशक्त माध्यम हो सकती है। 1986 की शिक्षा नीति ने इस दिशा में एक मार्ग प्रशस्त किया। देशव्यापी समान शिक्षा प्रणाली की पहल करते हुए भी उसने पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों तथा शिक्षण माध्यम के संदर्भ में प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की है।

शैक्षिक सुविधाओं के अतिरिक्त आज प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 अल्प संख्यकों के शैक्षिक हितों की रक्षा चार स्पष्ट निर्देशों द्वारा करता है :

1. नागरिकों के किसी वर्ग को स्वयं की भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार (अनुच्छेद 29)(1)
2. धार्मिक अथवा भाषाई अल्पसंख्यकों को निजी शैक्षिक संस्थाएँ स्थापित करना तथा उन्हें प्रशासित करने का अधिकार (अनुच्छेद 30)(1)
3. राजकीय अनुदान हेतु अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक संस्थाओं का इस आधार पर पक्षपात न किये जाने का अधिकार कि वे इन समुदायों द्वारा प्रशासित की जा रही हैं। (अनुच्छेद 30)(2), तथा
4. धर्म, लिंग, वर्ण, जाति, भाषा के आधार पर राजकीय तथा राजकीय अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किसी नागरिक को प्रवेश न दिये जाने के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 29(2))

इन समस्त प्रावधानों के फलस्वरूप भी सामान्यतः यह प्रश्न उठाया जाता है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय का विद्यालयीन शिक्षा के प्रति उदासीन

दृष्टिकोण क्यों है ? बालिकाओं की शिक्षा का प्रश्न तो और भी गंभीर है । डा. एम. एस. शरीफ खान का मत है कि सामान्यतः लोगों का यह भ्रम है कि धर्म तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक दूसरे के विरोधी हैं । वे आगे लिखते हैं कि इस प्रकार की मान्यता आधारहीन है । विज्ञान व प्रौद्योगिकी ज्ञान पर आधारित है । कुरान में भी ज्ञान के महत्व को स्वीकारा गया है । इसे " ज्ञान की पुस्तक " कहा गया है । ज्ञान तथा विज्ञान चिंतन व तर्क से प्राप्त होते हैं । ²

इस स्थल पर एक और प्रश्न उभर कर आता है, क्या आधुनिकीकरण का आशय केवल विज्ञान व प्रौद्योगिकी तक ही सीमित है ? वास्तव में आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है । अंधविश्वास तथा रुढ़िवादिता निष्क्रिय हो जाती है, किन्तु चार दशकों की स्वाधीनता के उपरांत भी इस प्रकार की विस्तृत विचारधारा अपना वास्तविक रूप नहीं ले पाई है । मुस्लिम समुदाय के संकीर्ण विचारवादी युवा पीढ़ी को धर्म स्वी अफीम से प्रभावित करते रहते हैं । यह एक दीगर तथ्य है कि आधुनिक मुस्लिम युवा पीढ़ी अत्यधिक उदारवादी हो चुकी है । उसके चिंतन, दृष्टिकोण व जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है किन्तु मुस्लिम नारी के संबंध में इस दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए एक लम्बी यात्रा करनी होगी । जब तक मुस्लिम बालक-बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों का समान रूप से उपभोग करने का अधिकार न दिया जायेगा तब तक उन्हें, विशेषकर बालिकाओं को समाज में आधुनिक धारा से जोड़ना केवल आत्मसंतोष मात्र होगा, एक भ्रमात्मक परिकल्पना होगी, क्योंकि शिक्षा ही आधुनिकीकरण का प्रवेश द्वार है । इसमें विज्ञान की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसका उद्देश्य

2. एम. एस. शरीफ खान, रिलीजन एण्ड माडर्न एज, आशीष पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली, 1990, पृ. 135

सशक्त परिकल्पनाओं को प्रस्तुत करना और उनका कठोर व सतत परीक्षण करना नितांत आवश्यक है ।

परन्तु विडम्बना यह है कि कुरान की शिक्षा पूर्णरूपेण अध्यात्मिक है । ऐसी स्थिति में इस्लाम धर्म की शिक्षा को विज्ञान की अवधारणा से जोड़ना न्याय संगत नहीं होगा । धार्मिक सिद्धान्त किन्हीं वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो सकते हैं किन्तु धर्म विज्ञान नहीं बन सकता । धार्मिक सिद्धान्तों एवं परम्पराओं का मूल्य मुस्लिम नारी समुदाय को आज के विकसित समाज में भी चुकाना पड़ रहा है । उसे धार्मिक शिक्षा की परिधि से बाहर निकल कर आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने के अवसर आज भी अत्यधिक सीमित हैं ।

यह सत्य है कि इस्लामी शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मेयो कॉलेज (अलीगढ़) स्थापित कर प्रारंभ कर दिये थे जिसकी स्थापना मूलतः दो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई थी :

1. मुस्लिम समुदाय के लोगों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करना, तथा
2. उनकी धार्मिक मान्यताओं को सुरक्षित रखना । किन्तु 1898 में उनका निधन हो गया । कुछ उदारवादी विचारकों का मत है कि यदि सर सैयद अहमद खां का प्रयास सफल हो जाता तो संभवतः आज मुस्लिम समुदाय की नारियां भी शैक्षिक स्तर से काफी प्रगतिशील होती ।

शिक्षा के आधुनिकीकरण के प्रयास हेतु नादवा की स्थापना की गई । इस संस्था का उद्देश्य परम्परागत शिक्षा प्रणाली को नवीन स्वस्व्य देना तथा उसमें स्त्रियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना था ।³

3. मो. अरवालाक अहमद, ट्रेडिशनल एजुकेशन एमंग दि मुस्लिमस, बी.आर. पब्लिकेशन, दिल्ली, 1985, पृ. 158

अनेकानेक प्रयासों के परिणाम स्वल्प भी समुदाय की स्त्री शिक्षा पर क्रांतिकारी परिवर्तन न आ सका । वर्तमान शोध प्रबंध में उन कारकों को खोजने का प्रयास किया गया जो इस स्थिति के लिए उत्तरदाई हैं । इन कारकों की विवेचना दो बृहत् वर्गों में की गई :

1. विद्यालय में विद्यमान कारक, तथा
2. विद्यालय के बाहर विद्यमान कारक ।

इससे पूर्व कि उपरोक्त दोनों आयामों से संबंधित निष्कषी प्रस्तुत किए जाएं, यह स्पष्ट रूप में स्वीकार करना अनुचित न होगा कि अध्ययन से उपलब्ध तथ्य अंतिम नहीं हैं क्योंकि यह एक आंशिक शोध है, जिसका अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक ही परिसीमित रखा गया है ।

1. विद्यालय के अंतर्गत विद्यमान कारक :

विद्यालयगत शैक्षिक अवसरों की समानता की उपलब्धता से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित दो तथ्यों को प्रकाश में लाते हैं :

।अ। न्यादर्श में सम्मिलित सभी कन्या शालाओं में शैक्षिक अवसरों की समानता लगभग समस्या थी । 14 कन्या विद्यालयों तथा 10 आदर्श विद्यालयों के शैक्षिक वातावरण में लगभग समस्या पाई गई, परन्तु बालिका विद्यालयों की तुलना में बालक विद्यालयों में अधिक सुविधायें दृष्टिगोचर हुईं;

।ब। न्यादर्श में सम्मिलित बालिका विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत 36.15 था । इससे यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समुदाय की तुलना में हिन्दू

समुदाय की सामाजिक कार्य शक्ति उधारों की सुविधा का अधिक लाभ उठा रही हैं। औद्योगिक नगर हुए हैं जो तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है :-

1. पुराना क्षेत्र
2. नया क्षेत्र, व
3. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल क्षेत्र

पुराने क्षेत्र में आमतौर पर समुदाय की सुविधाओं का विकास करता है। इस क्षेत्र की सुविधाएँ अक्सर नए क्षेत्रों के लिए यह नगर का स्थापित हुआ समय पर ही बन गई हैं। यह नगर के प्राचीन सांस्कृतिक स्तरों पर पूर्ण निर्धारण भी करता है। छोटे-छोटे मठान, लोकरि मठियाँ तथा पुरानी रीतिरिवाज इमारतों यहाँ पर स्थित हैं।

नगर का आधुनिक क्षेत्र में सामान्यतः एक प्रकार की सुविधाएँ की जाती है जिसका नियोजन सामुदायिक योजना के आधार पर किया है। आधुनिक रूप से पुनर्जाता बाजार एवं प्रान्तों संजये हुए लोगों का यह एक संगम स्थल है जहाँ यहाँ सुस्तिम जन-समुदाय की जनसंख्या उत्पन्न हो जाता है। अधिकतर विद्यालय भी इसी क्षेत्र में स्थित हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल एक औद्योगिक क्षेत्र है। यह नगर पूर्ण रूप से आधुनिक रूप से युक्त है। नगर के अन्य क्षेत्रों

की तुलना में इसमें अन्य प्रान्तों से आये हुए प्रवासियों की संख्या अधिकतम है । मुस्लिम समुदाय की संख्या अत्यधिक न्यून है । इस क्षेत्र में भी कई बालक एवं बालिका विद्यालय हैं ।

॥स॥ अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट होता है कि नगर के पुराने भाग में जहाँ मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या अधिक है वहाँ विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत 62.15 है । भवन तथा अन्य सुविधायें लगभग सामान्य हैं, किन्तु खेल के मैदानों का अभाव है जो कि नगर के नवीन क्षेत्र की सभी शालाओं को उपलब्ध हैं ।

॥द॥ अध्ययन से यह तथ्य भी प्रकाश में आता है कि नगर के नवीन क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत, हिन्दू छात्राओं की तुलना में मात्र एक तिहाई है । इसके दो संभावित कारण हो सकते हैं :

1. पुराने भाग और नये भाग के मध्य की दूरी (पुराने भाग में निवास करने वाले मुस्लिम परिवार की बालिकाओं के लिए लगभग तीन किलोमीटर का फासला इन विद्यालयों में प्रवेश लेने में बाधक है । आवागमन के साधन भी अत्यधिक संतोषजनक नहीं हैं और उनकी पारिवारिक आय भी इतनी अधिक नहीं है कि वे स्वयं के वाहनों की व्यवस्था कर सकें, तथा
2. नगर के नवीन क्षेत्र में मुस्लिम समुदायों के परिवारों की संख्या का कम होना । इस क्षेत्र में अधिकतर वही परिवार हैं जिनके सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं । ये

अभिभावक सामान्यतः पढ़े लिखे वर्ग के अंतर्गत आते हैं । अतः इस श्रेणी के पालक अपनी बालिकाओं को मिश्रित विद्यालयों में भी भेज रहे हैं । यह तथ्य उन माता - पिता की शिक्षा के प्रति जागृकता का प्रतीक है । जो स्वयं शिक्षित हैं, और सेवारत हैं । क्षेत्र की दृष्टि से नगर का क्षेत्रफल निरंतर बढ़ता जा रहा है, और जो विद्यालय व्यक्तिगत समुदायों द्वारा संचालित हैं वे काफी दूरी पर स्थित हैं तथा उनके शुल्क का बोझ इतना अधिक है कि सामान्य आय वाला परिवार उसका वहन नहीं कर सकता । इसका परिणाम यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि 25 प्रतिशत निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आने वाले पालक अपनी बालिकाओं को स्वयं के निवास स्थल के निकटतम विद्यालयों में ही प्रवेश दिलाने का प्रयास करते हैं और यदि पारिवारिक उत्तरदायित्व कुछ अधिक होता है तो बालिकाओं की विद्यालयीन शिक्षा मध्य में ही समाप्त हो जाती है ।

जिन परिवारों की मासिक आय थोड़ी बहुत संतोषजनक है उनका प्रयास यही रहता है कि बालिकायें ऐसे विद्यालयों में भेजी जायें जहाँ उन्हें प्रत्येक प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हों । जहाँ तक सरकारी विद्यालयों का प्रश्न है वे सुविधायें लगभग सामान्य हैं । अतः अब एक ही विकल्प बचता है, अच्छे प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश दिलाना । अतः कान्वेन्ट समान अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में आर्थिक रूप से थोड़े बहुत सशक्त परिवारों की बालिकायें ही अधिक प्रवेश लेती हैं ।

2. शैक्षिक अवसरों की समानता के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय के बाहर
विद्यमान तत्व :

अध्ययन इस दिशा की ओर इंगित करता है कि हिन्दू व मुस्लिम दोनों वर्गों की छात्राओं को समान शैक्षिक अवसर भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुकूल हैं। साथ ही साथ जितनी भी कन्या शालायें नगर में स्थित हैं वे पाठन पठन हेतु लगभग समान वातावरण प्रदान करती हैं। परन्तु इस स्थल पर प्रश्न यह उठता है कि फिर मुस्लिम छात्रायें उन शैक्षिक प्रावधानों से संतोषजनक रूप से लाभान्वित क्यों नहीं हो पा रही हैं ? इस प्रश्न का उत्तर ढूँढने के लिए विद्यालय के बाहर विद्यमान तत्वों की समीक्षा करनी पड़ेगी।

पालकों का शैक्षिक स्तर :

परिवार के शैक्षिक वातावरण का प्रभाव बालक बालिकाओं की शिक्षा पर विशिष्ट रूप से पड़ता है। इसके लिए दो तत्व अत्यधिक कारगर सिद्ध होते हैं। पालकों का शैक्षिक स्तर तथा शिक्षा के प्रति उनकी आस्था अथवा अभिवृत्ति।

वर्तमान शोध में चयनित पालकों में लगभग 50 प्रतिशत केवल दसवीं कक्षा तक ही शिक्षित थे, लगभग 30 प्रतिशत पालकों की शिक्षा दसवीं कक्षा से ऊपर थी तथा लगभग 20 प्रतिशत पालक निरक्षर थे। पालकों द्वारा दिये गये साक्षात्कार द्वारा शोध विषय से संबंधित निम्नलिखित तथ्य उभर कर सामने आये :

1. बालिकाओं की शिक्षा में आर्थिक तत्व एक अवरोधक भूमिका का निर्वहण करता है। नगर के प्राचीन भाग से लिए गए न्यायदर्रा के अंतर्गत जिसमें अधिकांश मुस्लिम छात्रायें थीं,

(64.72 प्रतिशत) परिवार कच्चे मकानों में रह रहे थे एवं 50 प्रतिशत पालकों की आय 1000/- रुपये मासिक से कम थी। 90% परिवारों में बच्चों की संख्या चार अथवा उससे अधिक थी। ऐसी स्थिति में यह एक महज काल्पनिक विचारधारा होगी कि इस प्रकार की आर्थिक जटिलताओं को पार कर बालिकायें 9वीं, 10वीं अथवा 11वीं कक्षा तक पहुंचने में समर्थ हो सकें। एक रोचक तत्व और भी स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय के भीतर भी शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने की सीमा में अन्तर है। आर्थिक रूप से सशक्त वर्ग इसका पूर्ण लाभ ले रहा है जबकि निर्बल वर्ग इस दिशा में पिछड़ा हुआ है।

2. पालकों का शैक्षिक स्तर भी समस्या का एक मूलभूत कारण है। पालकों के शैक्षिक स्तर को देखते हुए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बालिकाओं की शिक्षा हेतु परिवार में जागरूकता का स्तर संतोषजनक नहीं है।

3. छात्राओं की अवधारणा :

पठन सामग्री : छात्राओं के पास पठन सामग्री का अभाव रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि नगर के पुराने क्षेत्र में अध्ययनरत 88.35 प्रतिशत छात्राओं के पास पाठ्यपुस्तकें एवं संदर्भ पुस्तकें तक उपलब्ध नहीं थीं। इसके विपरीत सम्पन्न परिवारों में 95.37 छात्राओं के पास यथोचित सामग्री उपलब्ध पायी गई।

माध्यम : यद्यपि शिक्षण माध्यम का संबंध विद्यालय-गत सुविधाओं के अंतर्गत आता है किन्तु जब हम हिन्दी को एक

राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और 9वीं, 10वीं तथा 11वीं कक्षा तक पहुँचने तक यह विद्यार्थी हिन्दी में भी सिद्धहस्त हो जाते हैं। फिर भी छात्राओं की प्रतिक्रिया के अंकलन का प्रयास किया गया। भोपाल के पुराने क्षेत्र की 61.67 प्रतिशत छात्राओं ने उर्दू माध्यम द्वारा पढ़ाने की इच्छा प्रदर्शित की। इसके विपरीत उन विद्यालयों की छात्राओं ने, जो या तो नगर के नये भाग में स्थित हैं अथवा जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है एवं परिवारों में शैक्षिक वातावरण विद्यमान है, 87.2 प्रतिशत बालिकाओं ने हिन्दी अथवा अंग्रेजी को ही शिक्षण माध्यम के रूप में स्वीकार किया। यदि आंकड़ों को ही एक सूचक के रूप में स्वीकार कर लिया जाये तो इसका आशय यह लिया जा सकता है कि 61.67 प्रतिशत छात्राओं को हिन्दी माध्यम से पढ़ाया जाना कठिन लग रहा है। वास्तव में इस विचारधारा की पृष्ठभूमि में एक तथ्य यह निहित हो सकता है कि यदि उर्दू को माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो ये बालिकायें अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी रहेंगी, परंतु इस स्थल पर एक नवीन समस्या उठ खड़ी होगी। हर विषय में उर्दू भाषा का उपयोग करने वाली शिक्षिकाओं का अभाव। इस प्रशासनिक कठिनाई को दूर करना सुगम कार्य नहीं है।

4. विद्यालयों में आयोजित उत्सवों में भागेदारी के संबंध में एक अत्यधिक निराशाजनक चित्र कुछ कन्या विद्यालय प्रस्तुत करते हैं। जो शालायेँ न्यादर्श के अंतर्गत "अ" वर्ग में सम्मिलित हैं उनसे कुल 328 छात्राओं में से केवल 32 छात्राओं ने ही विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, किन्तु "ब" कोटि की शालाओं में

स्थिति थोड़ी बहुत संतोषजनक प्रतीत होती है। 311 बालिकाओं में से 142 ने इन गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। इसका आशय यह हुआ कि उन विद्यालयों में जहाँ निम्न अथवा इससे थोड़ी उच्च आय वर्ग की बालिकायें अध्ययनरत हैं वहाँ उनकी विद्यालयीन उत्सवों में भागेदारी केवल 8.5 प्रतिशत पायी गई, तथा उन बालिका विद्यालयों में जहाँ उच्च आर्थिक वर्ग की बालिकायें शिक्षा ग्रहण कर रही थीं यह भागेदारी 31.35 प्रतिशत पायी गई।

यही तथ्य खेल कूद तथा अन्य सहगामी गतिविधियों के सन्दर्भ में भी परिलक्षित होता है। "अ" वर्ग के विद्यालयों में यह प्रतिशत मात्र 10.83 रहा जबकि "ब" कोटि के बालिका विद्यालयों में यह प्रतिशत 32.45 पाया गया। जहाँ तक मुस्लिम छात्राओं द्वारा खेल कूदों में पुरस्कार प्राप्त करने का प्रश्न है, प्रथम कोटि के बालिका विद्यालयों में यह शून्य रहा तथा द्वितीय वर्ग के विद्यालयों में यह मात्र 2.2 प्रतिशत था। सारांश में यह कहा जा सकता है कि किसी भी समुदाय की आर्थिक दशा व उसका सामाजिक स्तर बालिका शिक्षा के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है, यद्यपि इनमें कुछ अपवाद अवश्य हो सकते हैं।

उपरोक्त न्यायदर्श में हिन्दू व मुस्लिम दोनों वर्गों की छात्रायें सम्भावित हैं और यदि पुरस्कार पाने वाले वाली छात्राओं का दोनों समुदायों के मध्य अन्तर देखा जाये (1988-89) तो वह लगभग 98 प्रतिशत से अधिक होगा। अर्थात् केवल दो प्रतिशत मुस्लिम छात्राएँ ही विभिन्न गतिविधियों में अपना स्थान बना पायीं।

7.03 विद्यालयों का मूल्यांकन :

1. विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का विश्लेषण :

भोपाल नगर के संदर्भ में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शैक्षिक अवसरों की समानता का निर्धारण करने के लिए 14 बालिका विद्यालयों में उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं का मूल्यांकन किया गया, जिसमें यह पाया कि न्यायदर्शी में सम्मिलित समस्त बालिका विद्यालयों में शैक्षिक अवसरों की समानता विद्यमान है। इसी प्रकार अन्य 6 आदर्श विद्यालयों में भी लगभग समान सुविधाएँ विद्यमान हैं किन्तु अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक विद्यालयों में तुलनात्मक रूप से अधिक सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

2. विद्यालयों में अध्ययनरत मुस्लिम छात्राओं का कुल न्यायदर्शी के संदर्भ में प्रतिशत :

न्यायदर्शी में सम्मिलित बालिका विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का औसत प्रतिशत 36.15 था। इससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि मुस्लिम छात्राओं की तुलना में हिन्दू छात्राएँ विद्यालयों में अधिक अध्ययनरत थीं। अधिकारी विद्यालयों में मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत कम था, जबकि 6 विद्यालयों में इसकी संख्या अधिक पायी गई। ये वे विद्यालय थे जो नगर के पुराने भाग में स्थित हैं और जहाँ मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा भाग निवास करता है।

3. विद्यालयों के शाला भवन संबंधित सुविधाओं का विश्लेषण :

नगर के पुराने शहर में स्थित विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत 62.15 था तथा इन विद्यालयों में भवन संबंधी सुविधाओं में अधिक असमानता नहीं पायी गई।

वर्ग "ब" के विद्यालयों में लगभग एक तिहाई मुस्लिम छात्राएँ ही अध्यापन-रत थीं, परन्तु इस वर्ग के विद्यालयों में शाला भवन संबंधी सुविधाओं में ज़रायाधिक अंतर था, इसी वर्ग में अधिकतम एवं न्यूनतम सुविधायुक्त विद्यालय हैं। नीचे गये आलेख से स्पष्ट होता है कि इसी वर्ग के तीन विद्यालयों में मुठका: सुविधाओं में अंतर है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राओं का प्रतिशत केवल 13.46 था। अतः अधिकांश छात्राएँ शाला भवन की एक ही ही सुविधाओं का उपयोग कर रही थीं।

4. अध्यापन कार्य एवं परीक्षाफल संबंधी विश्लेषण :

वर्ग "अ" के विद्यालयों तथा वर्ग "ब" के विद्यालयों में अध्यापन कार्य, परीक्षाफल तथा दृश्य प्रत्य सामग्री के उपयोग से संबंधित मूल्यांकन में 5 प्रतिशत विश्वास के स्तर पर सार्थक अंतर पाया गया।

वर्ग "अ" की शालाओं में शैक्षणिक कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, ऐसा इन शालाओं के मूल्यांकन से प्राप्त अंकों से स्पष्ट है इन शालाओं में विज्ञान की प्रयोगशालाएँ तथा पुस्तकालय भी स्तर के अनुस्य न होने के कारण छात्राओं को इनकी सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। फलतः छात्राओं के परीक्षाफल पर भी इनका प्रभाव पड़ता है।

5. शाला प्रबंध एवं प्रशासन :

वर्ग "ब" के विद्यालय शाला प्रबंध तथा प्रशासन में वर्ग "अ" के विद्यालयों से ज्यादा सुदृढ़ थे। इसी तरह वर्ग "ब" के विद्यालयों की वित्तीय स्थिति भी अधिक अच्छी पायी गई। इनके मूल्यांकन से भी यह तथ्य उभर कर आया कि वर्ग "ब" के विद्यालय, छात्रों, पालकों तथा नागरिकों की नजरों में सबसे अच्छे हैं। क्योंकि इनमें से सभी विद्यालयों को 6 में से 6 अंक प्राप्त हुए हैं। वर्ग "अ" की शालाओं को अधिकतम 4 अंक ही मिले।

7.04 मुस्लिम छात्राओं के पालकों द्वारा साक्षात्कार संबंधी तथ्यों का विश्लेषण :

मुस्लिम छात्राओं को शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराने में जितना योगदान प्राप्त स्व शालाओं का होता है, संभवतः इसके समकक्ष छात्राओं के पालकों का होता है ।

न्यायदर्शी में सम्मिलित भोपाल नगर के समस्त 14 बालिका विद्यालयों से संयोगिक चयन के आधार पर चयनित केवल 813 मुस्लिम छात्राओं के पालकों को न्यायदर्शी में सम्मिलित किया गया ।

पालकों का व्यवसाय :

यह पाया गया कि अधिक सुविधा सम्पन्न शालाओं में शिक्षण प्राप्त कर रही अधिकांश छात्राओं के पालक नौकरी करते हैं तथा बहुत कम पालक व्यवसाय रत हैं ।

कम सुविधा सम्पन्न शालाओं में अध्ययन रत छात्राओं के पालकों का बहुत कम प्रतिशत नौकरी करता है, तथा अधिकतर स्वयं के व्यवसाय रत हैं । प्रयुक्त तालिका से भी स्पष्ट होता है कि ऐसे पालक जो नौकरी में हैं वे अपनी बच्चियों को अच्छी शालाओं में पढ़ाना पसंद करते हैं । इसके विपरीत वे पालक जो स्वयं के व्यवसाय रत हैं उनमें से अधिकांश अपनी बालिकाओं को ऐसे विद्यालय में ही पढ़ाते हैं जो उनके घर के आस-पास ही हो, चाहे वे कितनी भी दूर की हों ।

2. पालकों के शैक्षिक स्तर का विश्लेषण :

प्रयुक्त तालिका के निष्कर्ष से विदित होता है कि ऐसे पालक जो अशिक्षित हैं अपनी बच्चियों को "अ" वर्ग की शालाओं में ही पढ़ाना पसंद करते

हैं जो कम खर्चीली एवं उनके निवास स्थान के निकट हैं। इसके विपरीत प्रशिक्षित पालकों ने "ब" वर्ग के ही अधिक सुविधा सम्पन्न विद्यालयों को अपने बच्चों के अध्ययन हेतु चुना।

3. पालकों के आर्थिक स्तर का विश्लेषण :

पालकों की आर्थिक स्थिति के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि ऐसे पालक जो निम्न आय स्तर के हैं, वे अपनी बालिकाओं को उच्च स्तर की शालाओं में नहीं पढ़ा पाते, क्योंकि वे इन शालाओं के खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं, फलतः उनकी बालिकाएं अधिकतम शैक्षिक सुविधा सम्पन्न शालाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाती हैं।

कुछ पालकों ने अपनी बालिकाओं को शाला न भेजने का कारण "पर्दा प्रथा" को बताया। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि "ब" वर्ग की शालाओं में पढ़ने वाली छात्राओं को उनके पालकों द्वारा शिक्षा में समानता के अधिक अवसर दिए जाते हैं।

7.05 छात्राओं को दी गई प्रश्नावली का विश्लेषण :

शैक्षिक अवसरों की समानता का निर्धारण करने के लिए छात्राओं को प्रश्नावली दी गई, जिनमें निम्न प्रमुख तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गये :

1. क्या आप शाला में उर्दू विषय पढ़ रही हैं ?
"ब" वर्ग की शालाओं में उर्दू भाषा लेने वाली छात्राओं का प्रतिशत 26.4 था, जबकि शेष 73.6 प्रतिशत छात्राओं ने उर्दू विषय नहीं चुना था। इसी प्रकार "उ" वर्ग की शालाओं में 88.34 प्रतिशत छात्राओं ने उर्दू विषय को पढ़ना स्वीकार

किया स्वं शेष 11.66 प्रतिशत छात्राओं ने पढ़ने से इन्कार किया ।

2. क्या आपने विज्ञान विषय लिया है ?

प्रयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ग "ब" की शालाओं में विज्ञान विषय लेने वाली छात्राओं का प्रतिशत अधिक था, जबकि "अ" वर्ग की केवल 20.27 प्रतिशत छात्राओं ने ही विज्ञान विषय चुना ।

3. क्या आपके पास सभी पाठ्यपुस्तकें स्वं पठन सामग्री उपलब्ध हैं ?

विश्लेषण से प्रतीत हुआ कि "अ" वर्ग की शालाओं में 88.33 प्रतिशत छात्राओं के पास पाठ्यपुस्तकें स्वं पठन सामग्री उपलब्ध नहीं थीं जबकि "ब" वर्ग की केवल 4.63 प्रतिशत छात्राओं के पास ही ~~कुछ~~ उभाव था ।

4. क्या आप उर्दू माध्यम से पढ़ना चाहती हैं ?

विश्लेषण से प्रतीत हुआ कि "अ" वर्ग की शालाओं में 61.67 प्रतिशत छात्राएं उर्दू माध्यम से पढ़ना चाहती थीं जबकि "ब" वर्ग की शालाओं में केवल 13.8 प्रतिशत छात्राओं ने ही उर्दू माध्यम स्वीकार किया ।

5. क्या आप विद्यालयीन उत्सवों में भाग लेती हैं ?

"अ" वर्ग की केवल 8.89 प्रतिशत मुस्लिम छात्राओं ने विद्यालयीन उत्सवों में भाग लिया, जबकि "ब" वर्ग की शालाओं में 68.65 प्रतिशत छात्राओं का भाग लेना बाधा गया ।

6. क्या आप सहगामी गतिविधियों में भाग लेती हैं ?
 विश्लेषण से स्पष्ट है कि "अ" वर्ग की शालाओं में केवल 10.83 प्रतिशत बालिकाओं ने ही विद्यालयीन गति-
 विधियों में भाग लिया, जबकि "ब" वर्ग की शालाओं में 32.45 प्रतिशत छात्राओं का भाग लेना पाया गया ।
7. क्या आपको सहगामी गतिविधियों में कोई पुरस्कार मिला ?
 "अ" वर्ग की शालाओं में एक भी सुस्तिम छात्रा ने पुरस्कार प्राप्त नहीं किया जबकि "ब" वर्ग की शालाओं में 2.2 प्रतिशत छात्राओं ने पुरस्कार प्राप्त किए ।

7.06 शैक्षिक समानता का प्रश्न एवं विद्यालयीन पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण :

विद्यालयीन पाठ्यक्रम छात्र-छात्राओं की रुचियों में वृद्धि करने तथा उन्हें विद्यालय में शैक्षिक अवधि पूर्ण करने में नितांत क्रियाशील होता है । पाठ्यक्रम द्वारा शाला के वातावरण का ब्रजन होता है, यदि वह तुरुष्मिणी है, तो छात्र छात्राओं की विद्यालय में निरंतर रुचि बनी रहेगी, और यदि इसके प्रतिकूल है, तो इसका प्रतिकूल होगा छात्रों के प्रवेश में हल्लास, तथा म्.माय.धि में ही विद्यालय समाप्त कर देना । विभिन्न समुदायों के परिषेक्ष में यह विषय अत्यधिक संवेदनशील सिद्ध हो सकता है ।

इस स्थल पर स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न मस्तिष्क में जन्म ले सकता है, कि क्या वर्तमान शोध अध्ययन के तंदमें में विद्यालयीन पाठ्यक्रम जितमें धर्मनिरपेक्षता की अपेक्षा की जाती है, विद्यालय में समाज के बाहुल्य समुदाय से संबंधित संस्कृति को ही प्रतिषादित तो नहीं कर रहा है, इस तथ्य के अध्ययन हेतु विद्यालयीन पाठ्यक्रम के दो आयामों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा ;

1. पाठ्यक्रम द्वारा त्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन, तथा
2. विद्यालयीन सहगामी गतिविधियों के स्वत्व का अध्ययन।

प्रथम बिन्दु के अध्ययन हेतु, नवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं कक्षाओं की इतिहास एवं हिन्दी की उन पुस्तकों का घयन किया गया, जिन्हें मध्यप्रदेश शिक्षा मण्डल एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित किया गया, क्योंकि वे दोनों विषय ही अत्यंत संवेदनशील हैं एवं समय-समय पर आलोचना के विषय बने हैं। सर्वप्रथम इतिहास की विषयवस्तु का विश्लेषण किया। अभिन्न भारतीय इतिहास, भाग प्रथम कक्षा नवीं व दसवीं के लिए त्वीकृत की गई। इतिहास लेखन में सबसे बड़ी समस्या मत-मतान्तर की होती है। जनेक विषयों पर इतिहासकार एक मत नहीं हो पाते। नवीं-दसवीं की छात्र-छात्राओं में अपना मत स्थिर करने की क्षमता नहीं होती, अतः विभिन्न मतमतान्तर के झंझट में छात्र-छात्राओं को न डालते हुए, यथासंभव अविमान्य तथ्यों को ही पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। संवेदनशील तथ्यों को यथासंभव दूर रखने का ही प्रयास किया गया है। जो विषयवस्तु प्रस्तुत की गई है वह राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करती है। विवादास्पद विषयों को प्रस्तुत करने में पूर्वग्रह को त्यागकर निष्पक्ष रूप से तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक का प्रथम खण्ड नवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं के लिए है। (प्राचीन काल से 1526 तक) इसमें कुल 18 अध्याय हैं जिनमें से नौ अध्याय इस्लाम धर्म के भारत में पूर्व के इतिहास से संबंधित हैं, तथा नौ अध्यायों की विषयवस्तु इस्लामी इतिहास से संबंध रखती है। इस प्रकार दोनों ही समुदाय की छात्र छात्राओं हेतु समान विषयवस्तु को एक संतुलित रूप देना इस पाठ्यपुस्तक की एक प्रसंगीय उपलब्धि है।

पाठ्यपुस्तक का द्वितीय खण्ड कक्षा दसवीं के लिए प्रस्तावित है। यह खण्ड 1526 से 1857 की अवधि में घटित ऐतिहासिक घटनाओं से पाठकों को

अवगत कराता है। इस खण्ड में कुल 22 अध्याय हैं जिनमें से अंतिम अध्याय पूर्ण रूपेण मुगल इतिहास से अवगत कराता है। बाकी अध्यायों का संबंध ईस्ट इंडिया कालीन इतिहास से है। कहने का सार यह है कि प्रस्तुत पुस्तक हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों की गंगा-यमुनी संस्कृति का आदर्श उदाहरण है। जो पाठकों को भारत के गौरवशाली इतिहास एवं सर्वमान्य नैतिक मूल्यों से अवगत कराती है।

हिन्दी पाठ्यपुस्तकें :

कक्षा दसवीं हेतु हिन्दी पाठ्यपुस्तक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रकाशित की गई है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल माध्यमिक शिक्षा ने इस पुस्तक की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा है, कि इसमें हिन्दी साहित्य की सभी विधाओं का उल्लेख है। सामग्री चयन में सुबोधता एवं रोचकता पर विशेष बल दिया गया है। संकलित विषयवस्तु छात्र-छात्राओं के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक स्तर के उन्नयन में सहायक सिद्ध होगी, तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आस्थावान बनने के साथ ही विश्व जनित दृष्टिकोण को भी सहज ही अंगीकृत कर सकेगी। साहित्यिक दृष्टि से ये रचनाएँ राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता को बल देंगी। रचनाओं के चयन में विद्यार्थियों के स्तरानुकूल विषय-वैविध्य के निर्वहण का सुन्दर प्रयास हुआ है।

पाठ्यपुस्तक अध्ययन के पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि विषय की प्रधानता को बनाये रखने के साथ-साथ इसमें विचार, लोक व्यवहार एवं नैतिक भावनाओं पर अधिक बल दिया गया है। जिनकी न तो कोई सीमा होती है, और न ही जिनका किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय अथवा संस्कृति से संबंध होता है। दूसरे शब्दों में समस्त मानवता की संबन्ध है। बिहारी की तरतारु तथा देव और मतिराम की रचनाएँ पाठ्यपुस्तक में इस तथ्य के जीवंत उदाहरण हैं। कबीर, तुलसी, रहीम के नीति विषयक दोहे और सवये भी इसी के अंतर्गत आते हैं।

पुस्तक का वर्गीकरण बहुत खण्डों तथा तत्परचात विध्य वस्तुनुसार उप-भागों में किया गया है। पुस्तक प्रारंभ कविताओं से होता है, जिसका पुनः वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है :

1. पुस्तक का आह्वान : इसके अंतर्गत सुमित्रानंदन पंत की "पर्वत प्रदेश में पावस", हरिऔझ की "बृह की संघा" आदि कविताओं का संकलन किया गया है। भाषा सरल एवं साहज्य है।
2. शौर्य वर्णन : भूषण की कविता "शौर्यवर्णन", माकनलाल चतुर्वेदी की "उलाहना" को संकलित किया गया है।
3. भक्ति वर्णन : इस उपभाग में निराला जी की "सरस्वती वंदना" कबीर की "भक्ति निवेदन" उल्लेखनीय है।
4. जीवन दर्शन का वर्णन : बालकृष्ण शर्मा "नवीन" की कविता "हम अनिकेतन", समुन जी की "मिट्टी की महिमा", मैथलीशरण गुप्त की "कैकई का अनुताप" नाम कविताएं वास्तविक रूप से मानव जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालती हैं।
5. सौन्दर्य और प्रेम वर्णन : इस भाग में "बिहारी माधुरी", मतिराम माधुरी, तथा "प्लानंद बीपी" नामक कविताओं का संकलन अपना पृथक ही महत्व रखता है।

उपरोक्त सभी प्रकार की कविताएं सर्वव्यापी एवं सर्वस्वीकृत तत्त्वों का प्रतिपादन करती हैं, एवं पाठक के हृदय में सीधे प्रवेश करती हैं। वहां न तो धर्म का तकाजा है न ही संस्कृति की शिक्षायात। ये विध्य एक सामान्य शिक्षित मानव का सीधा साधा जीवन दर्शन मात्र है।

पाठ्यपुस्तक के द्वितीय खण्ड में गद्य विद्या से संबंधित लेख हैं जिनमें निबंध, नाटक, कहानी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत का समावेश है। भ्रमराजराज

उपाध्याय का " मैं मजबूर हूँ " गुलाबराय की "भारत की सांस्कृतिक एकता", विद्यानिवास, स्पृहलाकुंआ, रघुबीरसिंह का संस्मरण फतेहपुर सीकरी, हरिश्चंद्र परिसाई की " निंदा का रस" तथा जगदीशचन्द्र माथुर का "बोणाई" सभी पाठ धर्मनिरपेक्षता की आत्मा से ओत-प्रोत हैं। विशेषता की बात यह है कि स्थानीय भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का आशय टिप्पणियों के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। इनके द्वारा विभिन्न भाषा-भाषी छात्र भाषाओं को पठन सामग्री आत्मसात करने का समान अवसर प्राप्त हो जाता है।

पाठ्यपुस्तक के तीसरे खंड में दो रसांकी नाटकों का संकलन है। विष्णु प्रभाकर की " वापसी " तथा जगदीश माथुर की " रीढ़ की हड्डी " अत्यधिक सरस, सरल एवं रोचक नाटक हैं।

पुस्तक के अंतिम खंड में सियारामशरण गुप्त की कहानी " कोदर और कुटीर " तथा यशपाल की कथा " निरापाद " अपना एक अनोखा स्थान रखती हैं।

सियाराम शरण गुप्त की कथा में वेदना व कस्मा का भाव है/वे सत्य अहिंसा के सिद्धान्तों के पोषक रहे हैं और इसकी अलोक उनकी कथाओं में दृष्टिगोचर होती है। कहानी में केवल आदर्श का प्रतिपादन मात्र नहीं है, वरन् कहीं-कहीं सामाजिक रूढ़ियों एवं अंध विश्वासों के प्रति सजीव व्यंग्य का पुट भी है। भाषा अत्यधिक सरल एवं दैनिक बोलचाल का लय लिए हुए है।

यशपाल ने अपनी कहानी " निरापाद " में रूढ़ियों और कुरीतियों पर तीव्र व्यंग्य किया है। भाषा की व्यावहारिकता पर ध्यान देते हुए हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का सुन्दर उपयोग किया गया है।

साहित्य भारती (भाग-1) ग्यारहवीं कक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तक है। पुस्तक में तीन खंड

हैं, गद्य खंड, पद्य खंड एवं सहायक वाचन । गद्य खंड के अंतर्गत " परीक्षा " (प्रतापनारायण मिश्र), "क्रोध" (रामचन्द्र शुक्ल), "राष्ट्र का स्वस्य" (वात्सुदेव शरण अग्रवाल), "नाखून क्यों बढ़ते हैं" (हजारी प्रसाद द्विवेदी), "उतने कहा था" (चन्द्रधर शर्मा गुलेरी), "पूत की रात" (प्रेमचन्द्र आदि रचनाएं) रोचक हैं; एवं मानव जीवन के सामान्य पक्षों को सजीव ढंग से छूती हुई मस्तिष्क के किसी कोने में उपदेश के रूप में कुछ न कुछ छोड़कर छात्रों पर अमिट प्रभाव डालने की क्षमता रखती है ।

पद्य खंड के अंतर्गत "नागमती का विरह" (मालिक मुहम्मद जायसी) सूरदास के पद (सूरदास), "श्रुत वर्णन" (सेनापति), "देवतुषा" (देव), "नौका बिहार" (सुमित्रानंदन पंत), "राहुल जननी" (मैथली शरण गुप्त), "पद्य की पहचान" (हरिवंश राय बच्चन), "जवानी" (माखनलाल चतुर्वेदी), "कलाकार के प्रति" (शिव मंगल सिंह सुमन), "बादल को धिरते देखा है" (नागार्जुन) "सुख का दुख" (भ्रमानी प्रसाद शुक्ल) आदि कविताओं का संकलन किया गया है । स्थानीय शब्दों के कठिन्य निवारण पाठ के अंत में अनेक अर्थ स्पष्ट किए गये हैं । सूरदास ने बृज भाषा अपनाई । भाषा सरल एवं सरस है । कहीं-कहीं संस्कृत, अरबी एवं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । आचार्य शुक्ल का कथन है, कि सूर की रचना ऐसी इतनी शक्तिशाली है, कि आगे आने वाले कवियों को श्रंगार और बात्सल्य की उक्तियां सूर की जूठन जान पड़ती हैं । सेनापति ने बृज भाषा का उपयोग किया है । यही शैली देव ने भी अपनाई है । पद्माकर बृज भाषा के कवि रहे, रत्नाकर जी भी इसी भाषा से जुड़े रहे । पंत जी ने खड़ी बोली का उपयोग कर प्राकृतिक सौंदर्य को निखारने का प्रयास किया । मैथली शरण जी को देश भक्ति ने अटूट प्रेम रहा । बच्चन जी की भाषा अत्यधिक सरल एवं सरस है । माखनलाल

चतुर्वेदी ने अपनी राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत कविता "जवानी" में लड़ी बोली का उपयोग किया है। नागार्जुन की कविता "बादल क्यों धिरते हैं" प्रकृति चित्रण का सजीव उदाहरण है।

पुस्तक का अंतिम छन्द सहायक वाचन हेतु सुनिश्चित किया गया है। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्र-छात्राओं का शब्द भंडार बृहत् एवं विस्तृत हो जाता है। अतः 17-18 वर्ष के विद्यार्थी के लिए सहायक वाचन का उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी स्वयं स्वरूप अनुसार विषयस्तु को पढ़ें तथा परिवर्तनीय वातावरण से अवगत हों। इस छन्द में विभिन्न प्राणियों से संबंधित विषयों का संकलन किया गया है। गोपाल प्रसाद द्वारा की कविता "नेताजी का तुलादान", राजेन्द्र प्रताप राव का लेख "आकाश के सवाता", नन्द दुलारे बाजपेई की रचना "प्रसाद की एक श्लोक", डी.एन. कोठारी का विज्ञान संबंधी लेख "परमाणु विस्फोट" और "मानवजाति का भविष्य", श्रीकृष्ण 'सख्त' की कविता "होगे वे कोई ओर", शरद जोशी का टपक "कहहुं भिखि बागद कौरे" उल्लेखनीय हैं।

निष्कर्ष :

पाठ्यक्रम के विश्लेषण से निम्नलिखित बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकता है :

1. इतिहास की पाठ्यपुस्तकें बिना पूर्वग्रह के लिखी गई हैं। लेखकों ने भारतीय संविधान की धर्म निरपेक्षता की आत्मा को पूर्ण स्वेण सुरक्षित रखने का प्रयास किया है।
2. संवेदनशील एवं विवादस्पद तथ्यों के संकटग्रह से लेखक गग दूर रहे हैं।

3. भारतीय इतिहास को इस विधा एवं शैली में प्रस्तुत किया गया, कि जिससे पाठकों को राष्ट्रीय संतुष्टि, परम्परा, धरोहर एवं नैतिक तत्त्वों में विशेष रूप उत्पन्न हो सके । भारतीय इतिहास को हिन्दू इतिहास का रूप न देकर एक ऐसी माला में पिरोया गया है जो केवल भारतीय इतिहास के रूप में उभर कर सामने आया है ।
4. राजा महाराजाओं की चाहे वे हिन्दू रहे हों अथवा मुगल, अथवा मध्ययुगीन सुल्तान, द्वारा अपनाई गई नीतियों के दोनों पक्षों, तकरात्मक पक्ष एवं नकरात्मक पक्षों की धारा की गई । मूल्यांकन छात्रों पर छोड़ दिया गया । ऐसी इतिहास शिक्षण की वैज्ञानिक विधि मानी जा सकती है । ऐतिहासिक तथ्यों को सही परिपेक्ष्य में प्रस्तुत करने के प्रयास में पाठ्यपुस्तकें सराहनीय हैं ।
5. भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों से संबंधित विषय सामग्री के मध्य एक क्रम है तथा सर्वोपरि तथ्य तो यह है कि इसमें संपूर्ण संतुलन बनाये रखा गया है ।

7. 07

मुस्लिम बालिकाओं द्वारा शैक्षिक अवसरों का यथोचित लाभ न उठारने
जाने के संबंध में कुछ जन प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा समाज के कुछ
प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा व्यक्त किये गये विचार :

मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की शिक्षा में अवरोधक तत्त्वों के संबंध में कुछ मुस्लिम समाज सुधारकों, शिक्षाविदों आदि से साक्षात्कार किये गये । उनकी प्रतिक्रियायें इस प्रकार थीं :

प्रश्न - मुस्लिम बालिकाएँ शिक्षा के समान अवसरों का लाभ उठाने में क्यों असमर्थ प्रतीत होती हैं ?

श्रीमती आर. निशा खान, जो एक स्थानीय साप्ताहिक पत्रिका की सम्पादिका हैं। उनकी धारणा यह थी कि बालिकाओं का विवाह एक निश्चित आयु में हो जाना चाहिए। यह हमारे समुदाय की मान्यता है। वरीयता क्रम में शिक्षा, विवाह के पश्चात् आती है। अतः अभिभावक शिक्षा की अपेक्षा विवाह को प्राथमिकता देते हैं और जैसे ही उचित अवसर जाता है, विवाह संपन्न कर दिया जाता है। बालिकाओं को अधिक पढ़ाने से ही कठिनाईयों आने की संभावना होती है :

1. उम्र अधिक होने के कारण विवाह एक समस्या बन जाती है, तथा
2. शिक्षित बालिका हेतु शिक्षित जीवन साथी का होना भी नितांत आवश्यक है। अन्यथा परिवार में असंतुलन बनेगा और इससे अनेक विघ्नकारण जन्म ले सकती हैं। परंतु श्रीमती खान अपनी पुत्री को अधिक से अधिक पढ़ाना चाहती हैं, इसका कारण उनका शिक्षा के प्रति विस्तृत एवं सकारात्मक दृष्टिकोण है।

समस्या पर प्रकाश डालते हुए श्री एम.एम. तुलतान जो पी.इ.सो. के भोपाल नगर में रह रहे हैं, एक बुद्धिजीवी हैं, उनका मत है कि मुस्लिम समुदाय पुरुष प्रधान है। एवं समुदाय से जुड़ी हुई एक यह धारणा है कि नारी का कार्यक्षेत्र केवल घर की चहरदीवारी तक ही सीमित है, उसे जनजीवन से संबंधित किसी प्रकार के उत्तरदायित्व के निर्वाह का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की धारणा बालिकाओं के मस्तिष्क को कुंठित कर देती है। वे भविष्य हेतु दिशा

निर्धारित नहीं कर पाती, चूंकि उन्हें आधुनिक समाज के साथ सामन्वज्य बिठाना है। अतः वे थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं। एक अन्य तथ्य भी इस प्रश्न पर प्रभाव डालता है, कि मुस्लिम समुदाय में सामान्य वर्ग के लोगों में उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुषों की संख्या अन्य समुदायों की तुलना में न्यूनतम है। अतः सामान्य व्यक्ति न तो शिक्षा के महत्व को समझ पाता है और न ही वे विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को किसी प्रकार का योगदान ही दे पाता है। अतः एक अवस्था के पश्चात् वह अपनी बालिकाओं की पढ़ाई में पूर्ण विराम लगा देता है। इसके लिए एक सीमा तक आर्थिक तत्त्व भी उत्तरदायी है।

श्री ए.आर.अंतारी जो भोपाल हेवी इलेक्ट्रिकल्स में सेवारत हैं एवं समाज सुधारक के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके हैं, उनकी धारणा है कि :

1. समुदाय में पढ़ें की प्रथा अपनी एक अहम् भूमिका रखती है, जब लड़कियां पढ़ने जाएंगी तब इसका उल्लंघन अवश्य होगा, जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत है।
2. पढ़ने लिखने से लड़कियों के स्वभाव और उठने बैठने के तौर तरीकों में अंतर आ जाता है जिसे अभिभावक पसंद नहीं करते। संभवतः यह दो पीढ़ियों के मध्य उत्पन्न खाई के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।
3. लड़की का संसार केवल उसका घर है। घर के काम काज के लिए पढ़ाई किसी प्रकार का योगदान नहीं देती, तथा
4. पढ़ना लिखना लड़कियों की शादी में बाधा उत्पन्न करता है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम खां का संबंध तकनीकी व्यवसाय से है, उनके अनुसार बालिकाओं को नौकरी तो करनी नहीं होती, अतः उन्हें थोड़ी शिक्षा

निर्धारित नहीं कर पाती, चूंकि उन्हें आधुनिक समाज के साथ सामान्यतः बिठाना है। अतः वे थोड़ी बहुत शिक्षा ग्रहण कर लेती हैं। एक अन्य तथ्य भी इस प्रश्न पर प्रभाव डालता है, कि मुस्लिम समुदाय में सामान्य वर्ग के लोगों में उच्च शिक्षा प्राप्त पुरुषों की संख्या अन्य समुदायों की तुलना में न्यूनतम है। अतः सामान्य व्यक्ति न तो शिक्षा के महत्व को समझ पाता है और न ही वे विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को किसी प्रकार का योगदान ही दे पाता है। अतः एक अवस्था के परिचायक वह अपनी बालिकाओं की पढ़ाई में पूर्ण विराम लगा देता है। इसके लिए एक सीमा तक आर्थिक तथ्य भी उत्तरदायी है।

श्री ए.आर.अंतारी जो भोपाल शैवी इलेक्ट्रिकल्स में सेवारत हैं एवं समाज सुधारक के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके हैं, उनकी धारणा है कि :

1. समुदाय में पढ़ें की प्रथा अपनी एक अहम् भूमिका रखती है, जब लड़कियां पढ़ने जाएंगी तब इसका उत्कंघन अवसर होगा, जो सामाजिक मूल्यों के विपरीत है।
2. पढ़ने लिखने से लड़कियों के स्वभाव और उठने बैठने के तौर तरीकों में अंतर आ जाता है जिसे अभिभावक पसंद नहीं करते। संभवतः यह दो पीढ़ियों के मध्य उत्पन्न खाई के प्रश्न से जुड़ा हुआ है।
3. लड़की का संसार केवल उसका घर है। घर के काम काज के लिए पढ़ाई किसी प्रकार का योगदान नहीं देती, तथा
4. पढ़ना लिखना लड़कियों की शादी में बाधा उत्पन्न करता है।

श्री मुहम्मद इब्राहीम खां का संबंध तकनीकी व्यवसाय से है, उनके अनुसार बालिकाओं को नौकरी तो करनी नहीं होती, अतः उन्हें थोड़ी शिक्षा

देकर इतना समय बना देना ही उचित है कि बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाकर घर संभाल सकें। जब हमारी बालिकायें विद्यालयों में पढ़ने लगती हैं, तो वे घर के कामकाज में रुचि लेना समाप्त कर देती हैं, एवं शिक्षा देने में परिवार का आर्थिक व्यय भी बढ़ जाता है, क्योंकि शिक्षा दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही है।

श्री अलीमुल्लाह, कपड़ों के एक प्रतिष्ठित व्यापारी होने के साथ-साथ समाज सेवक की भूमिका का भी निर्वहण करते हैं। बालिकाओं की शिक्षा पर उनका अपना पृथक् दृष्टिकोण है, उनकी मान्यता है कि इस्लामी नजरिये में लज्जा इमान है। इस तथ्य को सदैव प्राथमिकता दी जाती है, कि शिक्षा द्वारा माताओं व बहनों की हया और शर्म का दायन न टूटने पाये। हमारे अनुभव के अनुसार शिक्षा द्वारा ये दोनों ही पक्ष बिखरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने अकबर इलाहावादी के दो शेरों का भी आर्थिक उल्लेख किया जो वास्तव में रोचक थे :

"बाली तालीम दुस्तरा है, ये फायदा जरूर ।
कि नाचे छुगी ते दुल्हन छुद अपनी बारात में ।"

"नज़ जो मुझको आई चंद बिबियां,
मैंने पूछा तुम्हारा पदा कहीं गया ?
कहने लगी अक्स पे मटों के पड़ गया" ।

प्रो. एस्.के. माधुर एक महाविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं। अवकाशकालीन जीवन में भी वे इस प्रकार की समस्याओं पर गहन चिंतन करते रहते हैं। शोध अध्ययन समस्या के प्रति उनका विचार है कि एक आम मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की शिक्षा अवधारणा पृथक् है। इस संबंध में उनके चिंतन का दायरा सीमित है। आलिम, फाजिल की तनद अधिक महत्व रखती है। जहां तक नारी शिक्षा का प्रश्न है, यदि वह धार्मिक ग्रन्थ पढ़ लेती

है तो शिक्षित मान ली जाती है। यद्यपि इस दृष्टिकोण में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण द्रुतगति से परिवर्तन आ रहा है, किन्तु इसका क्षेत्र भी मध्यम व उच्च परिवारों तक ही सीमित है। निम्नवर्गीय परिवारों की अपनी सीमायें हैं, प्राचीन सामाजिक मान्यताओं की जंजीरों में जकड़े होने के साथ-साथ यदि वे इस दिशा में कोई कदम उठाते भी हैं, तो उनकी आर्थिक अवस्था उन्हें पीछे ढकेल देती है।

श्रीमती। डा.। तईदा एक चिकित्सक हैं जिन्होंने एक लम्बी अवधि तक अरब देशों में कार्य किया है। उनका संबंध हैदराबाद के एक सुशिक्षित परिवार से है। पिछले कई वर्षों से वे भीपाल में चिकित्सक के रूप में कार्य कर रही हैं। उनके संवेदनशील स्वभाव में निधियों की सेवा का भाव परिलक्षित होता है। मुस्लिम छात्राओं द्वारा शैक्षिक अवसरों का तमुचित लाभ न उठाये जाने के संबंध में उन्होंने तीन प्रमुख अवरोधक तत्वों का उल्लेख किया।

1. मुस्लिम समुदाय के अधिकांश लोगों का आर्थिक पिछड़ापन,
2. अभिभावकों का कम पढ़ा लिखा होना, तथा
3. समुदाय में पढ़ाई प्रथा का प्रचलन।

प्रो. हसनमसूद नगर के एक महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष है तथा नगर के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनकी अवधारणा है कि अच्छे विद्यालयों की घर से दूरी तथा विद्यालयों में उर्दू माध्यम का न अपनाया जाना, ये दो प्रमुख कारक बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करते हैं।

प्रो. अस्माक अहमद (उर्दू विभागाध्यक्ष, महारानी लक्ष्मीबाई महा-विद्यालय) प्रो. लियाकत अली खान (सैफिया महाविद्यालय), प्रो. नातिर अली तथा प्रो. स्त. फरहत (उर्दू विभागाध्यक्ष, हमीदिया महाविद्यालय) ने निम्न अवरोधक तत्वों पर प्रकाश डाला :

1. छात्रों में पढ़ाई की अपेक्षा व्यवसायों में अधिक रुचि होती है। ऐसी दशा में वे मध्य में ही पढ़ने की प्रक्रिया से पृथक हो जाते हैं। इसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ता है। यदि उन्हें पढ़ने हेतु आगे बढ़ने दिया जाये तो भविष्य में उनके शैक्षिक स्तर का जीवन साधी मिलना एक विषम समस्या का रूप धारण कर लेता है।
2. अभिभावकों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति न तो रुचि है, और न ही जागृकता। बालिकाओं का कार्यक्षेत्र एक सीमित परिधि के भीतर बंध कर रह गया है, और उन कार्यों के लिए स्कूली शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती।
3. बालिकाओं को अधिक शिक्षा न देने की प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अतः परिवार का शिक्षा के प्रति संकुचित दृष्टिकोण उनमें पढ़ने की उत्कंठा को जागृत नहीं करता।
4. बालिकायें अभी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से अधिक प्रभावित नहीं हुई हैं। अतः छोटा सा घर ही उनका विस्तृत विश्व है, तथा घरेलू उत्तरदायित्वों का निर्वहण करना ही वे अपने अधिकार एवं कर्तव्य दोनों ही मानती हैं।

मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन पर प्रकाश डालते हुए भा. ज. पा. के सचिव श्री आरिफ बेग ने अपने विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किये :

“ मुसलमानों की मौजूदा दुर्दशा का कारण शिक्षा की कमी है। मुसलमान अपने मजहब को भी ठीक तरह से नहीं समझते। इसके लिए उन्हें कुरान अर्थ सहित पढ़ना चाहिये। यह तिलावती किताब नहीं, किताबें

हिदायत हैं, जब तक हम उसे नहीं समझे, इसका नूर हमारे अमल में कैसे आपेगा निरक्षर माता-पिता शिक्षा का लाभ नहीं समझते, एवं अपने बच्चों को स्कूल, कालेज नहीं भेजते । उनके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों के कारण भी वे अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते । इस कारण यह कहा जा सकता है कि भोपाल नगर में हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों समुदायों की बालिकाओं को विद्यालयों में समान सुविधायें उपलब्ध हैं किन्तु मुस्लिम छात्राओं द्वारा उनका समुचित लाभ न उठाये जाने के कारण वे कारक हैं जो विद्यालय के बाहर विद्यमान हैं ।

7.08 " कुछ व्यक्ति अध्ययन " ।केस स्टडी। के निष्कर्ष :

शैक्षिक अवसरों के संवैधानिक प्रावधानों का समुचित लाभ न उठा पाने के कारणों का अध्ययन करने के लिए 18 छात्राओं का व्यक्तिगत अध्ययन किया गया । जिसके अंतर्गत विभिन्न आर्थिक वर्गों की मुस्लिम छात्राओं को सम्मिलित किया गया । ये वे छात्राएं थीं, जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 60 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक अंक अर्जित किये थे ।

छात्राओं द्वारा प्रदत्त उत्तरों को निम्न बिन्दुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया गया है :

1. घर का वातावरण जहां उन्हें अध्ययन संबंधी कठिनाईयों के समाधान हेतु किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती । जिससे उनकी अध्ययन के प्रति रुचि शून्य: शून्य: कम होती चली जाती है ।
2. घरेलू उत्तरदायित्वों का निर्वाह । परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण पढ़ाई के लिए समय का अभाव निरंतर बना रहता है ।

3. छात्राओं के प्रति परिवारजनों का शिक्षार्जन के संबंध में संकुचित दृष्टिकोण का विद्यमान होना । अभी भी अधिकांश माता-पिता अपनी प्राचीन रुढ़िवादिता से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो पाये हैं । बालिकाओं की शिक्षा को गौढ़ माना जाता है। यद्यपि उक्त दिशा में समाज के बदलते हुए परिपेक्ष ने निश्चय ही प्रभाव डाला है किन्तु सामान्य जनो की सीमित धारणा को समाप्त करने में अभी समय लगेगा । इस दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना अभी नहीं की जा सकती ।
4. बालिकाओं की शिक्षा में एक प्रभावशाली अवरोधक, घर से विद्यालयों की दूरी है । कुछ परम्परागत मान्यताओं से जुड़े होने के कारण माता-पिता दूर स्थित विद्यालयों में बालिकाओं को भेजना पसंद नहीं करते । अतः एक स्तर के पर्याप्त उच्च स्तरी शिक्षा से वंचित होना पड़ता है । बालकों के समान बालिकाओं को इतनी स्वतंत्रता उपलब्ध नहीं होती कि वे अधिक दूरी के विद्यालयों में प्रवेश लेकर शिक्षण को जारी रख सकें ।
5. विद्यालय जाते समय छात्राओं को दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है । इसमें छात्राओं की भूमिका अत्यंत निराल्साहित करती है । बाल्यन से एक विशिष्ट प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में लालन पालन होने के कारण इस प्रकार की स्थिति छात्राओं की मानसिकता को प्रभावित करती है । ऐसी दशा में घर की सीमाओं के भीतर रहने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता ।

6. अभिभावकों की आर्थिक दशा की शैक्षिक अवरोध में त्वरिष्क तशक्त भूमिका रहती है । तस्यन्न परिवार शिक्षा के व्यय को वहन करने में तक्षम होते हैं किन्तु अधिकतर मुस्लिम परिवारों की आमदनी सीमित है । अतः शिक्षा की प्रति जिज्ञासा और आगे शिक्षा ग्रहण करने की अभिलाषा को कुठाराघात पहुंचता है । आगे अध्ययन करने की प्रबल आकांक्षा होते हुए भी छात्रायेँ शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाने में अपने को अतमय पाती हैं । उन्हें आवश्यक सामग्री तक उपलब्ध नहीं हो पाती । आर्थिक दशा से ही जुड़ा हुआ प्रश्न माता-पिता के शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण का है । पर्दा प्रथा, छात्रों से विचारों का आदान प्रदान करने की अनुमति का न होना आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो बालिकाओं को शिक्षा की वास्तविक आत्मा को ग्रहण करने से वंचित रखते हैं । शैक्षिक वातावरण में जितनी अधिक स्वतंत्रता का समावेश होगा उतनी ही अधिक छात्रायेँ इतने लाभान्वित होंगी ; किन्तु व्यावहारिक जीवन में यह संभव नहीं हो पा रहा है ।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से मूल रूप में चार अवरोधक तत्व मुस्लिम छात्राओं को शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रखते हैं :

1. पारिवारिक उत्तरदायित्व ।
2. पालकों में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण का अभाव ।
3. परिवार संबंधी अन्य समस्याएं, तथा
4. पालकों की निर्धनता ।

7.09 ताराशः :

वर्तमान शोध द्वारा मूल्यांकित करने का प्रयत्न किया गया है कि भोपाल नगर की मुस्लिम बालिकाओं ने शिक्षा अवसर का लाभ किस सीमा तक लिया है ? समस्या तार देने से पूर्व यह स्पष्ट करना उचित होगा कि यह निष्कर्ष अंतिम नहीं है, क्योंकि यह एक आंशिक शोध है, जिसका अध्ययन क्षेत्र मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल तक ही सीमित है। इस विषय पर हमारी जानकारी यह है कि शिक्षा के सब स्तरों में मुसलमान बालिकाएँ गैर मुसलमानों की तुलना में कम शिक्षा के अवसरों का प्रयोग करती हैं। "अ" वर्ग की शालाओं में पढ़ने वाली मुस्लिम बालिकाओं के घर की आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी "ब" वर्ग की शालाओं में अध्ययनरत बालिकाओं की तुलना में अच्छी नहीं है। जिससे उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ता है। हिन्दू बालिकाओं से तुलना करने पर भी यही पाया गया कि मुस्लिम बालिकाएँ शिक्षा प्राप्ति में भी हिन्दू बालिकाओं से पीछे हैं।

मुस्लिम छात्राओं के माता-पिता की शिक्षा व दृष्टताय के अध्ययन से भी यह तथ्य प्रकाश में आया कि नगर के पुराने क्षेत्र में निवास करने वाली मुस्लिम बालिकाओं के माता-पिता नये भोपाल क्षेत्र में निवास करने वालों की तुलना में अधिक अशिक्षित एवं स्वयं के दृष्टतायरत पाये गये। सरकारी नौकरियों में भी उनकी संख्या तुलनात्मक कम पायी गई। संभवतः उनकी बालिकाओं का शिक्षा में पीछे रहने का उपरोक्त भी कारण हो सकता है। ये बालिकाएँ शिक्षा के अवसरों का लाभ इस कारण भी नहीं ले पातीं कि घर में उन्हें पढ़ने की सुविधा नहीं है, घर के कार्यों के कारण पढ़ने में समय का अभाव है एवं उन्हें अपने माता-पिता से पढ़ने में मदद भी नहीं मिल पाती। यही कारणों से ऊंची कक्षाओं में पहुँचने पर हिन्दू छात्राओं की तुलना में भी उनकी संख्या कम हो जाती है।

मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्रों में स्थित विद्यालय भी सुव्यवस्थित नहीं पाये गये । उनमें अलग से न तो कोई पुस्तकालय है और न ही अधिकतम पुस्तक सुविधाएं ही उपलब्ध हैं । जिससे छात्राएं अध्ययन का समुचित लाभ नहीं उठा पातीं । अधिकांशतः मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के विद्यालयों की इमारतें भी दयनीय हालत में हैं । सफाई व वातावरण भी अच्छा नहीं हैं । इन इमारतों को देखकर स्ता जाभास होता है कि ये इमारतें स्कूल हेतु नहीं बनी थीं । यह भी पाया गया कि मुस्लिम छात्राओं की संख्या मुस्लिम बाहुल्य वाले क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अधिक है । इन शालाओं में मुस्लिम शिक्षकों की संख्या भी हिन्दू शिक्षकों की तुलना में अधिक पाई गई । मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम शिक्षकों की तुलना से भी यह तथ्य उभर कर आया कि अधिकांश गैर मुस्लिम शिक्षक अधिक शिक्षित एवं प्रथम श्रेणी प्राप्त हैं । जबकि द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी मुस्लिम शिक्षकों में अधिक है, एवं उनका आर्थिक स्तर भी निम्न है । मुस्लिम ^{पारिवारिक} बालिकाओं के साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि वे अपनी बालिकाओं को अपनी परम्परागत रुढ़िवादिता, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारणों से ही ~~बालिकाओं~~ बालिकाओं के विद्यालय भेजने में हिचकिचाते हैं । नेताओं, शिक्षकों एवं गणमान्य नागरिकों से मुस्लिम शिक्षा पर चर्चा करने से भी यह ज्ञात हुआ है कि मुसलमान बालिकाओं की शिक्षा प्राप्ति में बाधक कई जटिल परम्परागत कठिनाईयाँ हैं । जैसे मुस्लिम परिवारों में निरक्षरता का बाहुल्य, पाठ्यक्रम में धर्म का कोई स्थान न होना, निर्धनता । शिक्षा में अधिक खर्च एवं शिक्षा प्राप्ति के पश्चात् नौकरी का न मिलना । तारांशतः यह शोध निम्न परिकल्पनाओं की परीक्षा करता है :

पहली परिकल्पना है कि मुसलमान बालिकाएं हिन्दू बालिकाओं से कम शिक्षा प्राप्त करती हैं । इस परिकल्पना को परखने के लिए समता गुणांक का उपयोग किया गया, जो 74 - 23.6 प्रतिशत आया । जिससे हमारी परिकल्पना की पुष्टि होती है ।

दूसरी परिकल्पना है कि शिक्षा कार्यक्रम में ही ऐसी कौनसी बात है कि मुसलमान, गैर मुसलमानों की अपेक्षा शिक्षा के अवसरों का लाभ कम ले पाते हैं। इस परिकल्पना को परखने के लिए कुछ साक्षात्कार लिए गये। छात्रों से, माता-पिता से, नेताओं से एवं शिक्षाविदों से। इसके साथ-साथ शिक्षकों एवं शैक्षिक प्रशासकों को भी प्रश्नावली दी गई। जिनसे ज्ञात हुआ कि विद्यालय के अन्दर के अलावा बाहर भी कई ऐसे अवरोधक कारक हैं जो मुस्लिम बालिकाओं को शैक्षिक अवसरों का समुचित लाभ उठाने से वंचित रखते हैं। इनमें मुख्य है अधिकांश विद्यालयों का उनके घर से दूर होना, उर्दू माध्यम की शालाओं का अभाव, धार्मिक शिक्षा का न होना रुढ़िवादी सामाजिक परंपराएं, पढ़ाई प्रथा एवं आर्थिक कारणों से ही मुस्लिम बालिकाएं हिन्दू बालिकाओं की तुलना में पिछड़ रही हैं।

यदि शोध परिणामों पर संक्षेप में दृष्टिपात किया जाये तो दो प्रमुख ऐसे बाधक तत्त्व मुस्लिम समुदाय की बालिकाओं की शैक्षिक समानता के उपयोग के प्रावधान में बाधक के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। तैदान्तिक पक्ष जिसका संबंध विद्यालयीन वातावरण की प्रतिकूलता हो सकती है तथा दूसरे कारण का संबंध उनके समाज में प्रचलित मान्यताओं एवं मूल्यों से हो सकता है।

शोध द्वारा यह स्पष्ट हो गया है कि नगर की 14 कन्या विद्यालयों का शैक्षिक वातावरण लगभग एक सा है। सभी विद्यालयों में सुविधाओं की एकस्यता है। किन्तु जहां तक समुदाय के अंतर्गत विद्यमान सांस्कृतिक एवं सामाजिक आयामों का प्रश्न है, इस दिशा में वे ही त्वरिष्क प्रभाव डाल रही हैं। इसमें पालकों की उच्च शिक्षा के प्रति एक अनुदारवादी दृष्टिकोण अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण कर रहा है। उनकी मानसिकता अभी भी अधिकांश रूप से परम्पराओं द्वारा ही प्रभावित होती दिखाई पड़ रही है।

यद्यपि थोड़ा बहुत परिवर्तन शिक्षित एवं सम्पन्न परिवारों में जाना प्रारंभ हो गया है किन्तु प्रश्न उन अधिकांश परिवारों का है जिनमें शिक्षा को गौढ़ स्वल्प प्रदान किया जाता है। एक रोकक तथ्य यह भी दृष्टिगोचर होता है कि नई पीढ़ी आधुनिकीकरण की लहर से प्रभावित होकर शिक्षा की उपयोगिता को स्वीकार करने लगे हैं। उसमें उनकी आस्था बढ़ती हो रही है।

भविष्य की क्या ब्यूह रचना कारगर हो सकती है ?

मुस्लिम छात्राओं की शिक्षा की समस्या एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय समाज के द्रुत गति से बदलते हुए स्वल्प के कारण इसका समाधान दृढ़ता नितांत आवश्यक होगा। इससे जागामी शताब्दी के जायिक, प्रजासंक्रिक एवं राष्ट्रीय विकास को संबल मिलेगा। प्रश्न यह उठता है कि वे क्या प्रावधान हो सकते हैं जिनसे प्रोत्साहित होकर अभिभावकण अधिक से अधिक स्त्री शिक्षा की सुविधाओं से लाभान्वित होने का प्रयास करें ?

यदि केरल प्रान्त शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तो देश के अन्य क्षेत्रों को उस प्रान्त के प्रयासों को आदर्श के रूप में स्वीकार कर उनका सही रूप में क्रियान्वयन करना होगा। केरल के उत्तरी भाग की 35 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम समुदाय की है, जिन्होंने शिक्षा को कुले महत्त्वक से अपनाया है। विशेषज्ञों का विचार है कि यह लक्ष्य एक दीर्घकालीन योजना का परिणाम है। इस संबंध में नियोजकों की यह अवधारणा है कि केरल के लिए ऐसी रणनीति अपनाई गई जिससे उसका प्रभाव वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या पर पड़े। अतः प्रान्त के विकास को अर्थशास्त्रियों ने तीन स्थितियों में विभक्त किया।

1. अधिक जन्म तथा मृत्यु दर,
2. अधिक जन्म दर किन्तु मृत्यु दर में कमी, तथा
3. कम जन्म दर एवं कम मृत्यु दर

तीसरी स्थिति के लिए अध्यात्मिकियों, शिक्षा शास्त्रियों तथा समाज शास्त्रियों ने दो तत्त्वों को उत्तरदायी माना है :

1. योजनाओं का सक्रिय क्रियान्वयन, तथा
2. शिक्षा की प्रगति ।

अतः बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके अभिभावकों में परिवर्तन लाना है तो इसके लिए शिक्षा की उपादेयता के प्रति एक जागृकता उत्पन्न करनी होगी । जन संघार के साधन जो अत्यधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं, उनका उपयोग इस दिशा में एक मील का पत्थर हो सकता है । साक्षरता से संबंधित अधिक से अधिक कार्यक्रम को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जा सकता है । इसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा । विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक अध्ययन इस तथ्य को स्वीकार करता है कि परिवार स्वास्थ्य संबंधी जो प्रचार दूरदर्शन द्वारा किया जा रहा है उसका प्रभाव भारतीय ग्रामीण जनसंख्या पर तराहनीय रूप से पड़ा है । यदि इसी प्रकार के प्रयास शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए भी किये जायें तो निश्चिन्तेह उनका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा ।

जहां तक मुस्लिम समुदाय में नारी शिक्षा का संबंध है इसके लिए गहन चिंतन कर ऐसी व्यावहारिक रूप रेखा का निर्माण करना होगा जो समुदाय को सरलता से स्वीकार्य हो तथा जिसका स्वल्प उत्पादक हो ।

शिक्षा के प्रति जागृकता :

सर्व प्रथम शिक्षा के प्रति जागृकता के पक्ष को लेना होगा । उसके लिए मुस्लिम अभिभावकों को विगृह्यत दिलाना होगा कि बालिकाओं की शिक्षा

न केवल उनके समुदाय के हित में है वरन् इसमें राष्ट्र का हित भी निहित है । अब समस्या यह है कि इस चुनौती भरे कार्य को किस प्रकार सम्पन्न किया जाये ? इसके लिए समाज सुधारकों, स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका सर्वोपरि होगी । सरकार इस दिशा में सीमित योगदान दे सकती है, क्योंकि उसके अनेक आध्यामीय दायित्व इतने अधिक हैं कि वह अपना सम्पूर्ण प्रयास केवल इसी दिशा में केंद्रित नहीं कर सकती ।

नारी वर्ग की सक्रिय भूमिका :

इस दिशा में शिक्षित मुस्लिम नारियाँ एक सक्रिय भूमिका का निर्वहण कर सकती हैं । यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि नारी दूसरी नारी के निर्देशन से अधिक प्रभावित होती है । यह बात और भी कारगर सिद्ध हो सकती है जब एक शिक्षित स्त्री शिक्षा की उपयोगिता का स्पष्टीकरण निरक्षर स्त्रियों को देती है । इस प्रकार की कार्यप्रणाली से एक नया चिंतन जन्म लेगा और परम्परावादी पीढ़ी की नारियाँ भी इससे असूती नहीं रह पायेंगी । यदि भोपाल की मुस्लिम नारी शिक्षा के स्तर की तुलना लखनऊ, हैदराबाद अथवा केरल प्रान्त की इसी समुदाय की स्त्रियों से की जाय, तो हमें इनका अन्तर स्पष्ट स्पेण दृष्टिगोचर होगा । वास्तव में भोपाल नगर की अपेक्षा इन अन्य स्थलों का सामाजिक वातावरण अधिक खुला है, साथ ही साथ अनेक ट्रस्ट मुस्लिम बालिकाओं की शिक्षा हेतु कटिबद्ध हो सराहनीय कार्य कर रहे हैं ।

महिला शिक्षिकाओं का योगदान :

मुस्लिम बालिकाओं की शैक्षिक सफलता तथा उनकी शिक्षा के प्रति अभिभूति एक बड़ी सीमा तक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के व्यवहार पर भी निर्भर करती है । शिक्षिकाओं में मुस्लिम संस्कृति का ज्ञान छात्राओं के

लिए उत्साहजनक होगा । उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक उर्दू शिक्षिका की नियुक्ति अनिवार्य कर दी है जिससे सभी छात्र-छात्राओं को इस समुदाय के आधारभूत मूल्यों का ज्ञान हो सके जो भविष्य में चल कर एक उदारवादी चिंतन को जन्म देने में सक्षम होगा ।

विद्यालय अभिभावक संगठन :

अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यालयों में शिक्षिकाओं और उनके अभिभावकों के मध्य सह संबंध स्थापित करने के लिए इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक संगठन की स्थापना की जानी चाहिए । बालकों को स्था प्रतीत होना चाहिए कि वे स्वयं भी विद्यालय के एक सक्रिय अंग हैं । इससे उनमें विद्यालय एवं विद्यालयीन शिक्षा के प्रति आस्था बढ़ेगी ।

शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण :

वैसे तो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य सभी वर्गों पर समान रूप से क्रियाशील हो सकते हैं किन्तु अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इनका विशिष्ट महत्व होगा ।

1. सामान्य उद्देश्य :

- (1) बहुसंख्यक समुदाय के साथ ही साथ मुस्लिम वर्ग की परम्पराओं को सुरक्षित रखना,
- (2) छात्राओं में आत्म विश्वास विकसित करके उनमें निहित मनोवैज्ञानिक कुंठाओं को तोड़ना,
- (3) छात्राओं में यह विश्वास उत्पन्न करना कि वे एक परिवर्तनशील समाज की सदस्या हैं तथा सामाजिक विकास हेतु उन्हें अपना एक स्थान सुनिश्चित करना है।

- (4) शिक्षा द्वारा आर्थिक जीवन को सुधारने का प्रयास,
- (5) राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म देना, तथा
- (6) शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना ।

2. पाठ्य विषयों द्वारा प्राप्त व्यावहारिक उद्देश्य :

- (1) तीन भाषाओं की शिक्षा जिनमें एक भाषा उर्दू हो, व्यावहारिक गणित । यहाँ पर कम्प्यूटर आदि का उपयोग केवल उन्हीं छात्रों को सिखाया जाये जिनमें रुचि व क्षमता हो । यदि उते आन्भारी बना दिया गया तो यह स्वयं में एक बाधक तत्व सिद्ध हो सकता है ।
- (2) अपने चारों ओर के वातावरण का अध्ययन जो रोचक भी होगा व सुगमता से ग्रहण भी । इसके अंतर्गत प्राकृतिक व सामाजिक दोनों प्रकार के वातावरणों का समावेश होना चाहिए ।
- (3) पाठ्यक्रम में कुछ घरेलू उद्योग धन्धों का समावेश भी होना चाहिए । तमाम ऐसे लघु धन्धे सिखाये जा सकते हैं जिनमें लघु उद्योग के रूप में स्कूल जाने वाली बालिकायें अपनाकर आय का साधन बना सकती हैं । आर्थिक अवरोध को दूर करने का यह एक सुगम साधन होगा ।
- (4) सरकारी एवं व्यक्तिगत संबंधों द्वारा गुस्तिम छात्रों के लिए ऐसे विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें उन्हें आवागमन में असुविधा न हो क्योंकि निवास स्थल से विद्यालय की दूरी उनकी शिक्षा को प्रभावित करती है । इस दिशा में बकफ बोर्ड को भी अपना यथा-संभव सहयोग प्रदान करना चाहिए ।

§6§ छात्र-अध्यापिकाओं की भूमिका

यद्यपि भारतीय संदर्भ में यह एक नया प्रयोग होगा, किन्तु इतने लाभकारी परिणाम उपलब्ध हो सकते हैं। भोपाल की प्रत्येक छात्र अध्यापिका के व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गत यह अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए कि वे कम से कम दो रेती मुस्लिम छात्राओं का निर्देशन करेंगी जो विभिन्न विषयों में कठिनाईयों का अनुभव करती हैं। यह योजना "समुदाय के साथ कार्य" (वर्किंग विथ द कम्युनिटी) विषय में भी क्रियान्वित की जा सकती है। तन् 1978 में तन्जानिया में जब प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पड़ी तो इती से मिलता जुलता प्रयोग वहाँ की सरकार ने किया, जिसका परिणाम आशा से कहीं अधिक उत्साहवर्धक रहा। अतः सूक्ष्म में इस प्रकार के प्रयोग का परीक्षण किया जा सकता है। यद्यपि आलोचकों का यह प्रहार हो सकता है कि हम इस दिशा में अधिक महत्वाकांक्षी हो रहे हैं।

मुस्लिम बालिकाओं की सम्पूर्ण शिक्षा योजना के संबंध में एक प्रकार ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की :

सभी समस्याओं का समाधान तुम प्रतीत होता है, किन्तु वे इतने सरल नहीं होते। मुस्लिम समुदाय की छात्राओं की शिक्षा भी इसका अपवाद नहीं है। व्यवहार में योजना उतनी तुम नहीं होती जितनी कि वे कागज में दृष्टिगोचर होती है। वर्तमान में तो स्थिति इस बिन्दु तक पहुँच गई है कि आज जो शिक्षा योजना निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं, कल तत्ता से बाहर होते ही उसकी आलोचना प्रारंभ करने का प्रयास करने लगते हैं। विडम्बना यह है कि अल्प काल में ही परिवर्तित होने वाली शिक्षा नीतियों ने छात्र-छात्राओं को घौराहे पर ला खड़ा कर दिया है।

परन्तु स्थिति कुछ भी हो जब 1991 की जनगणना से अनुमानित संकेत यह दर्शा रहे हैं कि स्त्री पुरुष के मध्य का अनुपात लगभग समान है तो रेती

स्थिति में समान अधिकारों का होना भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र की आवश्यकता है। यह एक उत्साहवर्धक संकेत है कि 1981 में साक्षरता का प्रतिशत मात्र 36 प्रतिशत था जो आज अनुमानतः लगभग 51 प्रतिशत हो चला है। सामान्य प्रतिशत वृद्धि के समान ही कम से कम नगरीय क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में शिक्षा के प्रतिशत में वृद्धि हुई। परन्तु इस प्रवृत्ति को ग्रामीण आंचलों तक ले जाना होगा। हिन्दू एवं मुस्लिम नारियाँ शिक्षा के प्रति अधिक जागृक हों, और उसे अर्जित करने के लिए यथा संभव प्रयत्न करें। इस तथ्य को स्वीकार करना होगा कि एक पुरुष एक व्यक्ति को स्वेच्छा से पढ़ा सकता है किन्तु एक नारी सम्पूर्ण परिवार के लिए इस दिशा में वरदान सिद्ध हो सकती है।

भविष्य में सरकार, संस्थाओं, शिक्षा शात्रियों, तथा समाज सेवकों को इस प्रकार की व्यावहारिक चुनौतियों की रचना करनी होगी जितने अधिक ते अधिक मुस्लिम बालिकायें, शैक्षिक सुविधाओं का अधिकतम लाभ लें, एवं राष्ट्र की उन्नति में स्वयं का सक्रिय योगदान दे सकें।

7. इस्लामी संस्कृति एवं स्वीकृत मूल्य :

स्त्री शिक्षा की अवहेलना हेतु स्वयं इतिहास उत्तरदायी है। मध्ययुग से लेकर स्वाधीनता के पूर्व तक मुस्लिम नारी की शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं दिया गया। धर्म एवं नैतिकता की दुहाई देकर उन्हें घर की सीमाओं में बंद रखने का प्रयास किया गया। इस व्यवस्था ने एक परम्परा का रूप धारण कर लिया। जिसका अर्थ आज मुस्लिम बालिकाओं को चुकाना पड़ रहा है। पदार्थ प्रथा ने इसमें और भी योगदान दिया। विवाह को प्राथमिकता देना अभिभावकों हेतु एक नैतिक उत्तरदायित्व बन गया है। रुढ़िवादी मूल्यों से बन्धे होने के कारण मानसिक संकीर्णता जन्म लेती है, तथा आधुनिकीकरण एवं प्रगति के साथ बन्धे से बन्धा मिलाकर चलना संभव नहीं हो पाता।

आधुनिक युग की मांग है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर कम होने से ही देश की आर्थिक एवं सामुखी प्रगति हो सकती है। कुछ अत्याधिक संकीर्ण विचार रखने वाले लोगों की मान्यता यह भी है कि यदि लड़कियाँ पढ़ लिख जाएंगी, तो निःसन्देह परिवार नियोजन की अवधारणा को स्वीकृत करेंगी। इसका प्रभाव समुदाय के स्थापित मूल्यों पर पड़ेगा। विडम्बना यह है कि अशिक्षित भारतीय नारी संतान को ईश्वर की देन समझकर समझौता कर लेती हैं। यही सामान्य व्यक्ति की निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। कुछ रुढ़िवादियों की आशंका है कि हिन्दू बाहुल्य वाले विद्यालयों में लड़कियों को पढ़ाने से मुस्लिम सांस्कृतिक मान्यताएँ प्रभावित हो सकती हैं।

8. पुरुषों का बर्चस्व :

यद्यपि मुस्लिम समुदाय में नारी को एक उच्च स्थान दिया गया है किन्तु पुरुष वर्ग अपने अधिपत्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यह लक्ष्य सभी समुदायों के समान स्वयं से क्रियाशील है। भय यह है कि लड़की पढ़ लिखकर अपने अधिकारों की मांग करेगी। विकासशील देश होने के नाते इस प्रकार की धेतना को जन्म लेने में कई दशक लगेमें। क्योंकि हमें जो वस्तु सामाजिक विरासत के रूप में प्राप्त हुई है, उसे सामाजिक व्यवस्था को तुरंत परिवर्तित करना सुगम कार्य नहीं है।

9. मनोवैज्ञानिक कारक :

मुस्लिम नारी एक ऐसी सामाजिक परिस्थिति में अपना निर्वाह कर रही है जिसके अंतर्गत उनकी आकांक्षा का स्तर अत्याधिक सीमित है। जो उन्होंने उपलब्ध कर लिया उसी से संतुष्ट हैं। शिक्षा ग्रहण कर समाज में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाने की इच्छा उसमें जन्म नहीं ले सकी। पति की सेवा, बच्चों का पालन-पोषण तथा अल्ताह की इबादत करने को ही वे

अपनी उपलब्धि मानती हैं । यदि आकांक्षा का संतार इतना ही सीमित हो तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाना कोई अर्थ नहीं रखता । दूसरे शब्दों में उनके लिए शिक्षा एक गौढ़ विषय बनकर रह जाती है । लड़कों में भी शिक्षा के प्रति विशेष उत्साह दृष्टिगोचर नहीं होता है । यही कारण है कि समुदाय का एक बड़ा वर्ग शिक्षा के प्रति उदासीन है ।

10. आर्थिक कारण :

बड़े संयुक्त परिवार, निधनता को जन्म देते हैं । अतः छोटी आयु में ही बालक धन्यों में लग जाते हैं । यदि समाज शास्त्रीय दृष्टि से अवलोकन किया जाये, तो यह सामान्य रूप से देखा जाता है कि मोटर मैकेनिक धरणाप, घड़ी साज, तैलून, जिल्द साजी, आदि अनेक ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें अधिकतर मुस्लिम बालक कार्यरत हैं । यह उनके परिवार की आर्थिक दशा का घातक है। पढ़ने वाली आयु में वे भ्रम द्वारा पैसा अर्जित करना प्रारंभ कर देते हैं ऐसी स्थिति में माता-पिता लड़कियों को भी पढ़ने हेतु प्रोत्साहित नहीं करते । इससे समाज में एक प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होने का भय पैदा हो जाता है। पढ़ी-लिखी बालिका का विवाह अनपढ़ बालक से नहीं किया जा सकता है, अतः बालिकाएँ भी या तो निरक्षर रह जाती हैं अथवा थोड़ी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर घर बैठ जाती हैं ।

11. "दबाव वर्ग" प्रेशर ग्रुप। :

कुछ प्रतिक्रियावादियों का मत है कि मुस्लिम समुदाय में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो राजनैतिक स्वार्थ हेतु शिक्षा प्राप्त करने को निरोत्साहित करते हैं । उनका मत है कि शिक्षित नारी अपने अधिकारों के प्रति जागृक हो जायेगी, जिसका प्रभाव " वोट बैंक " पर पड़ेगा ।

भावी शोध कार्य हेतु कुछ प्रस्तावित शोध समस्याएँ :

1. आधुनिक युग में मुस्लिम शिक्षा का महत्त्व ।
2. इस्लामी शिक्षा के तैद्धान्तिक आधार ।
3. वर्तमान कालीन मुस्लिम शिक्षा के पाठ्यक्रम का विश्लेषण ।
4. इस्लामी शिक्षा व्यवस्था का भारतीय संदर्भ में मूल्यांकन ।
5. एक इस्लामी राज्य एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन ।
6. भारतीय संदर्भ में मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण ।
7. स्वतंत्रता के पश्चात् भारत में मुस्लिम शिक्षा के प्रसार का विश्लेषणात्मक अध्ययन ।
8. शैक्षिक अवसरों की समानता एवं मुस्लिम छात्राजों द्वारा उनका उपयोग - भोपाल, लखनऊ तथा हैदराबाद के संदर्भ में ।
9. मुस्लिम समुदाय की शिक्षा से संबंधित समस्याएँ, एवं उनके निदान हेतु सुझाव ।

" सॅट भै - सा हि त्य "

" तन्दभे साहित्य "

1. अग्रवाल, जे.सी., प्रोग्रेस आफ एजुकेशन इन फ्री इन्डिया, नई दिल्ली, आर्या बुक डिपो, 1979.
2. अहमद, एन., एजुकेशनल अपार्युनिटी एन्ड सोशियो इकानामिक पैर एमंग दि मुस्लिम बैकवर्ड क्लास, एन्ड रीडुल कास्ट आफ पैजावाट डिस्ट्रिक्ट, पी.एच.डी.एजू. 1980.
3. अशरफ सैयद अली, मुस्लिम एजुकेशन इन माईन वर्ल्ड, ए सर्वे, तन्दन, 1983.
4. अहमद, इम्तियाज, कास्ट एन्ड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अमंग दि मुस्लिम, देहली, मनोहर बुक सर्पिस, 1973.
5. अशरफ एत.ए., क्राइसिस इन मुस्लिम एजुकेशन, किंग अब्दुलअजीज यूनिवर्सिटी, जेदाह, 1979.
6. अहमद मुहम्मद अब्बाक, ट्रेडिशनल एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स, ए स्टडी आफ लम आस्पेक्ट्स इन माईन इन्डिया, पी.एच.डी. थीसिस आफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, 1980.
7. अलतास सैयद मुहम्मद अल नाकिब, एम्स एन्ड आब्जेक्टिव्स आफ इस्लामिक एजुकेशन, किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, जेदाह, पृ. 158-159- (1979).
8. आल इन्डिया मुस्लिम एजुकेशनल कांफ्रेंस, कमलवार जंग, एजुकेशन कमेटी, 1939.
9. आबिद हुसैन एस. इन्डियन कल्चर्स, बम्बई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1963.
10. आबिद हुसैन एस., डिस्टिनी आफ इन्डियन मुस्लिम्स, न्यू देहली, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1965.

11. इन्दुकुमारी, एजूकेशन एन्ड सोशल स्टेटस आफ मुस्लिम वूमन इन केरल, पी.एच.डी., केरल, 1976.
12. इन्टरनेशनल एनसाईक्लोपीडिया आफ सोशल साइन्स, भाग-5, मेकमिलन, 1968.
13. इन्डियन एजूकेशनल रिव्यू, ए रिसर्च, जून, जुलाई, 1984.
14. इलिय डबान, डिस्कूलिंग सोसाईटी, पेन्गुइन बुक्स लिमिटेड, 1971.
15. के.नाथ, ई. एलबा, "ए परफेक्ट एजूकेशन", दि प्रोग्रेस इन एजूकेशन भाग (xiii), न. 32, जुलाई, 1979.
16. एनसाईक्लोपीडिया आफ बिटेनिका, 1953.
17. एनसाईक्लोपीडिया आफ माडर्न एजूकेशन, फिलासाफिकल साइडिरी, न्यूयार्क, 1943.
18. एनान, माइनारिटीज, ब्लैक रिकार्ड आफ कांग्रेस, न्यू एज, जनवरी, 22, 1967.
19. एजूकेशन कमीशन रिपोर्ट, 1964.
20. एम्पीरियल गेजेटियर आफ इन्डिया, भाग-2, 1908, भाग-4 1907, भाग-10, 1908.
21. एजूकेशनल क्वार्टरली, अगस्त, 1984.
22. कुरेशी, एम.ए., सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम एजूकेशन सेन्टर आफ एडवांस्ड स्टडी इन एजूकेशन, फैकल्टी आफ एजूकेशन, एम एत यूनीवर्सिटी, ढाँडा 1970, पृ. 61-64.
23. कृष्ण, के.बी., दि प्रोब्लम आफ माइनारिटीज कम्यूनल रिप्रेजेन्टेशन इन इन्डिया, लन्डन, जार्ज हलेन एन्ड अनविन, 1939.

24. कोलमैन, जे. एस्., " इक्वैलिटी आफ एजूकेशनल अपॉर्चुनिटी, वाशिंगटन, यू. एस्., डिपार्टमेंट आफ हेल्थ, एजूकेशन एण्ड वेल्फेयर, 1966.
25. कबीर हुमायुं, एजूकेशन इन न्यू इन्डिया, लन्दन जार्ज एलेन एण्ड अनविन लिमिटेड, 1961.
26. कबीर हुमायुं, माइनारिटीज इन ए डेमोक्रेसी, कलकत्ता के. एल. मुखोपाध्याय 1968.
27. कुरेशी, मनतुल्लदीन, ए मुस्लिम एजूकेशन एण्ड लर्निंग इन गुजरात, (1227-1758), पी. एच. डी. थीसिस, एम. एल. यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा, बड़ौदा।
28. कोठारी शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1964-66 शिक्षा व राष्ट्रीय विकास, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय (प्रकाशन सं. 82), पृ. 203.
29. कबीर हुमायुं, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इन्डिया, (1906-47) एंड अदर एसेस, कलकत्ता, के. एल. मुखोपाध्याय, 1968.
30. कन्सेन्ट आफ कम्पलतरी एजूकेशन, हार्वर्ड रिच्यू, 1976.
31. कोलमेन्स कम्प्यूनिटी रिपोर्ट, 7: 535, 9: 372.
32. कुप्युस्वामी, बी., सोशल चेंज इन इन्डिया, देहली, विकास पब्लिशिंग हाउस, प्रोप्येटर लिमिटेड, 1972.
33. खान एम. एच., हिस्ट्री आफ मुस्लिम एजूकेशन मुहम्मद अशरफ, लाहौर।
34. खान, मोहम्मद शरीफ, एजूकेशन रिलीजियन एण्ड मार्टिन एज, आशीष पब्लिशिंग हाउस, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, 1990, पृ. 21-66.
35. खान रशीउद्दीन, सेल्फ न्यू आफ माइनोरिटीज, तैमीनार, नम्बर 132, अगस्त, 1970, पृ. 21-27.

36. खान अलताफ अली, स्ट्रगल आफ मुस्लिम्स इन एजुकेशन, अलीगढ़, शिक्षानी प्रिंटिंग प्रेस ।
37. खान, बतियुल्लाह, एजुकेशन एण्ड सोसाइटी इन दि मुस्लिम वर्ल्ड, होडर एन्ड स्ट्रुटन किंग अब्दुलअजिज यूनीवर्सिटी, जददाह, 1981 ।
38. खान, मोहम्मद शरीफ, इस्लामिक एजुकेशन, आशीष पब्लिशिंग हाउस, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ।
39. खान इशाक एन्ड अदर्स, प्रोब्लम आफ मुस्लिम एजुकेशन, इंडियन रिव्यू, भाग ~~XXVII~~ अगस्त, 1975 ।
40. खन्ना, जे.के. एण्ड अदर्स, हायर एजुकेशन एंड मुस्लिम, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, अगस्त 24, 1973 ।
41. खान रशीउद्दीन, दि प्रोब्लम एंड प्रोस्पेक्टिव आफ माइनारिटी, दि टाइम्स आफ इंडिया, अगस्त, 15, 1972 ।
42. गिलफर्ड जे.पी., फाउन्डामेन्टल स्टेटिस्टिक्स इन साइकालाजी एन्ड एजुकेशन, न्यूयार्क, हिल बुक, 1966 ।
43. गुड कार्टर, बी. जार, ए.एस. एन्ड स्केट्स, हुगलात ई. दि मेयोडोलोजी आफ एजुकेशनल रिसर्च, न्यूयार्क, 1941 ।
44. गार्डेन एडमुन्ड एन., डिफाइनिंग इक्वल अपार्चुनिटी इन इक्वेलिटी एन, एजुकेशनल अपार्चुनिटी, मोसटेलर, एम एंड मोनीहन, न्यूयार्क, एन्डम हाउस, 1972 ।
45. गुप्ता, के.के., वूमन एण्ड सोसाइटी, क्राइटेरियन पब्लिकेशन, राजा गार्डेन, नई दिल्ली, 1986 ।
46. चक्रवर्ती, अलुन्दा, " हिन्दूत एंड मुसलमान्स आफ इंडिया ", कलकत्ता, टेकर, 1940 ।

47. चौधरी, ए.जी. (1982) तम आस्पेक्टस आफ इस्लामिक एजुकेशन, यूनीवर्सल बुक्स, लाहौर।
48. जैन, एस्.पी., सोशल स्ट्रक्चर आफ हिन्दू एन्ड मुस्लिम कम्युनिटी, 1978.
49. जेनेक्स, क्रिस्टोफर एन्ड अदर, इनइक्वैलिटी, ए रिसिसमेंट आफ दि इफेक्ट आफ फेमिली एन्ड स्कूलिंग इन अमेरिका, न्यूयार्क, वेसिक बुक्स, 1972.
50. जफर, एस्.एम., एजुकेशन इन मुस्लिम इंडिया, लाहौर, रिपान प्रिंटिंग प्रेस, 1936.
51. जैक्सन फिलिप डबल्यू, आफ्टर शेषल पिंकिंग, हाईडै एजुकेशनल रिव्यू, भाग xiii. नम्बर 1, फरवरी, 1973.
52. जयप्रकाश नारायण, मुस्लिम माइनारिटी इन इंडिया, स्वराज्य, भाग-8 नम्बर xxvii, 1964.
53. टिकू, पी.एन. इंडियन वूमन : बी.आर.पब्लिशिंग कार्पोरेशन, दिल्ली, 1985.

डिक्शनरी एन्ड इनसाइक्लोपीडिया

54. डिक्शनरी आफ एजुकेशन, मे-क्यू हिल, न्यूयार्क, 1959.
55. डिक्शनरी आफ फिलासफी एन्ड साइकोलाजी, न्यूयार्क, 1960.
56. डिक्शनरी आफ सोशियोलोजी, न्यूयार्क, 1959.
57. डेविस, किंग्सले, ह्यूमन सोसाइटी, न्यूयार्क, मैकमिलन, 1969.
58. डिड्वेगंजी, पी., टुबर्ड्स इक्वैलिटी इन एजुकेशन, यूनेस्को, 1963.
59. इलवाइं हामिद, मुस्लिम पोलिटिक्स इन इंडिया, बाम्बे, नचिकेता पब्लिकेशन, 1968.

60. डायर, हेनरी. एस्., स्कूल फैक्टर्स एन्ड इक्वलि एजुकेशनल अपाचुनिटी, हावर्ड्स एजुकेशनल रिव्यू, भाग-38, नम्बर-1, विंटर, 1968.
61. ताराचन्द, हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट । भाग-11, देहली पब्लिशिंग डिवाजन, मिनीस्ट्री आफ इन्फारमेशन एंड ब्राडकास्टिंग, 1967.
62. देसाई, नीरा, वूमन इन मॉडर्न इंडिया, वीरा एंड कम्पनी, बाम्बे, 1957.
63. दत्त, महेन्द्रनाथ, स्टेट्स आफ वूमन, मोहिन्द्रा पब्लिशिंग कम्पनी, कलकत्ता, 1957.
64. दि कांस्टीट्यूशन आफ इंडिया, गवर्नमेंट आफ इंडिया पब्लिकेशन्स, 1972, पृ. 212.
65. दत्ता रत्ना, सोशल एंड इकानामिक्स कंफ्लिक्स बिहाइन्ड कम्प्यूनेलिज्म, ए केस स्टडी, इकानामिक्स एंड पोलिटिकल वीकली, भाग-7, 1972.
66. नादिर, अब्दुल हसन अली, मुस्लिम्स इन इंडिया, 1978.
67. नन्दा, बी.आर., इन्डियन वूमन फ्रॉम पदा टू मॉडर्निटी, नई दिल्ली, विकास, 1976.
68. नाजरिया मन्सूर टोंक, इन्डियन मुस्लिम्स टुडे, रेडिस्न्स, जून, 17, 1973.
69. प्लाउडन, एल.बी., "सेन्ट्रल एडवाइजरी काउन्सिल फॉर एजुकेशन । इंग्लैंड। 1967, चिल्ड्रन एन्ड दियर प्रायमरी स्कूल्स, प्लाउडन रिपोर्ट, भाग । लन्दन।
70. प्लाउडन कम्प्युनिटी रिपोर्ट, 1967, 5:69, 9:308.
71. पीटर्स, आर.एस्., एम्स आफ एजुकेशन, ए कन्सेप्टुअल इनक्वायरी, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1978.

72. फास्की, जिया उल हसन, तम आस्पेक्टस् आफ मुस्लिम एजुकेशन एन्ड कल्चर, इस्लाम एन्ड माईन एज, नई दिल्ली, 1979, पृ. 28-58
73. बेटेली, एन्ड्रे, सोशल इनइक्वैलिटी [एडिटर], ग्रेट ब्रिटेन, रिचार्ड क्ले, 1969 .
74. बुच, एम.एन., मुस्लिम एडोलेसेन्ट गर्ल्स एन्ड दियर एजुकेशन, भाग-1, पृ. 133 .
75. बोल्डन, रेमन्ड, एजुकेशन, अपार्चुनिटी एन्ड सोशल इनइक्वैलिटी, न्यूयार्क, जान विली एन्ड सन्स, 1974 .
76. बाते अख्तास्ल, एजुकेशन आफ इन्डियन मुस्लिम्स, ए स्टडी आफ आल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कान्फ्रेंस (1886-1947) नई दिल्ली, 1977 .
77. वहीद, ए. दि इबालूशन आफ मुस्लिम एजुकेशन हिस्टारिकल, साइकाला-जिकल एन्ड कल्चरल स्टडी आफ दि इन्फ्लुएन्सेस विच डेव शोप्ड मुस्लिम एजुकेशन, इस्लामिक कालेज, लाहौर (1945).
78. बेग, एम.आर.ए., माइनारिटीज, मुस्लिम्स सिख, क्रिचियन एंड फारसी, इलस्ट्रेटेड वीकली, फरवरी, 28, 1971 .
79. बुच, एम.एन., माइनारिटी कम्युनिटी एंड फीमेल एजुकेशन, भाग-1, पृ. 118 .
80. भंडारी, आर.के., एजुकेशन डेवलपमेंट आफ वूमन इन इंडिया, नई दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन एंड कल्चर, 1982 .
81. मूले, जार्ज, जे. दि साइन्स आफ एजुकेशनल रिसर्च, न्यू देहली, यूरोशिया, पब्लिशिंग हाउस लि., 1964 .
82. मुजीव, एम., दि इंडियन मुस्लिम्स, लन्दन, जार्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, 1967 .

83. मुहम्मदुद्दीन सईद गुलाम, माईन एजूकेशन एन्ड दि एजूकेशनल प्रोब्लम्स आफ दि इंडियन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स एजूकेशन, क्वार्टरली, भाग-2, 4, 1985, पृ. 61-75.
84. मीड, माग्रेट, कल्चरल पेटर्न्स एन्ड टेक्निकल चेंज, पेरिस : एयूनेस्को, 1953.
85. मुदालियर आयोग प्रतिवेदन अक्टूबर, 1952, जून, 1953, प्रकाशन केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
86. मजूमदार, आर.ती., हिस्ट्री आफ दि फ्रीडम मूवमेंट, (भाग-1), कलकत्ता, मुखोपाध्याय, 1963.
87. माधुर, वाय.बी., मुस्लिम्स एंड चेंजिंग इंडिया, न्यू देहली, त्रिमूर्ति पब्लिकेशन, 1972
88. मोहम्मदुद्दीन, के., ए स्टडी आफ मुस्लिम पालिटिकल आइडियास इन इंडिया, ए जर्नल आफ इंडियन डिजटेनल एब्सट्रेक्ट्स (आई.टी.एस.एस. आर.), भाग-1, नंबर-1, मार्च, 1973.
89. मोर सवितीज एन्ड जाब्स फार मुस्लिम्स अजर्ड, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, अगस्त, 19, 1973.
90. मखानी, एम.आर., ए प्ली फार रीजन आन माइनारिटी रिजर्वेशन्स, थाट, दिसम्बर, 20, 1969.
91. मदन, एन.एल., इक्वेलिटी आफ अपार्थुनिटी इन एजूकेशन, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, मार्च, 19, 1973.
92. मुहम्मद नोमानी, मुस्लिम इंडिया, राज्ज एन्ड आल इंडिया मुस्लिम लीग इलाहाबाद 1911.

93. मुईन शाकिर, मुस्लिम इन प्री इंडिया, न्यू देहली, कलमकार प्रकाशन, 1972, पृ. 95-138.
94. मुजीव, एम., इंडियन मुस्लिम, लन्दन, एलेन एंड अनविन लिमिटेड, 1967.
95. मित्तल गोपाल, " दि मुस्लिम माइनारिटीज प्राब्लम तेक्नोलॉरिज्म, स्वराज्य, भाग-13, नम्बर 20, नवम्बर, 10, 1968, पृ. 13-14.
96. मिश्रा, लक्ष्मी, एजुकेशन आफ बूमेन इन इंडिया, मेकमिलन, 1966.
97. माथुर, घाई. बी., वूमेन एजुकेशन इन इंडिया, एशिया, 1973.
98. माईन चार्ल्स, एफ., माइनारिटीज इन अमेरिकन सोसाईटी, न्यूयार्क, अमेरिकन बुक कम्पनी, 1952.
99. मास्टेजर, फ्रेडरिक एंड डेनिघल, पी., आन इक्वेलिटी आफ एजुकेशनल अपार्चुनिटी, न्यूयार्क, रेन्डम हाउस, 1972.
100. मूर्ति, एम., सोशियो इकानामिक स्टेटस आफ इंडियन बूमेन, डिपार्टमेंट आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, काकट्या यूनिवर्सिटी बैरंगाल, ए.पी., सीमा पब्लिकेशन राणाप्रताप बाग, दिल्ली।
101. मिश्रा, एस्. एम., दि पोजीशन आफ बूमेन इन इंडिया, नीरज पब्लिशिंग हाउस, 1981.
102. मेनन, लक्ष्मी. एन., दि पोजीशन आफ बूमेन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, 1944.
103. मलिक, हफीज, सर सैयद अहमद खान एंड मुस्लिम माइनाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कोल्म्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क (1980).

104. मधोक बलराज, एंड अदर्स, इंडियन मुस्लिम्स दि अटर साईड आफ पिकचर, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, नवम्बर 11, 1972।
105. मुस्लिम तालीमी सोसाइटी, कलकत्ता, सेमीनार आन प्राबलम्स आफ मुस्लिम एजुकेशन, कलकत्ता, 1978 ।
106. माधुर, वाम्प-बी., मुस्लिम्स एंड चेंजिंग इंडिया, 1972 ।
107. मुजीब, इंडियन मुस्लिम्स, लन्दन, 1967 ।
108. रफ़ीक जाफरी, राइज आफ मुस्लिम्स इन इंडियन पोलिटिक्स, बाम्बे, सोमानिया प्रेस, 1970 ।
109. राम गोपाल, इंडियन मुस्लिम्स, ए पोलिटिकल हिस्ट्री (1958-1947) नई दिल्ली, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1949 ।
110. डा. राधाकृष्णन, कमीशन रिपोर्ट (1948-49) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, प्रकाशन, नई दिल्ली ।
111. रहमान, एच. मुस्लिम एजुकेशन इन नाइनटीन्थ सेंचुरी बंगाल, क्वैस्ट, नम्बर LXXXVI मई-जून, 1972 ।
112. राय, शिवानी, स्टेटस आफ मुस्लिम बूमन इन नार्थ इंडिया, बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली, 1979 ।
113. रैजमेन, एफ., दि कल्चरली डिग्राइड्ड चाईल्ड, न्यूयार्क, हार्वर एंड ब्रदर्स, 1962 ।
114. स्सेल, बी., एजुकेशन एंड सोशल आर्डर, लन्दन, जार्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, 1961 ।
115. लुकास, जे.आर., इक्वेलिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन इक्वेलिटी एन्ड सोसाइटी, लन्दन, जार्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, 1975 ।

116. ब्रीडे, डी.सी., पर्दा, ए स्टडी आफ मुस्लिम वूमन्स लाईफ इन नाथ इंडिया, 1969 .
117. बैक्स, औलिब, दि सोशियोलोजी आफ एजुकेशन, न्यूयार्क, रेकन बुक्स, 1972 .
118. भटनागर, जी.एस्., एजुकेशन एन्ड सोशल चेंज, कलकत्ता, दि मिनर्वा एसोसिएट्स, 1972 .
119. ब्रूनर, जे.एस्., पाबर्टी एन्ड चाईल्ड हुड, आक्सफोर्ड रिब्यू आफ एजुकेशन, भाग-1, नम्बर -1, 1975 .
120. सिद्दकी अहमद, मुस्लिम्स इन हायर एजुकेशन, दि हिन्दुस्तान टाइम्स, अगस्त, 18, 1973 .
121. सिल्वर डेराल्ड, इक्वल अपार्युनिटी इन एजुकेशन लन्दन, मेथ्युन एन्ड कम्पनी, लि. 1973 .
122. सकारिया रफ़ीक, राइज आफ मुस्लिम्स इन इंडियन पोलिटिक्स, बाम्बे, सोशियल पब्लिकेशन लिमिटेड, 1970 .
123. डा.सैयद अशरफ अली, मुस्लिम एजुकेशन इन माडर्न वर्ल्ड, ए तर्वे, लन्दन, 1983 .
124. शलाबी अहमद, हिस्ट्री आफ मुस्लिम एजुकेशन, पी.एच.डी. थीसिस आफ केम्ब्रिज यूनीवर्सिटी } 1976 .
125. शलाबी अहमद, हिस्ट्री आफ मुस्लिम एजुकेशन, दास्ल कागफ, बेला, 1964, पृ. 168 .
126. श्रीवास्तव, गोपीनाथ, दि भंगवेज कंट्रोवर्सी एंड दि माइनारिटीज, देहली, आत्माराम एन्ड सन्स, 1970 .

127. शाहनाज बेगम, मुस्लिम वूमैन, दैन एंड नाउ, रेडियन्स, फरवरी, 13, 1973.
128. सिन्हा एस्.पी., मेनस्ट्रीम एंड मुस्लिम्स, रेडियन्स, जुलाई, 8, 1973.
129. सेन्सस आफ इंडिया (1971) फाइनेल पापुलेशन टेबिल्स, न्यू देहली, गवर्नमेंट आफ इंडिया, मेनेजर आफ पब्लिकेशन्स, 1972.
130. सेन्सस आफ इंडिया (1981) तीरिज द्वितीय, मध्यप्रदेश प्राविजनल पापुलेशन टोटल, भोपाल, डाईरेक्टोरेट आफ सेन्सस अपरेशन्स, म.प्र., 1981.
131. शाह, ए.बी., दि सोशल कान्टेक्स्ट आफ एजुकेशन, एलाइड पब्लिशर्स, प्रॉपेट लिमिटेड, 1978.
132. सिन्धी, बी.एन., एजुकेशन एंड सोशल चेंज, जयपुर राघत पब्लिकेशन्स, 1979.
133. सिंह, आर.पी., मुस्लिम मेनेज्ड इन्स्टीट्यूशन्स इन इंडिया
134. शर्मा, के.डी., इक्वेलिटाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन आफ एजुकेशनल अपार्टुनिटी विद रिफ्रेन्स टू मुस्लिम वूमैन फोक, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, 1975.
135. शाह शमीम, एजुकेशनल सर्वे रिपोर्ट आन मुस्लिम मेनेज्ड स्कूल्स एन्ड कालेजेज इन इंडिया, न्यू देहली, हाईड्रॉ एजुकेशन सोसाइटी, 1983.
136. सिंघल, महेशचन्द्र, भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएं, 1971.
137. ह्यूज, एम.ए., एस्क्रीम आफ नेशनल एजुकेशन फार इंडिया विद परटीकुलर रिफरेन्स टू मुस्लिम एजुकेशन (1942)
138. हनीफी मसूद अहमद, ए सर्वे आफ मुस्लिम इन्स्टीट्यूशन्स एन्ड कालेज, अशरफ लाहौर, (1962)

139. हुसैन, सज्जाद एंड अशरफ अली, क्राइसिस इन मुस्लिम एजुकेशन, किंग अब्दुल अजीज यूनीवर्सिटी जद्दाह, 1979 ।
140. हक, एम. यू., मुस्लिम पोलिटिक्स इन माडर्न इंडिया, देहली, मीनाक्षी प्रकाशन, 1970 ।
141. हुसैन, एस्. ई., इंडियन मुस्लिम्स चेलेंज एंड अपार्युनिटी, देहली, लालभाई पब्लिशिंग हाउस, 1968 ।
142. हाटे चन्द्रकला, ए., चेंजिंग स्टेटस आफ बूमन इन पोस्ट इंडिपेन्डेंट इंडिया, 1969 ।
143. हुसैन, एस्. आबिद, दि डेस्टिनी आफ इंडियन मुस्लिम्स, बाम्बे, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1965 ।
144. हुसैन एस्. आबिद, दि नेशनल कल्चर आफ इंडिया, न्यू देहली, जेको पब्लिशिंग हाउस, 1956 ।
- हाबीब विलियम, संपादकीय, दि जर्नल आफ नीगो एजुकेशन, भाग- नम्बर-2, 1972 ।
145. हामिद दलबाई, मुस्लिम पोलिटिक्स इन इंडिया, बम्बई, नचिकेता, 1968 ।
146. हुसैन सज्जाद, क्राइसिस इन मुस्लिम एजुकेशन अब्दुल्लाह विश्वविद्यालय, 1979 ।
147. हसनाथ, एस्. ई., इंडियन मुस्लिम्स, बाम्बे लक्ष्मानी पब्लिशिंग हाउस, 1968 ।
148. हन्टर, डब्ल्यू, डब्ल्यू, रिपोर्ट आफ दि इंडियन एजुकेशन कमीशन, कलकत्ता, सुप्रिन्टेन्डेन्ट गवर्नमेंट प्रिंटिंग, 1983 ।
149. हन्टर, डब्ल्यू, डब्ल्यू, दि इंडियन मुसलमान्स, लन्दन, ट्रवनर एन्ड को., 1965 ।

" प रि शि ष ट "

परिशिष्ट - 1

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

विद्यालय वर्गीकरण मूल्यांकन प्रपत्र

विद्यालय का नाम - - - - -
 पता - - - - - स्कूल - - - - -
 तहसील - - - - - जिला - - - - -
 पिन कोड - - - - -
 दूरभाष क्रमांक - - - - -

वर्गीकरण संबंधी आवश्यक निर्देश

प्रपत्र में 09 मुख्य माप बिन्दु तथा कुछ उप बिन्दु दिए गए हैं। इन बिन्दुओं के अंतर्गत विद्यालय का मूल्यांकन विद्यालय में विद्यमान साधन एवं क्षमता के आधार पर करना है। मूल्यांकन में प्राप्तांकों के अनुस्यू विद्यालय को वर्गीकृत किया जाना है। प्रत्येक बिन्दु में विद्यालय के क्रमिक स्तरीय लक्ष्य तांकेतिक अक्षरों 1अ, ब, स, द, इ। के सम्मुख अंकित हैं। शालाओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण एवं मूल्यांकन प्रपत्र के विश्लेषण से विद्यालय के स्तर का ज्ञान हो सकेगा। तदनुस्यू बाईं ओर अंकित एक उपयुक्त तांकेतिक अक्षर 1अ, ब, स, द, इ। में गोला बनाकर दाहिनी ओर शाला की श्रेणी अथवा वर्ग एवं प्राप्तांक अंकित करें।

मूल्यांकन व्यवस्था निम्नांकित है :

वर्ग	अति उत्तम	उत्तम	सामान्य	न्यून	हीन
सकेत	अ	ब	स	द	अ

प्राप्तांक

उपर्युक्त वर्गीकरण करने के लिए प्रतियेदन प्रपत्र तथा वर्गीकरण प्रपत्र का अध्ययन करना आवश्यक है। विद्यालय की श्रेणी/वर्ग निर्धारण हेतु अंकों का माप आधार माना जावे। प्रपत्र में सभी जानकारियां स्पष्ट एवं शुद्ध होनी चाहिए। जानकारी की प्रविष्टियों की पुष्टि हेतु विद्यालय के आवश्यक अभिलेख की प्रतियां प्राप्त कर प्रतियेदन के साथ संलग्न करें। मूल्यांकन वर्गीकरण विश्वतनीय है।

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल

विद्यालय वर्गीकरण हेतु मूल्यांकन प्रपत्र

परीक्षा-हाईस्कूल

उ.मा./अन्य

1.1 विद्यालय का विवरण :

1अ। विद्यालय का नाम - - - - -

1ब। पता - - - - -
 मोहल्ला - - - - - पोस्ट - - - - -
 तहसील - - - - - जिला - - - - - पिनकोड - - - - -

1ब। क्षेत्र शहरी/ग्रामीण/आदिम जाति क्षेत्र

1स। प्रबन्ध शासकीय/अशासकीय

- 1द। 1. स्थापना का वर्ष - - - - -
 2. मण्डल की मान्यता प्राप्त होने की तिथि - - - - -
 3. मान्यता की अवधि - - - - -
 4. पूर्व में मान्यता विषयक निरीक्षण की तिथि - - - - -
 5. वर्तमान में निरीक्षण की तिथि - - - - -

1इ। छात्रों की संख्या, सेक्सनों की संख्या एवं निरीक्षण के दिन उपस्थिति

कक्षा	8	9	10	11	12	योग
1. सेक्सनों की संख्या						
2. प्रवेश की संख्या						
3. उपस्थिति						

।ई। मिडिल विभाग की शासकीय मान्यता है/नहीं।

12। प्रबन्ध समिति का विवरण :

1. समिति का नाम एवं पता

2. पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक

3. सचिव का नाम एवं पता

विद्यालय का मूल्यांकन एवं वर्गीकरण

क्र.	माप बिन्दु	कुल अंक	प्राप्तांक	बिंदु का वर्ग अ, ब, स, द, इ.	विवेक
111	121	131	141	151	161
1.	शाळा भवन	16			
2.	छात्र स्थिति	8			
3.	अध्यापक	15			
4.	अध्यापन कार्य	16			
5.	फनीचर, साज-सज्जा एवं उपकरण	13			
6.	परीक्षा/परीक्षाफल	6			
7.	विद्यालय प्रबंध/प्रकाशन	10			
8.	वित्तीय स्थिति	10			
9.	जनमत	6			
कुल योग :		100			
विद्यालय की श्रेणी/वर्ग					

टीप : विद्यालय की श्रेणी/वर्ग उमर दिये गये विवरण तालिका में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित होगा। नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्राप्तांकों से श्रेणी/वर्ग निर्धारित की जायगी।

अ- 81 से 100, ब- 61 से 80, त- 41 से 60, द-21 से 40,
इ- 20 तक

विद्यालय के निरीक्षण के माप बिन्दु :

।क। भवन में उपलब्ध सुविधाएँ :

वर्ग "अ" शाला के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान - लोकेशन, बनावट, सुदृढ़ता, छात्रावास, सभागृह, पर्याप्त 03 अंक प्रकाश व वायु संचार, समुचित देखभाल, बगीचा, पेयजल, शौचालय, मूत्रालय एवं वाहन व्यवस्था की समुचित व्यवस्था। 03 अंक

वर्ग "ब" कक्षाओं के लिए समुचित कमरे, पेयजल, शौचालय, सभागृह, प्राचार्य कार्यालय आदि। 02 अंक

वर्ग "त" समुचित प्रकाश व वायु संचार, पेयजल, देखभाल, शौचालय की व्यवस्था आदि का अभाव वर्ग -----प्राप्तांक----- कुल अंक 01 अंक

।ख। कक्षाओं में छात्र संख्यानुकूल स्थान

वर्ग "अ" 12 वर्ग फुट से अधिक जगह प्रति छात्र 03 अंक

वर्ग "ब" 12 वर्ग फुट से जगह कम किंतु 10 वर्गफुट से अधिक जगह प्रति छात्र 02 अंक

वर्ग "त" 10 वर्गफुट प्रति छात्र से भी कम 01 अंक

वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक 03 अंक

वर्ग "अ" मण्डल नियम के अनुसार व्यवस्था तथा विस्तार की संभावना 03 अंक

वर्ग "ब" सेक्सन की संख्या के बराबर ही कमरे, किन्तु अन्य आवश्यक कक्षाओं का अभाव अथवा एक से अधिक पारी में शाला का लगना। 02 अंक

वर्ग "त"	एक से अधिक पारी में तथा विभिन्न भवनों में शाला का लगना, शाला भवन का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जाना, जैसे-सांस्कृतिक/रात्रिकालीन कक्षाएँ, शाला में अन्य कालेज/स्कूल की कक्षाएँ लगना । आय प्राप्त के साधन के रूप में भवन का उपयोग किया जाना, जैसे-विवाह तथा अन्य कार्यों के लिए	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		3 अंक

।घ। प्रयोगशाला, कर्मशाला आदि :

वर्ग "अ"	विज्ञान के प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग प्रयोगशालाएँ गैस, पानी, बिजली की व्यवस्था के साथ ।	3 अंक
वर्ग "ब"	तीन विषयों के लिए दो प्रयोगशालाएँ अन्य व्यवस्थाएँ वर्ग "अ" के अनुसार ।	2 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		3 अंक

।ड। शाला परिसर में खेलकूद के लिए स्थान :

वर्ग "अ"	आउटडोर तथा इनडोर खेलों के लिए पर्याप्त क्रीडांगन विभिन्न खेलों के लिए प्लेग्राउन्ड, इनडोर खेलों के लिए शाला भवन में पर्याप्त स्थान	2 अंक
वर्ग "ब"	केवल आउटडोर खेलों के लिए शाला परिसर में क्रीडांगन अथवा	
वर्ग "त"	इनडोर खेलों के लिए शाला भवन में व्यवस्था ।	2 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		1 अंक

।च। वाचनालय, पुस्तकालय के लिए स्थान :

वर्ग "अ"	वाचनालय एवं पुस्तकालय के लिए पृथक कमरों की पर्याप्त व्यवस्था ।	2 अंक
वर्ग "ब"	एक ही कमरे में दोनों की बैठक व्यवस्था किन्तु स्थान पर्याप्त ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		2 अंक

बिन्दु क्रमांक । कुल अंक -16 प्राप्तांक -----

12। विद्यालयों के छात्र की प्रवेश स्थिति :

1क। प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की आदर्श संख्या की तुलना में:

वर्ग "अ"	यदि संख्या 35 से 40 तक है तो	5 अंक
वर्ग "ब"	यदि संख्या 30 से 34 तक है तो	4 अंक
वर्ग "स"	यदि संख्या 25 से 29 तक है तो	3 अंक
वर्ग "द"	यदि संख्या 20 से 24 तक है तो	2 अंक
वर्ग "इ"	यदि संख्या 19 से कम है तो	1 अंक

अथवा

वर्ग "ब"	यदि संख्या 41 से 50 तक है तो	4 अंक
वर्ग "स"	यदि संख्या 51 से 60 तक है तो	3 अंक
वर्ग "द"	यदि संख्या 61 से 80 तक है तो	2 अंक
वर्ग "इ"	यदि संख्या 71 से अधिक है तो	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		5 अंक

1ख। प्रत्येक कक्षा में सेक्शन :

वर्ग "अ"	यदि एक कक्षा में सेक्शनों की संख्या 3 या अधिक है तो	3 अंक
वर्ग "ब"	यदि सेक्शनों की संख्या 2 है तो	2 अंक
वर्ग "स"	यदि सेक्शनों की संख्या 1 है तो	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		3

बिन्दु क्रमांक 2 कुल अंक प्राप्तांक 8

13। अध्यापक :

1क। शिक्षण, छात्र अनुपात :

वर्ग "अ"	1:20 शिक्षक : छात्र का प्रावधान	6 अंक
वर्ग "ब"	1:30 शिक्षक : छात्र का प्रावधान	4 अंक
वर्ग "स"	1:40 शिक्षक : छात्र का प्रावधान	2 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक
		6

।ख।	विषय संबंधी योग्यता, प्रशिक्षण व पर्याप्तता		
वर्ग "अ"	विषयवार योग्यता व वर्गों की संख्या के मान से सेटअप के अनुसार निर्धारित शिक्षक संख्या तथा संगीत व कला के शिक्षकों का अतिरिक्त प्रवधान ।	6	अंक
वर्ग "ब"	सेटअप के अनुसार निर्धारित शिक्षक वर्ग में अधिक से अधिक 20 प्रतिशत की कमी ।	4	अंक
वर्ग "स"	सेटअप के अनुसार निर्धारित शिक्षक वर्ग 20 प्रतिशत से अधिक की कमी ।	2	अंक
	वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक	6	अंक
।ग।	नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :		
वर्ग "अ"	विज्ञापन, रोजगार कार्यालय द्वारा चयन प्रक्रिया में सभी नियमों का पालन किया जाता है ।	1	अंक
	वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक	1	अंक
।घ।	सेवा सुविधाएं :		
वर्ग "अ"	मण्डल नियम के अनुसार सेवा, सुरक्षा व सेवा सुविधाएं उपलब्ध हों ।	1	अंक
	वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक	1	अंक
।ङ।	अध्यापकीय मार्गदर्शन :		
वर्ग "अ"	शाला के शैक्षणिक कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु तथा उसके गुणात्मक सुधार के लिए प्रतिमाह स्टाफ मीटिंग का आयोजन । प्रतिमाह कम से कम एक बार प्राचार्यों द्वारा कक्षाओं का निरीक्षण/वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा आदर्श पाठों की व्यवस्था ।	1	अंक
	वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक	1	अंक
	बिन्दु क्रमांक 3 कुल अंक 15 प्राप्तांक -----		

14। अध्यापन शिक्षणिक कार्यक्रम - शाला निरीक्षण के माध्यम से। :

टीप : 1। बिनदु क्रमांक 4 अध्यापन शिक्षणिक कार्यक्रम का मूल्यांकन शाला के निरीक्षण के माध्यम से निरीक्षण दल द्वारा शाला के कार्यकलापों की वास्तविकता के प्रकाश में अपेक्षित है।

2। बिनदु क्रमांक 4 में अंकित बिनदुओं का मूल्यांकन निम्न प्रश्नावली के आधार पर किया जाना है। सर्वोत्तम पाठ्यकार्य नियोजनों पर 6 अंक तथा नियोजन का स्तर निम्न होने पर क्रमशः 4 तथा 2 अंक दिये जाते हैं।

क। पाठ्य कार्यों के नियोजन

वर्ग "अ" इकाई बार शिक्षणिक उद्देश्यों व क्रिया कलापों सहित निर्धारित पाठ्यक्रम का योजनावद्ध कार्यक्रम। दैनिक पाठों की तैयारी व नई शिक्षा प्रणालियों जैसे - सामूहिक कार्य, निर्देशित अध्ययन, स्वाध्याय तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग, कक्षा अध्यापन, प्रयोगशालाओं, शिक्षा शालाओं एवं क्रीडांगन के सुनियोजित कार्यक्रम/नियमित लिखित कार्य व उनकी नियमित जांच/सतत मूल्यांकन। 7 अंक

प्रश्नावली = बिनदु क्रमांक 4 क वर्ग "अ"

1. क्या शिक्षक कक्षाओं में हर काल खंड में समय पर उपस्थित होते हैं ?
2. क्या शिक्षक अध्यापन के समय विषयवस्तु की पूर्ण तैयारी से आते हैं ?
3. क्या शिक्षक आधुनिक शिक्षण विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं ?
4. क्या शिक्षक प्रयोगशाला का विज्ञान शिक्षण में उपयोग करते हैं ?
5. क्या शिक्षक दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं ?
6. क्या शिक्षक दैनिक डायरी लिखकर तथा तैयार होकर आते हैं ?
7. क्या छात्र कक्षा में रुचि से पढ़ते हैं ?
8. कक्षा में अनुशासन तथा कक्षा नियंत्रण का स्तर कैसा है ?
9. क्या छात्र अध्यापन हेतु पुस्तकालय का उपयोग करते हैं ?

10. क्या छात्रों को सहायक सामग्री ।चार्ट इत्यादि। उपलब्ध करार जाते हैं ?
11. किस अनुपात में छात्र पी.टी., खेल कूद, एन.सी.सी., ए.सी.सी., सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में भाग लेते हैं ?
12. क्या शाला में विभिन्न कार्यक्रम जैसे - गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, महापुरुषों की जयन्ती इत्यादि का आयोजन किया जाता है ?
13. शाला के कितने छात्र विभिन्न स्तर के खेलकूद आदि में शामिल हुए हैं ? ।जिला, संभाग, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद आदि।

वर्ग "ब"	पाठ्यक्रम का रूमी तौर पर महीनों में विभाजन । दैनिक डायरी, नियमित लिखित कार्य व उसकी जांच एक वर्ष में कम से कम दो परीक्षाएं ।	4 अंक
वर्ग "स"	योजना हीन अध्यापन कार्यक्रम	2 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 7

।ख। पाठ्येत्तर कार्य के संगठन

वर्ग "अ"	छात्रों की विचार अभिव्यक्ति की क्षमता, सामाजिकता, व नेतृत्व तथा स्वास्थ्य मनोरंजन हेतु सुगठित वार्षिक कार्यक्रम ।	3 अंक
वर्ग "ब"	अनेक क्रिया कलापों का प्रावधान किन्तु उनमें उद्देश्यों एवं कार्यान्वयन में असमर्थता ।	2 अंक
वर्ग "स"	अपर्याप्त रूप से क्रिया कलापों का प्रावधान तथा उनमें शैक्षणिक दृष्टि की कमी अथवा अभाव ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 3 अंक

।ग। शारीरिक शिक्षा का संगठन :

वर्ग "अ"	सामयिक खेलकूद प्रतियोगिताएं/नियमित पी.टी./स्वास्थ्य शिक्षा/छात्रों का स्वास्थ्य संबंधी लेखा एवं डाक्टरी जांच का नियमित कार्यक्रम ।	3 अंक
वर्ग "ब"	सामयिक खेलकूद, नियमित पी.टी. और डाक्टरी जांच का कार्यक्रम ।	2 अंक

वर्ग "स"	सामयिक खेलकूद, नियमित पी.टी. और डाक्टररी जांच के कार्यक्रम की अपर्याप्तता ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 3
।घ।	एस. यू. पी. डब्ल्यू. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य :	
वर्ग "अ"	इस हेतु मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अ तथा ब के अनुसार प्रत्येक में से कम से कम एक कोर्स की शिक्षा व्यवस्था उच्च स्तर का उत्पादन । बाजार में उसकी विक्रय योग्यता ।	3 अंक
वर्ष "ब"	मण्डल द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम अ एवं ब में से केवल एक कोर्स की शिक्षण व्यवस्था और उत्पादन निम्न स्तर का ।	2 अंक
वर्ग "स"	केवल नाम मात्र के लिए कोर्स का स्कूल पाठ्यक्रम में उल्लेख सुनियोजित प्रशिक्षण व्यवस्था का अभाव ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 3
बिन्दु 4 ।क+ख+ग+घ। कुल अंक 16 प्राप्तांक -----		/16

।5। फर्नीचर साज-सज्जा एवं उपकरण :

।क। फर्नीचर एवं साज-सज्जा :

वर्ग "अ"	प्राचार्य, कार्यालय व शिक्षक कक्ष में लगने वाली कुर्तियां, टेबल व अलमारियों आदि तथा कक्षा में लगने वाले आवश्यक सामान के साथ सिंगल डेस्कों की व्यवस्था । फर्नीचर उत्तम ढंग का तथा अध्यापन कार्य हेतु विषयानुकूल श्याममट, चार्टस, नक्शे/माडल व अन्य नवीनतम आधुनिक उपकरण जैसे- टी.वी. टू-इन-वन, प्रोजेक्टर आदि की पूरी व्यवस्था ।	5 अंक
वर्ग "ब"	प्राचार्य, कार्यालय व शिक्षक कक्ष में लगने वाली, कुर्तियां, टेबल व अलमारियां आदि कक्षा में लगने वाले आवश्यक सामान के साथ साथ डबल डेस्कों की व्यवस्था, फर्नीचर उत्तम ढंग का । दृश्य-श्रव्य सामग्री की सामान्य व्यवस्था ।	4 अंक

वर्ग "स"	फर्नीचर घटिया किस्म का तथा कक्षाओं में डबल डेस्क की व्यवस्था तथा दूरय-श्रव्य सामग्री नाम मात्र की ।	2 अंक
वर्ग "द"	फर्नीचर अपर्याप्त और घटिया किस्म का तथा कक्षाओं में लम्बी डेस्के/दूरय-श्रव्य सामग्री नाम मात्र की ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 5

।ख। प्रयोगशाला, कर्मशाला एवं उपकरण :

वर्ग "अ"	विज्ञान के प्रत्येक विषय के लिए अधिकृत सूची में दशांश गये उपकरण, फर्नीचर, पानी, गैस और बिजली की व्यवस्थाएं विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त ।	4 अंक
वर्ग "ब"	तीन विषयों हेतु दो प्रयोगशालाओं में अन्य बातें लगभग समान ।	2 अंक
वर्ग "स"	तीन विषयों हेतु एक प्रयोगशाला में समूची व्यवस्था किंतु गैस की व्यवस्था न होना ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 3

।ग। पुस्तकालय एवं वाचनालय :

वर्ग "अ"	छात्र संख्या व आयु स्तर के अनुस्यू विषय ज्ञानवृद्धि के लिए सहायक पुस्तकें तथा स्वास्थ्य मनोरंजन व धार्मिक निर्माण संबंधी पुस्तकें छात्र संख्या से कम से कम तिगुनी । पर्याप्त मात्रा में पत्र-पत्रिकाएं । शिक्षकों के अध्यापन स्तर उन्नत करने हेतु आधुनिक शिक्षा साहित्य के ग्रन्थ या इनका छात्र द्वारा समुचित उपयोग, पुस्तक छात्रों को दी जाती हैं।	2 अंक
वर्ग "ब"	उपर्युक्त विषयों की पुस्तकें छात्र संख्या से तिगुनी परंतु शब्दकोष, स्टलस तथा अन्य शिक्षापयोगी पत्र-पत्रिकाओं की संख्या अपर्याप्त ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 2

।घ। खेलकूद सामग्री :

वर्ग "अ"	आउटडोर तथा इनडोर खेलों के लिए पर्याप्त मात्रा में खेल सामग्री ।	2 अंक
----------	---	-------

वर्ग "ब"	केवल आउटडोर तथा इनडोर खेलों में से केवल एक के लिए पर्याप्त सामग्री 2	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 2
बिन्दु 5 [क + ख + ग + घ] कुल 13 प्राप्तांक -----		/13

16। परीक्षा एवं परीक्षाफल :

1क।	मण्डल की परीक्षा	
वर्ग "अ"	परीक्षाफल का प्रतिशत 80 से अधिक है ।	3 अंक
वर्ग "ब"	परीक्षाफल का प्रतिशत 60 से 79.9 है ।	2 अंक
वर्ग "स"	परीक्षाफल का प्रतिशत 40 से 59.9 प्रतिशत है ।	
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 3

1ख। आंतरिक परीक्षा :

वर्ग "अ"	जिन विद्यालयों में यूनिट टेस्ट, मासिक परीक्षा, अर्ध-वार्षिक परीक्षा, प्री-बोर्ड परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा विधिवत ली जाती है तथा उसका रिकार्ड भी रखा जाता है ।	3 अंक
वर्ग "ब"	जिन विद्यालयों में केवल अर्धवार्षिक, प्री-बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा ही ली जाती है ।	
वर्ग "स"	जहां केवल वार्षिक परीक्षा ही ली जाती है ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 3

बिन्दु : 6 [क + ख] प्राप्तांक ----- कुल अंक /6

17। विद्यालय प्रबंध एवं प्रशासन :

1क। कार्यालयीन अभिलेख :

वर्ग "अ"	अभिलेखों जैसे । केशबुक/प्रवेश-पंजी/टाकिल खारिज पंजी, आकस्मिक व्यय पंजी/कार्यकला निधि पंजी, लागबुक,
----------	--

विभिन्न समय-सारिणी आदि। का समुचित व त्रुटिरहित ढंग से रखा जाना तथा प्राचार्य द्वारा नियमित जांच एवं निरीक्षण दिनांक तक हस्ताक्षरित। शिक्षकों के तथा संबंधी रिकार्ड नियमित रूप से रखा जाना।

4 अंक

वर्ग "ब" उक्त लेखों के रख-रखाव में उत्तम व्यवस्था एवं सामान्य त्रुटियों का होना।

3 अंक

वर्ग "स" उक्त रिकार्ड का रख-रखाव सामान्य स्तर का।

2 अंक

वर्ग "द" अभिलेख का रख-रखाव अत्यवस्थित।

1 अंक

वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक

4 अंक

।ख। छात्र संबंधी अभिलेख :

वर्ग "अ" शाला काल चक्र में पाठ्य पाठ्येत्तर व प्रायोगिक कार्य-कलापों का उचित निर्धारण, छात्रों का स्वास्थ्य लेखा। प्रगति पत्रक पंजी। उपस्थिति पंजी, छात्र संघ व छात्र समितियों के अभिलेखों की उत्तम व्यवस्था।

3 अंक

वर्ग "ब" शाला कालचक्र सामान्य, परीक्षा अंक पंजी व्यवस्थित किन्तु अन्य अभिलेखों का अभाव।

2 अंक

वर्ग "स" अभिलेख अपूर्ण एवं अत्यवस्थित।

1 अंक

वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक

3 अंक

।ग। विद्यालय प्रबन्ध :

वर्ग "अ" अध्ययन अध्यापन का उत्साही वातावरण। नये प्रयोग व स्वस्थ परम्पराओं के लिए प्रयुक्त। प्राचार्य, शिक्षक, पाठक व छात्रों के संबंध अनुशासित व स्वस्थ।

3 अंक

वर्ग "ब" अध्ययन-अध्यापन का सामान्य वातावरण। प्राचार्य, छात्र एवं पाठक में नियमित संपर्क का अभाव

2 अंक

वर्ग "स" प्राचार्य व शिक्षकों पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव/ अनुशासन में कमी।

1 अंक

वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक

3 अंक

बिन्दु : 7 ।क+ ख+ ग। प्राप्तांक ----- कुल अंक

/10

18। वित्तीय स्थिति :

1क। विद्यालय के वित्तीय साधन :

वर्ग "अ"	मण्डल के अधिनियम में दी हुई निधियों के अतिरिक्त भी आय के पर्याप्त स्रोतों का होना ।	5 अंक
वर्ग "ब"	मण्डल के विनियम में दी हुई निधियों का प्रावधान । शासकीय अनुदान, नियमित दोनों व शुल्क से प्राप्त आय से शाला का संचालन ।	4 अंक
वर्ग "स"	मण्डल के विनियम में दी हुई निधियों का प्रावधान । आकस्मिक दोनों, शासकीय अनुदान एवं शुल्क आय पर निर्भरता ।	3 अंक
वर्ग "द"	छात्रों के प्रवेश के समय पालकों से दान, अण आदि लेने की प्रथा ।	2 अंक
वर्ग "इ"	मण्डल में दी हुई विधियों का प्रावधान परन्तु आर्थिक स्थिति असंतोषप्रद । शिक्षकों को नियमित वेतन नहीं मिलना ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 5 अंक

1ख। संतुलित शाला बजट :

वर्ग "अ"	व्यय का सत्र भर में समान वितरण तथा भिन्न-भिन्न मदों में संतुलित विभाजन ।	5 अंक
वर्ग "ब"	बजट का संतुलित विभाजन तथा बजट के अनुसार ही विभिन्न मदों में खर्च की व्यवस्था ।	4 अंक
वर्ग "स"	बजट का संतुलित विभाजन किन्तु सत्र में व्यय के समान वितरण में वृद्धि ।	3 अंक
वर्ग "द"	उक्त दोनों बिंदुओं की दृष्टि से कमियां ।	2 अंक
वर्ग "इ"	बजट में न्यूनतम खर्च का अभाव ।	1 अंक
वर्ग -----	प्राप्तांक -----	कुल अंक 5 अंक

बिन्दु : 18। 1क+ख। प्राप्तांक ----- कुल अंक

191 जनमत :

वर्ग "अ" पालक तथा नागरिकों का शाला के प्रति उत्तम दृष्टिकोण तथा छात्र-छात्राओं में प्रवेश पाने की तीव्र इच्छा । 6 अंक

टीप : कक्षा 9 में प्रवेश हेतु जिस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, उस कक्षा में प्रवेश बाबत क्या स्थिति है उसका विवरण अपेक्षित है । तथा शिक्षा अधिकारी/निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर किये गये निरीक्षणों के उत्तम प्रतिवेदन ।

वर्ग "ब" उपरोक्त में वर्णित छात्र/छात्राएं, पालक एवं नागरिकों का यदि उत्तम दृष्टिकोण है । 4 अंक

वर्ग "स" उपरोक्त में वर्णित किन्हीं दो का यदि उत्तम दृष्टिकोण है । 3 अंक

वर्ग ----- प्राप्तांक ----- कुल अंक /6

निरीक्षण संबंधी अभिमत :

निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं हस्ताक्षर

नाम	पद एवं पता	हस्ताक्षर	दिनांक
1.			
2.			
3.			
4.			

" छात्राओं के लिए प्रश्नावली "

1. छात्रा का नाम - - - - -
2. आयु - - - - -
3. कक्षा - - - - -
4. विद्यालय का नाम तथा पता - - - - -
5. विद्यालय में आपको कौन-कौन से विषय पढ़ाये जाते हैं । । का निशान लगाइये :
 1. हिन्दी
 2. अंग्रेजी
 3. उर्दू
 4. इतिहास
 5. भूगोल
 6. सामाजिक अध्ययन
 7. गणित
 8. नागरिक शास्त्र
 9. अर्थ शास्त्र
 10. संस्कृत
 11. अन्य विषय
6. जो विषय आपको विद्यालय में पढ़ाये जाते हैं क्या उनकी पाठ्यपुस्तकें आपके पास हैं ?
 1. हाँ
 2. नहीं

7. उन पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिये जो आपके पास नहीं है ।
- 1.
 - 2.
 - 3.
8. क्या आप उर्दू विषय पढ़ती हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं
9. यदि नहीं पढ़ती, तो क्या उसे पढ़ना चाहती हैं ?
10. क्या उर्दू पढ़ने के लिए आपने कोई आवेदन-पत्र दिया ? यदि हाँ तो उसके लिए विद्यालय ने क्या किया ?
11. क्या विद्यालय में अपनाये गये कढ़ाई के माध्यम से आप पूरे विषयों को समझ जाती हैं ?
12. विद्यालय में विभिन्न विषय आपको किस माध्यम से पढ़ाये जाते हैं ।
 {उर्दू, हिन्दी}
13. क्या आप उर्दू माध्यम से ही पढ़ना चाहती हैं ?
14. हिन्दी विषय में जो कविता और गद्य पढ़ाये जाते हैं, क्या आप उसे पसंद करती हैं ?
15. यदि हिन्दी के पाठ आपको पसंद नहीं हैं तो उसके क्या कारण हैं ?
16. इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कौन-कौन से पाठ आप पसंद करती हैं, और क्यों ?
17. क्या आपको विद्यालयीन प्रार्थना में भाग लेना पसंद है ?
1. हाँ
 2. नहीं
18. आपके मत के अनुसार विद्यालय में प्रातः कालीन कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए ।

19. आपका विद्यालय कौन-कौन से धार्मिक त्यौहार मनाता है ।
- 1.
 - 2.
 - 3.
20. आपके मतानुसार विद्यालय में और अन्य कौन-कौन से त्यौहार मनाये जाना चाहिए ।
- 1.
 - 2.
21. क्या आप इन उत्सवों में भाग लेती हैं ?
22. विद्यालय की कौन-कौन सी सहगामी गतिविधियों में आप भाग लेती हैं ।
23. क्या इन सहगामी गतिविधियों में आपको कोई पुरस्कार मिला ?
24. यदि आप भाग नहीं लेती, तो क्या कारण है ?
25. विद्यालय के अपने सबसे अच्छे चार मित्रों के नाम बताओ ?
26. विद्यालय में अपनी पसंद की चार शिक्षिकाओं के नाम लिखो ?
27. क्या आप सोचती हैं कि विद्यालय में कुछ शिक्षिकायें आपके साथ भेदभाव रखती हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं
28. किन-किन मुद्दों में तुम्हें यह भेदभाव नजर आता है ।
- 1.
 - 2.
29. क्या तुम्हारे साथ विद्यालय की अन्य छात्रायें भेदभाव का व्यवहार करती हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं

परिशिष्ट : 3* अभिभावकों के लिए प्रश्नावली *

1. अभिभावक का नाम - - - - -
2. अभिभावक का पता - - - - -
3. शैक्षिक स्तर
 1. माता - - - - -
 2. पिता - - - - -
4. व्यवसाय : अपने उत्तर पर सही का निशान लगाइये ।
 1. सरकारी नौकरी
 2. स्वयं का व्यवसाय
 3. डाक्टर, वकील, इंजीनियर
 4. कोई अन्य व्यवसाय
5. परिवार की मासिक आय
 1. पिता
 2. माता [अगर नौकरी में हो]
 3. अन्य
 4. कुल मासिक आय
6. परिवार में बच्चों की संख्या - - - - -
7. विद्यालय जाने वाली बालिकाओं की संख्या - - - - -
8. विद्यालय न जाने वाली लड़कियों की संख्या - - - - -
9. स्कूल न जाने का कारण - - - - -
10. आपका स्कूल कितने प्रकार का है । ✓ । का निशान लगाइये ।
 1. कच्चा
 2. पक्का

11. आपके मकान में कुल कमरों की संख्या - - - - -
12. जित्त मकतद से आप अपनी लड़की को विद्यालय में भेज रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कि वह पूरा हो रहा है ?
 1. हां.
 2. नहीं
13. आप अपनी लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करते कारण बताइये ?
 1. - - - - -
 2. - - - - -
 3. - - - - -
14. क्या स्कूल की शिक्षिकायें, हिन्दू एवं मुसलमान छात्राओं के बीच कोई भेदभाव रखती हैं ?
 1. हां
 2. नहीं
15. क्या आप चाहते हैं कि आपकी लड़कियों को उर्दू माध्यम से ही पढ़ाया जाना चाहिए ?
 1. हां
 2. नहीं
16. क्या आप समझते हैं कि आपकी लड़की को विद्यालय में उर्दू विषय पढ़ाने के लिए पूरी सुविधायें दी गई हैं ?
 1. हां
 2. नहीं
17. यदि नहीं तो क्या आपने ज्त संबंध में शिक्षकों से कोई पर्या की ?
 1. हां
 2. नहीं

18. क्या विद्यालय मुसलमान लड़कियों को वह सभी सुविधा देता है जो हिन्दू लड़कियों को दी जाती है ?
1. हाँ
 2. नहीं/ अगर नहीं तो किस प्रकार
19. स्कूल जाने वाली प्रत्येक बच्ची पर आपको कितना खर्च आता है ।
1. फीस
 2. पुस्तकें
 3. ड्रेस
 4. कापी, पेन्सिल
 5. आने जाने की सुविधा में
20. क्या आप यह सोचते हैं कि जो बच्चे आप अपनी लड़की की तालीम में कर रहे हैं, वह जाइज है ?
1. हाँ
 2. नहीं
21. क्या आप सोचते हैं कि विद्यालय का वातावरण हिन्दू व मुसलमान छात्राओं के लिए समान है ।
1. हाँ
 2. नहीं
22. क्या आपकी बच्ची को विद्यालय की गतिविधियों में भाग लेने से आपका कोई आपत्ति है ?
1. हाँ
 2. नहीं
23. यदि है तो क्यों - - - - -
24. क्या आप अपनी बच्ची को घर में पढ़ाने में मदद करते हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं
25. आपकी बच्ची को घर में प्रतिदिन पढ़ने के लिए कितना समय मिल पाता है।
26. विद्यालय में जो पढ़ाई करवायी जाती है क्या आप उससे संतुष्ट हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं

" शैक्षिक प्रशासकों के लिए प्रश्नावली "

1. विद्यालय का नाम - - - - -
2. विद्यालय का स्वस्थ : । केन्द्र सरकार, राज्य सरकार।
 1. शासकीय विद्यालय
 2. स्वायत्त सरकार
 3. प्रान्तीय सरकार
 4. सहायता प्राप्त विद्यालय
 5. प्राय्वेट
3. विद्यालय की स्थिति : निम्न पर । ✓ । का निशान लगाइये ।
 1. शहर के बीच में
 2. शहर से हटकर
 3. शहर से बहुत दूर
4. विद्यालय का समय
 1. एक शिफ्ट में
 2. दो शिफ्ट में

भाग - 1 : शैक्षिक गतिविधियों से सम्बद्ध प्रश्न

1. प्राचार्य/प्राचार्या का नाम - - - - -
2. आयु - - - - -
3. धर्म - - - - -
4. निम्न कक्षाओं में छात्राओं की संख्या ।

क्रमांक	कक्षा	कुल छात्राओं की संख्या	मुस्लिम छात्राओं की संख्या
1.	नवीं		
2.	दसवीं		
3.	ग्यारहवीं		

5. उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए कुल शिक्षिकाओं की संख्या

6. आपके विद्यालय में मुस्लिम शिक्षक/शिक्षिकाओं की संख्या

7. आपके विद्यालय में एम. एड. एवं पी. एच. डी. शिक्षक/शिक्षिकाओं के नाम :
1. -----
2. -----
8. क्या विद्यालय अपने शिक्षकों/शिक्षिकाओं को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर देता है ?
1. हाँ
2. नहीं
9. इसमें कितने मुस्लिम शिक्षक, शिक्षिकाओं को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर मिला ?
1. -----
2. -----
10. आपके विद्यालय में प्रवेश किस प्रकार दिया जाता है ?
1. प्रवेश परीक्षा के द्वारा, या
2. सभी को
11. क्या आपके विद्यालय में मुस्लिम छात्राओं को पढ़ाने के लिए उर्दू माध्यम का प्रयोग किया जाता है ?
1. हाँ
2. नहीं
12. मुस्लिम बालिकाओं के पढ़ाने के लिए क्या आपने कोई विशेष सुविधा की व्यवस्था की है ?
1. हाँ
2. नहीं

13. क्या आपकी शिक्षायें स्कूल के बाद अथवा पहले विशेष कक्षायें लेकर पढ़ाती हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं
14. क्या इसमें मुस्लिम छात्रायें आती हैं ?
1. हाँ
 2. नहीं
15. आपके विद्यालय का कुल क्षेत्रफल कितना है ?
1. ढ़का हुआ क्षेत्र
 2. खुला हुआ
 3. अन्य
16. आपके विद्यालय में पढ़ाने का माध्यम क्या है ?
- 1.
17. क्या आप समझते हैं कि छात्राओं की संख्या को देखते हुए विद्यालय में कमरों की संख्या पर्याप्त है ?
1. हाँ
 2. नहीं
18. ऐसे कितने शिक्षक शिक्षायें हैं जो उर्दू माध्यम से पढ़ाने की क्षमता रखते हैं ?
-
19. विभिन्न कक्षाओं में उर्दू विषय लेने वाले छात्राओं की संख्या कितनी है ?
1. नवीं
 2. दसवीं
 3. ग्यारहवीं

20. पिछले त्र में निम्नलिखित कक्षाओं में प्रथम जाने वाली छात्राओं के नाम बताइये ?

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | कक्षा - दसवीं | 1. | - - - - - |
| | | 2. | - - - - - |
| 2. | कक्षा - ग्यारहवीं | 1. | - - - - - |
| | | 2. | - - - - - |

21. पिछले पांच वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में आपके विद्यालय की किन-किन छात्राओं ने प्रवीणता की सूची में स्थान प्राप्त किया, उनके नाम दें।

	कक्षा - दसवीं	कक्षा - ग्यारहवीं
1.	1981-82	- - - - -
2.	1982-83	- - - - -
3.	1983-84	- - - - -
4.	1984-85	- - - - -
5.	1985-86	- - - - -

22. पिछले वर्ष बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं का परीक्षाफल आपके विद्यालय में कितने प्रतिशत रहा ?

- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | कक्षा - दसवीं | - - - - - |
| 2. | कक्षा - ग्यारहवीं | - - - - - |

भाग - 2 : सहगामी गतिविधियों से सम्बद्ध प्रश्न

1. क्या आपके विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कुँवाली, मुझाघरा आदि का आयोजन भी किया जाता है ?

- | | |
|----|------|
| 1. | हां |
| 2. | नहीं |

2. सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितनी मुस्लिम छात्राओं ने भाग लिया ?

- | | |
|----|---------|
| 1. | हिन्दू |
| 2. | मुस्लिम |

3. गत वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम में कितनी मुस्लिम छात्राओं ने भाग लेकर पुरस्कार जीते ?
1. - - - - -
4. पिछले सत्र में आपने विशेष अवसरों पर किन-किन व्यक्तियों को निमंत्रित किया ? उनके नाम लिखिये ।
1. - - - - -
2. - - - - -
3. - - - - -
5. आपके विद्यालय में कौन-कौन से त्यौहार मनाये जाते हैं ?
1. दीपावली, होली
2. ईद आदि
6. पिछले सत्र में किन-किन महापुरुषों के जन्मदिन मनाये गये ?
1. - - - - -
2. - - - - -
7. आपके विद्यालय में एन.सी.सी. में पिछले वर्ष कितनी छात्राओं ने भाग लिया ?
1. - - - - -
8. इनमें से कितनी छात्राएँ मुस्लिम थीं ?
9. आपकी शाला में निम्नलिखित गतिविधियों में कितनी छात्राएँ ने भाग लिया ?
1. साइन्स क्लब
2. वाद-विवाद
3. मयुजिक क्लब
10. निम्नलिखित में से कौन-कौन सी सुविधाएँ आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं ?
1. रेडियो
2. टी.वी.
3. खेलने का मैदान
4. स्वीमिंग पुल आदि

11. यदि आपके विद्यालय में खेलने की सुविधा नहीं है तो छात्राओं के लिए इसका क्या विकल्प है ?
 1. - - - - -
12. आपके विद्यालय में कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं ? । का निशान लगाइये ।
- | | |
|---------------|----------------|
| 1. हाकी | 1. टेबिल-टेनिस |
| 2. फुटबाल | 2. बैड |
| 3. वालीबाल | 3. बैरम |
| 4. खो-खो | 4. जूडो |
| 5. बेड मिन्टन | |
13. क्या आपके विद्यालय में खेलने का मैदान है ?
 1. हां
 2. नहीं
14. क्या आपके विद्यालय में सभी कक्ष उपलब्ध है ?
 1. हां
 2. नहीं
15. पिछले सत्र में आपके विद्यालय में खेलों में किन-किन स्तर का पुरस्कार जीते?
 1. स्थानीय
 2. प्रान्तीय
16. क्या इन स्तरों पर किसी मुस्लिम छात्राओं ने पुरस्कार जीते ?
 - - - - -
17. आपके विद्यालय में एन.सी.सी. की छात्राओं की संख्या कितनी है ?
 - - - - -
18. एन.सी.सी. में भाग लेने वाली मुस्लिम छात्राओं की संख्या कितनी है ?
 - - - - -

भाग - 3 : पुस्तकालय से संबंधित सूचना

1. क्या पुस्तकालय की पृथक से व्यवस्था है ?
 1. हाँ
 2. नहीं
2. पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की पुस्तकों की संख्या ?
 1. - - - - -
3. प्रतिवर्ष पुस्तकालय में पुस्तकों के क्रय पर व्यय की जाने वाली राशि कितनी होती है ?
 1. हिन्दी की पुस्तकें
 2. अंग्रेजी की पुस्तकें
 3. उर्दू की पुस्तकें
 4. दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ
4. पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या :
 1. हिन्दी
 2. उर्दू
 3. अंग्रेजी
5. प्रतिदिन के दैनिक समाचार पत्रों की संख्या ।
 1. हिन्दी
 2. उर्दू
 3. अंग्रेजी

परिशिष्ट : 5

साक्षात्कार किये गये विशिष्ट व्यक्तियों के नामों की सूची जिन्हें

साक्षात्कार किया गया

1. कु.शमीका फरहत, प्राध्यापक, उर्दू विभाग, हमीदिया महाविद्यालय, भोपाल
2. केसर जहाँ, अध्यापिका, मिनी पी.एस.सी.
3. मकसूद इमरानी, एडीटर, आफताब
4. डा.अशफाक अली, प्रिंसिपल, सैफिया महाविद्यालय, भोपाल
5. डा.शमी, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल
6. अख्तर तईद खां, एडवोकेट
7. डा.एस.एम.बान, वरिष्ठ चिकित्सक, बी.एच.ई.एल., भोपाल
8. श्री एन.ए.हसन, प्रबंधक, यूको बैंक, टी.टी.नगर, भोपाल
9. श्री एम.आई.बान, सहायक प्राध्यापक, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
10. श्रीमती आर. निशा बान, सम्पादिका, स्थानीय पत्रिका ।
11. ए.आर.अन्तारी, समाज सुधारक, एच.ई.एल., भोपाल
12. प्रो.एस.के.माधुर, विभागाध्यक्ष, राजनीति शास्त्र, क्षेत्रीय शिक्षा महा-विद्यालय, भोपाल
13. श्रीमती डा.तईदा, चिकित्सक, औषधालय, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल
14. श्री अलीमुल्लाह खान, कपड़े के व्यापारी ।
15. प्रो.अशफाक अहमद, उर्दू विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय, भोपाल
16. प्रो. लियाकत अली खान, सैफिया महाविद्यालय, भोपाल
17. प्रो. नासिर अली, सैफियामहाविद्यालय, भोपाल

" व्यक्ति अध्ययन "

व्यक्ति अध्ययन हेतु प्रयुक्त प्रश्नावली

सामान्य सूचना

नाम - - - - - आयु - - - - - कक्षा - - - - - स्वास्थ्य - - - - -

विद्यालय - - - - -

अभिभावक शिक्षा व्यवसाय मातृक आय कल भाई बहन की संख्या

माता

पिता

1. पिछली कक्षा में तुम्हारे कितने प्रतिशत अंक थे ? पांचवीं---आठवीं---दसवीं
2. तुम्हें पढ़ने को घर में कौन प्रोत्साहित करता है । - - - - -
3. तुम किन खेलों में भाग लेती हो । - - - - -
4. क्या तुमने विद्यालयीन खेलों में भाग लिया है ? - - - - -
5. क्या तुमने विद्यालयीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया ? - - - - -
6. क्या किसी खेल में एन.सी.सी., स्काउट की प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त हुआ है ? - - - - -
7. घर के काम में तुम मां की कितनी मदद करती हो ? - - - - -
8. परिवार के मुताबिक घर में कौन पैसला लेता है माता, पिता ?
- - - - -
9. तुम और आगे कितना पढ़ना चाहती हो ? - - - - -
10. क्या पढ़ने के बाद तुम नौकरी करना पसंद करोगी ? - - - - -
11. कौन सी नौकरी तुम्हें अच्छी लगती है ? - - - - -
12. तुम्हारे अनुसार लड़कियों को पढ़ने में कौन-कौन सी मुशकिलें आती हैं ।
- - - - -

छात्राओं का नाम - जिनका व्यक्ति अध्ययन किया गया :

1.	निशात अंजुम	कक्षा - 11वीं
2.	नूरजहां सुल्तान	कक्षा - 10वीं
3.	परवीन खान	कक्षा - 11वीं
4.	ल्लेशा कादिर	कक्षा - 10वीं
5.	रज़िया परबीन	कक्षा - 11वीं
6.	सलमा सुल्तान	कक्षा - 9वीं
7.	सईदा सुल्तान	कक्षा - 9वीं
8.	रबीना अन्तारी	कक्षा - 9वीं
9.	कु. कनीज फातिमा	कक्षा - 10वीं
10.	मोहसना बानो	कक्षा - 10वीं
11.	अमीना बानो	कक्षा - 11वीं
12.	बिलकिस फातिमा	कक्षा - 9वीं
13.	इशरत जहां	कक्षा - 11वीं
14.	कोसर जहां	कक्षा - 10वीं
15.	राशीदा सुल्तान	कक्षा - 11वीं
16.	नफीसा बानो	कक्षा - 11वीं
17.	फौजिया खान	कक्षा - 10वीं
18.	फरहत सुल्तान	कक्षा - 9वीं

मुस्लिम बाहुल्य वाले प्रान्तों की तालिका

1. उत्तर प्रदेश	1. रामपुर
	2. मिर्जापुर
	3. मुरादाबाद
	4. तहारपुर
	5. मुजफ्फर नगर
	6. मेरठ
	7. बहराडुथा
	8. गोंडा
	9. गाजियाबाद
	10. टकुरिया
	11. सीलीभीत
	12. बाराबंकी
	13. बस्ती
2. पश्चिमी बंगाल	1. मुर्शिदाबाद
	2. मालदा
	3. पश्चिम दीनाटपुर
	4. बीरबहोय
	5. नादिया
	6. चौबीस परगना
	7. कूच बिहार
	8. हावड़ा

- | | | | |
|-----|-------------|----|--------------|
| 3. | केरल | 1. | मातकपुरम |
| | | 2. | ओईकोड़ |
| | | 3. | कन्नानूर |
| | | 4. | बालघाट |
| | | 5. | दधानाट |
| 4. | बिहार | 1. | पूरीनिटा |
| | | 2. | कटिहार |
| | | 3. | दरभंगा |
| 5. | कर्नाटक | 1. | बीडार |
| | | 2. | गुलकर्जी |
| | | 3. | बीजापुर |
| 6. | महाराष्ट्र | 1. | पूरात मुम्बई |
| | | 2. | जौरंगाबाद |
| 7. | उत्तरप्रदेश | 1. | देहराबाद |
| | | 2. | कुरुना |
| 8. | हरियाणा | 1. | गुडगांव |
| 9. | ज.प्र.देश | 1. | <u>भीमात</u> |
| 10. | राजस्थान | 1. | जयसलमेर |